राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की नियामक प्रदर्शन रेटिंग रिपोर्ट

प्रथम रिपोर्ट
2025

Power Foundation of India

आरईसी REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

द्वारा संयुक्त रिपोर्ट

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की नियामक प्रदर्शन रेटिंग रिपोर्ट

प्रथम रिपोर्ट

2025

मनोहर लाल
MANOHAR LAL

विद्युत मंत्री एवं
आवासन और शहरी कार्य मंत्री
भारत सरकार

Minister of Power and
Minister of Housing and Urban Affairs
Government of India

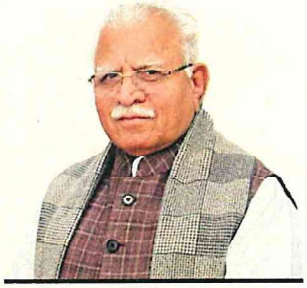

संदेश

भारत का विद्युत क्षेत्र देश की आर्थिक प्रगति और सामाजिक विकास के प्रमुख प्रेरक कारकों में से एक है। जैसे-जैसे देश सतत विकास में वैश्विक नेतृत्व की अपनी आकांक्षा की ओर अग्रसर हो रहा है, प्रत्येक नागरिक को विश्वसनीय, किफायती और गुणवत्तापूर्ण विद्युत की उपलब्धता हमारे **विकसित भारत@2047** के विज़न का केंद्र बिंदु है। इस परिप्रेक्ष्य में, नियामक संस्थाओं का सशक्तिकरण एवं क्षेत्रीय शासन में उनकी सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) की नियामक प्रदर्शन रेटिंग संबंधी प्रथम रिपोर्ट 2025, जिसे पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने आरईसी लिमिटेड के सहयोग से तैयार किया है, भारत के विद्युत क्षेत्र को वित्तीय रूप से सुदृढ़, तकनीकी रूप से आधुनिक, पर्यावरणीय रूप से संधारणीय तथा पूर्णतः उपभोक्ता-केंद्रित बनाने की निरंतर यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

पिछले एक दशक में, भारत सरकार ने विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, विलंबित भुगतान अधिभार नियम तथा हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस नियम जैसे व्यापक और परिवर्तनकारी सुधार किए हैं, जिनका स्पष्ट उद्देश्य 24x7 विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण और किफायती विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना है। भारत के विद्युत क्षेत्र के विकास का अगला चरण हमारी नियामक संरचना की प्रभावशीलता, दूरदर्शिता और निरंतरता पर अधिकाधिक निर्भर करेगा।

यह रिपोर्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में नियामक प्रदर्शन का अनुशासित, साक्ष्य-आधारित और पारदर्शी मूल्यांकन प्रस्तुत करती है। यह सराहनीय पद्धतियों को रेखांकित करती है, सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करती है तथा संस्थागत क्षमता और नियामक उत्तरदायित्व को सुदृढ़ करने के लिए एक सुस्पष्ट मार्ग प्रस्तुत करती है।

मैं पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया और आरईसी लिमिटेड को उनके अथक प्रयासों के लिए बधाई देता हूँ। मुझे विश्वास है कि यह रिपोर्ट नीति-निर्माताओं, नियामकों, वित्तपोषण संस्थानों, डिस्कॉम्स तथा अन्य हितधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ के रूप में कार्य करेगी और भारत के भविष्योन्मुखी, समावेशी एवं सतत विद्युत क्षेत्र के निर्माण के हमारे लक्ष्य को साकार करने में सार्थक योगदान देगी।

(मनोहर लाल)

Shram Shakti Bhawan, New Delhi-110 001 Phone : +91-11-23717474, 23710411, Fax : +91-11-23710065

श्रीपाद नाईक
राज्य मंत्री
विद्युत एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा
भारत सरकार

सत्यमेव जयते

SHRIPAD NAIK
Minister of State for Power and
New and Renewable Energy
Government of India

संदेश

भारत का विद्युत क्षेत्र एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के विनियामक निष्पादन की रेटिंग संबंधी पहली रिपोर्ट 2025 एक व्यापक और वस्तुनिष्ठ दृष्टि प्रदान करती है जिसके माध्यम से विनियामक परिदृश्य को आकलित किया जा सकता है और उसे मजबूत किया जा सकता है।

विद्युत तक सार्विक पहुंच को सक्षम करने, वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने, नवीकरणीय ऊर्जा के दक्ष एकीकरण की सुविधा प्रदान करने, उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा करने और निवेश एवं नवाचार के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाने के लिए एक मजबूत विनियामक फ्रेमवर्क अपरिहार्य है। गुणात्मक आपूर्ति, पारदर्शिता, समय पर निर्णय और विश्वसनीय सेवा के लिए बढ़ती अपेक्षाओं के साथ, राज्य विनियामक आयोगों (एसईआरसी) को क्षेत्रीय विकास के साथ विकसित होना चाहिए।

यह रिपोर्ट सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का मूल्यांकन संसाधन पर्याप्तता, लागत-प्रतिबिंबित प्रशुल्क, निष्पादन के मानक, नवीकरणीय खरीद दायित्व, खुली पहुंच और संस्थागत शासन सहित व्यापक मापदंडों के आधार पर करती है। यह रिपोर्ट व्यवस्थित रूप से उपलब्धियों और कमियों, दोनों की पहचान करके, राज्यों को विनियामक प्रकर्ष को प्राप्त करने के लिए एक रचनात्मक रूपरेखा प्रदान करती है।

मैं पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया तथा आरईसी लिमिटेड को इस महत्वपूर्ण और समयानुकूल पहल के लिए बधाई देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह रिपोर्ट सहयोगपूर्ण सुधार की भावना को बढ़ावा देगी, विनियामक नवाचार को प्रेरित करेगी, और एक आधुनिक, दक्ष और उपभोक्ता-उन्मुख विद्युत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के अपने प्रयासों में एसईआरसी को सहयोग प्रदान करेगी।

(श्रीपाद नाईक)

Office : Room No. 516, 5th Floor, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110001
Tel. : 011-23720450, 23720451, Fax : 011-23720452, E-mail: mosoffice-power@gov.in, shripad.naik@sansad.nic.in
Res. (Delhi) : 1, Lodhi Estate, New Delhi-110003 Tel: 011-24635396 Fax : 011-24656910
Res. (Goa) : "Vijayshree" House No. 111, St. Pedro, Old Goa, Goa-403402 Tel.: 0832-2444510, 0832-2444088

पंकज अग्रवाल, भा.प्र.से.
सचिव
Pankaj Agarwal, I.A.S.
Secretary

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली-110001
Government of India
Ministry of Power
Shram Shakti Bhawan, New Delhi - 110001
Tele : 23710271/23711316
Fax : 23721487
E-mail : secy-power@nic.in

संदेश

प्रत्येक नागरिक को विश्वसनीय, किफायती और सतत विद्युत आपूर्ति करना एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए न केवल नीतिगत सुधारों की आवश्यकता होती है बल्कि उन सशक्त विनियामक प्रक्रियाओं की भी आवश्यकता होती है जो अनुशासित कार्यान्वयन, वित्तीय विवेक और उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करती है। इस संदर्भ में, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के विनियामक निष्पादन की रेटिंग संबंधी पहली रिपोर्ट 2025 एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी पहल है।

यह रिपोर्ट सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में विनियामक कार्यों का विस्तृत और व्यवस्थित मूल्यांकन प्रस्तुत करती है, जिसमें प्रशुल्क आदेश, ट्रूअप निर्णय-, संसाधन पर्याप्तता विनियम, निष्पादन के मानक, नवीकरणीय ऊर्जा अधिदेश और उपभोक्ता सेवा फ्रेमवर्क जैसे सत्यापनीय विनियामक संसाधनों का उपयोग किया गया है। इस तरह के संरचित दृष्टिकोण से पारदर्शिता बढती है और सतत विनियामक परिणाम आते हैं।

मैं पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया तथा आरईसी लिमिटेड के इस व्यापक विश्लेषणात्मक प्रयास की सराहना करता हूँ। मुझे विश्वास है कि यह रिपोर्ट साक्ष्य-आधारित नीतिनिर्माण को मजबूत करेगी तथा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में एक आधुनिक, मजबूत और भविष्य के लिए तैयार विद्युत क्षेत्र के निर्माण के साथ विनियामक निष्पादन की बेंचमार्किंग को सक्षम करेगी।

पंकज

(पंकज अग्रवाल)

संदेश

मुझे पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा आरईसी लिमिटेड के सहयोग से तैयार की गई राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की नियामक प्रदर्शन रेटिंग पर संबंधी प्रथम रिपोर्ट, 2025 प्रस्तुत करते हुए अत्यंत खुशी हो रही है। यह रिपोर्ट गहन अनुसंधान, विश्लेषणात्मक गहराई तथा संस्थागत सुदृढ़ीकरण के माध्यम से विद्युत क्षेत्र को सशक्त बनाने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करती है।

विनियम विद्युत पारिस्थितिकी तंत्र की आधारशिला हैं, जो पूर्वानुमेय प्रशुल्क निर्धारण, अनुशासित वित्तीय प्रबंधन, संसाधन पर्याप्तता, उपभोक्ता संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा के प्रभावी एकीकरण तथा पारदर्शी शासन को सुनिश्चित करते हैं। इनकी केंद्रीय भूमिका को ध्यान में रखते हुए, यह रिपोर्ट संसाधन पर्याप्तता, वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की वित्तीय व्यवहार्यता, जीवन एवं व्यवसाय संचालन की सुगमता, ऊर्जा संक्रमण तथा विनियामक शासन जैसे पाँच प्रमुख स्तंभों के आधार पर सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के विनियामक प्रदर्शन का समग्र मूल्यांकन प्रस्तुत करती है।

इस रिपोर्ट की तैयारी में उपयोग की गई सूचना को 31 मार्च 2025 तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा जारी विनियमों, प्रशुल्क और ट्रू-अप आदेशों और अन्य संगत आदेशों से सीधे प्राप्त की गई है, जिससे वस्तुनिष्ठता, पता लगाने की क्षमता और एकरूपता सुनिश्चित होती है। तुलनात्मक अंतर्दृष्टि प्रस्तुत करके रिपोर्ट विनियामकों, नीति निर्माताओं और अन्य क्षेत्र के हितधारकों के बीच परस्पर ज्ञान प्राप्ति, सर्वोत्तम परिपाटियों को अपनाने और रचनात्मक जुड़ाव को प्रोत्साहित करती है।

जैसे-जैसे भारत एक स्वच्छ, डिजिटल रूप से सक्षम, उपभोक्ता-केंद्रित तथा निवेश-अनुकूल ऊर्जा भविष्य की दिशा में दृढ़तापूर्वक अग्रसर हो रहा है, विनियामक पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। मुझे आशा है कि यह रिपोर्ट राज्य स्तर पर विनियामक प्रयासों को राष्ट्रीय आकांक्षाओं के साथ समन्वित करने हेतु एक महत्वपूर्ण संदर्भ दस्तावेज सिद्ध होगी।

मैं आरईसी लिमिटेड के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ तथा इस अग्रणी आकलन के विकास में पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के योगदान को सराहता हूँ। हम राष्ट्र के लिए एक मजबूत, भविष्य के लिए तैयार और न्यायसंगत विद्युत क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

डॉ. श्रीकांत नागुलापल्ली
अपर सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार
महानिदेशक, पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया

POWER FOUNDATION OF INDIA
B-28, Qutab Institutional Area, New Delhi-110 016
+91 11 -69650000, E mail: info@powerfoundation.org.in
Website: www.powerfoundation.org.in

जितेन्द्र श्रीवास्तव, भा.प्र.से.
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Jitendra Srivastava, IAS
Chairman & Managing Director

सत्यमेव जयते

आर ई सी
REC
असीमित ऊर्जा. अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.
A MAHARATNA COMPANY

संदेश

भारत का विद्युत क्षेत्र सार्वभौमिक पहुंच, संधारणीयता, डिजिटलीकरण और दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता के प्रति राष्ट्र की मजबूत प्रतिबद्धता से प्रेरित एक अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। इस परिवर्तनशील परिदृश्य में, एक कुशल, पारदर्शी और दूरदर्शी विनियामक ढांचे की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो जाती है, ताकि वर्तमान सुधारों को प्रभावी रूप से लागू करते हुए उन्हें उपभोक्ताओं, विद्युत संस्थाओं और व्यापक अर्थव्यवस्था के लिए ठोस एवं मापनीय परिणामों में परिवर्तित किया जा सके।

इस संदर्भ में, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के विनियामक निष्पादन की रेटिंग 2025 का प्रथम संस्करण, पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा आरईसी लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया गया है। विद्युत मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में, आरईसी लिमिटेड ने वित्तपोषण, क्षमता निर्माण और विश्लेषणात्मक अध्ययनों के माध्यम से विद्युत क्षेत्र की संस्थाओं को निरंतर सुदृढ़ बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह रिपोर्ट इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल है, जो यह समझने में हमारी सामूहिक क्षमता को सशक्त बनाती है कि विनियामक प्रक्रियाएं किस प्रकार क्षेत्रीय निष्पादन को प्रभावित करती हैं और विद्युत क्षेत्र में सुधारों को अधिक प्रभावी एवं परिणामोन्मुख बनाती हैं।

इस मूल्यांकन में विनियामक मापदंडों के व्यापक दायरे को शामिल किया गया है, जिसमें संसाधन पर्याप्तता, प्रशुल्क निर्धारण, वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की वित्तीय व्यवहार्यता, नवीकरणीय ऊर्जा का एकीकरण, उपभोक्ता सेवाएं, मुक्त अभिगम का कार्य-ढांचा तथा संस्थागत शासन जैसे महत्त्वपूर्ण पहलू सम्मिलित हैं। इन सभी तत्वों का संरचित और डेटा-आधारित विश्लेषण करते हुए, यह रिपोर्ट विनियामक परिदृश्य में आवश्यक पारदर्शिता लाने में महत्त्वपूर्ण योगदान देती है तथा राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में विनियामक निष्पादन का वस्तुनिष्ठ आकलन करने और उसे सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक सशक्त आधार प्रदान करती है।

स्वच्छ ऊर्जा, सुदृढ़ वितरण नेटवर्क, उत्तरदायी उपभोक्ता सेवाओं और स्थायी वित्तीय प्रथाओं से संचालित भविष्य की ओर भारत को सक्षम बनाने के लिए एक सशक्त विनियामक पारिस्थितिकी तंत्र अत्यंत आवश्यक है। मुझे विश्वास है कि यह रिपोर्ट नीति निर्माताओं, विनियामकों, डिस्कॉम तथा विद्युत क्षेत्र से जुड़े संस्थानों के लिए एक महत्त्वपूर्ण संदर्भ के रूप में कार्य करेगी, जिससे उन्हें सुधार के प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करने, सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को अपनाने और संस्थागत क्षमताओं को और अधिक सुदृढ़ करने में सार्थक मार्गदर्शन प्राप्त होगा ।

मैं इस महत्त्वपूर्ण पहल के लिए पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया की सराहना करता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह विश्लेषणात्मक कार्य-ढांचा एक सशक्त भविष्य के लिए सजग और उपभोक्ता-केंद्रित विद्युत क्षेत्र के निर्माण में राष्ट्र को सार्थक दिशा प्रदान करेगा तथा विद्युत क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और बेहतर निष्पादन को बढ़ावा देने में **महत्त्वपूर्ण** भूमिका निभाएगा ।

जितेन्द्र श्रीवास्तव, आईएएस
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

आभार

पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के नियामकीय प्रदर्शन के मूल्यांकन पर प्रथम रिपोर्ट के निर्माण में विभिन्न संस्थानों और हितधारकों से प्राप्त अमूल्य सहयोग और समर्थन के लिए अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता है।

हम भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के सचिव श्री पंकज अग्रवाल; विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव तथा पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक डॉ. श्रीकांत नागुलापल्ली; विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के मुख्य अभियंता (रिफॉर्म्स एवं रिस्ट्रक्चरिंग) श्री हेमंत कुमार पांडेय; तथा विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशक (NRE एवं RCM) श्री सुनील कुमार शर्मा और नियामकीय अनुपालन निगरानी (RCM) प्रभाग के प्रति अपनी हार्दिक सराहना व्यक्त करते हैं। उनके निरंतर मार्गदर्शन तथा नीति-दिशा ने इस मूल्यांकन को प्रेरित करने और इसे दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

हम REC लिमिटेड (RCM सेल, यूटिलिटी रिफॉर्म्स स्पेशल इंटरवेंशंस – गवर्नमेंट प्रोग्राम मैनेजमेंट डिवीजन (PMD)) के प्रति भी अपना विशेष आभार व्यक्त करते हैं, जिनके सहयोग और निरंतर समर्थन ने इस रिपोर्ट के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

हम राज्य विद्युत विनियामक आयोगों, राज्य वितरण कंपनियों (DISCOMs) तथा अन्य क्षेत्रीय संस्थानों के योगदान को भी स्वीकार करते हैं, जिन्होंने परामर्श प्रक्रिया के दौरान सक्रिय भागीदारी और महत्वपूर्ण सुझाव प्रदान किए।

अंततः, हम उन सभी विषय-विशेषज्ञों, सहकर्मी समीक्षकों (peer reviewers) तथा अन्य हितधारकों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने इस प्रक्रिया के दौरान अपने मूल्यवान विचार और दृष्टिकोण साझा किए। उनके महत्वपूर्ण सुझावों और अंतर्दृष्टियों ने इस अग्रणी मूल्यांकन की गहराई और विश्वसनीयता को और सुदृढ़ किया है।

विषयवस्तु

कार्यकारी सार 1

1. संसाधन पर्याप्तता 3

2. डिस्कॉम की वित्तीय व्यवहार्यता 4

2.क समय पर प्रशुल्क आदेश जारी करना 4

2.ख लागत परावर्तक प्रशुल्क 5

2.ग विनियामक परिसंपत्तियों का गैर-निर्माण 6

2.घ ईंधन और विद्युत खरीद लागत समायोजन अधिभार 7

3. जीवन यापन में आसानी/ कारोबार करना 9

4. ऊर्जा संक्रमण 11

4.क हरित ऊर्जा मुक्त पहुंच 11

4.ख नवीकरणीय खरीद दायित्व 11

5. विनियामक शासन 14

परामर्श प्रक्रिया 14

6. स्कोरिंग पद्धति 15

7. रेटिंग और परिणामों का सार 19

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के रेटिंग विनियामक निष्पादन का सार 21

8. राज्यवार स्कोरकार्ड 23

9. परिशिष्ट 99

अस्वीकरण और प्रकाशनाधिकार

अस्वीकरण

1. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ग्रेड एक विशिष्ट मापदंडों के सेट पर विचार करके प्राप्त किए गए हैं और यदि विभिन्न मापदंडों का उपयोग किया जाता है तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निष्पादन में परिवर्तन हो सकता है।
2. रिपोर्ट का अगला संस्करण, वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2026-27 की कुल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) के ट्रू-अप के लिए, अतिरिक्त मापदंडों को शामिल करेगा, अर्थात, ऊर्जा भंडारण, प्रशुल्क श्रेणियों के सरलीकरण और युक्तिकरण जिसमें प्रशुल्क प्रसार में कमी और निश्चित शुल्क के माध्यम से प्रशुल्क में निश्चित लागत की वसूली शामिल है।
3. केवल सूचना के प्राथमिक स्रोतों पर विचार किया गया है अर्थात राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा जारी और उनकी सरकारी वेबसाइट पर प्रकाशित नियमावली/विनियम/आदेश।

प्रकाशनाधिकार

इस रिपोर्ट के किसी भी भाग को पूर्व अनुमति के बिना गैर-व्यावसायिक उपयोग के लिए पुन: प्रस्तुत किया जा सकता है, बशर्ते कि पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया (पीएफआई) और आरईसी लिमिटेड को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जाए, और प्रकाशित सामग्री की एक प्रति पीएफआई और आरईसी लिमिटेड दोनों के साथ साझा की जाए।

कार्यकारी सार

यह पेज जानबूझकर
खाली छोड़ा गया है

01 कार्यकारी सार

1. भारत सरकार ने विद्युत उपभोक्ताओं की संतुष्टि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई सुधारात्मक पहलें शुरू की हैं, जिनका लक्ष्य 24×7 विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण तथा हरित बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना है, साथ ही लागत-परिलक्षित (Cost Reflective) टैरिफ को भी लागू करना है। इन सुधारों को विभिन्न नियमों के निर्माण के माध्यम से आगे बढ़ाया गया है, जिनमें प्रमुख रूप से बिजली (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020, लेट पेमेंट सरचार्ज नियम, 2022, तथा ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस नियम, 2022 आदि शामिल हैं। इन सुधारों की सफलता मुख्यतः वितरण लाइसेंसधारकों (Distribution Licensees) के प्रदर्शन पर निर्भर करती है।

2. वितरण क्षेत्र, जो अंतिम उपभोक्ताओं और विद्युत क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य शृंखला के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है, भारतीय विद्युत क्षेत्र का एक प्रमुख प्रेरक (Prime Mover) है। यह अंतिम उपभोक्ताओं से राजस्व संग्रहण के लिए उत्तरदायी होता है तथा इस राजस्व को विद्युत क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य शृंखला—जैसे उत्पादन कंपनियाँ (Generating Companies), प्रेषण लाइसेंसधारक (Transmission Licensees), विद्युत व्यापारी (Traders) तथा लोड डिस्पैच संचालक (Load Despatch Operators)—तक प्रवाहित करता है।

3. वितरण लाइसेंसधारक (जिन्हें आगे "DISCOMs" के रूप में संदर्भित किया गया है) संपूर्ण विद्युत आपूर्ति शृंखला में राजस्व प्राप्ति (Revenue Realisation) के लिए अंतिम रूप से उत्तरदायी होते हैं। इस कारण, वे भारतीय विद्युत क्षेत्र की अत्यंत महत्वपूर्ण उपयोगिताएँ (Utilities) हैं। DISCOMs का विनियमन विभिन्न नियामक निकायों द्वारा किया जाता है, जिनकी भूमिका उनके प्रदर्शन को प्रभावित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली होती है।

4. यद्यपि AT&C (Aggregate Technical & Commercial) हानियों में समय के साथ सुधार हुआ है, फिर भी अधिकांश DISCOMs वित्तीय दृष्टि से अस्थिर बनी हुई हैं और लगातार वित्तीय घाटे का सामना कर रही हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 में DISCOMs का संचयी वित्तीय घाटा ₹5.93 लाख करोड़ था, जो बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024–25 में लगभग ₹6.47 लाख करोड़ हो गया है। DISCOMs की नेट वर्थ (Net Worth) भी वित्तीय वर्ष 2020–21 से लगातार नकारात्मक बनी हुई है तथा इसमें गिरावट का रुझान दिखाई देता है। यह वित्तीय वर्ष 2020–21 में ₹(-)1,03,056 करोड़ थी, जो वित्तीय वर्ष 2022–23 में घटकर ₹(-)1,65,987 करोड़ हो गई और वित्तीय वर्ष 2023–24 में और अधिक गिरकर ₹(-)1,73,365 करोड़ तक पहुँच गई। इसके विपरीत, AT&C हानियों में सुधार देखा गया है, जो वित्तीय वर्ष 2020–21 में 21.91% से घटकर वित्तीय वर्ष 2023–24 में 16.12% रह गई हैं।

5. संविधान की समवर्ती सूची (Concurrent List) में विद्युत विषय के अंतर्गत होने तथा बिजली अधिनियम, 2003 ("अधिनियम") के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार, वितरण कंपनियों (DISCOMs) का विनियमन कई विषयों पर किया जाता है, जिनमें अधिनियम की धारा 62 के अंतर्गत टैरिफ निर्धारण भी शामिल है। उक्त अधिनियम के उद्देश्य एवं कारणों के विवरण (Statement of Objects and Reasons) के पैरा 1.3 में यह उल्लेख किया गया है कि टैरिफ निर्धारण की प्रक्रिया को सरकार से पृथक रखने के उद्देश्य से विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 अधिनियमित किया गया था।

   इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 61, जिसमें टैरिफ विनियमों (Tariff Regulations) के लिए रूपरेखा निर्धारित करते समय उपयुक्त आयोग (Appropriate Commission) को विभिन्न कारकों से मार्गदर्शित होने का प्रावधान है, यह भी सुनिश्चित करती है कि विद्युत की लागत की वसूली एक उचित एवं संतुलित तरीके से की जाए।

   राज्य विद्युत विनियामक आयोग (SERCs), DISCOMs को लाइसेंस प्रदान करते हैं तथा उस लाइसेंस की अवधि समाप्त होने तक उनका विनियमन करते हैं। अधिनियम की अन्य महत्वपूर्ण धाराएँ, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है, SERCs को टैरिफ तथा अन्य ऐसे मापदंड निर्धारित करने का अधिकार या

[1]विद्युत यूटिलिटियों के निष्पादन के संबंध में पीएफसी रिपोर्ट वित्त वर्ष 2023-24 https://www.pfcindia.co.in/ensite/DocumentRepository/ckfinder/files/Operations/Performance_Reports_of_State_Power_Utilities/ Report_on_Performance_of_Power_Utilities_2023-24.pdf

दायित्व प्रदान करती हैं जिनका DISCOMs की राजस्व वसूली, परिचालन व्यवस्था और वित्तीय प्रदर्शन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।

- **धारा 14, 15, 16, 19, 20, 23 एवं 24** इन धाराओं के अंतर्गत SERCs को लाइसेंस प्रदान करने, लाइसेंस से संबंधित प्रक्रियाएँ एवं शर्तें निर्धारित करने, लाइसेंस निरस्त करने, वितरण लाइसेंस को निलंबित करने आदि की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।
- **धारा 61** *(टैरिफ विनियम):* यह धारा SERCs को टैरिफ निर्धारण के लिए आवश्यक शर्तें और नियम निर्धारित करने का अधिकार प्रदान करती है।
- **धारा 62** *(टैरिफ निर्धारण):* यह धारा SERCs को किसी वित्तीय वर्ष के लिए टैरिफ निर्धारित करने का अधिकार देती है तथा ईंधन अधिभार (Fuel Surcharge) के माध्यम से उसी वित्तीय वर्ष के भीतर टैरिफ में एक से अधिक बार संशोधन करने की अनुमति भी प्रदान करती है।
- **धारा 64** *(टैरिफ आदेश की प्रक्रिया)* यह धारा SERCs को टैरिफ आदेश जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित करने का अधिकार देती है तथा यह प्रावधान करती है कि टैरिफ आदेश जारी करने से पूर्व सार्वजनिक टिप्पणियाँ और सुझाव आमंत्रित किए जाएँ।
- **धारा 57 एवं 181** *(प्रदर्शन मानक एवं विनियम बनाने की शक्तियाँ):* इन धाराओं के अंतर्गत SERCs को टैरिफ, ग्रिड मानक, विद्युत गुणवत्ता, लाइसेंसिंग, शिकायत निवारण तंत्र आदि से संबंधित विनियम बनाने की विभिन्न शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।
- **धारा 86** *(राज्य आयोग के कार्य):* इस धारा के अंतर्गत SERCs को कई महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए हैं, जैसे— टैरिफ निर्धारण, DISCOMs द्वारा विद्युत क्रय का विनियमन, सह-उत्पादन (Co-generation) एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहित करना, ग्रिड कोड निर्धारित करना, राज्य के भीतर संचरण एवं व्हीलिंग को सुगम बनाना, लाइसेंस जारी करना तथा लाइसेंसधारकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और निरंतरता से संबंधित प्रदर्शन मानकों को निर्धारित या लागू करना।
- **धारा 42** *(ओपन एक्सेस):* इस धारा के अंतर्गत SERCs को ओपन एक्सेस लागू करने तथा उससे संबंधित अधिभार (Surcharges) निर्धारित करने की शक्ति प्रदान की गई है।
- **धारा 142 एवं 146** *(आयोग के निर्देशों के अनुपालन न करने पर दंड):* इन धाराओं के अनुसार, आयोग के निर्देशों का उल्लंघन या अनुपालन न करने की स्थिति में आयोग संबंधित व्यक्ति पर दंड अथवा कारावास सहित अन्य दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है।

6. अतः, वितरण कंपनियों (DISCOMs) की निरंतर बिगड़ती वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए—जो विभिन्न नियामकीय प्रावधानों के अंतर्गत विनियमित हैं—यह आवश्यक महसूस किया गया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नियामकीय प्रदर्शन का आकलन तथा नियमित निगरानी की जाए।

   भारत सरकार का विद्युत मंत्रालय (Ministry of Power) अपने वार्षिक एकीकृत रेटिंग अभ्यास (Integrated Rating Exercise) के माध्यम से विद्युत वितरण उपयोगिताओं के प्रदर्शन का आकलन और उनकी रैंकिंग करता रहा है। तथापि, अब तक नियामकीय संस्थानों के प्रदर्शन का कोई समग्र एवं व्यवस्थित मूल्यांकन नहीं किया गया है।

   इसी परिप्रेक्ष्य में, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नियामकीय प्रदर्शन का एक संरचित आकलन ढाँचा विकसित करने की आवश्यकता अनुभव की गई, जिससे यह समझा जा सके कि नियामकीय संस्थाएँ किस प्रकार DISCOMs के परिचालन, वित्तीय स्थिरता तथा उपभोक्ता हितों को प्रभावित करती हैं।

7. पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया (PFI), जो भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय (Ministry of Power) के संरक्षण में स्थापित एक गैर-लाभकारी संस्था (Not-for-Profit Society) है तथा जिसे केंद्रीय विद्युत क्षेत्र की प्रमुख संगठनों का समर्थन प्राप्त है, विद्युत क्षेत्र की चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं और निवेशकों के हितों की रक्षा करते हुए विद्युत क्षेत्र के सतत विकास को सुनिश्चित करना है।

   REC लिमिटेड के सहयोग से PFI ने यह रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के नियामकीय प्रदर्शन का आकलन निम्नलिखित प्रमुख नियामकीय मानकों (Regulatory Parameters) के आधार पर किया गया है:

   1. संसाधन पर्याप्तता (विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति)

   2. DISCOMs की वित्तीय स्थिरता
   - a) टैरिफ / टू-अप आदेशों का समय पर निर्गमन
   - b) लागत-परिलक्षित टैरिफ
   - c) नियामकीय परिसंपत्तियों का अभाव (No Regulatory Assets)
   - d) ईंधन एवं विद्युत क्रय समायोजन अधिभार (FPPAS)

   3. जीवन की सुगमता / व्यवसाय करने की सहजता
   - a) विद्युत कनेक्शनों का निर्गमन
   - b) मीटरों का परीक्षण एवं प्रतिस्थापन
   - c) नेट मीटरिंग कनेक्शन
   - d) 150 kW तक के नए कनेक्शनों के लिए पूर्व-निर्धारित मांग शुल्क
   - e) ओपन एक्सेस
   - f) विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता

   4. ऊर्जा संक्रमण
   - a) ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस
   - b) नवीकरणीय क्रय दायित्व (RPO)

   5. नियामकीय शासन (Regulatory Governance)

8. इस रिपोर्ट के निर्माण में प्रयुक्त जानकारी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 31.03.2025 तक जारी किए गए विनियमों, टैरिफ आदेशों, टू-अप आदेशों तथा अन्य संबंधित आदेशों से सीधे प्राप्त की गई है। इन आधारों पर 30.06.2025 तक के लिए प्रोराटा आधार पर अंक प्रदान किए गए हैं।

9. इस रिपोर्ट के निर्माण में प्रयुक्त प्रत्येक मानक (Parameter) को शामिल करने के औचित्य का विस्तृत विवरण आगामी अनुभागों में प्रस्तुत किया गया है।

1. संसाधन पर्याप्तता [32 अंक]

10. अधिनियम की धारा 86(1)(b) के अनुसार राज्य आयोग को DISCOMs द्वारा विद्युत क्रय तथा विद्युत खरीद प्रक्रिया का विनियमन करना अनिवार्य है। इसमें उत्पादन कंपनियों, लाइसेंसधारकों या अन्य स्रोतों से राज्य के भीतर वितरण एवं आपूर्ति के लिए किए जाने वाले विद्युत क्रय समझौतों के अंतर्गत विद्युत की खरीद मूल्य का विनियमन भी शामिल है।

11. टैरिफ नीति, 2016 का खंड 8 विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति से संबंधित विभिन्न पहलुओं को निम्नानुसार संबोधित करता है:

> ***"8. वितरण***
>
> *निर्धारित मानकों के अनुरूप विश्वसनीय एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति को दक्षतापूर्वक तथा उचित दरों पर उपलब्ध कराना राष्ट्रीय विद्युत नीति के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। लाइसेंसधारकों को वांछित सेवा स्तर तक शीघ्र प्राप्त करने के लिए एक उपयुक्त संक्रमण ढाँचा प्रदान किया जा सकता है। यदि लाइसेंसधारक निर्धारित मानकों को पूरा करने में विफल रहते हैं, तो अधिनियम की धारा 57 के अनुसार उन पर दंड लगाया जा सकता है।"*

12. इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय (MoP) ने दिनांक 29.12.2022 को बिजली (संशोधन) नियम, 2022 अधिसूचित किए, जिनमें राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (SERCs) को संसाधन पर्याप्तता (Resource Adequacy) से संबंधित विनियम बनाने के निर्देश दिए गए हैं। यह विनियम केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा, यदि उपलब्ध हों, तो फोरम ऑफ रेगुलेटर्स (Forum of Regulators) द्वारा तैयार मॉडल विनियमों के अनुरूप बनाए जाने हैं। नियमों का संबंधित अंश निम्नानुसार है:

> ***"16. संसाधन पर्याप्तता:-*** *(1) उत्पादन योजना चरण (एक वर्ष या उससे अधिक) तथा परिचालन योजना चरण (एक वर्ष तक) के दौरान संसाधन पर्याप्तता के आकलन हेतु दिशानिर्देश इन नियमों के लागू होने की तिथि से छह माह के भीतर, प्राधिकरण के साथ परामर्श कर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाएंगे।*
>
> ***(2) राज्य आयोग, केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा, यदि उपलब्ध हों, तो फोरम ऑफ रेगुलेटर्स द्वारा तैयार मॉडल विनियमों के अनुरूप संसाधन पर्याप्तता से संबंधित विनियम बनाएगा। वितरण लाइसेंसधारक इन विनियमों के अनुरूप संसाधन पर्याप्तता योजना तैयार करेंगे तथा आयोग की स्वीकृति प्राप्त करेंगे।***
>
> *(3) राज्य आयोग, केंद्र सरकार द्वारा जारी संसाधन पर्याप्तता दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट समयसीमा के अनुसार प्रत्येक वितरण लाइसेंसधारक की संसाधन पर्याप्तता की समीक्षा करेगा।*
>
> *(4) आयोग द्वारा अनुमोदित संसाधन पर्याप्तता लक्ष्य का पालन न करने की स्थिति में राज्य आयोग गैर-अनुपालन शुल्क निर्धारित कर सकता है।"*

13. इस संदर्भ में, भारत सरकार के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) ने दिनांक 28.06.2023 को बिजली (संशोधन) नियम, 2022 के नियम 16 के अंतर्गत भारत के लिए संसाधन पर्याप्तता योजना रूपरेखा (Resource Adequacy Planning Framework) संबंधी दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं। इन दिशानिर्देशों में SERCs की भूमिका को स्पष्ट किया गया है, जिसमें दीर्घकालिक, मध्यमकालिक तथा अल्पकालिक अनुबंधों के लिए प्लानिंग रिजर्व मार्जिन (Planning Reserve Margin) निर्धारित करना शामिल है। साथ ही इन दिशानिर्देशों में संसाधन पर्याप्तता योजना के लिए समयसीमाएँ भी निर्धारित की गई हैं।

14. अधिनियम की धारा 61 यह अनिवार्य करती है कि उपयुक्त आयोग टैरिफ निर्धारण के लिए शर्तें और नियम निर्धारित करते समय बहुवर्षीय टैरिफ (Multi-Year Tariff) सिद्धांतों से मार्गदर्शित होगा। राज्य संचरण उपयोगिता (STU) तथा DISCOMs के लिए बहुवर्षीय पूंजीगत व्यय योजना (Multi-year CAPEX Plan) विद्युत निकासी की उचित योजना सुनिश्चित करती है।

15. **उपर्युक्त प्रावधानों की पृष्ठभूमि में, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का आकलन संसाधन पर्याप्तता से संबंधित निम्नलिखित उप-मानकों के आधार पर किया गया है:**

    a) संसाधन पर्याप्तता विनियमों का निर्माण

    b) प्लानिंग रिजर्व मार्जिन का निर्धारण

    c) CEA के दिनांक 28.06.2023 के दिशानिर्देशों के अनुरूप संसाधन पर्याप्तता योजना की समयसीमा

    d) SERC द्वारा अनुमोदित संसाधन पर्याप्तता लक्ष्य का पालन न करने पर गैर-अनुपालन शुल्क

    e) STU के लिए न्यूनतम 3-वर्षीय अनुमोदित CAPEX योजना

    f) DISCOMs के लिए न्यूनतम 3-वर्षीय अनुमोदित CAPEX योजना

16. प्रत्येक उप-मानक के अनुसार अंक निर्धारण का विवरण *स्कोरिंग मेथडोलॉजी अनुभाग* में दिया गया है।

2. वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिरता [25 अंक]

2.A टैरिफ / ट्रू-अप आदेशों का समय पर निर्गमन [10 अंक]

17. अधिनियम की धारा 64 टैरिफ आदेश जारी करने की प्रक्रिया को निर्धारित करती है, जिसमें उपधारा (3) के अनुसार उपयुक्त आयोग को आवेदन प्राप्त होने के 120 दिनों के भीतर, जनता से प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात टैरिफ आदेश जारी करना होता है। हालांकि, इस धारा में टैरिफ आदेश की समय पर प्रभावशीलता, अर्थात् संबंधित वित्तीय वर्ष की शुरुआत से लागू होने का स्पष्ट उल्लेख नहीं है।

18. टैरिफ आदेशों और ट्रू-अप आदेशों के समय पर निर्गमन की आवश्यकता को माननीय विद्युत अपीलीय अधिकरण (APTEL) ने अपने निर्णय दिनांक 11.11.2011 (OP No. 1 of 2011) में स्पष्ट किया है। इस निर्णय के अनुसार, विद्युत मंत्रालय के सचिव द्वारा 21.01.2011 को APTEL के अध्यक्ष को एक पत्र भेजा गया था, जिसमें यह बताया गया था कि अधिकांश राज्य वितरण उपयोगिताओं ने समय पर वार्षिक टैरिफ संशोधन याचिकाएँ दाखिल नहीं की हैं। परिणामस्वरूप कई राज्यों में कई वर्षों तक टैरिफ संशोधन नहीं हुआ और राज्य आयोग भी समय-समय पर टैरिफ संशोधन करने में विफल रहे, जिससे राज्य वितरण उपयोगिताओं की वित्तीय स्थिति प्रभावित हुई। इस पत्र के आधार पर माननीय APTEL ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सभी राज्य आयोगों और फोरम ऑफ रेगुलेटर्स को नोटिस जारी किए तथा उनके प्रत्युत्तर आमंत्रित किए और इसके पश्चात उपर्युक्त निर्णय दिया।

19. उक्त निर्णय में टैरिफ आदेशों और ट्रू-अप आदेशों के समय पर निर्गमन से संबंधित महत्वपूर्ण अंश निम्नानुसार हैं:

"57. इस अधिकरण ने बार-बार यह कहा है कि व्ययों का नियमित और समय पर ट्रू-अप किया जाना आवश्यक है क्योंकि:

(a) कोई भी प्रक्षेपण वास्तविक स्थिति के समान पूर्णतः सटीक नहीं हो सकता।

(b) पिछले वर्षों का भार या लाभ भविष्य के उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जाना चाहिए।

(c) टैरिफ निर्धारण और ट्रू-अप में देरी से निम्नलिखित समस्याएँ उत्पन्न होती हैं:

(i) उपभोक्ताओं पर अनुचित कैरिंग कॉस्ट का बोझ पड़ता है, जैसा कि राष्ट्रीय टैरिफ नीति के पैरा 5.3(h)(4) में भी उल्लेखित है।

(ii) लाइसेंसधारकों के लिए नकदी प्रवाह की समस्या उत्पन्न होती है।

65. उपर्युक्त विश्लेषण और चर्चा के आधार पर राज्य आयोगों को निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं:

(i) प्रत्येक राज्य आयोग यह सुनिश्चित करे कि वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा, पिछले व्ययों का ट्रू-अप, वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) तथा टैरिफ निर्धारण का कार्य नियत समयानुसार प्रत्येक वर्ष किया जाए।

(ii) प्रत्येक राज्य आयोग का प्रयास होना चाहिए कि संबंधित वित्तीय वर्ष का टैरिफ 1 अप्रैल से पूर्व निर्धारित कर दिया जाए।

(iii) यदि ARR, ट्रू-अप या वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा के लिए याचिका नियत समय से एक माह से अधिक विलंब से दाखिल होती है, तो राज्य आयोग को अधिनियम की धारा 64 तथा टैरिफ नीति के प्रावधानों के अनुसार स्वतः संज्ञान लेते हुए टैरिफ निर्धारण की कार्यवाही आरंभ करनी चाहिए।

(iv) ट्रू-अप नियमित रूप से और अधिमानतः प्रत्येक वर्ष किया जाना चाहिए।"

20. उपर्युक्त से स्पष्ट है कि माननीय APTEL ने यह भी निर्णय दिया है कि यदि उपयोगिताएँ आवेदन प्रस्तुत नहीं करती हैं, तब भी SERCs स्वतः संज्ञान लेते हुए आवश्यक आँकड़े एवं जानकारी एकत्र कर सकते हैं तथा अधिनियम और टैरिफ नीति के प्रावधानों के अंतर्गत टैरिफ निर्धारित कर सकते हैं।

21. अतः टैरिफ निर्धारण को एक समयबद्ध प्रक्रिया के रूप में माना जाना चाहिए। यदि उपयोगिताओं की ओर से किसी प्रकार की लापरवाही के कारण देरी होती है, तो SERCs को अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। टैरिफ और ट्रू-अप आदेशों का समय पर तथा लागत-परिलक्षित निर्धारण विद्युत क्षेत्र की आपूर्ति शृंखला में बढ़ी हुई लागतों को समय पर पारित करने में सहायक होता है, जिससे उपयोगिताओं का नकदी प्रवाह संतुलित रहता है और वे उपभोक्ताओं को निरंतर तथा गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति प्रदान करने में सक्षम होती हैं। इससे नियामकीय परिसंपत्तियों के निर्माण, कैरिंग कॉस्ट के भार तथा उपभोक्ताओं पर अचानक टैरिफ वृद्धि के प्रभाव से भी बचाव होता है।

22. उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का आकलन निम्नलिखित आधारों पर किया गया है:

(i) वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ARR एवं टैरिफ का समय पर निर्धारण

(ii) वित्तीय वर्ष 2023-24 के ट्रू-अप का 31.03.2025 तक निष्पादन

23. प्रत्येक उप-मानक के अनुसार अंक निर्धारण का विवरण *स्कोरिंग मेथडोलॉजी अनुभाग* में दिया गया है।

2.B लागत-परिलक्षित टैरिफ [6 अंक]

24. माननीय APTEL ने अपने निर्णय दिनांक 11.11.2011 (OP No. 1 of 2011) में लागत-परिलक्षित टैरिफ के महत्व को निम्नानुसार स्पष्ट किया है:

> *"56. इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि बिजली अधिनियम, 2003 को अधिनियमित करने का विधायी उद्देश्य प्रभावी विनियमन सुनिश्चित करना है, जिसकी प्रमुख विशेषताएँ टैरिफ का युक्तिकरण तथा धारा 61 में निहित सिद्धांतों और राष्ट्रीय टैरिफ नीति के अनुरूप समय पर लागत-परिलक्षित टैरिफ निर्धारण हैं।"*

25. अधिनियम की धारा 62 राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (SERCs) को यह अधिकार प्रदान करती है कि वे अपने द्वारा विनियमित उन उपयोगिताओं के लिए, जो विद्युत के उत्पादन, संचरण तथा वितरण में संलग्न हैं, लागत-प्लस (Cost-Plus) आधार पर टैरिफ का निर्धारण करें। वहीं धारा 63 SERCs को पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित टैरिफ को अपनाने का अधिकार प्रदान करती है। वितरण लाइसेंसधारकों के लिए SERCs द्वारा लागत-परिलक्षित टैरिफ का निर्धारण अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यही विद्युत आपूर्ति शृंखला में राजस्व के प्रवाह की आधारशिला स्थापित करता है।

26. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने PTC India बनाम CERC मामले में अपने दिनांक 15.03.2010 के निर्णय में यह निर्णय दिया कि "टैरिफ" शब्द के अंतर्गत केवल दरों का निर्धारण ही नहीं, बल्कि उससे संबंधित नियम एवं विनियम भी शामिल होते हैं। अधिनियम की धारा 61 और 62 के माध्यम से उपयुक्त आयोग अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप वास्तविक टैरिफ का निर्धारण करता है, जिसमें धारा 61 के अंतर्गत उपयुक्त आयोग द्वारा निर्धारित शर्तें और नियम भी शामिल होते हैं। बिजली अधिनियम, 2003 के अंतर्गत धारा 62 को धारा 64 के साथ पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि टैरिफ निर्धारण विधायी प्रकृति का है, फिर भी अधिनियम के अंतर्गत धारा 111 के माध्यम से इसके विरुद्ध अपील की जा सकती है। ये प्रावधान—विशेष रूप से धारा 61, 62 और 64—यह दर्शाते हैं कि विनियामक आयोग द्वैध प्रकृति के कार्य करते हैं, अर्थात् वे एक ओर निर्णय लेते हैं और दूसरी ओर टैरिफ निर्धारण के लिए आवश्यक शर्तों एवं नियमों को निर्दिष्ट करते हैं।

27. इसी प्रकार, माननीय APTEL ने अपने दिनांक 04.09.2012 के निर्णय (अपील सं. 94 of 2012) में कहा है कि 'Regulate' शब्द का दायरा व्यापक है और इसका आशय केवल टैरिफ निर्धारण तक सीमित नहीं है। अधिनियम की धारा 61 और 79 केवल टैरिफ से ही संबंधित नहीं हैं, बल्कि टैरिफ से जुड़ी शर्तों और नियमों से भी संबंधित हैं। इन शर्तों और नियमों में टैरिफ से संबंधित सभी प्रावधान सम्मिलित होते हैं।

28. इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय टैरिफ नीति, 2016 के खंड 8.3 में यह भी कहा गया है कि अधिनियम की धारा 61(g) के अनुसार उपयुक्त आयोग को इस उद्देश्य से मार्गदर्शित होना चाहिए कि टैरिफ क्रमिक रूप से विद्युत आपूर्ति की दक्ष एवं विवेकपूर्ण लागत को प्रतिबिंबित करे।

29. तथापि, संरचनात्मक सुधारों के बावजूद अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में DISCOMs के लिए निर्धारित टैरिफ अभी भी विद्युत आपूर्ति की वास्तविक लागत को प्रतिबिंबित नहीं करते। DISCOMs की औसत आपूर्ति लागत (ACS) और उनकी औसत बिलिंग दर (ABR) के बीच अभी भी अंतर बना हुआ है, जिसके कारण DISCOMs लगातार घाटा वहन कर रहे हैं और इससे संपूर्ण विद्युत क्षेत्र की आपूर्ति शृंखला प्रभावित हो रही है। कैश-एडजस्टेड ACS-ABR अंतर वित्तीय वर्ष 2023–24 में ₹0.39/kWh, वित्तीय वर्ष 2022–23 में ₹0.59/kWh तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 में ₹0.33/kWh रहा।

30. विद्युत मंत्रालय (MoP) ने दिनांक 10.01.2024 को अधिसूचित बिजली (संशोधन) नियम, 2024 के माध्यम से स्वीकृत वार्षिक राजस्व आवश्यकता (Annual Revenue Requirement – ARR) और स्वीकृत टैरिफ से अनुमानित वार्षिक राजस्व के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान निर्धारित किए हैं:

> *"23. स्वीकृत वार्षिक राजस्व आवश्यकता (Annual Revenue Requirement – ARR) और स्वीकृत टैरिफ से अनुमानित वार्षिक राजस्व के बीच अंतर। टैरिफ लागत-परिलक्षित होना चाहिए और स्वीकृत वार्षिक राजस्व आवश्यकता तथा स्वीकृत टैरिफ से अनुमानित वार्षिक राजस्व के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए, सिवाय प्राकृतिक आपदा की परिस्थितियों के, बशर्ते कि, यदि ऐसा कोई अंतर उत्पन्न होता है, तो वह स्वीकृत वार्षिक राजस्व आवश्यकता के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।"*

[2]विद्युत यूटिलिटियों के निष्पादन के संबंध में पीएफसी रिपोर्ट वित्त वर्ष 2023-24 https://www.pfcindia.co.in/ensite/DocumentRepository/ckfinder/files/Operations/Performance_Reports_of_State_Power_Utilities/ Report_on_Performance_of_Power_Utilities_2023-24.pdf

31. नियमों में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है कि टैरिफ लागत-परिलक्षित (Cost Reflective) होना चाहिए और स्वीकृत समेकित वार्षिक राजस्व आवश्यकता (Aggregate Revenue Requirement – ARR) तथा स्वीकृत टैरिफ से अनुमानित वार्षिक राजस्व के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए, सिवाय प्राकृतिक आपदा की परिस्थितियों के। यदि किसी स्थिति में ऐसा अंतर उत्पन्न होता है, तो वह स्वीकृत वार्षिक राजस्व आवश्यकता के 3% से अधिक नहीं होना चाहिए।

32. कुछ मामलों में SERCs द्वारा निर्धारित औसत बिलिंग दर (Average Billing Rate – ABR), DISCOMs की औसत आपूर्ति लागत (Average Cost of Supply – ACS) को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होती, जिसके परिणामस्वरूप DISCOMs के लिए राजस्व अंतर (Revenue Gap) उत्पन्न हो जाता है। अत्यधिक राजस्व अंतर से नियामकीय परिसंपत्तियों (Regulatory Assets) का निर्माण होता है और DISCOMs समय पर केंद्रीय/राज्य उपयोगिताओं को भुगतान करने में असमर्थ हो जाते हैं, जिसके कारण उन पर लेट पेमेंट सरचार्ज (Late Payment Surcharge – LPSC) भी लग जाता है।

33. ABR और ACS के बीच नकारात्मक अंतर के कारण DISCOMs को अपनी विद्युत आवश्यकता तथा कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए अल्पकालिक ऋण लेना पड़ता है। बढ़ती उधारी के कारण DISCOMs की विद्युत आपूर्ति लागत और अधिक बढ़ जाती है।

34. उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का आकलन वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए लागत-परिलक्षित टैरिफ के नियामकीय मानक के आधार पर किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए राजस्व अंतर का आकलन विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 10.01.2024 को अधिसूचित बिजली (संशोधन) नियम, 2024 के अनुसार किया गया है।

35. प्रत्येक उप-मानक के अनुसार अंक निर्धारण का विवरण स्कोरिंग मेथडोलॉजी अनुभाग में दिया गया है।

2.C नियामकीय परिसंपत्तियों का निर्माण न होना [4 अंक]

36. टैरिफ के माध्यम से स्वीकृत आपूर्ति लागत (Cost of Supply) की वसूली न होने से संबंधित एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा नियामकीय परिसंपत्तियों (Regulatory Assets) का निर्माण है। नियामकीय परिसंपत्तियाँ उन अप्राप्त राजस्वों को संदर्भित करती हैं जिन्हें DISCOMs द्वारा उपभोक्ताओं से वसूल किया जाना होता है, किंतु उपभोक्ताओं पर आर्थिक अस्थिरता से बचाने के उद्देश्य से उन्हें तत्काल टैरिफ वृद्धि के माध्यम से नहीं वसूला जाता।

37. टैरिफ नीति, 2016 में नियामकीय परिसंपत्तियों के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

> *"8.2.2 किसी विशेष वर्ष में टैरिफ के प्रभाव को सीमित रखने के उद्देश्य से अतीत में कुछ विनियामक आयोगों द्वारा नियामकीय परिसंपत्तियों की व्यवस्था अपनाई गई है।* ***हालांकि, इसका उपयोग केवल अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितियों—जैसे प्राकृतिक आपदा*** *या फोर्स मेज्योर—की स्थिति में ही किया जाना चाहिए और निम्नलिखित शर्तों के अधीन होना चाहिए:*
>
> *a. सामान्य परिस्थितियों में नियामकीय परिसंपत्तियों का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा;*
>
> *b. लंबित नियामकीय परिसंपत्तियों की वसूली, उनके कैरिंग कॉस्ट सहित, समयबद्ध तरीके से की जानी चाहिए और यह अवधि सात वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्य आयोग इसके लिए उपयुक्त समय-सीमा निर्धारित कर सकता है।"*
>
> अतः टैरिफ नीति, 2016 में भी यह स्पष्ट किया गया है कि सामान्य परिस्थितियों में नियामकीय परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए।

38. माननीय APTEL ने भी अपने दिनांक 11.11.2011 के निर्णय (OP No. 1 of 2011) में इस बात पर बल दिया है कि नियामकीय परिसंपत्तियों का निर्माण सामान्य प्रक्रिया के रूप में नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि इसके लिए पर्याप्त औचित्य न हो। उक्त निर्णय का प्रासंगिक अंश निम्नानुसार है:

> *"65. उपर्युक्त विश्लेषण और चर्चा के आधार पर हम राज्य आयोगों को निम्नलिखित निर्देश देना उचित समझते हैं:*
>
> *(iv) ... v) ARR/टैरिफ निर्धारण के दौरान राजस्व अंतर को लंबित नहीं छोड़ा जाना चाहिए और* ***नियामकीय परिसंपत्तियों का निर्माण सामान्यतः नहीं किया जाना चाहिए, सिवाय उन परिस्थितियों के जहाँ यह टैरिफ नीति और विनियमों के अनुरूप उचित हो।*** *नियामकीय परिसंपत्तियों की वसूली समयबद्ध होनी चाहिए और अधिकतम तीन वर्षों के भीतर, तथा अधिमानतः नियंत्रण अवधि (Control Period) के भीतर पूरी की जानी चाहिए। नियामकीय परिसंपत्तियों पर देय कैरिंग कॉस्ट को उस वर्ष के ARR में शामिल किया जाना चाहिए जिसमें नियामकीय परिसंपत्तियाँ बनाई गई हों, ताकि वितरण लाइसेंसधारक को नकदी प्रवाह की समस्या न हो।"*

39. इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय (MoP), भारत सरकार ने दिनांक 01.07.2022 के पत्र के माध्यम से सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव (ऊर्जा/विद्युत) को "रीवैंप्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS), LIS, अतिरिक्त उधारी आदि के अंतर्गत महत्वपूर्ण शर्तों के संबंध में मानक

संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedures), जिन्हें कार्यान्वयन और मूल्यांकन के दौरान अपनाया जाना है," के विषय में अवगत कराया। इस पत्र में नियामकीय परिसंपत्तियों के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान निर्दिष्ट किए गए हैं:

> ***"3.4. नई नियामकीय परिसंपत्तियों का निर्माण न किया जाना तथा मौजूदा नियामकीय परिसंपत्तियों का उपचार***
>
> *राज्य विनियामक आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त, परंतु खुदरा टैरिफ में संशोधन से बचने के लिए टैरिफ निर्धारण में शामिल न किए गए अवसंचित राजस्व अंतर (Uncovered Revenue Gap) से DISCOMs के लिए तरलता (Liquidity) संबंधी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।* ***तथाकथित नियामकीय परिसंपत्तियों का निर्माण ACS–ARR अंतर को बढ़ाने वाले कारकों में से एक है, जिससे आगे चलकर DISCOMs की वित्तीय स्थिरता प्रभावित होती है।*** *DISCOMs की वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए नियामकीय परिसंपत्तियों से संबंधित मुद्दों का समाधान करना अत्यंत आवश्यक है और यह RDSS योजना के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक है। वास्तव में, कानून में 'नियामकीय परिसंपत्तियों' जैसी किसी व्यवस्था का प्रावधान नहीं है और इसलिए ऐसी परिसंपत्तियों का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा। इस संदर्भ में निम्नलिखित SOP का पालन किया जाना चाहिए:*
>
> *i. राज्य / DISCOM यह सुनिश्चित करें कि अतीत में निर्मित किसी भी नियामकीय परिसंपत्ति / अवसंचित राजस्व अंतर का परिसमापन विद्युत मंत्रालय की दिनांक 28.11.2016 की टैरिफ नीति के अनुरूप सात वर्षों के भीतर किया जाए।*
>
> *ii. राज्य / DISCOM यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में* ***नई नियामकीय परिसंपत्तियाँ / अवसंचित राजस्व अंतर का निर्माण न किया जाए, जैसा कि टैरिफ नीति में प्रावधानित है।***
>
> *iii. जो राज्य / DISCOM RDSS योजना का हिस्सा हैं, वे मौजूदा नियामकीय परिसंपत्तियों / अवसंचित राजस्व अंतर के परिसमापन को वित्तीय स्थिरता श्रेणी के अंतर्गत पर्याप्त वेटेज के साथ Result Evaluation Framework में शामिल करें।*
>
> *iv. जो राज्य / DISCOM RDSS का हिस्सा नहीं हैं, वे नियामकीय परिसंपत्तियों के परिसमापन के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार करें और इसे विद्युत मंत्रालय को सूचित करें।"*

40. उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का आकलन वित्तीय वर्ष 2023–24 के ट्रू-अप तक निर्मित तथा संचित नियामकीय परिसंपत्तियों के निर्माण न होने के नियामकीय मानक के आधार पर किया गया है।

41. प्रत्येक उप-मानक के अनुसार अंक निर्धारण का विवरण *स्कोरिंग मेथडोलॉजी अनुभाग* में दिया गया है।

2.घ. ईंधन और विद्युत खरीद समायोजन अधिभार [5 अंक]

42. विद्युत क्रय लागत (Power Purchase Cost) DISCOMs के लिए एक प्रमुख व्यय है, जो उनकी समेकित वार्षिक राजस्व आवश्यकता (Aggregate Revenue Requirement – ARR) का लगभग तीन-चौथाई भाग होती है। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए टैरिफ आदेश (ARR एवं टैरिफ निर्धारण) में SERCs विद्युत क्रय लागत को अनुमान के आधार पर स्वीकृत करते हैं, जो मुख्यतः कोयला-आधारित विद्युत संयंत्रों से प्राप्त विद्युत पर आधारित होती है। तथापि, विद्युत क्रय लागत अनियंत्रित होती है (क्योंकि यह विद्युत बिक्री तथा ईंधन की कीमतों में परिवर्तन पर निर्भर करती है), इसलिए इसका समायोजन यथाशीघ्र किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा जारी टैरिफ नीति 2006 तथा 2016, जो अधिनियम की धारा 3 के अनुरूप अधिसूचित की गई है, यह भी अनिवार्य करती है कि अनियंत्रित लागतों की वसूली शीघ्रता से की जाए ताकि भविष्य के उपभोक्ताओं पर अतीत की लागतों का बोझ न पड़े। प्रासंगिक अंश निम्नानुसार है:

> *"4) अनियंत्रित लागतों की शीघ्र वसूली की जानी चाहिए ताकि भविष्य के उपभोक्ताओं पर अतीत की लागतों का भार न पड़े। अनियंत्रित लागतों में (किन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं) ईंधन लागत, मुद्रास्फीति के कारण होने वाली लागत, कर एवं उपकर, विद्युत क्रय की प्रति इकाई लागत में परिवर्तन, तथा प्रतिकूल प्राकृतिक घटनाओं के कारण उत्पन्न लागतें शामिल होंगी।"*

43. अधिनियम की धारा 62(4) के अंतर्गत विनियमों में निर्दिष्ट फ्यूल सरचार्ज सूत्र (Fuel Surcharge Formula) के आधार पर एक ही वित्तीय वर्ष के दौरान टैरिफ में एक से अधिक बार संशोधन करने का प्रावधान है। वितरण कंपनियों द्वारा खरीदी जाने वाली विद्युत का एक बड़ा भाग केंद्रीय क्षेत्र की उत्पादन कंपनियों से प्राप्त होता है, जिनका टैरिफ केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (CERC) द्वारा विनियमित किया जाता है, तथा राज्य स्वामित्व वाली उत्पादन कंपनियों से प्राप्त विद्युत का टैरिफ SERCs द्वारा विनियमित किया जाता है।

> *"धारा 62 (टैरिफ निर्धारण):*
>
> *(4) सामान्यतः किसी भी टैरिफ या उसके किसी भाग में एक ही वित्तीय वर्ष में एक से अधिक बार संशोधन नहीं किया जा सकता, सिवाय उन परिवर्तनों के जो विनियमों में निर्दिष्ट फ्यूल सरचार्ज सूत्र के अंतर्गत स्पष्ट रूप से अनुमत हों।"*

44. विद्युत क्रय लागत की समय पर वसूली से संबंधित वित्तीय वर्ष के टू-अप के समय उपभोक्ताओं पर कैरिंग कॉस्ट का अतिरिक्त भार पड़ने से भी बचाव होता है। इस संदर्भ में माननीय APTEL ने अपने निर्णय (OP No. 1 of 2011) में संज्ञान लेते हुए SERCs को यह निर्देश दिया कि वे विद्युत क्रय लागत समायोजन के लिए अधिमानतः मासिक आधार पर तंत्र निर्धारित करें, जैसा कि निम्नलिखित अंश में उल्लिखित है:

> *"65. उपर्युक्त विश्लेषण और चर्चा के आधार पर हम राज्य आयोगों को निम्नलिखित निर्देश देना उचित समझते हैं:*
>
> *(vi) ईंधन और विद्युत क्रय लागत वितरण कंपनियों के प्रमुख व्ययों में से एक है, जो अनियंत्रित प्रकृति की होती है। प्रत्येक राज्य आयोग को अधिनियम की धारा 62(4) के अनुरूप ईंधन एवं विद्युत क्रय लागत समायोजन का तंत्र स्थापित करना चाहिए। यह समायोजन अधिमानतः मासिक आधार पर किया जाना चाहिए, जैसा कि केंद्रीय आयोग के उत्पादन कंपनियों से संबंधित विनियमों में प्रावधान है, परंतु किसी भी स्थिति में यह त्रैमासिक अवधि से अधिक नहीं होना चाहिए। जिन राज्य आयोगों के पास अभी तक ऐसा सूत्र या तंत्र उपलब्ध नहीं है, उन्हें इस आदेश की तिथि से छह माह के भीतर इसे लागू करना होगा।"*

45. इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 29.12.2022 को अधिसूचित बिजली (संशोधन) नियम, 2022 के माध्यम से DISCOMs द्वारा विद्युत क्रय लागत में अंतर की समय पर और स्वचालित वसूली पर बल दिया है। इन नियमों के अनुसार SERCs को विद्युत क्रय लागत में परिवर्तन के कारण उत्पन्न अंतर की वसूली के लिए मूल्य समायोजन सूत्र निर्धारित करना होगा, ताकि ऐसी लागतों का प्रभाव उपभोक्ता टैरिफ में मासिक आधार पर स्वचालित रूप से समायोजित किया जा सके। इन नियमों में पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज (Power Purchase Adjustment Surcharge) के रूप में विद्युत क्रय लागत के अंतर की समय पर वसूली हेतु सूत्र और पद्धति भी निर्दिष्ट की गई है, जिसमें दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक विद्युत क्रय लागत तथा प्रेषण शुल्क (Transmission Charges) में होने वाले परिवर्तन शामिल हैं।

46. वास्तविक विद्युत क्रय लागत और प्रेषण शुल्क की समय पर तथा स्वचालित वसूली से विद्युत क्रय लागत में होने वाले परिवर्तनों के पारित होने में देरी नहीं होती, जिससे DISCOMs के नकदी प्रवाह में सुधार होता है। साथ ही टू-अप के समय कैरिंग कॉस्ट के प्रभाव से उत्पन्न टैरिफ झटकों से उपभोक्ताओं को भी बचाया जा सकता है। विद्युत क्रय लागत में समय पर परिवर्तन की वसूली न होने से उत्पन्न नकदी प्रवाह की कमी DISCOMs की उपभोक्ताओं को प्रभावी रूप से 24×7 विद्युत आपूर्ति प्रदान करने की क्षमता को भी प्रभावित करती है।

47. उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नियामकीय प्रदर्शन का आकलन फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज (FPPAS) से संबंधित निम्नलिखित मानकों के आधार पर किया गया है:

a) क्या विद्युत क्रय लागत के समय पर समायोजन हेतु FPPAS तंत्र उपलब्ध है?

b) FPPAS में परिवर्तन की आवृत्ति (मासिक / त्रैमासिक)

c) क्या FPPAS का स्वचालित पास-थ्रू अनुमत है या नहीं?

d) क्या FPPAS की गणना / सूत्र दिनांक 29.12.2022 के MoP नियमों की भावना के अनुरूप है?

48. प्रत्येक उप-मानक के अनुसार अंक निर्धारण का विवरण *स्कोरिंग मेथडोलॉजी अनुभाग* में दिया गया है।

3. जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना [23 अंक]

49. अधिनियम के भाग-VI में उपभोक्ता संरक्षण: प्रदर्शन मानक (Standards of Performance) से संबंधित एक पृथक अध्याय का प्रावधान किया गया है, जो इसकी आवश्यकता और महत्त्व को रेखांकित करता है।

50. धारा 57 के अंतर्गत SERCs को यह अधिकार दिया गया है कि वे विनियमों के माध्यम से ट्रांसमिशन उपयोगिताओं तथा DISCOMs के लिए प्रदर्शन मानक (Standards of Performance – SOP) निर्धारित करें। साथ ही, यदि इन मानकों का उल्लंघन होता है, तो उपभोक्ताओं को DISCOMs द्वारा दिए जाने वाले क्षतिपूर्ति (Compensation) के निर्धारण की प्रक्रिया भी निर्धारित करने का अधिकार SERCs को प्राप्त है।

51. अधिनियम की धारा 42(5) के अनुसार DISCOM को SERC द्वारा निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों के अनुरूप उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए फोरम (Forum) की स्थापना करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त धारा 42(6) के अंतर्गत SERC को विद्युत लोकपाल (Electricity Ombudsman) की नियुक्ति करना आवश्यक है, जिसके पास वह उपभोक्ता अपील कर सकता है जिसकी शिकायत का निवारण DISCOM के फोरम द्वारा नहीं किया गया हो। आगे धारा 42(7) यह भी प्रावधान करती है कि लोकपाल उपभोक्ता की शिकायत का निस्तारण SERC द्वारा निर्धारित समयसीमा और प्रक्रिया के अनुसार करेगा।

52. धारा 43 के अंतर्गत DISCOMs पर सार्वभौमिक सेवा दायित्व (Universal Service Obligation) तथा उपभोक्ताओं को समयबद्ध विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने का दायित्व निर्धारित किया गया है। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि यदि वितरण लाइसेंसधारक SERC द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर विद्युत आपूर्ति प्रदान करने में विफल रहता है, तो वह दंड का भागी होगा।

53. अतः यह स्पष्ट है कि अधिनियम के प्रमुख उद्देश्यों में से एक उपभोक्ताओं को 24×7 गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना तथा उनके हितों की रक्षा करना है।

54. माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने दिनांक 27.09.2013 को T.M. Prakash बनाम जिला कलेक्टर, तिरुवन्नामलाई, तमिलनाडु मामले में यह निर्णय दिया कि विद्युत तक पहुँच को मानवाधिकार के रूप में माना जाना चाहिए। आवश्यक शर्तें पूर्ण होने के बावजूद विद्युत कनेक्शन से वंचित करना मानवाधिकारों के उल्लंघन के समान होगा। माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के विधिक निर्णयों के आलोक में अधिनियम की धारा 43 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों को अनिवार्य रूप से लागू किया जाना चाहिए ताकि परिसर के स्वामी या अधिभोगी को विद्युत आपूर्ति प्रदान की जा सके। इसी प्रकार का दृष्टिकोण केरल, कलकत्ता तथा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयों द्वारा भी विद्युत के अधिकार के संबंध में व्यक्त किया गया है।

55. विद्युत मंत्रालय (भारत सरकार) ने दिनांक 31.12.2020 को बिजली (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 अधिसूचित किए, जिनका उद्देश्य उपभोक्ता संतुष्टि सुनिश्चित करना है। इन नियमों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

- विद्युत कनेक्शनों का समयबद्ध निर्गमन
- उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति
- रूफटॉप सोलर प्रणालियों की आसान और त्वरित स्थापना
- उपभोक्ता शिकायतों का समयबद्ध समाधान
- मीटरों का समयबद्ध प्रतिस्थापन
- DISCOMs द्वारा सेवा में विलंब होने पर क्षतिपूर्ति / दंड आदि

56. इसके अतिरिक्त, बिजली (संशोधन) नियम, 2020 दिनांक 30.12.2020 के अनुसार नए विद्युत कनेक्शन जारी करने के लिए लगने वाले शुल्कों को पूर्व-निर्धारित (Pre-specified) किया जाना आवश्यक है। संबंधित नियम का प्रासंगिक अंश निम्नलिखित है:

"(13) विद्युतीकृत क्षेत्रों में 150 kW तक के भार (या आयोग द्वारा निर्दिष्ट उससे अधिक भार) के लिए नए कनेक्शन हेतु कनेक्शन शुल्क को भार, कनेक्शन की श्रेणी तथा वितरण लाइसेंसधारक की औसत कनेक्शन लागत के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, ताकि प्रत्येक मामले में स्थल निरीक्षण और मांग शुल्क के पृथक आकलन की आवश्यकता न पड़े। ऐसे मामलों में मांग शुल्क का भुगतान नए कनेक्शन के आवेदन के समय किया जा सकता है।"

57. अधिनियम की धारा 181(2)(x), धारा 50 तथा धारा 57 राज्य विद्युत विनियामक आयोगों को विद्युत आपूर्ति संहिता (Electricity Supply Code) बनाने का दायित्व सौंपती हैं, जिसमें वितरण लाइसेंसधारकों के दायित्व तथा उपभोक्ताओं को दक्ष, लागत-प्रभावी और उपभोक्ता-अनुकूल सेवाएँ प्रदान करने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएँ निर्धारित की जाती हैं।

58. टैरिफ नीति, 2016 का खंड 8 वितरण लाइसेंसधारकों के प्रदर्शन मानकों से संबंधित विभिन्न पहलुओं—विशेष रूप से सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता और विश्वसनीयता—को संबोधित करता है।

59. इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 31.12.2020 को बिजली (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 अधिसूचित किए, जिनमें SERCs को विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (Reliability of Supply) के लिए SAIDI (System Average Interruption Duration Index) और SAIFI (System Average Interruption Frequency Index)

निर्धारित करने का निर्देश दिया गया है। आगे चलकर बिजली (उपभोक्ताओं के अधिकार) संशोधन नियम, 2022 दिनांक 20.04.2022 के माध्यम से अतिरिक्त विश्वसनीयता संकेतक—CAIDI, CAIFI और MAIFI—भी निर्धारित करने के निर्देश दिए गए। संबंधित नियम का प्रासंगिक अंश निम्नलिखित है:

"10. आपूर्ति की विश्वसनीयता—

(1) वितरण लाइसेंसधारक द्वारा आपूर्ति की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए आयोग निम्नलिखित मानकों को निर्दिष्ट करेगा:

(a) प्रति उपभोक्ता प्रति वर्ष विद्युत बाधा की कुल अवधि और आवृत्ति—

a. सिस्टम एवरेज इंटरप्शन ड्यूरेशन इंडेक्स (SAIDI);

b. सिस्टम एवरेज इंटरप्शन फ्रीक्वेंसी इंडेक्स (SAIFI);

(b) न्यूनतम बाधा समय (मिनटों में) जिसे वितरण लाइसेंसधारक SAIDI या SAIFI की गणना के लिए मान्य करेगा।

(3) महानगरों तथा एक लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में बढ़ते प्रदूषण स्तर को ध्यान में रखते हुए वितरण लाइसेंसधारक यह सुनिश्चित करेगा कि सभी उपभोक्ताओं को 24×7 निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध हो, ताकि डीज़ल जनरेटर सेट चलाने की आवश्यकता न पड़े। ***इसके अनुरूप राज्य आयोग SAIFI और SAIDI के लिए प्रगतिशील लक्ष्य निर्धारित करेगा।***

(4) राज्य आयोग आपूर्ति की विश्वसनीयता के अतिरिक्त संकेतकों के रूप में CAIDI, CAIFI और MAIFI पर भी विचार कर सकता है। इन संकेतकों की गणना के लिए न्यूनतम बाधा समय राज्य आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा; और यदि ऐसा समय निर्दिष्ट नहीं किया गया है, तो तीन मिनट को बाधा समय माना जाएगा।"

60. इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 42(2) यह प्रावधान करती है कि ओपन एक्सेस अधिभार और क्रॉस-सब्सिडी को राज्य आयोग द्वारा निर्धारित तरीके से क्रमिक रूप से कम किया जाएगा।

61. **उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का आकलन Ease of Living / Ease of Doing Business से संबंधित निम्नलिखित मानकों के आधार पर किया गया है:**

a) विद्युत कनेक्शन का निर्गमन एवं उससे संबंधित क्षतिपूर्ति (MoP नियम दिनांक 22.02.2024)

महानगर: 3 दिन; अन्य नगर क्षेत्र: 7 दिन; ग्रामीण क्षेत्र: 15 दिन; पर्वतीय क्षेत्र: 30 दिन

b) मीटर परीक्षण एवं उससे संबंधित क्षतिपूर्ति (MoP नियम दिनांक 31.12.2020)

उपभोक्ता की शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर

c) मीटर प्रतिस्थापन एवं उससे संबंधित क्षतिपूर्ति (MoP नियम दिनांक 31.12.2020)

शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे के भीतर; ग्रामीण क्षेत्रों में 72 घंटे के भीतर

d) नेट मीटर की स्थापना (MoP नियम दिनांक 22.02.2024)

कनेक्शन समझौते पर हस्ताक्षर, मीटर स्थापना तथा सौर फोटोवोल्टिक प्रणाली के सफल चालू होने की प्रक्रिया सौर पीवी स्थापना प्रमाणपत्र जमा करने की तिथि से 15 दिनों के भीतर

e) 150 kW तक के नए कनेक्शनों के लिए पूर्व-निर्धारित मांग शुल्क (MoP नियम दिनांक 31.12.2020)

f) विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता - SAIFI एवं SAIDI (MoP नियम दिनांक 31.12.2020 एवं 20.04.2022)

g) ओपन एक्सेस - अधिभार एवं क्रॉस-सब्सिडी में क्रमिक कमी (धारा 42(2))

62. प्रत्येक उप-मानक के अनुसार अंक निर्धारण का विवरण स्कोरिंग मेथडोलॉजी अनुभाग में दिया गया है।

4. ऊर्जा संक्रमण [15 अंक]

4.A ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस [6 अंक]

63. अधिनियम के अंतर्गत ओपन एक्सेस की अवधारणा प्रस्तुत की गई है, जिसे धारा 42 के तहत इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि किसी भी लाइसेंसधारक, उपभोक्ता अथवा विद्युत उत्पादन से जुड़े व्यक्ति को, उपयुक्त आयोग द्वारा निर्धारित विनियमों के अनुसार, ट्रांसमिशन लाइनों, वितरण प्रणाली अथवा उनसे संबंधित सुविधाओं के उपयोग का गैर-भेदभावपूर्ण प्रावधान उपलब्ध कराया जाए। उक्त धारा SERCs को ओपन एक्सेस लागू करने का अधिकार प्रदान करती है तथा अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से पाँच वर्षों के भीतर उन सभी उपभोक्ताओं को ओपन एक्सेस उपलब्ध कराने का प्रावधान करती है, जिनकी किसी भी समय उपलब्ध कराई जाने वाली अधिकतम मांग एक मेगावाट से अधिक हो।

64. भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें से 280 गीगावाट सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी होने की अपेक्षा है। भारत ने वर्ष 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन की 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता का भी लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2070 तक भारत ने शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन (Net Zero Carbon Emissions), अर्थात् कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य रखा है।

65. उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने अधिनियम की धारा 176 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 06.06.2022 को बिजली (ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन) नियम, 2022 अधिसूचित किए। ये नियम, उसमें परिभाषित ग्रीन ऊर्जा के उत्पादन, क्रय और उपभोग पर लागू होते हैं, जिनमें वेस्ट-टू-एनर्जी विद्युत संयंत्र भी शामिल हैं। इन नियमों में संशोधन 27.02.2023 तथा 23.05.2023 को भी जारी किए गए। इन नियमों की प्रमुख विशेषताएँ निम्नानुसार हैं:

a. ग्रीन ऊर्जा के उत्पादन, क्रय और उपभोग को बढ़ावा देना, जिसमें वेस्ट-टू-एनर्जी संयंत्रों से प्राप्त ऊर्जा भी शामिल है।

b. ग्रीन ऊर्जा के लिए ओपन एक्सेस की सीमा 1 मेगावाट से घटाकर 100 किलोवाट कर दी गई है, ताकि छोटे उपभोक्ता भी ओपन एक्सेस के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा खरीद सकें।

c. उपभोक्ता DISCOMs से ग्रीन पावर की आपूर्ति की मांग करने के पात्र होंगे। DISCOMs ऐसे पात्र उपभोक्ताओं के लिए ग्रीन पावर की खरीद और आपूर्ति करने के लिए बाध्य होंगे।

d. SERCs ग्रीन ऊर्जा का टैरिफ निर्धारित करेंगे, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा की औसत पूल्ड पावर परचेज लागत, यदि कोई हो तो क्रॉस-सब्सिडी शुल्क, तथा ग्रीन ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए वितरण लाइसेंसधारक की विवेकपूर्ण लागत को समाहित करने वाले सेवा शुल्क शामिल होंगे।

e. ये नियम देशभर में ओपन एक्सेस शुल्कों में निश्चितता और एकरूपता प्रदान करते हैं। ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं पर ट्रांसमिशन शुल्क, व्हीलिंग शुल्क, क्रॉस-सब्सिडी सरचार्ज, अतिरिक्त सरचार्ज, बैंकिंग शुल्क, स्टैंडबाय शुल्क आदि लगाए जा सकते हैं।

   i. यदि वेस्ट-टू-एनर्जी संयंत्र से उत्पादित विद्युत ओपन एक्सेस उपभोक्ता को आपूर्ति की जाती है, तो उस स्थिति में क्रॉस-सब्सिडी सरचार्ज और अतिरिक्त सरचार्ज लागू नहीं होंगे।

   ii. यदि ग्रीन ऊर्जा का उपयोग ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के उत्पादन के लिए किया जाता है, तो क्रॉस-सब्सिडी सरचार्ज और अतिरिक्त सरचार्ज लागू नहीं होंगे।

f. ग्रीन पावर का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को ग्रीन सर्टिफिकेट जारी करने का भी प्रावधान किया गया है।

66. उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का आकलन ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस विनियमों से संबंधित निम्नलिखित मानकों के आधार पर किया गया है:

i. ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस की सीमा – 100 kW

ii. क्या ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया तथा वेस्ट-टू-एनर्जी परियोजनाओं के लिए क्रॉस-सब्सिडी सरचार्ज एवं अतिरिक्त सरचार्ज में छूट का प्रावधान किया गया है?

iii. क्या ग्रीन टैरिफ निर्धारित किया गया है?

67. प्रत्येक उप-मानक के अनुसार अंक निर्धारण का विवरण *स्कोरिंग मेथडोलॉजी अनुभाग* में दिया गया है।

4.B नवीकरणीय क्रय दायित्व (RPO) [9 अंक]

68. पिछले कुछ वर्षों में भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा (RE) क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति का अनुभव किया है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर की प्रगतिशील नीतियों ने इस विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और इसे और गति देने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है।

69. अधिनियम की धारा 86(1)(e) SERCs को यह निर्देश देती है कि वे किसी वितरण लाइसेंसधारक के क्षेत्र में कुल विद्युत उपभोग के संदर्भ में नवीकरणीय ऊर्जा से विद्युत क्रय की मात्रा/प्रतिशत निर्धारित करें।

> *"धारा 86. (राज्य आयोग के कार्य): --- (1) राज्य आयोग निम्नलिखित कार्य करेगा, अर्थात्:*
>
> *(e) ग्रिड से संयोजकता तथा किसी भी व्यक्ति को विद्युत बिक्री के लिए उपयुक्त उपायों द्वारा सह-उत्पादन (Co-generation) और नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देना, तथा ऐसे स्रोतों से विद्युत क्रय के लिए किसी वितरण लाइसेंसधारक के क्षेत्र में कुल विद्युत उपभोग का एक प्रतिशत निर्धारित करना।"*

70. टैरिफ नीति, 2016 का खंड 6.4 नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के प्रोत्साहन और उपयोग से संबंधित विभिन्न पहलुओं को निम्नानुसार संबोधित करता है:

> *"अधिनियम की धारा 86(1)(e) के प्रावधानों के अनुसार, उपयुक्त आयोग नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा क्रय के लिए किसी वितरण लाइसेंसधारक के क्षेत्र में कुल विद्युत उपभोग का एक न्यूनतम प्रतिशत निर्धारित करेगा, जिसमें ऐसे संसाधनों की उपलब्धता तथा खुदरा टैरिफ पर उसके प्रभाव को ध्यान में रखा जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद लागत को SERCs द्वारा टैरिफ निर्धारण करते समय ध्यान में रखा जाएगा।* ***नवीकरणीय क्रय दायित्वों (RPOs) की दीर्घकालिक वृद्धि-रेखा विद्युत मंत्रालय द्वारा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के परामर्श से निर्धारित की जाएगी।***
>
> *बशर्ते कि नवीकरणीय स्रोतों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से सह-उत्पादन को RPOs की प्रयोज्यता से बाहर नहीं रखा जाएगा।"*

71. इसके अतिरिक्त, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 14(n) और (x) यह प्रावधान करती है कि केंद्र सरकार नामित उपभोक्ताओं द्वारा गैर-जीवाश्म स्रोतों के उपभोग का न्यूनतम हिस्सा निर्धारित कर सकती है। संबंधित अंश निम्नानुसार है:

> *"14. ऊर्जा के दक्ष उपयोग एवं संरक्षण को लागू करने के लिए केंद्र सरकार की शक्तियाँ—*
>
> *केंद्र सरकार, ब्यूरो से परामर्श करके, अधिसूचना द्वारा—*
>
> *(m) धारा (l) के अंतर्गत नामित या नियुक्त किए जाने वाले ऊर्जा लेखा परीक्षकों तथा ऊर्जा प्रबंधकों के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित कर सकती है;*
>
> ***(n) प्रत्येक नामित उपभोक्ता को ऊर्जा खपत के मानकों एवं मापदंडों का पालन करने का निर्देश दे सकती है;***
>
> ***(x) नामित उपभोक्ताओं द्वारा ऊर्जा अथवा फीडस्टॉक के रूप में गैर-जीवाश्म स्रोतों के उपभोग का न्यूनतम हिस्सा निर्धारित कर सकती है; बशर्ते कि विभिन्न प्रकार के गैर-जीवाश्म स्रोतों के लिए विभिन्न नामित उपभोक्ताओं हेतु भिन्न-भिन्न हिस्सेदारी निर्धारित की जा सके।"***

72. विद्युत मंत्रालय ने अपनी दिनांक 20.10.2023 की अधिसूचना के माध्यम से नामित उपभोक्ताओं, जिनमें वितरण लाइसेंसधारक, ओपन एक्सेस उपभोक्ता तथा कैप्टिव उपभोक्ता शामिल हैं, के लिए नवीकरणीय ऊर्जा उपभोग का न्यूनतम हिस्सा तालिका 1 के अनुसार निर्धारित किया है।

73. पवन नवीकरणीय ऊर्जा घटक की पूर्ति उन पवन ऊर्जा परियोजनाओं (WPPs) से उत्पादित ऊर्जा द्वारा की जाएगी, जो 31.03.2024 के बाद कमीशन की गई हैं।

74. जल नवीकरणीय ऊर्जा घटक की पूर्ति केवल उन हाइड्रो पावर परियोजनाओं, जिनमें पंप स्टोरेज परियोजनाएँ (PSPs) तथा लघु जलविद्युत परियोजनाएँ (SHPs) शामिल हैं, से उत्पादित ऊर्जा द्वारा की जाएगी, जो 31.03.2024 के बाद कमीशन की गई हैं। यह आवश्यकता राज्य/DISCOM को ऐसी जलविद्युत परियोजनाओं से उपलब्ध कराई जा रही मुफ्त बिजली से भी पूरी की जा सकती है। साथ ही, केंद्र सरकार द्वारा प्रकरण-विशेष के आधार पर अनुमोदित भारत के बाहर स्थित जलविद्युत परियोजनाओं से भी इसकी पूर्ति की जा सकती है।

तालिका 1: विद्युत मंत्रालय द्वारा आरपीओ अधिसूचना दिनांक 20/10/2023

क्र.सं.	वर्ष	पवन आरई	हाइड्रो आरई	वितरित आरई	अन्य आरई	कुल आरई
1	वित्त वर्ष 2024-25	0.67%	0.38%	1.5%	27.35%	29.91%
2	वित्त वर्ष 2025-26	1.45%	1.22%	2.1%	28.24%	33.01%
3	वित्त वर्ष 2026-27	1.97%	1.34%	2.7%	29.94%	35.95%
4	वित्त वर्ष 2027-28	2.45%	1.42%	3.3%	31.64%	38.81%
5	वित्त वर्ष 2028-29	2.95%	1.42%	3.9%	33.10%	41.36%
6	वित्त वर्ष 2029-30	3.48%	1.33%	4.5%	34.02%	43.33%

*पहाड़ी और उत्तर-पूर्वी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए, वितरित नवीकरणीय ऊर्जा घटक तालिका में दिए गए हिस्से का आधा है और इन राज्यों के लिए शेष घटक को अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में शामिल किया जाएगा।

75. वितरित नवीकरणीय ऊर्जा (Distributed Renewable Energy – DRE) घटक की पूर्ति केवल उन नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पादित ऊर्जा द्वारा की जाएगी, जिनका आकार 10 मेगावाट से कम हो। इसमें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित सभी विन्यासों के अंतर्गत सौर प्रतिष्ठापन शामिल होंगे, जैसे—नेट मीटरिंग, ग्रॉस मीटरिंग, वर्चुअल नेट मीटरिंग, ग्रुप नेट मीटरिंग, बिहाइंड-द-मीटर इंस्टॉलेशन्स तथा अन्य विन्यास।

76. अन्य नवीकरणीय ऊर्जा घटक की पूर्ति उपर्युक्त के अतिरिक्त किसी भी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना से उत्पादित ऊर्जा द्वारा की जा सकती है। इसमें 1.04.2024 से पूर्व कमीशन की गई सभी पवन ऊर्जा परियोजनाओं तथा जलविद्युत परियोजनाओं, जिनमें PSPs, SHPs तथा मुफ्त बिजली शामिल हैं, से प्राप्त ऊर्जा सम्मिलित होगी।

77. पवन, जल तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा घटकों के बीच अदला-बदली (Fungibility) की अनुमति दी गई है।

78. इसके अतिरिक्त, यदि बाध्य इकाइयों द्वारा निर्धारित RPO का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो विद्युत मंत्रालय ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 26(3) के अंतर्गत दंड का प्रावधान सुझाया है, जैसा कि निम्नानुसार है:

> ***"26. दंड—***
>
> *(3) यदि कोई व्यक्ति धारा 14 की उपधाराओं (n) और (x) के अंतर्गत जारी निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो वह प्रत्येक ऐसी विफलता के लिए* ***दस लाख रुपये तक के दंड का भागी होगा;***
>
> बशर्ते कि वह अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित मानकों से अधिक होने वाले प्रत्येक मीट्रिक टन ऑयल इक्विवेलेंट की कीमत के दोगुने तक अतिरिक्त दंड का भी भागी होगा।"

79. उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का आकलन निम्नलिखित आधारों पर किया गया है:

a) क्या वित्तीय वर्ष 2029-30 तक के लिए नवीकरणीय क्रय दायित्व (RPO) की वृद्धि-रेखा निर्धारित की गई है?

b) क्या RPO की वृद्धि-रेखा दिनांक 20.10.2023 की MoP अधिसूचना के अनुरूप है?

c) क्या DRE लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, अर्थात् MoP अधिसूचना के अनुसार RPO को पूर्ण रूप से निर्दिष्ट किया गया है?

d) क्या राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दंड तंत्र निर्दिष्ट किया गया है?

80. प्रत्येक उप-मानक के अनुसार अंक निर्धारण का विवरण *स्कोरिंग मेथडोलॉजी अनुभाग* में दिया गया है।

5. नियामकीय शासन [5 अंक]

81. अधिनियम की धारा 91(1) SERCs को एक सचिव नियुक्त करने तथा सचिव के अधिकारों और कर्तव्यों को निर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 91(2) SERCs को अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या, प्रकृति और श्रेणियों को निर्दिष्ट करने का अधिकार प्रदान करती है।

82. अधिनियम की धारा 181(2)(zk) SERCs को राज्य आयोग के सचिव, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तों और नियमों को निर्धारित करने का अधिकार प्रदान करती है। अधिनियम का संबंधित अंश निम्नानुसार है:

> ***"धारा 91. (उपयुक्त आयोग का सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारी):***
>
> *(1) उपयुक्त आयोग ऐसा सचिव नियुक्त कर सकता है, जो विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करे और ऐसे कर्तव्यों का पालन करे, जैसा निर्दिष्ट किया जाए।*
>
> *(2) उपयुक्त आयोग, उपयुक्त सरकार की स्वीकृति से, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या, प्रकृति तथा श्रेणियाँ निर्धारित कर सकता है।*
>
> ....
>
> ***धारा 181. (राज्य आयोगों की विनियम बनाने की शक्तियाँ):***
>
> ....
>
> *(2) विशेष रूप से, और उपधारा (1) में निहित शक्तियों की व्यापकता को प्रभावित किए बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किसी भी विषय के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्—*
>
> ....
>
> *(zk) धारा 91 की उपधारा (2) के अंतर्गत राज्य आयोग के सचिव, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें।"*

83. उपर्युक्त के अनुसार, अधिनियम SERCs को आयोग के कर्मचारियों के लिए सेवा नियमों से संबंधित विनियम निर्धारित करने तथा आयोग के स्टाफ की सेवा शर्तों को निर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान करता है। अतः नियामकीय शासन के मानदंड अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए नियामकीय ढाँचे के अनुसार निर्धारित किए गए हैं।

84. उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का आकलन निम्नलिखित आधारों पर किया गया है:

a) क्या राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों ने सेवा नियमों के लिए विनियम निर्दिष्ट किए हैं?

b) क्या राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों ने स्वीकृत पदों को समूह-A, समूह-B एवं समूह-C में विभाजित किया है?

85. प्रत्येक उप-मानक के अनुसार अंक निर्धारण का विवरण स्कोरिंग मेथडोलॉजी अनुभाग में दिया गया है।

परामर्शी प्रक्रिया

- 3 मार्च 2025 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ दृष्टिकोण और पद्धति साझा की गई थी और उसी के लिए टिप्पणियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।
- प्रारूप रिपोर्ट को सभी राज्य विद्युत विनियामक आयोगों और राज्य विद्युत विभागों के साथ 6 मई 2025 के ईमेल के माध्यम से साझा किया गया था।
- राज्य विद्युत विनियामक आयोगों और राज्य विद्युत विभागों के साथ 9, 10 और 11 सितंबर 2025 को क्षेत्रीय बैठकें आयोजित की गईं, जहां पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया (पीएफआई) ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के रेटिंग विनियामक निष्पादन संबंधी प्रारूप रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें रिपोर्ट का उद्देश्य, प्रत्येक मापदंड और प्रारूप स्कोर के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली पद्धति शामिल थी। टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए गए। सभी संगत सुझावों को रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

स्कोरिंग पद्धति

स्कोरिंग पद्धति

क्र. सं.	मापदंड	उप-मापदंड	विवरण	आधार	स्कोरिंग मानदंड	अधिकतम अंक	भार
1	संसाधन पर्याप्तता (विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति) 32 अंक	-	संसाधन पर्याप्तता विनियमों का निर्माण	विद्युत मंत्रालय नियमावली दिनांक 29/12/2022	हां/नहीं (आरए विनियमों के लिए पूर्ण अंक मार्च 25 तक अधिसूचित, अप्रैल 25 तक 75% अंक, मई 25 तक 50% अंक, जून 25 तक 25% अंक; नहीं के लिए शून्य)	8	32%
			योजना भंडार मार्जिन को परिभाषित करना		हां / नहीं (हाँ के लिए पूर्ण अंक; नहीं के लिए शून्य)	5	
			संसाधन पर्याप्तता के लिए समय-सीमा योजना (डिस्कॉम द्वारा एसटीयू को मांग अनुरोध प्रस्तुत करना और सीईए और एसईआरसी को एलटी-डीआरएपी योजना प्रस्तुत करना, एसईआरसी द्वारा आरए योजना का अनुमोदन)			5	
			आरए लक्ष्य का अनुपालन करने में विफलता के लिए गैर-अनुपालन शुल्क			4	
			एसटीयू की न्यूनतम 3 वर्ष की कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	धारा 61	यदि बहुवर्षीय योजना में वित्त वर्ष 25 या वित्त वर्ष 26 शामिल है तो पूर्ण अंक, यदि नवीनतम वित्त वर्ष 24 तक की बहुवर्षीय योजना है तो 50% अंक, अन्यथा शून्य	5	
			डिस्कॉम की न्यूनतम 3 वर्ष की कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित			5	
2	डिस्कॉमों की वित्तीय अर्थक्षमता 25 अंक	प्रशुल्क/टू-अप आदेशों समय पर जारी करना	वित्त वर्ष 2025-26 का एआरआर	2011 की ओपी संख्या 01 में एपटेल निर्णय	वित्त वर्ष की शुरुआत से पहले: पूर्ण अंक, उसके बाद अंतिम तिथि तक हर महीने की देरी के लिए 0.5 अंक कम और इसके बाद शून्य अंक	5	25%
			वित्त वर्ष 2023-24 का टू-अप			5	
		लागत प्रदर्शी प्रशुल्क: वित्त वर्ष 2025-26	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रशुल्क लागत-प्रदर्शी होगा	विद्युत मंत्रालय की विद्युत (संशोधन) नियमावली दिनांक 10/01/2024	वित्त वर्ष 26 के लिए एआरआर के % के रूप में राजस्व अंतर - पूर्ण अंक- शून्य; मूल्यांकित अंक: <= 3%; कोई अंक नहीं: >;3%	6	
		विनियामक परिसंपत्तियां	पिछले टू-अप के दौरान विनियामक परिसंपत्तियों का सृजन न होना	विद्युत मंत्रालय की विद्युत (संशोधन) नियमावली दिनांक 10/01/2024	सृजित की गई विनियामक परिसंपत्तियां - 0 अंक, नहीं- पूर्ण अंक	4	
		ईंधन और विद्युत खरीद लागत समायोजन शुल्क (एफपीपीएएस)	एफपीपीएएस तंत्र मौजूद है।	विद्युत मंत्रालय नियमावली दिनांक 29/12/2022	हाँ/नही (हाँ के लिए पूर्ण अंक; नहीं के लिए शून्य अंक)	1	
			एफपीपीएएस के परिवर्तन की आवृत्ति (त्रैमासिक/मासिक)		मासिक के लिए पूर्ण अंक; त्रैमासिक लिए 50% अन्यथा शून्य	1	
			एफपीपीएएस का स्वत: आगे लगना		हां/नहीं (हाँ के लिए पूर्ण अंक; नहीं के लिए शून्य)	2	
			क्या एफपीपीएएस का फॉर्मूला विद्युत मंत्रालय नियमावली दिनांक 29/12/2022 के आशय को पूरा करता है?			1	

Cut-off date: 31st Mar'25, Extended date: 30th Jun'25

स्कोरिंग पद्धति

क्र. सं.	मापदंड	उप-मापदंड	विवरण	आधार	स्कोरिंग मानदंड	अधिकतम अंक	वजन
3	**जीवन यापन में आसानी/ कारोबार करना 23 अंक**	कनेक्शन जारी करना	नियमों के अनुसार समय-सीमा	विद्युत मंत्रालय उपभोक्ता अधिकार नियमावली दिनांक 22/2/2024	हां/नहीं (हाँ के लिए पूर्ण अंक; नहीं के लिए शून्य)	2	23%
			अनुपालन न होने की स्थिति में मुआवजा			2	
		मीटरों का परीक्षण और प्रतिस्थापन	मीटरों का परीक्षण-समयसीमा (नियमों के अनुसार) और मुआवजा	विद्युत मंत्रालय की उपभोक्ता अधिकार नियमावली दिनांक 31/12/2020		2+1	
			मीटर का प्रतिस्थापन- समय सीमा (नियमों के अनुसार) और मुआवजा			2+1	
		नेट मीटरिंग कनेक्शन	समयसीमा (नियमों के अनुसार)	विद्युत मंत्रालय की उपभोक्ता अधिकार नियमावली दिनांक 22/2/2024		2	
		कनेक्शन प्रभार	150 किलोवाट तक के नए कनेक्शन या ऐसे उच्च भार के लिए पूर्व-निर्दिष्ट मांग शुल्क जैसा कि आयोग निर्धारित करे	विद्युत मंत्रालय की उपभोक्ता अधिकार नियमावली दिनांक 31/12/2020		3	
		विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता	विनियमों में विश्वसनीयता सूचकांक की पद्धति है	विद्युत मंत्रालय की उपभोक्ता अधिकार नियमावली दिनांक 31/12/2020 और 20/04/2022		1	
			वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सूचकांकों के लिए निर्धारित लक्ष्य			1	
			आरआई लक्ष्यों के ज्ञात अनुपालन के मामले में मुआवजा			1	
		खुली पहुंच	अधिभार और क्रॉस सब्सिडी में उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर्ष)	धारा 42		5	
4	**ऊर्जा संक्रमण 15 अंक**	हरित ऊर्जा खुली पहुंच (जीईओए)	हरित ऊर्जा खुली पहुंच के लिए 100 किलोवाट क्षमता	विद्युत मंत्रालय नियमावली दिनांक 6/06/2022	हां/नहीं (हाँ के लिए पूर्ण अंक; नहीं के लिए शून्य)	3	15%
			हरित एच2 और हरित एनएच3 के उत्पादन के लिए ऊर्जा पर सीएसएस और एएस की छूट			1	
			ऊर्जा परियोजनाओं के अपशिष्ट के लिए सीएसएस और एएस के लिए छूट			1	
			ग्रीन प्रशुल्क का विनिर्देशन			1	
		नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ)	वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्धारित आरपीओ पथ	विद्युत मंत्रालय अधिसूचना दिनांक 20/10/2023		2	
			विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी)			2	
			क्या विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार आरपीओ पूर्ण रूप से निर्धारित है			3	
			क्या कमी की मात्रा के संबंध में दंड तंत्र निर्धारित है			2	
5	**विनियामक शासन 5 अंक**	-	क्या अधिकारियों की नियुक्ति के लिए निर्धारित विनियम हैं		हां/नहीं (हाँ के लिए पूर्ण अंक; नहीं के लिए शून्य)	2.5	5%
			क्या विभिन्न समूहों - ए, बी, सी और डी के लिए स्वीकृत पद विभाजित हैं			2.5	
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कुल स्कोर						**100**	**100%**

Cut-off date: 31st Mar'25, Extended date: 30th Jun'25

रेटिंग और परिणामों का सार

रेटिंग मानदंड

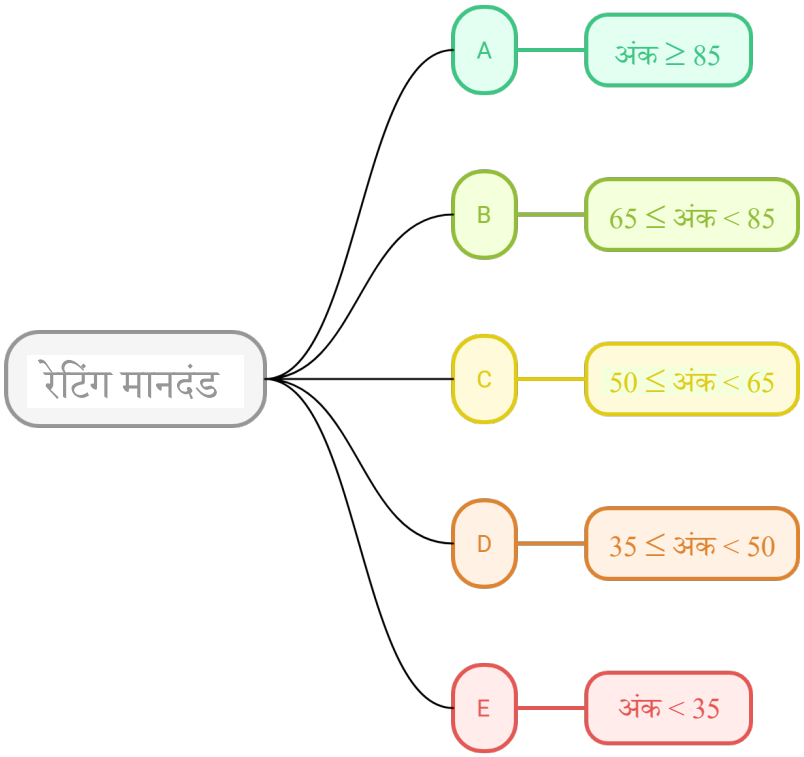

कई डिस्कॉमों को विनियमित करने वाले राज्यों को डिस्कॉम के औसत स्कोर के आधार पर स्कोर दिया जाता है

रेटिंग और परिणामों का सार

रेटिंग परिणाम

ग्रेड	राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के रेटिंग
A	11
B	10
C	10
D	4
E	1

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के रेटिंग विनियामक निष्पादन

क्र.सं.	राज्य	अंक	ग्रेड
1	पंजाब	97.00	A
2	कर्नाटक	96.00	A
3	महाराष्ट्र	94.00	A
4	असम	93.00	A
5	अरुणाचल प्रदेश	91.00	A
6	मध्य प्रदेश	89.00	A
7	मेघालय	89.00	A
8	हरियाणा	88.50	A
9	हिमाचल प्रदेश	88.00	A
10	मिजोरम	87.00	A
11	झारखंड	86.67	A
12	सिक्किम	78.00	B
13	ओडिशा	75.50	B
14	चंडीगढ़	74.00	B
15	दादरा एवं नगर हवेली और दमन तथा दीव	74.00	B
16	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	72.00	B
17	लक्षद्वीप	72.00	B
18	गुजरात	71.00	B
19	गोवा	71.00	B
20	पुडुचेरी	70.00	B
21	उत्तराखंड	68.00	B
22	आंध्र प्रदेश	63.00	C
23	लद्दाख	63.00	C
24	मणिपुर	62.00	C
25	बिहार	61.00	C
26	तमिलनाडु	58.00	C
27	केरल	55.50	C
28	नागालैंड	55.00	C
29	छत्तीसगढ	52.00	C
30	तेलंगाना	50.50	C
31	पश्चिम बंगाल	50.00	C
32	जम्मू और कश्मीर	49.00	D
33	उत्तर प्रदेश	48.00	D
34	दिल्ली	40.50	D
35	राजस्थान	39.00	D
36	त्रिपुरा	21.50	E

यह पेज जानबूझकर खाली छोड़ा गया है

राज्यवार स्कोरकार्ड

अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह

नियामकीय प्रदर्शन स्कोरकार्ड

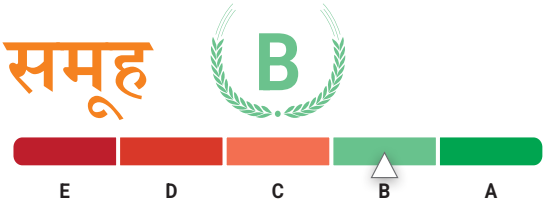

100 में से 72 अंक

विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)

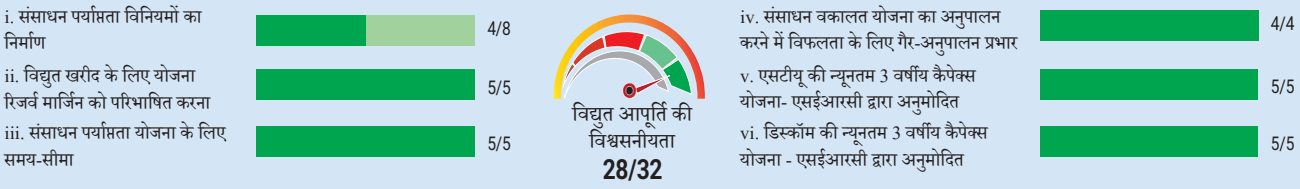

वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति

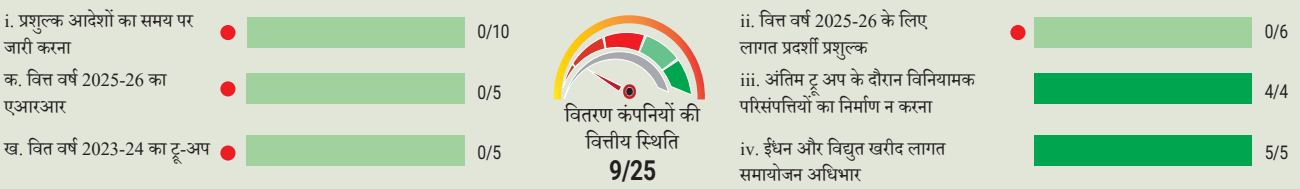

जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना

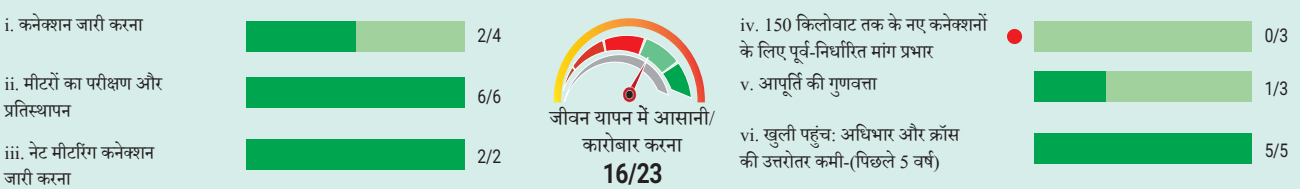

ऊर्जा संक्रमण

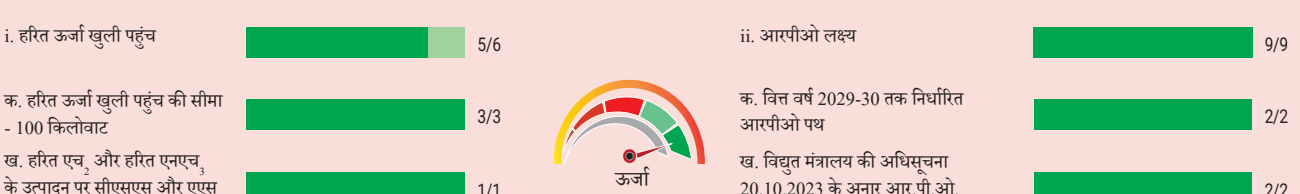

विविनियामक शासन

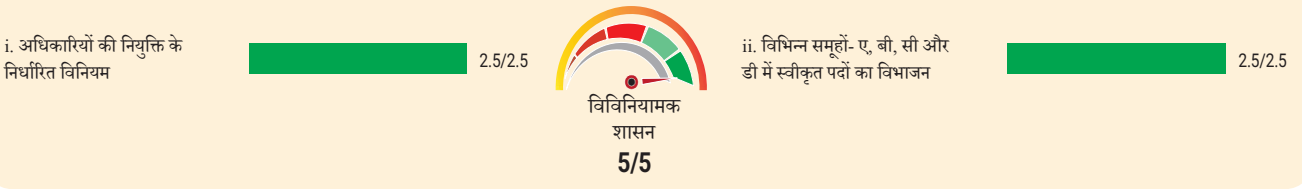

Note: Island Union Territories have been granted relaxation for Open Access & timelines for replacement of meters.

	निष्पादन मापदंड	उत्तर
1	**विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)**	
i	संसाधन पर्याप्तता विनियमों का निर्माण	हां
ii	बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार्जिन को परिभाषित करना	हां
iii	संसाधन पर्याप्तता योजना के लिए समयसीमा	हां
iv	आरए योजना का अनुपालन करने में विफलता के लिए गैर-अनुपालन शुल्क	हां
v	एसटीयू की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	हां
vi	डिस्कॉम की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	हां
2	**डिस्कॉमों की वित्तीय स्थिति**	
i	**प्रशुल्क आदेश समय पर जारी करना**	ईडी-एएंडएन द्वीप समूह
क	वित्त वर्ष 2025-26 का एआरआर	जारी नहीं किया गया
ख	वित्त वर्ष 2023-24 का ट्रू-अप	जारी नहीं किया गया
ii	**वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल्क**	
क	एबीआर-एसीएस (@ मौजूदा प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रशुल्क आदेश जारी नहीं किया गया
ख.	संचयी राजस्व अंतराल को पूरा करने के लिए प्रशुल्क में वृद्धि (मौजूदा राजस्व का %)	
ग	एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)	
घ	एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशुल्क (करोड़ रु.)	
ड.	एआरआर के प्रतिशत के रूप में अंतर	
iii	**अंतिम ट्रू-अप के दौरान विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करना**	वित्त वर्ष 2020-21 तक कोई विनियामक संपत्ति नहीं
iv	**ईंधन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)**	
क	एफपीपीएएस तंत्र मौजूद है या नहीं?	हां
ख.	एफपीपीएएस के परिवर्तन की आवृत्ति (त्रैमासिक/मासिक)	मासिक
ग	एफपीपीएएस का स्वत: आगे लगना या नहीं	हां
घ	एफपीपीएएस का फार्मूला विद्युत मंत्रालय की नियमावली दिनांक 29/12/2022 का आशय पूरा करता है।	हां
3	**जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना**	डी: दिन
i	**कनेक्शन जारी करना**	मेट्रो-3 डी, शहरी-7 डी, ग्रामीण-15 डी, द्वीप-30 डी
	मुआवजा	नहीं
ii	**मीटर का परीक्षण और प्रतिस्थापन**	
क	मीटर का परीक्षण	30 दिन
	मुआवजा	100 रु./दिन
ख	मीटर का प्रतिस्थापन	15 दिन
	मुआवजा	100 रु./दिन
iii	**नेट मीटरिंग कनेक्शन जारी करना।**	15 दिन
iv	**150 किलोवाट तक के नए कनेक्शनों के लिए पूर्व-निर्दिष्ट मांग शुल्क**	नहीं
v	**आपूर्ति की गुणवत्ता**	
क	विनियमों में परिभाषित विश्वसनीयता सूचकांकों की पद्धति	हां
ख.	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सूचकांकों के लिए निर्दिष्ट लक्ष्य	नहीं
ग	आरआई लक्ष्यों का अनुपालन न करने की स्थिति में मुआवजा	नहीं
vi	**खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस-सब्सिडी में उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर्ष)**	नहीं
4	**ऊर्जा संक्रमण**	
i	**हरित ऊर्जा खुली पहुंच (जीईओए)**	
क	हरित ऊर्जा खुली पहुंच की सीमा- 100 किलोवाट	हां
ख.	ग्रीन एच$_2$ और ग्रीन एनएच$_3$ के उत्पादन पर सीएसएस और एएस की छूट	हां
ग	ऊर्जा परियोजनाओं अपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट	हां
घ	हरित प्रशुल्क	उपलब्ध नहीं है
ii	**आरपीओ लक्ष्य**	
क	वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्दिष्ट आरपीओ पथ	हां
ख.	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी)	हां
ग	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार कुल निर्धारित आरपीओ	हां
घ	आरपीओ में कमी के लिए निर्धारित जुर्माना	हां
5	**विनियामक शासन**	
i	अधिकारियों की नियुक्ति के लिए निर्धारित विनियम	हां
ii	विभिन्न समूहों - ए, बी, सी एंड डी में स्वीकृत पदों का विभाजन	हां

*पैरामीटरों का विवरण संलग्न परिशिष्टों में दिया गया है।

आंध्र प्रदेश

नियामकीय प्रदर्शन स्कोरकार्ड

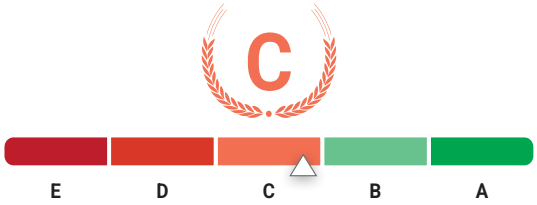

100 में से 63 अंक

विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)

i. संसाधन पर्याप्तता विनियमों का निर्माण	0/8
ii. विद्युत खरीद के लिए योजना रिजर्व मार्जिन को परिभाषित करना	0/5
iii. संसाधन पर्याप्तता योजना के लिए समय-सीमा	0/5
iv. संसाधन वकालत योजना का अनुपालन करने में विफलता के लिए गैर-अनुपालन प्रभार	0/4
v. एसटीयू की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना- एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	5/5
vi. डिस्कॉम की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	5/5

विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता
10/32

वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति

i. प्रशुल्क आदेशों का समय पर जारी करना	5/10
क. वित्त वर्ष 2025-26 का एआरआर	5/5
ख. वित वर्ष 2023-24 का टू-अप	0/5
ii. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल्क	6/6
iii. अंतिम टू अप के दौरान विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करना	4/4
iv. ईंधन और विद्युत खरीद लागत समायोजन अधिभार	5/5

वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति
20/25

जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना

i. कनेक्शन जारी करना	4/4
ii. मीटरों का परीक्षण और प्रतिस्थापन	4/6
iii. नेट मीटरिंग कनेक्शन जारी करना	2/2
iv. 150 किलोवाट तक के नए कनेक्शनों के लिए पूर्व-निर्धारित मांग प्रभार	0/3
v. आपूर्ति की गुणवत्ता	3/3
vi. खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस की उत्तरोतर कमी-(पिछले 5 वर्ष)	0/5

जीवन यापन में आसानी/ कारोबार करना
13/23

ऊर्जा संक्रमण

i. हरित ऊर्जा खुली पहुंच	6/6
क. हरित ऊर्जा खुली पहुंच की सीमा - 100 किलोवाट	3/3
ख. हरित एच$_2$ और हरित एनएच$_3$ के उत्पादन पर सीएसएस और एएस की छूट	1/1
ग. ऊर्जा परियोजनाओं के अपशिष्ट पर सीएसएस की छूट	1/1
घ. हरित प्रशुल्क	1/1
ii. आरपीओ लक्ष्य	9/9
क. वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्धारित आरपीओ पथ	2/2
ख. विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना 20.10.2023 के अनुार आर.पी.ओ. पथ (संचयी)	2/2
ग. विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना 20.10.2023 के अनुसार पूर्ण रूप में निर्धारित आरपीओ	3/3
घ. आर.पी.ओ. कमी के लिए निर्धारित दंड	2/2

ऊर्जा संक्रमण
15/15

विविनियामक शासन

i. अधिकारियों की नियुक्ति के निर्धारित विनियम	2.5/2.5
ii. विभिन्न समूहों- ए, बी, सी और डी में स्वीकृत पदों का विभाजन	2.5/2.5

विविनियामक शासन
5/5

	निष्पादन मापदंड	उत्तर		
1	**विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)**			
i	संसाधन पर्याप्तता विनियमों का निर्माण	नहीं		
ii	बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार्जिन को परिभाषित करना	नहीं		
iii	संसाधन पर्याप्तता योजना के लिए समयसीमा	नहीं		
iv	आरए योजना का अनुपालन करने में विफलता के लिए गैर-अनुपालन शुल्क	नहीं		
v	एसटीयू की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	हां		
vi	डिस्कॉम की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	हां		
2	**डिस्कॉमों की वित्तीय स्थिति**			
i	**प्रशुल्क आदेश समय पर जारी करना**			
क	वित्त वर्ष 2025-26 का एआरआर	20-फरवरी-2025		
ख	वित्त वर्ष 2023-24 का ट्रू-अप	जारी नहीं किया गया।		
ii	**वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल्क**	**एपीएसपीडीसीएल**	**एपीएसपीडीसीएल**	**एपीएसपीडीसीएल**
क	एबीआर-एसीएस (@ मौजूदा प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)	(2.09)	(1.62)	(1.46)
ख	संचयी राजस्व अंतराल को पूरा करने के लिए प्रशुल्क में वृद्धि (मौजूदा राजस्व का %)	0.00%	0.00%	0.00%
ग	एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)	0.00	0.00	0.00
घ	एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशुल्क (करोड़ रु.)	0.00	0.00	0.00
ड.	एआरआर के प्रतिशत के रूप में अंतर	कोई अंतर नहीं	कोई अंतर नहीं	कोई अंतर नहीं
iii	**अंतिम ट्रू-अप के दौरान विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करना**	वित्त वर्ष 2020-21 तक कोई विनियामक परि संपत्ति नहीं		
iv	**ईंधन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)**			
क	एफपीपीएएस तंत्र मौजूद है या नहीं?	हां		
ख	एफपीपीएएस के परिवर्तन की आवृत्ति (त्रैमासिक/मासिक)	मासिक		
ग	एफपीपीएएस का स्वत: आगे लगना या नहीं	हां		
घ	एफपीपीएएस का फार्मूला विद्युत मंत्रालय की नियमावली दिनांक 29/12/2022 का आशय पूरा करता है।	हां		
3	**जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना**	डी: दिन		
i	**कनेक्शन जारी करना**	मेट्रो - 3 डी, नगर - 7 डी, ग्रामीण - 15 डी		
	मुआवजा	प्रतिदिन 100 रुपये		
ii	**मीटर का परीक्षण और प्रतिस्थापन**			
क	मीटर का परीक्षण	शहर और कस्बे-7 डी, ग्रामीण--15 डी		
	मुआवजा	प्रतिदिन 100 रुपये		
ख	मीटर का प्रतिस्थापन	जला हुआ -7 डी		
	मुआवजा	प्रतिदिन 100 रुपये		
iii	**नेट मीटरिंग कनेक्शन जारी करना।**	15 दिन		
iv	**150 किलोवाट तक के नए कनेक्शनों के लिए पूर्व-निर्दिष्ट मांग शुल्क**	नहीं		
v	**आपूर्ति की गुणवत्ता**			
क	विनियमों में परिभाषित विश्वसनीयता सूचकांकों की पद्धति	हां		
ख	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सूचकांकों के लिए निर्दिष्ट लक्ष्य	हां		
ग	आरआई लक्ष्यों का अनुपालन न करने की स्थिति में मुआवजा	हां		
vi	**खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस-सब्सिडी में उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर्ष)**	नहीं		
4	**ऊर्जा संक्रमण**			
i	**हरित ऊर्जा खुली पहुंच (जीईओए)**			
क	हरित ऊर्जा खुली पहुंच की सीमा- 100 किलोवाट	हां		
ख	ग्रीन एच$_2$ और ग्रीन एनएच$_3$ के उत्पादन पर सीएसएस और एएस की छूट	हां		
ग	ऊर्जा परियोजनाओं अपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट	हां		
घ	हरित प्रशुल्क	हां		
ii	**आरपीओ लक्ष्य**			
क	वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्दिष्ट आरपीओ पथ	हां		
ख	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी)	हां		
ग	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार कुल निर्धारित आरपीओ	हां		
घ	आरपीओ में कमी के लिए निर्धारित जुर्माना	हां		
5	**विनियामक शासन**			
i	अधिकारियों की नियुक्ति के लिए निर्धारित विनियम	हां		
ii	विभिन्न समूहों - ए, बी, सी एंड डी में स्वीकृत पदों का विभाजन	हां		

*पैरामीटरों का विवरण संलग्न परिशिष्टों में दिया गया है।

अरुणाचल प्रदेश

नियामकीय प्रदर्शन स्कोरकार्ड

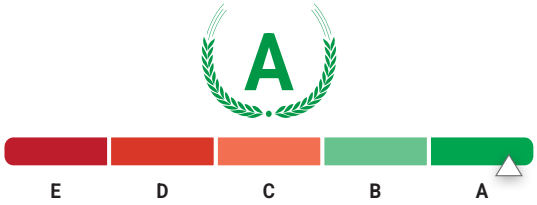

100 में से 91 अंक

विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)

i. संसाधन पर्याप्तता विनियमों का निर्माण	8/8
ii. विद्युत खरीद के लिए योजना रिजर्व मार्जिन को परिभाषित करना	5/5
iii. संसाधन पर्याप्तता योजना के लिए समय-सीमा	5/5
iv. संसाधन वकालत योजना का अनुपालन करने में विफलता के लिए गैर-अनुपालन प्रभार	4/4
v. एसटीयू की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना- एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	5/5
vi. डिस्कॉम की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	5/5

विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता
32/32

वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति

i. प्रशुल्क आदेशों का समय पर जारी करना	10/10
क. वित्त वर्ष 2025-26 का एआरआर	5/5
ख. वित वर्ष 2023-24 का टू-अप	5/5
ii. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल्क	6/6
iii. अंतिम टू अप के दौरान विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करना	4/4
iv. ईंधन और विद्युत खरीद लागत समायोजन अधिभार	5/5

वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति
25/25

जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना

i. कनेक्शन जारी करना	4/4
ii. मीटरों का परीक्षण और प्रतिस्थापन	4/6
iii. नेट मीटरिंग कनेक्शन जारी करना	2/2
iv. 150 किलोवाट तक के नए कनेक्शनों के लिए पूर्व-निर्धारित मांग प्रभार	3/3
v. आपूर्ति की गुणवत्ता	1/3
vi. खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस की उत्तरोतर कमी-(पिछले 5 वर्ष)	0/5

जीवन यापन में आसानी/ कारोबार करना
14/23

ऊर्जा संक्रमण

i. हरित ऊर्जा खुली पहुंच	6/6
क. हरित ऊर्जा खुली पहुंच की सीमा - 100 किलोवाट	3/3
ख. हरित एच$_2$ और हरित एनएच$_3$ के उत्पादन पर सीएसएस और एएस की छूट	1/1
ग. ऊर्जा परियोजनाओं के अपशिष्ट पर सीएसएस की छूट	1/1
घ. हरित प्रशुल्क	1/1
ii. आरपीओ लक्ष्य	9/9
क. वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्धारित आरपीओ पथ	2/2
ख. विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना 20.10.2023 के अनुार आर.पी.ओ. पथ (संचयी)	2/2
ग. विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना 20.10.2023 के अनुसार पूर्ण रूप में निर्धारित आरपीओ	3/3
घ. आर.पी.ओ. कमी के लिए निर्धारित दंड	2/2

ऊर्जा संक्रमण
15/15

विविनियामक शासन

i. अधिकारियों की नियुक्ति के निर्धारित विनियम	2.5/2.5
ii. विभिन्न समूहों- ए, बी, सी और डी में स्वीकृत पदों का विभाजन	2.5/2.5

विविनियामक शासन
5/5

	निष्पादन मापदंड	उत्तर
1	विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)	
i	संसाधन पर्याप्तता विनियमों का निर्माण	हां
ii	बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार्जिन को परिभाषित करना	हां
iii	संसाधन पर्याप्तता योजना के लिए समयसीमा	हां
iv	आरए योजना का अनुपालन करने में विफलता के लिए गैर-अनुपालन शुल्क	हां
v	एसटीयू की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	हां
vi	डिस्कॉम की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	हां
2	डिस्कॉमों की वित्तीय स्थिति	
i	**प्रशुल्क आदेश समय पर जारी करना**	
क	वित्त वर्ष 2025-26 का एआरआर	26-मार्च-2025
ख	वित्त वर्ष 2023-24 का ट्रू-अप	26-मार्च-2025
ii	**वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल्क**	**एपी डॉप**
क	एबीआर-एसीएस (@ मौजूदा प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)	(4.74)
ख	संचयी राजस्व अंतराल को पूरा करने के लिए प्रशुल्क में वृद्धि (मौजूदा राजस्व का %)	2.38%
ग	एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)	0.00
घ	एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशुल्क (करोड़ रु.)	0.02
ड.	एआरआर के प्रतिशत के रूप में अंतर	कोई अंतर नहीं
iii	**अंतिम ट्रू-अप के दौरान विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करना**	वित्त वर्ष 2023-24 तक कोई विनियामक परिसंपत्ति नहीं
iv	**ईंधन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)**	
क	एफपीपीएएस तंत्र मौजूद है या नहीं?	हां
ख	एफपीपीएएस के परिवर्तन की आवृत्ति (त्रैमासिक/मासिक)	मासिक
ग	एफपीपीएएस का स्वत: आगे लगना या नहीं	हां
घ	एफपीपीएएस का फार्मूला विद्युत मंत्रालय की नियमावली दिनांक 29/12/2022 का आशय पूरा करता है।	हां
3	जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना	डी: दिन
i	**कनेक्शन जारी करना**	शहरी- 7 डी, ग्रामीण- 15 डी, रिमोट- 30 डी
	मुआवजा	रु. 1000/दिन
ii	**मीटर का परीक्षण और प्रतिस्थापन**	
क	मीटर का परीक्षण	शहरी-5 डी, ग्रामीण-7 डी, दूरस्थ-12 डी
	मुआवजा	50 रुपये प्रति दिन
ख	मीटर का प्रतिस्थापन	शहरी- 5 डी, ग्रामीण- 7 डी, रिमोट- 12 डी
	मुआवजा	50 रुपये प्रति दिन
iii	**नेट मीटरिंग कनेक्शन जारी करना।**	15 दिन
iv	**150 किलोवाट तक के नए कनेक्शनों के लिए पूर्व-निर्दिष्ट मांग शुल्क**	हां
v	**आपूर्ति की गुणवत्ता**	
क	विनियमों में परिभाषित विश्वसनीयता सूचकांकों की पद्धति	हां
ख	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सूचकांकों के लिए निर्दिष्ट लक्ष्य	नहीं
ग	आरआई लक्ष्यों का अनुपालन न करने की स्थिति में मुआवजा	नहीं
vi	**खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस-सब्सिडी में उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर्ष)**	नहीं
4	ऊर्जा संक्रमण	
i	**हरित ऊर्जा खुली पहुंच (जीईओए)**	
क	हरित ऊर्जा खुली पहुंच की सीमा- 100 किलोवाट	हां
ख	ग्रीन एच$_2$ और ग्रीन एनएच$_3$ के उत्पादन पर सीएसएस और एएस की छूट	हां
ग	ऊर्जा परियोजनाओं अपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट	हां
घ	हरित प्रशुल्क	हां
ii	**आरपीओ लक्ष्य**	
क	वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्दिष्ट आरपीओ पथ	हां
ख	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी)	हां
ग	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार कुल निर्धारित आरपीओ	हां
घ	आरपीओ में कमी के लिए निर्धारित जुर्माना	हां
5	विनियामक शासन	
i	अधिकारियों की नियुक्ति के लिए निर्धारित विनियम	हां
ii	विभिन्न समूहों - ए, बी, सी एंड डी में स्वीकृत पदों का विभाजन	हां

*पैरामीटरों का विवरण संलग्न परिशिष्टों में दिया गया है।

असम

नियामकीय प्रदर्शन स्कोरकार्ड

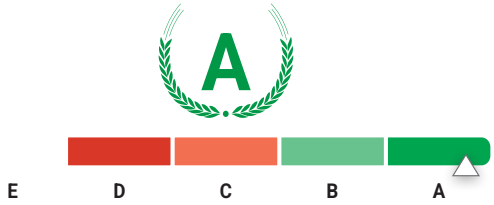

100 में से 93 अंक

विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)

i. संसाधन पर्याप्तता विनियमों का निर्माण	8/8
ii. विद्युत खरीद के लिए योजना रिजर्व मार्जिन को परिभाषित करना	5/5
iii. संसाधन पर्याप्तता योजना के लिए समय-सीमा	5/5
iv. संसाधन वकालत योजना का अनुपालन करने में विफलता के लिए गैर-अनुपालन प्रभार	4/4
v. एसटीयू की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना- एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	5/5
vi. डिस्कॉम की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	5/5

विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता
32/32

वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति

i. प्रशुल्क आदेशों का समय पर जारी करना	10/10
क. वित्त वर्ष 2025-26 का एआरआर	5/5
ख. वित वर्ष 2023-24 का टू-अप	5/5
ii. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल्क	6/6
iii. अंतिम टू अप के दौरान विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करना	4/4
iv. ईंधन और विद्युत खरीद लागत समायोजन अधिभार	5/5

वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति
25/25

जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना

i. कनेक्शन जारी करना	4/4
ii. मीटरों का परीक्षण और प्रतिस्थापन	6/6
iii. नेट मीटरिंग कनेक्शन जारी करना	2/2
iv. 150 किलोवाट तक के नए कनेक्शनों के लिए पूर्व-निर्धारित मांग प्रभार	3/3
v. आपूर्ति की गुणवत्ता	1/3
vi. खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस की उत्तरोतर कमी-(पिछले 5 वर्ष)	0/5

जीवन यापन में आसानी/ कारोबार करना
16/23

ऊर्जा संक्रमण

i. हरित ऊर्जा खुली पहुंच	6/6
क. हरित ऊर्जा खुली पहुंच की सीमा - 100 किलोवाट	3/3
ख. हरित एच$_2$ और हरित एनएच$_3$ के उत्पादन पर सीएसएस और एएस की छूट	1/1
ग. ऊर्जा परियोजनाओं के अपशिष्ट पर सीएसएस की छूट	1/1
घ. हरित प्रशुल्क	1/1
ii. आरपीओ लक्ष्य	9/9
क. वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्धारित आरपीओ पथ	2/2
ख. विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना 20.10.2023 के अनुार आर.पी.ओ. पथ (संचयी)	2/2
ग. विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना 20.10.2023 के अनुसार पूर्ण रूप में निर्धारित आरपीओ	3/3
घ. आर.पी.ओ. कमी के लिए निर्धारित दंड	2/2

ऊर्जा संक्रमण
15/15

विविनियामक शासन

i. अधिकारियों की नियुक्ति के निर्धारित विनियम	2.5/2.5
ii. विभिन्न समूहों- ए, बी, सी और डी में स्वीकृत पदों का विभाजन	2.5/2.5

विविनियामक शासन
5/5

	निष्पादन मापदंड	उत्तर
1	**विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)**	
i	संसाधन पर्याप्तता विनियमों का निर्माण	हां
ii	बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार्जिन को परिभाषित करना	हां
iii	संसाधन पर्याप्तता योजना के लिए समयसीमा	हां
iv	आरए योजना का अनुपालन करने में विफलता के लिए गैर-अनुपालन शुल्क	हां
v	एसटीयू की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	हां
vi	डिस्कॉम की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	हां
2	**डिस्कॉमों की वित्तीय स्थिति**	
i	**प्रशुल्क आदेश समय पर जारी करना**	
क	वित्त वर्ष 2025-26 का एआरआर	26-मार्च-2025
ख	वित्त वर्ष 2023-24 का टू-अप	26-मार्च-2025
ii	**वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल्क**	**एपी डॉप**
क	एबीआर-एसीएस (@ मौजूदा प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)	(4.74)
ख	संचयी राजस्व अंतराल को पूरा करने के लिए प्रशुल्क में वृद्धि (मौजूदा राजस्व का %)	2.38%
ग	एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)	0.00
घ	एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशुल्क (करोड़ रु.)	0.02
ड.	एआरआर के प्रतिशत के रूप में अंतर	कोई अंतर नहीं
iii	**अंतिम टू-अप के दौरान विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करना**	वित्त वर्ष 2023-24 तक कोई विनियामक परिसंपत्ति नहीं
iv	**ईंधन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)**	
क	एफपीपीएएस तंत्र मौजूद है या नहीं?	हां
ख	एफपीपीएएस के परिवर्तन की आवृत्ति (त्रैमासिक/मासिक)	मासिक
ग	एफपीपीएएस का स्वत: आगे लगना या नहीं	हां
घ	एफपीपीएएस का फार्मूला विद्युत मंत्रालय की नियमावली दिनांक 29/12/2022 का आशय पूरा करता है।	हां
3	**जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना**	डी: दिन
i	**कनेक्शन जारी करना**	शहरी- 7 डी, ग्रामीण- 15 डी, रिमोट- 30 डी
	मुआवजा	रु. 1000/दिन
ii	**मीटर का परीक्षण और प्रतिस्थापन**	
क	मीटर का परीक्षण	शहरी-5 डी, ग्रामीण-7 डी, दूरस्थ-12 डी
	मुआवजा	50 रुपये प्रति दिन
ख	मीटर का प्रतिस्थापन	शहरी- 5 डी, ग्रामीण- 7 डी, रिमोट- 12 डी
	मुआवजा	50 रुपये प्रति दिन
iii	**नेट मीटरिंग कनेक्शन जारी करना।**	15 दिन
iv	**150 किलोवाट तक के नए कनेक्शनों के लिए पूर्व-निर्दिष्ट मांग शुल्क**	हां
v	**आपूर्ति की गुणवत्ता**	
क	विनियमों में परिभाषित विश्वसनीयता सूचकांकों की पद्धति	हां
ख	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सूचकांकों के लिए निर्दिष्ट लक्ष्य	नहीं
ग	आरआई लक्ष्यों का अनुपालन न करने की स्थिति में मुआवजा	नहीं
vi	**खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस-सब्सिडी में उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर्ष)**	नहीं
4	**ऊर्जा संक्रमण**	
i	**हरित ऊर्जा खुली पहुंच (जीईओए)**	
क	हरित ऊर्जा खुली पहुंच की सीमा- 100 किलोवाट	हां
ख	ग्रीन एच$_2$ और ग्रीन एनएच$_3$ के उत्पादन पर सीएसएस और एएस की छूट	हां
ग	ऊर्जा परियोजनाओं अपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट	हां
घ	हरित प्रशुल्क	हां
ii	**आरपीओ लक्ष्य**	
क	वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्दिष्ट आरपीओ पथ	हां
ख	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी)	हां
ग	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार कुल निर्धारित आरपीओ	हां
घ	आरपीओ में कमी के लिए निर्धारित जुर्माना	हां
5	**विनियामक शासन**	
i	अधिकारियों की नियुक्ति के लिए निर्धारित विनियम	हां
ii	विभिन्न समूहों - ए, बी, सी एंड डी में स्वीकृत पदों का विभाजन	हां

*पैरामीटरों का विवरण संलग्न परिशिष्टों में दिया गया है।

बिहार

नियामकीय प्रदर्शन स्कोरकार्ड

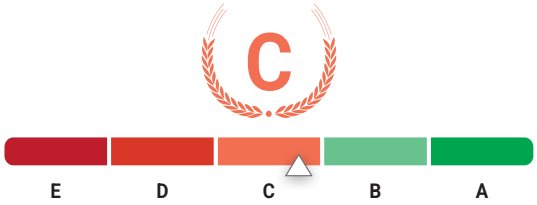

100 में से 61 अंक

विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)

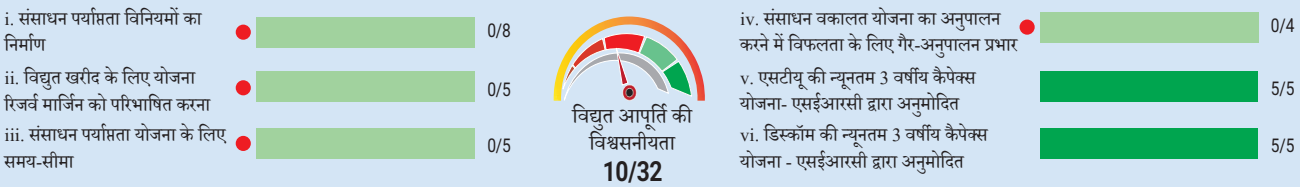

वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति

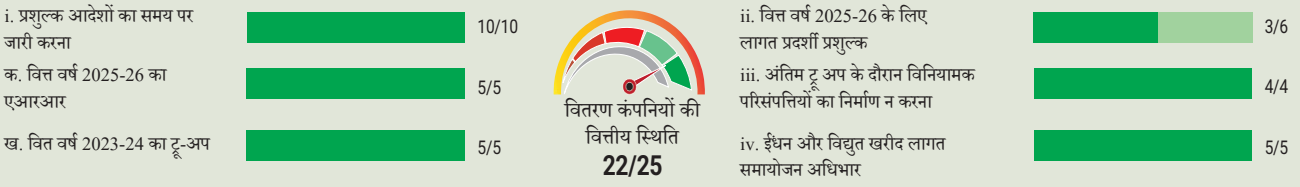

जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना

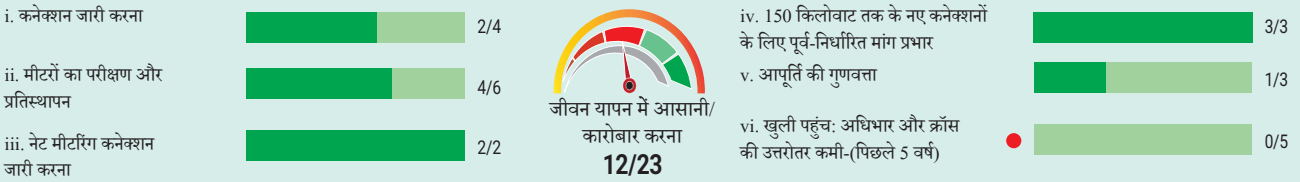

ऊर्जा संक्रमण

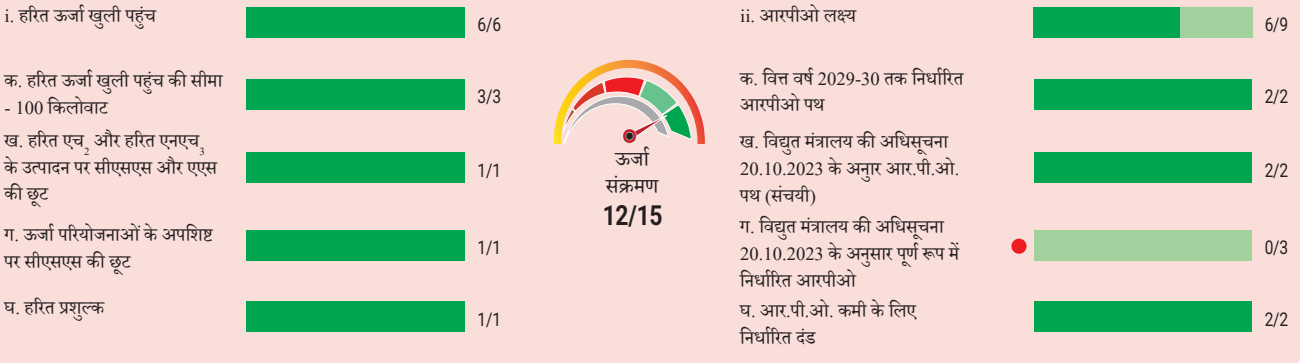

विविनियामक शासन

	निष्पादन मापदंड	उत्तर	
1	**विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)**		
i	संसाधन पर्याप्तता विनियमों का निर्माण	नहीं	
ii	बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार्जिन को परिभाषित करना	नहीं	
iii	संसाधन पर्याप्तता योजना के लिए समयसीमा	नहीं	
iv	आरए योजना का अनुपालन करने में विफलता के लिए गैर-अनुपालन शुल्क	नहीं	
v	एसटीयू की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	हां	
vi	डिस्कॉम की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	हां	
2	**डिस्कॉमों की वित्तीय स्थिति**		
i	**प्रशुल्क आदेश समय पर जारी करना**		
क	वित्त वर्ष 2025-26 का एआरआर	28-मार्च-2025	
ख	वित्त वर्ष 2023-24 का टू-अप	28-मार्च-2025	
ii	**वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल्क**	**एनबीपीडीसीएल**	**एनबीपीडीसीएल**
क	एबीआर-एसीएस (@ मौजूदा प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)	1.11	(1.00)
ख	संचयी राजस्व अंतराल को पूरा करने के लिए प्रशुल्क में वृद्धि (मौजूदा राजस्व का %)	0.00%	0.00%
ग	एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)	1.22	(0.93)
घ	एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशुल्क (करोड़ रु.)	1981	(1873)
ड.	एआरआर के प्रतिशत के रूप में अंतर	कोई अंतर नहीं	9.01%
iii	**अंतिम टू-अप के दौरान विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करना**	वित्त वर्ष2023-24 तक कोई विविनियामक परिसंपत्तियां नहीं हैं।	
iv	**ईंधन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)**		
क	एफपीपीएएस तंत्र मौजूद है या नहीं?	हां	
ख	एफपीपीएएस के परिवर्तन की आवृत्ति (त्रैमासिक/मासिक)	मासिक	
ग	एफपीपीएएस का स्वत: आगे लगना या नहीं	हां	
घ	एफपीपीएएस का फार्मूला विद्युत मंत्रालय की नियमावली दिनांक 29/12/2022 का आशय पूरा करता है।	हां	
3	**जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना**	डी: दिन	
i	**कनेक्शन जारी करना**	30 दिन	
	मुआवजा	प्रतिदिन 100 रुपये	
ii	**मीटर का परीक्षण और प्रतिस्थापन**		
क	मीटर का परीक्षण	कस्बे और शहर-7 डी, ग्रामीण--15 डी	
	मुआवजा	रु. 100/दिन	
ख	मीटर का प्रतिस्थापन	7 डी (यदि डिस्कॉम जिम्मेदार है), अन्यथा 14 डी।	
	मुआवजा	रु. 100/दिन	
iii	**नेट मीटरिंग कनेक्शन जारी करना।**	7 दिन	
iv	**150 किलोवाट तक के नए कनेक्शनों के लिए पूर्व-निर्दिष्ट मांग शुल्क**	हां	
v	**आपूर्ति की गुणवत्ता**		
क	विनियमों में परिभाषित विश्वसनीयता सूचकांकों की पद्धति	हां	
ख	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सूचकांकों के लिए निर्दिष्ट लक्ष्य	नहीं	
ग	आरआई लक्ष्यों का अनुपालन न करने की स्थिति में मुआवजा	नहीं	
vi	**खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस-सब्सिडी में उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर्ष)**	नहीं	
4	**ऊर्जा संक्रमण**		
i	**हरित ऊर्जा खुली पहुंच (जीईओए)**		
क	हरित ऊर्जा खुली पहुंच की सीमा- 100 किलोवाट	हां	
ख	ग्रीन एच$_2$ और ग्रीन एनएच$_3$ के उत्पादन पर सीएसएस और एएस की छूट	हां	
ग	ऊर्जा परियोजनाओं अपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट	हां	
घ	हरित प्रशुल्क	हां	
ii	**आरपीओ लक्ष्य**		
क	वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्दिष्ट आरपीओ पथ	हां	
ख	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी)	हां	
ग	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार कुल निर्धारित आरपीओ	नहीं	
घ	आरपीओ में कमी के लिए निर्धारित जुर्माना	हां	
5	**विनियामक शासन**		
i	अधिकारियों की नियुक्ति के लिए निर्धारित विनियम	हां	
ii	विभिन्न समूहों - ए, बी, सी एंड डी में स्वीकृत पदों का विभाजन	हां	

*पैरामीटरों का विवरण संलग्न परिशिष्टों में दिया गया है।

चंडीगढ़

नियामकीय प्रदर्शन स्कोरकार्ड

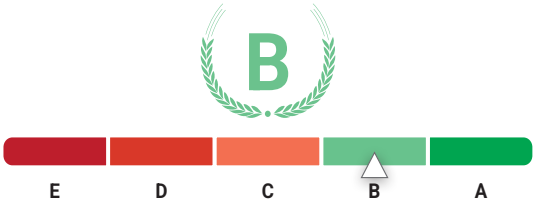

100 में से 74 अंक

विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)

i. संसाधन पर्याप्तता विनियमों का निर्माण	4/8
ii. विद्युत खरीद के लिए योजना रिजर्व मार्जिन को परिभाषित करना	5/5
iii. संसाधन पर्याप्तता योजना के लिए समय-सीमा	5/5
iv. संसाधन वकालत योजना का अनुपालन करने में विफलता के लिए गैर-अनुपालन प्रभार	4/4
v. एसटीयू की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना- एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	5/5
vi. डिस्कॉम की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	5/5

विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता
28/32

वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति

i. प्रशुल्क आदेशों का समय पर जारी करना	0/10
क. वित्त वर्ष 2025-26 का एआरआर	0/5
ख. वित वर्ष 2023-24 का ट्रू-अप	0/5
ii. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल्क	0/6
iii. अंतिम ट्रू अप के दौरान विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करना	4/4
iv. ईंधन और विद्युत खरीद लागत समायोजन अधिभार	5/5

वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति
9/25

जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना

i. कनेक्शन जारी करना	2/4
ii. मीटरों का परीक्षण और प्रतिस्थापन	4/6
iii. नेट मीटरिंग कनेक्शन जारी करना	2/2
iv. 150 किलोवाट तक के नए कनेक्शनों के लिए पूर्व-निर्धारित मांग प्रभार	3/3
v. आपूर्ति की गुणवत्ता	1/3
vi. खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस की उत्तरोतर कमी-(पिछले 5 वर्ष)	5/5

जीवन यापन में आसानी/ कारोबार करना
17/23

ऊर्जा संक्रमण

i. हरित ऊर्जा खुली पहुंच	6/6
क. हरित ऊर्जा खुली पहुंच की सीमा - 100 किलोवाट	3/3
ख. हरित एच$_2$ और हरित एनएच$_3$ के उत्पादन पर सीएसएस और एएस की छूट	1/1
ग. ऊर्जा परियोजनाओं के अपशिष्ट पर सीएसएस की छूट	1/1
घ. हरित प्रशुल्क	1/1
ii. आरपीओ लक्ष्य	9/9
क. वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्धारित आरपीओ पथ	2/2
ख. विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना 20.10.2023 के अनुार आर.पी.ओ. पथ (संचयी)	2/2
ग. विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना 20.10.2023 के अनुसार पूर्ण रूप में निर्धारित आरपीओ	3/3
घ. आर.पी.ओ. कमी के लिए निर्धारित दंड	2/2

ऊर्जा संक्रमण
15/15

विविनियामक शासन

i. अधिकारियों की नियुक्ति के निर्धारित विनियम	2.5/2.5
ii. विभिन्न समूहों- ए, बी, सी और डी में स्वीकृत पदों का विभाजन	2.5/2.5

विविनियामक शासन
5/5

	निष्पादन मापदंड	उत्तर
1	**विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)**	
i	संसाधन पर्याप्तता विनियमों का निर्माण	हां
ii	बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार्जिन को परिभाषित करना	हां
iii	संसाधन पर्याप्तता योजना के लिए समयसीमा	हां
iv	आरए योजना का अनुपालन करने में विफलता के लिए गैर-अनुपालन शुल्क	हां
v	एसटीयू की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	हां
vi	डिस्कॉम की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	हां
2	**डिस्कॉमों की वित्तीय स्थिति**	
i	**प्रशुल्क आदेश समय पर जारी करना**	सीपीडीएल
क	वित्त वर्ष 2025-26 का एआरआर	जारी नहीं किया गया
ख	वित्त वर्ष 2023-24 का ट्रू-अप	जारी नहीं किया गया
ii	**वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल्क**	
क	एबीआर-एसीएस (@ मौजूदा प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रशुल्क आदेश जारी नहीं किया गया
ख	संचयी राजस्व अंतराल को पूरा करने के लिए प्रशुल्क में वृद्धि (मौजूदा राजस्व का %)	
ग	एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)	
घ	एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशुल्क (करोड़ रु.)	
ड.	एआरआर के प्रतिशत के रूप में अंतर	
iii	**अंतिम ट्रू-अप के दौरान विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करना**	वित्त वर्ष 2021-22 तक कोई विनियामक परिसंपत्ति नहीं
iv	**ईंधन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)**	
क	एफपीपीएएस तंत्र मौजूद है या नहीं?	हां
ख	एफपीपीएएस के परिवर्तन की आवृत्ति (त्रैमासिक/मासिक)	मासिक
ग	एफपीपीएएस का स्वत: आगे लगना या नहीं	हां
घ	एफपीपीएएस का फार्मूला विद्युत मंत्रालय की नियमावली दिनांक 29/12/2022 का आशय पूरा करता है।	हां
3	**जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना**	डी: दिन
i	**कनेक्शन जारी करना**	मेट्रो-3 डी, शहरी-7 डी, ग्रामीण-15 डी, द्वीप-30 डी
	मुआवजा	नहीं
ii	**मीटर का परीक्षण और प्रतिस्थापन**	
क	मीटर का परीक्षण	30 दिनं
	मुआवजा	रु. 100/दिन
ख	मीटर का प्रतिस्थापन	15 दिन
	मुआवजा	प्रतिदिन 100 रुपये
iii	**नेट मीटरिंग कनेक्शन जारी करना।**	15 दिन
iv	**150 किलोवाट तक के नए कनेक्शनों के लिए पूर्व-निर्दिष्ट मांग शुल्क**	हां
v	**आपूर्ति की गुणवत्ता**	
क	विनियमों में परिभाषित विश्वसनीयता सूचकांकों की पद्धति	हां
ख	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सूचकांकों के लिए निर्दिष्ट लक्ष्य	नहीं
ग	आरआई लक्ष्यों का अनुपालन न करने की स्थिति में मुआवजा	नहीं
vi	खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस-सब्सिडी में उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर्ष)	हां
4	**ऊर्जा संक्रमण**	
i	**हरित ऊर्जा खुली पहुंच (जीईओए)**	
क	हरित ऊर्जा खुली पहुंच की सीमा- 100 किलोवाट	हां
ख	ग्रीन एच$_2$ और ग्रीन एनएच$_3$ के उत्पादन पर सीएसएस और एएस की छूट	हां
ग	ऊर्जा परियोजनाओं अपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट	हां
घ	हरित प्रशुल्क	हां
ii	**आरपीओ लक्ष्य**	
क	वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्दिष्ट आरपीओ पथ	हां
ख	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी)	हां
ग	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार कुल निर्धारित आरपीओ	हां
घ	आरपीओ में कमी के लिए निर्धारित जुर्माना	हां
5	**विनियामक शासन**	
i	अधिकारियों की नियुक्ति के लिए निर्धारित विनियम	हां
ii	विभिन्न समूहों - ए, बी, सी एंड डी में स्वीकृत पदों का विभाजन	हां

*पैरामीटरों का विवरण संलग्न परिशिष्टों में दिया गया है।

छत्तीसगढ़

नियामकीय प्रदर्शन स्कोरकार्ड

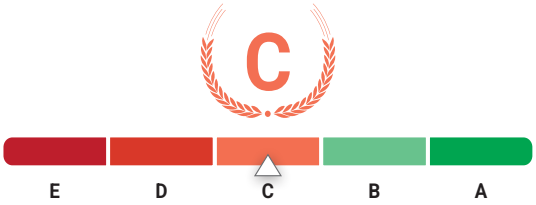

100 में से 52 अंक

विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)

विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता
10/32

i. संसाधन पर्याप्तता विनियमों का निर्माण	0/8
ii. विद्युत खरीद के लिए योजना रिजर्व मार्जिन को परिभाषित करना	0/5
iii. संसाधन पर्याप्तता योजना के लिए समय-सीमा	0/5
iv. संसाधन वकालत योजना का अनुपालन करने में विफलता के लिए गैर-अनुपालन प्रभार	0/4
v. एसटीयू की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना- एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	5/5
vi. डिस्कॉम की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	5/5

वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति

वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति
9/25

i. प्रशुल्क आदेशों का समय पर जारी करना	0/10
क. वित्त वर्ष 2025-26 का एआरआर	0/5
ख. वित वर्ष 2023-24 का टू-अप	0/5
ii. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल्क	0/6
iii. अंतिम टू अप के दौरान विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करना	4/4
iv. ईंधन और विद्युत खरीद लागत समायोजन अधिभार	5/5

जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना

जीवन यापन में आसानी/ कारोबार करना
21/23

i. कनेक्शन जारी करना	4/4
ii. मीटरों का परीक्षण और प्रतिस्थापन	6/6
iii. नेट मीटरिंग कनेक्शन जारी करना	0/2
iv. 150 किलोवाट तक के नए कनेक्शनों के लिए पूर्व-निर्धारित मांग प्रभार	3/3
v. आपूर्ति की गुणवत्ता	3/3
vi. खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस की उत्तरोतर कमी-(पिछले 5 वर्ष)	5/5

ऊर्जा संक्रमण

ऊर्जा संक्रमण
7/15

i. हरित ऊर्जा खुली पहुंच	1/6
क. हरित ऊर्जा खुली पहुंच की सीमा - 100 किलोवाट	0/3
ख. हरित एच$_2$ और हरित एनएच$_3$ के उत्पादन पर सीएसएस और एएस की छूट	0/1
ग. ऊर्जा परियोजनाओं के अपशिष्ट पर सीएसएस की छूट	0/1
घ. हरित प्रशुल्क	1/1
ii. आरपीओ लक्ष्य	6/9
क. वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्धारित आरपीओ पथ	2/2
ख. विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना 20.10.2023 के अनुार आर.पी.ओ. पथ (संचयी)	2/2
ग. विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना 20.10.2023 के अनुसार पूर्ण रूप में निर्धारित आरपीओ	0/3
घ. आर.पी.ओ. कमी के लिए निर्धारित दंड	2/2

विविनियामक शासन

विविनियामक शासन
5/5

i. अधिकारियों की नियुक्ति के निर्धारित विनियम	2.5/2.5
ii. विभिन्न समूहों- ए, बी, सी और डी में स्वीकृत पदों का विभाजन	2.5/2.5

	निष्पादन मापदंड	उत्तर
1	**विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)**	
i	संसाधन पर्याप्तता विनियमों का निर्माण	नहीं
ii	बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार्जिन को परिभाषित करना	नहीं
iii	संसाधन पर्याप्तता योजना के लिए समयसीमा	नहीं
iv	आरए योजना का अनुपालन करने में विफलता के लिए गैर-अनुपालन शुल्क	नहीं
v	एसटीयू की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	हां
vi	डिस्कॉम की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	हां
2	**डिस्कॉमों की वित्तीय स्थिति**	
i	**प्रशुल्क आदेश समय पर जारी करना**	
क	वित्त वर्ष 2025-26 का एआरआर	जारी नहीं किया गया
ख	वित्त वर्ष 2023-24 का ट्रू-अप	जारी नहीं किया गया
ii	**वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल्क**	**सीएसपीडीसीएल**
क	एबीआर-एसीएस (@ मौजूदा प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रशुल्क आदेश जारी नहीं किया गया
ख	संचयी राजस्व अंतराल को पूरा करने के लिए प्रशुल्क में वृद्धि (मौजूदा राजस्व का %)	
ग	एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)	
घ	एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशुल्क (करोड़ रु.)	
ड.	एआरआर के प्रतिशत के रूप में अंतर	
iii	**अंतिम ट्रू-अप के दौरान विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करना**	वित्त वर्ष 2022-23 तक कोई विनियामक परिसंपत्ति नहीं
iv	**ईंधन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)**	
क	एफपीपीएएस तंत्र मौजूद है या नहीं?	हां
ख	एफपीपीएएस के परिवर्तन की आवृत्ति (त्रैमासिक/मासिक)	मासिक
ग	एफपीपीएएस का स्वत: आगे लगना या नहीं	हां
घ	एफपीपीएएस का फार्मूला विद्युत मंत्रालय की नियमावली दिनांक 29/12/2022 का आशय पूरा करता है।	हां
3	**जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना**	डी: दिन
i	**कनेक्शन जारी करना**	एलटी(कृषि को छोड़कर): शहरी-7 डी, ग्रामीण-15 डी, एलटी कृषि : 90 डी, एचटी: 90 डी
	मुआवजा	500 रु./दिन
ii	**मीटर का परीक्षण और प्रतिस्थापन**	
क	मीटर का परीक्षण	श्रेणी-क शहर-4 दिन, शहरी-7 दिन, ग्रामीण-12 दिन
	मुआवजा	रु. 500/दिन
ख	मीटर का प्रतिस्थापन	श्रेणी क शहर और शहरी : 24 घंटे, ग्रामीण: 72 घंटे
	मुआवजा	प्रतिदिन 500 रुपये
iii	**नेट मीटरिंग कनेक्शन जारी करना।**	22 दिन
iv	**150 किलोवाट तक के नए कनेक्शनों के लिए पूर्व-निर्दिष्ट मांग शुल्क**	हां
v	**आपूर्ति की गुणवत्ता**	
क	विनियमों में परिभाषित विश्वसनीयता सूचकांकों की पद्धति	हां
ख	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सूचकांकों के लिए निर्दिष्ट लक्ष्य	हां
ग	आरआई लक्ष्यों का अनुपालन न करने की स्थिति में मुआवजा	हां
vi	**खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस-सब्सिडी में उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर्ष)**	हां
4	**ऊर्जा संक्रमण**	
i	**हरित ऊर्जा खुली पहुंच (जीईओए)**	
क	हरित ऊर्जा खुली पहुंच की सीमा- 100 किलोवाट	नहीं
ख	ग्रीन एच$_2$ और ग्रीन एनएच$_3$ के उत्पादन पर सीएसएस और एएस की छूट	नहीं
ग	ऊर्जा परियोजनाओं अपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट	नहीं
घ	हरित प्रशुल्क	हां
ii	**आरपीओ लक्ष्य**	
क	वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्दिष्ट आरपीओ पथ	हां
ख	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी)	हां
ग	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार कुल निर्धारित आरपीओ	नहीं
घ	आरपीओ में कमी के लिए निर्धारित जुर्माना	हां
5	**विनियामक शासन**	
i	अधिकारियों की नियुक्ति के लिए निर्धारित विनियम	हां
ii	विभिन्न समूहों - ए, बी, सी एंड डी में स्वीकृत पदों का विभाजन	हां

*पैरामीटरों का विवरण संलग्न परिशिष्टों में दिया गया है।

दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव

नियामकीय प्रदर्शन स्कोरकार्ड

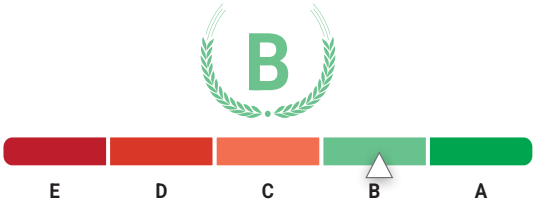

100 में से 74 अंक

विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)

i. संसाधन पर्याप्तता विनियमों का निर्माण	4/8
ii. विद्युत खरीद के लिए योजना रिजर्व मार्जिन को परिभाषित करना	5/5
iii. संसाधन पर्याप्तता योजना के लिए समय-सीमा	5/5
iv. संसाधन वकालत योजना का अनुपालन करने में विफलता के लिए गैर-अनुपालन प्रभार	4/4
v. एसटीयू की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना- एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	5/5
vi. डिस्कॉम की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	5/5

विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता
28/32

वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति

i. प्रशुल्क आदेशों का समय पर जारी करना	0/10
क. वित्त वर्ष 2025-26 का एआरआर	0/5
ख. वित वर्ष 2023-24 का टू-अप	0/5
ii. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल्क	0/6
iii. अंतिम टू अप के दौरान विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करना	4/4
iv. ईंधन और विद्युत खरीद लागत समायोजन अधिभार	5/5

वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति
9/25

जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना

i. कनेक्शन जारी करना	2/4
ii. मीटरों का परीक्षण और प्रतिस्थापन	4/6
iii. नेट मीटरिंग कनेक्शन जारी करना	2/2
iv. 150 किलोवाट तक के नए कनेक्शनों के लिए पूर्व-निर्धारित मांग प्रभार	3/3
v. आपूर्ति की गुणवत्ता	1/3
vi. खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस की उत्तरोतर कमी-(पिछले 5 वर्ष)	5/5

जीवन यापन में आसानी/ कारोबार करना
17/23

ऊर्जा संक्रमण

i. हरित ऊर्जा खुली पहुंच	6/6
क. हरित ऊर्जा खुली पहुंच की सीमा - 100 किलोवाट	3/3
ख. हरित एच$_2$ और हरित एनएच$_3$ के उत्पादन पर सीएसएस और एएस की छूट	1/1
ग. ऊर्जा परियोजनाओं के अपशिष्ट पर सीएसएस की छूट	1/1
घ. हरित प्रशुल्क	1/1
ii. आरपीओ लक्ष्य	9/9
क. वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्धारित आरपीओ पथ	2/2
ख. विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना 20.10.2023 के अनुार आर.पी.ओ. पथ (संचयी)	2/2
ग. विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना 20.10.2023 के अनुसार पूर्ण रूप में निर्धारित आरपीओ	3/3
घ. आर.पी.ओ. कमी के लिए निर्धारित दंड	2/2

ऊर्जा संक्रमण
15/15

विविनियामक शासन

i. अधिकारियों की नियुक्ति के निर्धारित विनियम	2.5/2.5
ii. विभिन्न समूहों- ए, बी, सी और डी में स्वीकृत पदों का विभाजन	2.5/2.5

विविनियामक शासन
5/5

	निष्पादन मापदंड	उत्तर
1	**विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)**	
i	संसाधन पर्याप्तता विनियमों का निर्माण	हां
ii	बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार्जिन को परिभाषित करना	हां
iii	संसाधन पर्याप्तता योजना के लिए समयसीमा	हां
iv	आरए योजना का अनुपालन करने में विफलता के लिए गैर-अनुपालन शुल्क	हां
v	एसटीयू की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	हां
vi	डिस्कॉम की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	हां
2	**डिस्कॉमों की वित्तीय स्थिति**	
i	**प्रशुल्क आदेश समय पर जारी करना**	**डीएनएचडीडीपीडीसीएल**
क	वित्त वर्ष 2025-26 का एआरआर	जारी नहीं किया गया
ख	वित्त वर्ष 2023-24 का ट्रू-अप	जारी नहीं किया गया
ii	**वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल्क**	
क	एबीआर-एसीएस (@ मौजूदा प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)	वित्त वर्ष2025-26 के लिए प्रशुल्क आदेश जारी नहीं किया गया है।
ख	संचयी राजस्व अंतराल को पूरा करने के लिए प्रशुल्क में वृद्धि (मौजूदा राजस्व का %)	
ग	एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)	
घ	एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशुल्क (करोड़ रु.)	
ड.	एआरआर के प्रतिशत के रूप में अंतर	
iii	**अंतिम ट्रू-अप के दौरान विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करना**	वित्त वर्ष 2022-23 तक कोई विनियामक परिसंपत्ति नहीं
iv	**ईंधन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)**	
क	एफपीपीएएस तंत्र मौजूद है या नहीं?	हां
ख	एफपीपीएएस के परिवर्तन की आवृत्ति (त्रैमासिक/मासिक)	मासिक
ग	एफपीपीएएस का स्वत: आगे लगना या नहीं	हां
घ	एफपीपीएएस का फार्मूला विद्युत मंत्रालय की नियमावली दिनांक 29/12/2022 का आशय पूरा करता है।	हां
3	**जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना**	डी: दिन
i	कनेक्शन जारी करना	मेट्रो- 3 डी, शहर- 7 डी, ग्रामीण- 15 डी, द्वीप समूह- 30 डी
	मुआवजा	नहीं
ii	**मीटर का परीक्षण और प्रतिस्थापन**	
क	मीटर का परीक्षण	30 दिन
	मुआवजा	रु. 100/दिन
ख	मीटर का प्रतिस्थापन	15 दिन
	मुआवजा	प्रतिदिन 100 रुपये
iii	**नेट मीटरिंग कनेक्शन जारी करना।**	15 दिन
iv	**150 किलोवाट तक के नए कनेक्शनों के लिए पूर्व-निर्दिष्ट मांग शुल्क**	हां
v	**आपूर्ति की गुणवत्ता**	
क	विनियमों में परिभाषित विश्वसनीयता सूचकांकों की पद्धति	हां
ख	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सूचकांकों के लिए निर्दिष्ट लक्ष्य	नहीं
ग	आरआई लक्ष्यों का अनुपालन न करने की स्थिति में मुआवजा	नहीं
vi	**खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस-सब्सिडी में उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर्ष)**	हां
4	**ऊर्जा संक्रमण**	
i	**हरित ऊर्जा खुली पहुंच (जीईओए)**	
क	हरित ऊर्जा खुली पहुंच की सीमा- 100 किलोवाट	हां
ख	ग्रीन एच$_2$ और ग्रीन एनएच$_3$ के उत्पादन पर सीएसएस और एएस की छूट	हां
ग	ऊर्जा परियोजनाओं अपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट	हां
घ	हरित प्रशुल्क	हां
ii	**आरपीओ लक्ष्य**	
क	वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्दिष्ट आरपीओ पथ	हां
ख	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी)	हां
ग	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार कुल निर्धारित आरपीओ	हां
घ	आरपीओ में कमी के लिए निर्धारित जुर्माना	हां
5	**विनियामक शासन**	
i	अधिकारियों की नियुक्ति के लिए निर्धारित विनियम	हां
ii	विभिन्न समूहों - ए, बी, सी एंड डी में स्वीकृत पदों का विभाजन	हां

*पैरामीटरों का विवरण संलग्न परिशिष्टों में दिया गया है।

दिल्ली

नियामकीय प्रदर्शन स्कोरकार्ड

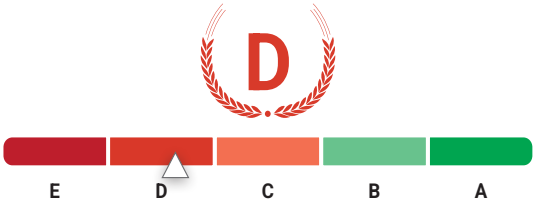

100 में से 40.5 अंक

विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)

i. संसाधन पर्याप्तता विनियमों का निर्माण	0/8
ii. विद्युत खरीद के लिए योजना रिजर्व मार्जिन को परिभाषित करना	0/5
iii. संसाधन पर्याप्तता योजना के लिए समय-सीमा	0/5
iv. संसाधन वकालत योजना का अनुपालन करने में विफलता के लिए गैर-अनुपालन प्रभार	0/4
v. एसटीयू की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना- एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	5/5
vi. डिस्कॉम की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	5/5

विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता
10/32

वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति

i. प्रशुल्क आदेशों का समय पर जारी करना	0/10
क. वित्त वर्ष 2025-26 का एआरआर	0/5
ख. वित वर्ष 2023-24 का टू-अप	0/5
ii. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल्क	0/6
iii. अंतिम टू अप के दौरान विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करना	0/4
iv. ईंधन और विद्युत खरीद लागत समायोजन अधिभार	3.5/5

वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति
3.5/25

जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना

i. कनेक्शन जारी करना	4/4
ii. मीटरों का परीक्षण और प्रतिस्थापन	3/6
iii. नेट मीटरिंग कनेक्शन जारी करना	2/2
iv. 150 किलोवाट तक के नए कनेक्शनों के लिए पूर्व-निर्धारित मांग प्रभार	3/3
v. आपूर्ति की गुणवत्ता	1/3
vi. खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस की उत्तरोतर कमी-(पिछले 5 वर्ष)	0/5

जीवन यापन में आसानी/ कारोबार करना
13/23

ऊर्जा संक्रमण

i. हरित ऊर्जा खुली पहुंच	5/6
क. हरित ऊर्जा खुली पहुंच की सीमा - 100 किलोवाट	3/3
ख. हरित एच$_2$ और हरित एनएच$_3$ के उत्पादन पर सीएसएस और एएस की छूट	1/1
ग. ऊर्जा परियोजनाओं के अपशिष्ट पर सीएसएस की छूट	1/1
घ. हरित प्रशुल्क	0/1
ii. आरपीओ लक्ष्य	4/9
क. वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्धारित आरपीओ पथ	0/2
ख. विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना 20.10.2023 के अनुार आर.पी.ओ. पथ (संचयी)	2/2
ग. विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना 20.10.2023 के अनुसार पूर्ण रूप में निर्धारित आरपीओ	0/3
घ. आर.पी.ओ. कमी के लिए निर्धारित दंड	2/2

ऊर्जा संक्रमण
9/15

विविनियामक शासन

i. अधिकारियों की नियुक्ति के निर्धारित विनियम	2.5/2.5
ii. विभिन्न समूहों- ए, बी, सी और डी में स्वीकृत पदों का विभाजन	2.5/2.5

विविनियामक शासन
5/5

	निष्पादन मापदंड	उत्तर		
1	**विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)**			
i	संसाधन पर्याप्तता विनियमों का निर्माण	नहीं		
ii	बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार्जिन को परिभाषित करना	नहीं		
iii	संसाधन पर्याप्तता योजना के लिए समयसीमा	नहीं		
iv	आरए योजना का अनुपालन करने में विफलता के लिए गैर-अनुपालन शुल्क	नहीं		
v	एसटीयू की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	हां		
vi	डिस्कॉम की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	हां		
2	**डिस्कॉमों की वित्तीय स्थिति**			
i	**प्रशुल्क आदेश समय पर जारी करना**			
क	वित्त वर्ष 2025-26 का एआरआर	जारी नहीं किया गया		
ख	वित्त वर्ष 2023-24 का ट्रू-अप	जारी नहीं किया गया		
ii	**वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल्क**	बीआरपीएल	बीवाईपीएल	टीपीपीडीएल
क	एबीआर-एसीएस (@ मौजूदा प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रशुल्क आदेश जारी नहीं किया गया		
ख	संचयी राजस्व अंतराल को पूरा करने के लिए प्रशुल्क में वृद्धि (मौजूदा राजस्व का %)			
ग	एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)			
घ	एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशुल्क (करोड़ रु.)			
ड.	एआरआर के प्रतिशत के रूप में अंतर			
iii	**अंतिम ट्रू-अप के दौरान विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करना**	12,994 करोड़ रु.	8,419 करोड़ रु.	5,788 करोड़ रु.
iv	**ईंधन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)**			
क	एफपीपीएएस तंत्र मौजूद है या नहीं?	हां		
ख	एफपीपीएएस के परिवर्तन की आवृत्ति (त्रैमासिक/मासिक)	त्रैमासिक		
ग	एफपीपीएएस का स्वत: आगे लगना या नहीं	हां		
d	एफपीपीएएस का फार्मूला विद्युत मंत्रालय की नियमावली दिनांक 29/12/2022 का आशय पूरा करता है।	नहीं		
3	**जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना**	डी: दिन		
i	**कनेक्शन जारी करना**	मेट्रो- 3 डी, शहरी-7 डी, ग्रामीण-15 डी		
	मुआवजा	प्रतिदिन चूक पर मांग प्रभारों का 1.5%		
ii	**मीटर का परीक्षण और प्रतिस्थापन**			
क	मीटर का परीक्षण	15 दिन		
	मुआवजा	नहीं		
ख	मीटर का प्रतिस्थापन	जला हुआ या चोरी किया गया: 3 दिन		
	मुआवजा	50 रु. /दिन		
iii	**नेट मीटरिंग कनेक्शन जारी करना।**	15 दिन		
iv	**150 किलोवाट तक के नए कनेक्शनों के लिए पूर्व-निर्दिष्ट मांग शुल्क**	हां		
v	**आपूर्ति की गुणवत्ता**			
क	विनियमों में परिभाषित विश्वसनीयता सूचकांकों की पद्धति	हां		
ख	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सूचकांकों के लिए निर्दिष्ट लक्ष्य	नहीं		
ग	आरआई लक्ष्यों का अनुपालन न करने की स्थिति में मुआवजा	नहीं		
vi	**खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस-सब्सिडी में उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर्ष)**	नहीं		
4	**ऊर्जा संक्रमण**			
i	हरित ऊर्जा खुली पहुंच (जीईओए)			
क	हरित ऊर्जा खुली पहुंच की सीमा- 100 किलोवाट	हां		
ख	ग्रीन एच$_2$ और ग्रीन एनएच$_3$ के उत्पादन पर सीएसएस और एएस की छूट	हां		
ग	ऊर्जा परियोजनाओं अपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट	हां		
घ	हरित प्रशुल्क	नहीं		
ii	**आरपीओ लक्ष्य**			
क	वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्दिष्ट आरपीओ पथ	नहीं		
ख	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी)	हां		
ग	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार कुल निर्धारित आरपीओ	नहीं		
घ	आरपीओ में कमी के लिए निर्धारित जुर्माना	हां		
5	**विनियामक शासन**			
i	अधिकारियों की नियुक्ति के लिए निर्धारित विनियम	हां		
ii	विभिन्न समूहों - ए, बी, सी एंड डी में स्वीकृत पदों का विभाजन	हां		

*पैरामीटरों का विवरण संलग्न परिशिष्टों में दिया गया है।

गोवा

नियामकीय प्रदर्शन स्कोरकार्ड

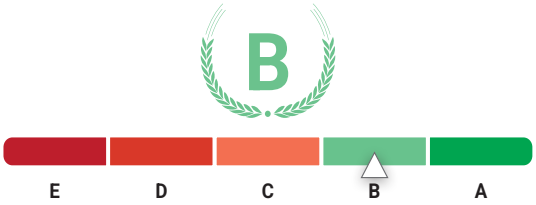

100 में से 71 अंक

विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)

i. संसाधन पर्याप्तता विनियमों का निर्माण	4/8
ii. विद्युत खरीद के लिए योजना रिजर्व मार्जिन को परिभाषित करना	5/5
iii. संसाधन पर्याप्तता योजना के लिए समय-सीमा	5/5
iv. संसाधन वकालत योजना का अनुपालन करने में विफलता के लिए गैर-अनुपालन प्रभार	4/4
v. एसटीयू की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना- एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	5/5
vi. डिस्कॉम की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	5/5

विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता
28/32

वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति

i. प्रशुल्क आदेशों का समय पर जारी करना	0/10
क. वित्त वर्ष 2025-26 का एआरआर	0/5
ख. वित वर्ष 2023-24 का टू-अप	0/5
ii. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल्क	0/6
iii. अंतिम टू अप के दौरान विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करना	4/4
iv. ईंधन और विद्युत खरीद लागत समायोजन अधिभार	5/5

वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति
9/25

जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना

i. कनेक्शन जारी करना	2/4
ii. मीटरों का परीक्षण और प्रतिस्थापन	4/6
iii. नेट मीटरिंग कनेक्शन जारी करना	2/2
iv. 150 किलोवाट तक के नए कनेक्शनों के लिए पूर्व-निर्धारित मांग प्रभार	0/3
v. आपूर्ति की गुणवत्ता	1/3
vi. खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस की उत्तरोतर कमी-(पिछले 5 वर्ष)	5/5

जीवन यापन में आसानी/ कारोबार करना
14/23

ऊर्जा संक्रमण

i. हरित ऊर्जा खुली पहुंच	6/6
क. हरित ऊर्जा खुली पहुंच की सीमा - 100 किलोवाट	3/3
ख. हरित एच$_2$ और हरित एनएच$_3$ के उत्पादन पर सीएसएस और एएस की छूट	1/1
ग. ऊर्जा परियोजनाओं के अपशिष्ट पर सीएसएस की छूट	1/1
घ. हरित प्रशुल्क	1/1
ii. आरपीओ लक्ष्य	9/9
क. वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्धारित आरपीओ पथ	2/2
ख. विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना 20.10.2023 के अनुार आर.पी.ओ. पथ (संचयी)	2/2
ग. विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना 20.10.2023 के अनुसार पूर्ण रूप में निर्धारित आरपीओ	3/3
घ. आर.पी.ओ. कमी के लिए निर्धारित दंड	2/2

ऊर्जा संक्रमण
15/15

विविनियामक शासन

i. अधिकारियों की नियुक्ति के निर्धारित विनियम	2.5/2.5
ii. विभिन्न समूहों- ए, बी, सी और डी में स्वीकृत पदों का विभाजन	2.5/2.5

विविनियामक शासन
5/5

	निष्पादन मापदंड	उत्तर
1	**विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)**	
i	संसाधन पर्याप्तता विनियमों का निर्माण	हां
ii	बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार्जिन को परिभाषित करना	हां
iii	संसाधन पर्याप्तता योजना के लिए समयसीमा	हां
iv	आरए योजना का अनुपालन करने में विफलता के लिए गैर-अनुपालन शुल्क	हां
v	एसटीयू की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	हां
vi	डिस्कॉम की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	हां
2	**डिस्कॉमों की वित्तीय स्थिति**	
i	**प्रशुल्क आदेश समय पर जारी करना**	ईडी-गोवा
क	वित्त वर्ष 2025-26 का एआरआर	जारी नहीं किया गया
ख	वित्त वर्ष 2023-24 का ट्रू-अप	जारी नहीं किया गया
ii	**वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल्क**	
क	एबीआर-एसीएस (@ मौजूदा प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रशुल्क आदेश जारी नहीं किया गया
ख	संचयी राजस्व अंतराल को पूरा करने के लिए प्रशुल्क में वृद्धि (मौजूदा राजस्व का %)	
ग	एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)	
घ	एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशुल्क (करोड़ रु.)	
ड.	एआरआर के प्रतिशत के रूप में अंतर	
iii	**अंतिम ट्रू-अप के दौरान विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करना**	वित्त वर्ष 2022-23 तक कोई विनियामक परिसंपत्ति नहीं
iv	**ईंधन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)**	
क	एफपीपीएएस तंत्र मौजूद है या नहीं?	हां
ख	एफपीपीएएस के परिवर्तन की आवृत्ति (त्रैमासिक/मासिक)	मासिक
ग	एफपीपीएएस का स्वत: आगे लगना या नहीं	हां
घ	एफपीपीएएस का फार्मूला विद्युत मंत्रालय की नियमावली दिनांक 29/12/2022 का आशय पूरा करता है।	हां
3	**जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना**	डी: दिन
i	**कनेक्शन जारी करना**	मेट्रो- 3 डी, शहर- 7 डी, ग्रामीण- 15 डी, द्वीप समूह- 30 डी
	मुआवजा	नहीं
ii	**मीटर का परीक्षण और प्रतिस्थापन**	
क	मीटर का परीक्षण	30 दिन
	मुआवजा	प्रतिदिन 100 रुपये
ख	मीटर का प्रतिस्थापन	15 दिन
	मुआवजा	रु. 100/दिन
iii	**नेट मीटरिंग कनेक्शन जारी करना।**	15 दिन
iv	**150 किलोवाट तक के नए कनेक्शनों के लिए पूर्व-निर्दिष्ट मांग शुल्क**	नहीं
v	**आपूर्ति की गुणवत्ता**	
क	विनियमों में परिभाषित विश्वसनीयता सूचकांकों की पद्धति	हां
ख	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सूचकांकों के लिए निर्दिष्ट लक्ष्य	नहीं
ग	आरआई लक्ष्यों का अनुपालन न करने की स्थिति में मुआवजा	नहीं
vi	**खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस-सब्सिडी में उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर्ष)**	हां
4	**ऊर्जा संक्रमण**	
i	**हरित ऊर्जा खुली पहुंच (जीईओए)**	
क	हरित ऊर्जा खुली पहुंच की सीमा- 100 किलोवाट	हां
ख	ग्रीन एच$_2$ और ग्रीन एनएच$_3$ के उत्पादन पर सीएसएस और एएस की छूट	हां
ग	ऊर्जा परियोजनाओं अपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट	हां
घ	हरित प्रशुल्क	हां
ii	**आरपीओ लक्ष्य**	
क	वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्दिष्ट आरपीओ पथ	हां
ख	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी)	हां
ग	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार कुल निर्धारित आरपीओ	हां
घ	आरपीओ में कमी के लिए निर्धारित जुर्माना	हां
5	**विनियामक शासन**	
i	अधिकारियों की नियुक्ति के लिए निर्धारित विनियम	हां
ii	विभिन्न समूहों - ए, बी, सी एंड डी में स्वीकृत पदों का विभाजन	हां

*पैरामीटरों का विवरण संलग्न परिशिष्टों में दिया गया है।

गुजरात

नियामकीय प्रदर्शन स्कोरकार्ड

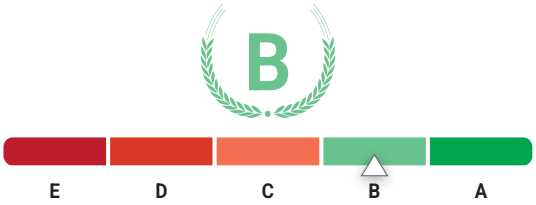

100 में से 71 अंक

विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)

विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता
10/32

i. संसाधन पर्याप्तता विनियमों का निर्माण	0/8
ii. विद्युत खरीद के लिए योजना रिजर्व मार्जिन को परिभाषित करना	0/5
iii. संसाधन पर्याप्तता योजना के लिए समय-सीमा	0/5
iv. संसाधन वकालत योजना का अनुपालन करने में विफलता के लिए गैर-अनुपालन प्रभार	0/4
v. एसटीयू की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना- एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	5/5
vi. डिस्कॉम की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	5/5

वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति

वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति
25/25

i. प्रशुल्क आदेशों का समय पर जारी करना	10/10
क. वित्त वर्ष 2025-26 का एआरआर	5/5
ख. वित वर्ष 2023-24 का टू-अप	5/5
ii. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल्क	6/6
iii. अंतिम टू अप के दौरान विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करना	4/4
iv. ईंधन और विद्युत खरीद लागत समायोजन अधिभार	5/5

जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना

जीवन यापन में आसानी/ कारोबार करना
17/23

i. कनेक्शन जारी करना	4/4
ii. मीटरों का परीक्षण और प्रतिस्थापन	6/6
iii. नेट मीटरिंग कनेक्शन जारी करना	2/2
iv. 150 किलोवाट तक के नए कनेक्शनों के लिए पूर्व-निर्धारित मांग प्रभार	3/3
v. आपूर्ति की गुणवत्ता	2/3
vi. खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस की उत्तरोतर कमी-(पिछले 5 वर्ष)	0/5

ऊर्जा संक्रमण

ऊर्जा संक्रमण
14/15

i. हरित ऊर्जा खुली पहुंच	5/6
क. हरित ऊर्जा खुली पहुंच की सीमा - 100 किलोवाट	3/3
ख. हरित एच$_2$ और हरित एनएच$_3$ के उत्पादन पर सीएसएस और एएस की छूट	0/1
ग. ऊर्जा परियोजनाओं के अपशिष्ट पर सीएसएस की छूट	1/1
घ. हरित प्रशुल्क	1/1
ii. आरपीओ लक्ष्य	9/9
क. वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्धारित आरपीओ पथ	2/2
ख. विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना 20.10.2023 के अनुार आर.पी.ओ. पथ (संचयी)	2/2
ग. विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना 20.10.2023 के अनुसार पूर्ण रूप में निर्धारित आरपीओ	3/3
घ. आर.पी.ओ. कमी के लिए निर्धारित दंड	2/2

विविनियामक शासन

विविनियामक शासन
5/5

i. अधिकारियों की नियुक्ति के निर्धारित विनियम	2.5/2.5
ii. विभिन्न समूहों- ए, बी, सी और डी में स्वीकृत पदों का विभाजन	2.5/2.5

	निष्पादन मापदंड	उत्तर					
1	**विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)**						
i	संसाधन पर्याप्तता विनियमों का निर्माण	नहीं					
ii	बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार्जिन को परिभाषित करना	नहीं					
iii	संसाधन पर्याप्तता योजना के लिए समयसीमा	नहीं					
iv	आरए योजना का अनुपालन करने में विफलता के लिए गैर-अनुपालन शुल्क	नहीं					
v	एसटीयू की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	हां					
vi	डिस्कॉम की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	हां					
2	**डिस्कॉमों की वित्तीय स्थिति**						
i	**प्रशुल्क आदेश समय पर जारी करना**						
क	वित्त वर्ष 2025-26 का एआरआर	31-मार्च-2025					
ख	वित्त वर्ष 2023-24 का ट्रू-अप	31-मार्च-2025					
ii	**वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल्क**	**डीजीवी सीएल**	**एमजीवी सीएल**	**पीजीवी सीएल**	**यूजीवी सीएल**	**टीपी एल-ए**	**टीपीएल-एस**
क	एबीआर-एसीएस (@ मौजूदा प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)	0.802	0.832	0.893	0.828	0.001	0.004
ख	संचयी राजस्व अंतराल को पूरा करने के लिए प्रशुल्क में वृद्धि (मौजूदा राजस्व का %)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ग	एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)	0.802	0.832	0.893	0.828	0.001	0.004
घ	एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशुल्क (करोड़ रु.)	2665	1173	3577	2567	1	2
ड.	एआरआर के प्रतिशत के रूप में अंतर	कोई अंतर नहीं	कोई अंतर नहीं	कोई अंतर नहीं	कोई अंतर नहीं	कोई अंतर नहीं	कोई अंतर नहीं
iii	**अंतिम ट्रू-अप के दौरान विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करना**	वित्त वर्ष 2023-24 तक कोई विनियामक परिसंपत्तियां नहीं हैं।					
iv	**ईंधन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)**						
क	एफपीपीएएस तंत्र मौजूद है या नहीं?	हां					
ख	एफपीपीएएस के परिवर्तन की आवृत्ति (त्रैमासिक/मासिक)	मासिक					
ग	एफपीपीएएस का स्वत: आगे लगना या नहीं	हां					
d	एफपीपीएएस का फार्मूला विद्युत मंत्रालय की नियमावली दिनांक 29/12/2022 का आशय पूरा करता है।	हां					
3	**जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना**	डी: दिन					
i	**कनेक्शन जारी करना**	शहरी-7 डी, ग्रामीण-10 डी					
	मुआवजा	रु. 50/दिन					
ii	**मीटर का परीक्षण और प्रतिस्थापन**						
क	मीटर का परीक्षण	शहरी-7 डी, ग्रामीण-15 डी					
	मुआवजा	एलटी- रु. 25, एचटी- रु. 250					
ख	मीटर का प्रतिस्थापन	शहरी-24 घंटे, ग्रामीण-72 घंटे					
	मुआवजा	एलटी- रु. 25, एचटी- रु. 250					
iii	**नेट मीटरिंग कनेक्शन जारी करना।**	15 दिन					
iv	**150 किलोवाट तक के नए कनेक्शनों के लिए पूर्व-निर्दिष्ट मांग शुल्क**	हां					
v	**आपूर्ति की गुणवत्ता**						
क	विनियमों में परिभाषित विश्वसनीयता सूचकांकों की पद्धति	हां					
ख	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सूचकांकों के लिए निर्दिष्ट लक्ष्य	नहीं					
ग	आरआई लक्ष्यों का अनुपालन न करने की स्थिति में मुआवजा	हां					
vi	**खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस-सब्सिडी में उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर्ष)**	नहीं					
4	**ऊर्जा संक्रमण**						
i	**हरित ऊर्जा खुली पहुंच (जीईओए)**						
क	हरित ऊर्जा खुली पहुंच की सीमा- 100 किलोवाट	हां					
ख	ग्रीन एच$_2$ और ग्रीन एनएच$_3$ के उत्पादन पर सीएसएस और एएस की छूट	नहीं					
ग	ऊर्जा परियोजनाओं अपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट	हां					
घ	हरित प्रशुल्क	हां					
ii	**आरपीओ लक्ष्य**						
क	वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्दिष्ट आरपीओ पथ	हां					
ख	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी)	हां					
ग	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार कुल निर्धारित आरपीओ	हां					
घ	आरपीओ में कमी के लिए निर्धारित जुर्माना	हां					
5	**विनियामक शासन**						
i	अधिकारियों की नियुक्ति के लिए निर्धारित विनियम	हां					
ii	विभिन्न समूहों - ए, बी, सी एंड डी में स्वीकृत पदों का विभाजन	हां					

*पैरामीटरों का विवरण संलग्न परिशिष्टों में दिया गया है।

हरियाणा

नियामकीय प्रदर्शन स्कोरकार्ड

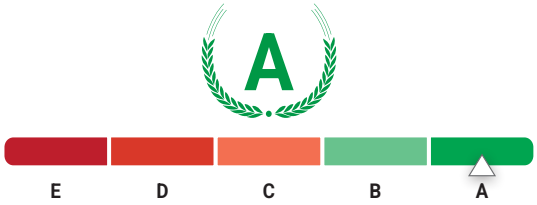

100 में से 88.5 अंक

विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)

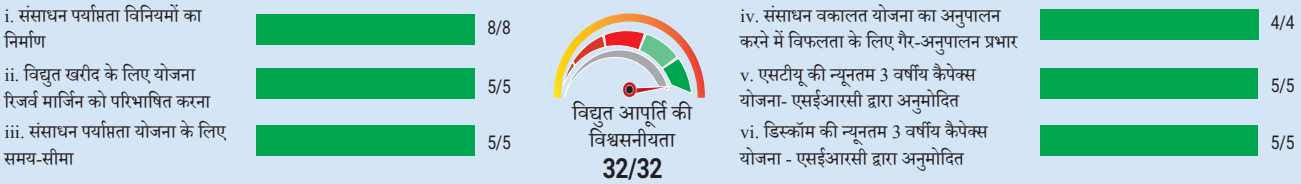

वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति

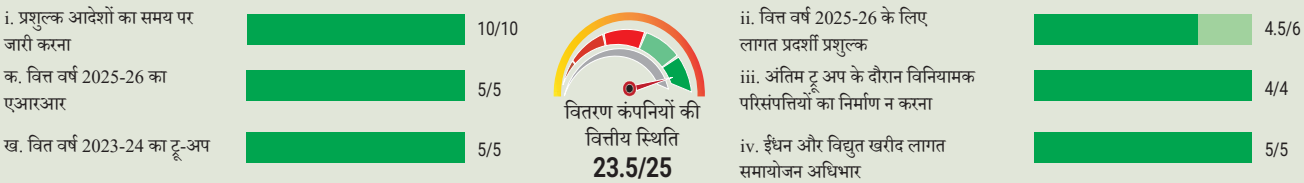

जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना

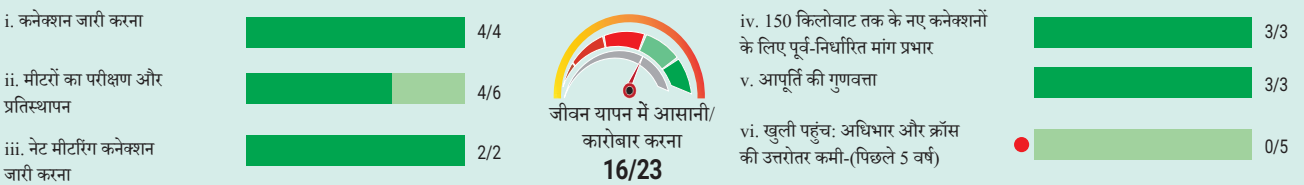

ऊर्जा संक्रमण

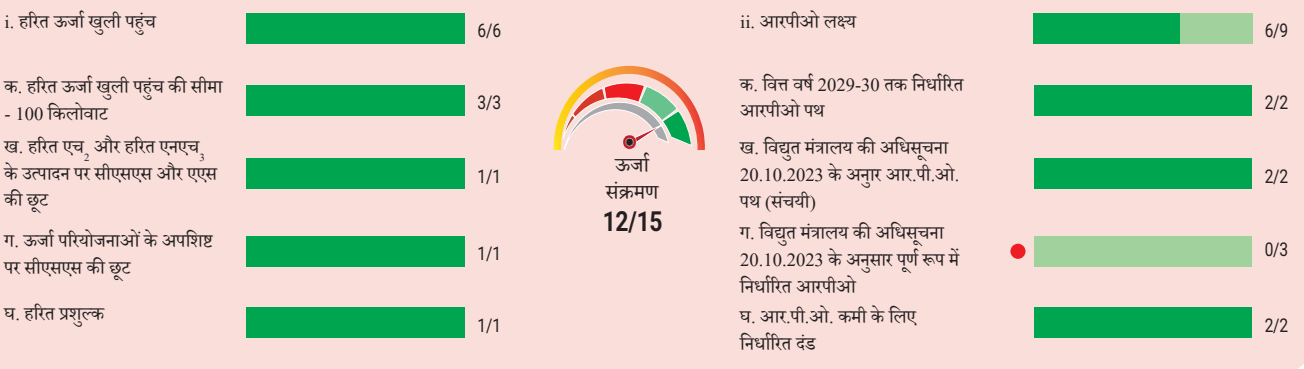

विविनियामक शासन

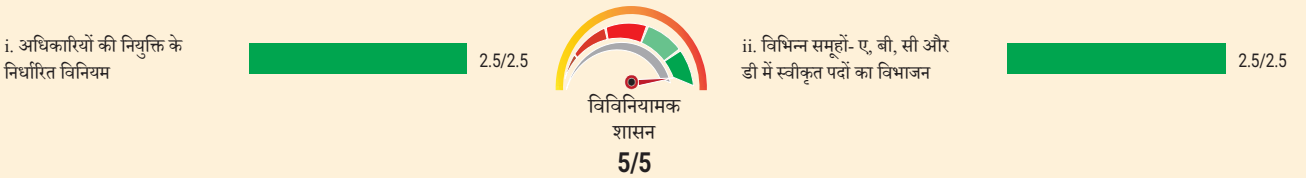

	निष्पादन मापदंड	उत्तर	
1	**विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)**		
i	संसाधन पर्याप्तता विनियमों का निर्माण	हां	
ii	बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार्जिन को परिभाषित करना	हां	
iii	संसाधन पर्याप्तता योजना के लिए समयसीमा	हां	
iv	आरए योजना का अनुपालन करने में विफलता के लिए गैर-अनुपालन शुल्क	हां	
v	एसटीयू की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	हां	
vi	डिस्कॉम की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	हां	
2	**डिस्कॉमों की वित्तीय स्थिति**		
i	**प्रशुल्क आदेश समय पर जारी करना**		
क	वित्त वर्ष 2025-26 का एआरआर	28-मार्च-2025	
ख	वित्त वर्ष 2023-24 का ट्रू-अप	28-मार्च-2025	
ii	**वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल्क**	**यूएचबीवीएनएल**	**डीएचबीवीएनएल**
क	एबीआर-एसीएस (@ मौजूदा प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)	(0.76)	(0.55)
ख	संचयी राजस्व अंतराल को पूरा करने के लिए प्रशुल्क में वृद्धि (मौजूदा राजस्व का %)	7.88%	7.88%
ग	एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)	(0.12)	0.09
घ	एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशुल्क (करोड़ रु.)	(312)	312
ड.	एआरआर के प्रतिशत के रूप में अंतर	1.61%	कोई अंतर नहीं
iii	**अंतिम ट्रू-अप के दौरान विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करना**	वित्त वर्ष 2023-24 तक कोई विनियामक परिसंपत्ति नहीं	
iv	**ईंधन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)**		
क	एफपीपीएएस तंत्र मौजूद है या नहीं?	हां	
ख	एफपीपीएएस के परिवर्तन की आवृत्ति (त्रैमासिक/मासिक)	मासिक	
ग	एफपीपीएएस का स्वत: आगे लगना या नहीं	हां	
d	एफपीपीएएस का फार्मूला विद्युत मंत्रालय की नियमावली दिनांक 29/12/2022 का आशय पूरा करता है।	हां	
3	**जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना**	डी: दिन	
i	**कनेक्शन जारी करना**	महानगर: 3 डी, नगरपालिका: 7 डी, ग्रामीण: 15 डी	
	मुआवजा	रु. 200/दिन	
ii	**मीटर का परीक्षण और प्रतिस्थापन**		
क	मीटर का परीक्षण	7 दिन	
	मुआवजा	रु. 100/दिन	
ख	मीटर का प्रतिस्थापन	जला हुआ - 72 घंटे; दोषपूर्ण- 7 दिन	
	मुआवजा	प्रतिदिन 100 रुपये	
iii	**नेट मीटरिंग कनेक्शन जारी करना।**	10 दिन	
iv	**150 किलोवाट तक के नए कनेक्शनों के लिए पूर्व-निर्दिष्ट मांग शुल्क**	हां	
v	**आपूर्ति की गुणवत्ता**		
क	विनियमों में परिभाषित विश्वसनीयता सूचकांकों की पद्धति	हां	
ख	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सूचकांकों के लिए निर्दिष्ट लक्ष्य	हां	
ग	आरआई लक्ष्यों का अनुपालन न करने की स्थिति में मुआवजा	हां	
vi	**खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस-सब्सिडी में उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर्ष)**	नहीं	
4	**ऊर्जा संक्रमण**		
i	**हरित ऊर्जा खुली पहुंच (जीईओए)**		
क	हरित ऊर्जा खुली पहुंच की सीमा- 100 किलोवाट	हां	
ख	ग्रीन एच$_2$ और ग्रीन एनएच$_3$ के उत्पादन पर सीएसएस और एएस की छूट	हां	
ग	ऊर्जा परियोजनाओं अपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट	हां	
घ	हरित प्रशुल्क	हां	
ii	**आरपीओ लक्ष्य**		
क	वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्दिष्ट आरपीओ पथ	हां	
ख	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी)	हां	
ग	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार कुल निर्धारित आरपीओ	नहीं	
घ	आरपीओ में कमी के लिए निर्धारित जुर्माना	हां	
5	**विनियामक शासन**		
i	अधिकारियों की नियुक्ति के लिए निर्धारित विनियम	हां	
ii	विभिन्न समूहों - ए, बी, सी एंड डी में स्वीकृत पदों का विभाजन	हां	

*पैरामीटरों का विवरण संलग्न परिशिष्टों में दिया गया है।

हिमाचल प्रदेश

नियामकीय प्रदर्शन स्कोरकार्ड

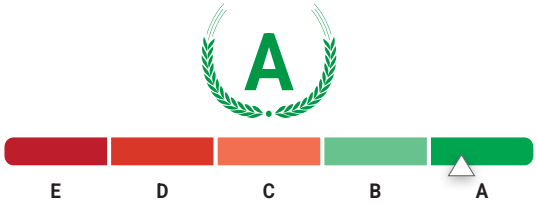

100 में से 88 अंक

विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)

i. संसाधन पर्याप्तता विनियमों का निर्माण	6/8
ii. विद्युत खरीद के लिए योजना रिजर्व मार्जिन को परिभाषित करना	5/5
iii. संसाधन पर्याप्तता योजना के लिए समय-सीमा	5/5
iv. संसाधन वकालत योजना का अनुपालन करने में विफलता के लिए गैर-अनुपालन प्रभार	4/4
v. एसटीयू की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना- एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	5/5
vi. डिस्कॉम की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	5/5

विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता
30/32

वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति

i. प्रशुल्क आदेशों का समय पर जारी करना	10/10
क. वित्त वर्ष 2025-26 का एआरआर	5/5
ख. वित वर्ष 2023-24 का टू-अप	5/5
ii. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल्क	6/6
iii. अंतिम टू अप के दौरान विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करना	4/4
iv. ईंधन और विद्युत खरीद लागत समायोजन अधिभार	5/5

वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति
25/25

जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना

i. कनेक्शन जारी करना	4/4
ii. मीटरों का परीक्षण और प्रतिस्थापन	6/6
iii. नेट मीटरिंग कनेक्शन जारी करना	2/2
iv. 150 किलोवाट तक के नए कनेक्शनों के लिए पूर्व-निर्धारित मांग प्रभार	3/3
v. आपूर्ति की गुणवत्ता	1/3
vi. खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस की उत्तरोतर कमी-(पिछले 5 वर्ष)	0/5

जीवन यापन में आसानी/ कारोबार करना
16/23

ऊर्जा संक्रमण

i. हरित ऊर्जा खुली पहुंच	6/6
क. हरित ऊर्जा खुली पहुंच की सीमा - 100 किलोवाट	3/3
ख. हरित एच$_2$ और हरित एनएच$_3$ के उत्पादन पर सीएसएस और एएस की छूट	1/1
ग. ऊर्जा परियोजनाओं के अपशिष्ट पर सीएसएस की छूट	1/1
घ. हरित प्रशुल्क	1/1
ii. आरपीओ लक्ष्य	6/9
क. वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्धारित आरपीओ पथ	2/2
ख. विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना 20.10.2023 के अनुार आर.पी.ओ. पथ (संचयी)	2/2
ग. विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना 20.10.2023 के अनुसार पूर्ण रूप में निर्धारित आरपीओ	0/3
घ. आर.पी.ओ. कमी के लिए निर्धारित दंड	2/2

ऊर्जा संक्रमण
12/15

विविनियामक शासन

i. अधिकारियों की नियुक्ति के निर्धारित विनियम	2.5/2.5
ii. विभिन्न समूहों- ए, बी, सी और डी में स्वीकृत पदों का विभाजन	2.5/2.5

विविनियामक शासन
5/5

	निष्पादन मापदंड	उत्तर
1	**विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)**	
i	संसाधन पर्याप्तता विनियमों का निर्माण	हां
ii	बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार्जिन को परिभाषित करना	हां
iii	संसाधन पर्याप्तता योजना के लिए समयसीमा	हां
iv	आरए योजना का अनुपालन करने में विफलता के लिए गैर-अनुपालन शुल्क	हां
v	एसटीयू की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	हां
vi	डिस्कॉम की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	हां
2	**डिस्कॉमों की वित्तीय स्थिति**	
i	**प्रशुल्क आदेश समय पर जारी करना**	
क	वित्त वर्ष 2025-26 का एआरआर	28-मार्च-2025
ख	वित्त वर्ष 2023-24 का ट्रू-अप	28-मार्च-2025
ii	**वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल्क**	एचपीएसईबी
क	एबीआर-एसीएस (@ मौजूदा प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)	0.12
ख	संचयी राजस्व अंतराल को पूरा करने के लिए प्रशुल्क में वृद्धि (मौजूदा राजस्व का %)	1.67%
ग	एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)	0.00
घ	एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशुल्क (करोड़ रु.)	3.05
ड.	एआरआर के प्रतिशत के रूप में अंतर	कोई अंतर नहीं
iii	**अंतिम ट्रू-अप के दौरान विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करना**	वित्त वर्ष 2022-23 तक कोई विनियामक परिसंपत्ति नहीं
iv	**ईंधन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)**	
क	एफपीपीएएस तंत्र मौजूद है या नहीं?	हां
ख	एफपीपीएएस के परिवर्तन की आवृत्ति (त्रैमासिक/मासिक)	मासिक
ग	एफपीपीएएस का स्वत: आगे लगना या नहीं	हां
d	एफपीपीएएस का फार्मूला विद्युत मंत्रालय की नियमावली दिनांक 29/12/2022 का आशय पूरा करता है।	हां
3	**जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना**	डी: दिन
i	**कनेक्शन जारी करना**	मेट्रो - 3 डी, शहरी/नगरपालिका - 7 डी, ग्रामीण- 15 डी, पहाड़ी - 30 डी
	मुआवजा	एलटी, 11 केवी और 22 केवी- 200/डी 33 केवी और ईएचटी -500 रु. प्रति दिन
ii	**मीटर का परीक्षण और प्रतिस्थापन**	
क	मीटर का परीक्षण	शहरी- 56 घंटे, ग्रामीण- 120 घंटे, सुदूर- 160 घंटे
	मुआवजा	रु. 80/दिन
ख	मीटर का प्रतिस्थापन	शहरी: 12 घंटे, ग्रामीण: 24 घंटे
	मुआवजा	एलटी: रु. 150/दिन, एचटी: रु. 400/दिन
iii	**नेट मीटरिंग कनेक्शन जारी करना।**	15 दिन
iv	**150 किलोवाट तक के नए कनेक्शनों के लिए पूर्व-निर्दिष्ट मांग शुल्क**	हां
v	**आपूर्ति की गुणवत्ता**	
क	विनियमों में परिभाषित विश्वसनीयता सूचकांकों की पद्धति	हां
ख	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सूचकांकों के लिए निर्दिष्ट लक्ष्य	नहीं
ग	आरआई लक्ष्यों का अनुपालन न करने की स्थिति में मुआवजा	नहीं
vi	**खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस-सब्सिडी में उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर्ष)**	नहीं
4	**ऊर्जा संक्रमण**	
i	**हरित ऊर्जा खुली पहुंच (जीईओए)**	
क	हरित ऊर्जा खुली पहुंच की सीमा- 100 किलोवाट	हां
ख	ग्रीन एच$_2$ और ग्रीन एनएच$_3$ के उत्पादन पर सीएसएस और एएस की छूट	हां
ग	ऊर्जा परियोजनाओं अपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट	हां
घ	हरित प्रशुल्क	हां
ii	**आरपीओ लक्ष्य**	
क	वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्दिष्ट आरपीओ पथ	हां
ख	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी)	हां
ग	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार कुल निर्धारित आरपीओ	नहीं
घ	आरपीओ में कमी के लिए निर्धारित जुर्माना	हां
5	**विनियामक शासन**	
i	अधिकारियों की नियुक्ति के लिए निर्धारित विनियम	हां
ii	विभिन्न समूहों - ए, बी, सी एंड डी में स्वीकृत पदों का विभाजन	हां

*पैरामीटरों का विवरण संलग्न परिशिष्टों में दिया गया है।

जम्मू और काश्मीर

नियामकीय प्रदर्शन स्कोरकार्ड

D

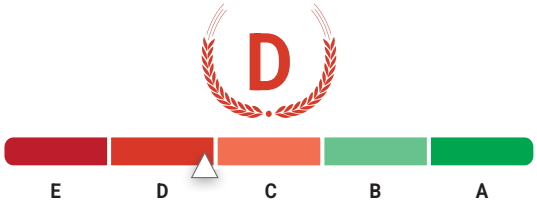

E D C B A

100 में से 49 अंक

विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)

विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता 10/32

मानदंड	अंक
i. संसाधन पर्याप्तता विनियमों का निर्माण	0/8
ii. विद्युत खरीद के लिए योजना रिजर्व मार्जिन को परिभाषित करना	0/5
iii. संसाधन पर्याप्तता योजना के लिए समय-सीमा	0/5
iv. संसाधन वकालत योजना का अनुपालन करने में विफलता के लिए गैर-अनुपालन प्रभार	0/4
v. एसटीयू की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना- एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	5/5
vi. डिस्कॉम की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	5/5

वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति

वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति 9/25

मानदंड	अंक
i. प्रशुल्क आदेशों का समय पर जारी करना	0/10
क. वित्त वर्ष 2025-26 का एआरआर	0/5
ख. वित वर्ष 2023-24 का टू-अप	0/5
ii. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल्क	0/6
iii. अंतिम टू अप के दौरान विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करना	4/4
iv. ईंधन और विद्युत खरीद लागत समायोजन अधिभार	5/5

जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना

जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना 10/23

मानदंड	अंक
i. कनेक्शन जारी करना	2/4
ii. मीटरों का परीक्षण और प्रतिस्थापन	4/6
iii. नेट मीटरिंग कनेक्शन जारी करना	0/2
iv. 150 किलोवाट तक के नए कनेक्शनों के लिए पूर्व-निर्धारित मांग प्रभार	3/3
v. आपूर्ति की गुणवत्ता	1/3
vi. खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस की उत्तरोतर कमी-(पिछले 5 वर्ष)	0/5

ऊर्जा संक्रमण

ऊर्जा संक्रमण 15/15

मानदंड	अंक
i. हरित ऊर्जा खुली पहुंच	6/6
क. हरित ऊर्जा खुली पहुंच की सीमा - 100 किलोवाट	3/3
ख. हरित $एच_2$ और हरित $एनएच_3$ के उत्पादन पर सीएसएस और एएस की छूट	1/1
ग. ऊर्जा परियोजनाओं के अपशिष्ट पर सीएसएस की छूट	1/1
घ. हरित प्रशुल्क	1/1
ii. आरपीओ लक्ष्य	9/9
क. वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्धारित आरपीओ पथ	2/2
ख. विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना 20.10.2023 के अनुर आर.पी.ओ. पथ (संचयी)	2/2
ग. विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना 20.10.2023 के अनुसार पूर्ण रूप में निर्धारित आरपीओ	3/3
घ. आर.पी.ओ. कमी के लिए निर्धारित दंड	2/2

विविनियामक शासन

विविनियामक शासन 5/5

मानदंड	अंक
i. अधिकारियों की नियुक्ति के निर्धारित विनियम	2.5/2.5
ii. विभिन्न समूहों- ए, बी, सी और डी में स्वीकृत पदों का विभाजन	2.5/2.5

	निष्पादन मापदंड	उत्तर	
1	**विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)**		
i	संसाधन पर्याप्तता विनियमों का निर्माण	नहीं	
ii	बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार्जिन को परिभाषित करना	नहीं	
iii	संसाधन पर्याप्तता योजना के लिए समयसीमा	नहीं	
iv	आरए योजना का अनुपालन करने में विफलता के लिए गैर-अनुपालन शुल्क	नहीं	
v	एसटीयू की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	हां	
vi	डिस्कॉम की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	हां	
2	**डिस्कॉमों की वित्तीय स्थिति**		
i	**प्रशुल्क आदेश समय पर जारी करना**	**जम्मू पीडीसीएल**	**कश्मीर पीडीसीएल**
क	वित्त वर्ष 2025-26 का एआरआर	जारी नहीं किया गया	
ख	वित्त वर्ष 2023-24 का ट्रू-अप	जारी नहीं किया गया	
ii	**वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल्क**		
क	एबीआर-एसीएस (@ मौजूदा प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रशुल्क आदेश जारी नहीं किया गया है।	
ख	संचयी राजस्व अंतराल को पूरा करने के लिए प्रशुल्क में वृद्धि (मौजूदा राजस्व का %)		
ग	एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)		
घ	एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशुल्क (करोड़ रु.)		
ड.	एआरआर के प्रतिशत के रूप में अंतर		
iii	**अंतिम ट्रू-अप के दौरान विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करना**	वित्त वर्ष 2021-22 तक कोई विनियामक परिसंपत्तियां नहीं हैं।	
iv	**ईंधन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)**		
क	एफपीपीएएस तंत्र मौजूद है या नहीं?	हां	
ख	एफपीपीएएस के परिवर्तन की आवृत्ति (त्रैमासिक/मासिक)	मासिक	
ग	एफपीपीएएस का स्वत: आगे लगना या नहीं	हां	
घ	एफपीपीएएस का फार्मूला विद्युत मंत्रालय की नियमावली दिनांक 29/12/2022 का आशय पूरा करता है।	हां	
3	**जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना**	डी: दिन	
i	**कनेक्शन जारी करना**	30 दिन	
	मुआवजा	प्रतिदिन 100 रुपये	
ii	**मीटर का परीक्षण और प्रतिस्थापन**		
क	मीटर का परीक्षण	30 दिन	
	मुआवजा	रु. 50/दिन	
ख	मीटर का प्रतिस्थापन	15 दिन	
	मुआवजा	50 रुपये प्रतिदिन	
iii	**नेट मीटरिंग कनेक्शन जारी करना।**	20 दिन	
iv	**150 किलोवाट तक के नए कनेक्शनों के लिए पूर्व-निर्दिष्ट मांग शुल्क**	हां	
v	**आपूर्ति की गुणवत्ता**		
क	विनियमों में परिभाषित विश्वसनीयता सूचकांकों की पद्धति	हां	
ख	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सूचकांकों के लिए निर्दिष्ट लक्ष्य	नहीं	
ग	आरआई लक्ष्यों का अनुपालन न करने की स्थिति में मुआवजा	नहीं	
vi	**खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस-सब्सिडी में उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर्ष)**	नहीं	
4	**ऊर्जा संक्रमण**		
i	**हरित ऊर्जा खुली पहुंच (जीईओए)**		
क	हरित ऊर्जा खुली पहुंच की सीमा- 100 किलोवाट	हां	
ख	ग्रीन एच$_2$ और ग्रीन एनएच$_3$ के उत्पादन पर सीएसएस और एएस की छूट	हां	
ग	ऊर्जा परियोजनाओं अपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट	हां	
घ	हरित प्रशुल्क	हां	
ii	**आरपीओ लक्ष्य**		
क	वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्दिष्ट आरपीओ पथ	हां	
ख	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी)	हां	
ग	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार कुल निर्धारित आरपीओ	हां	
घ	आरपीओ में कमी के लिए निर्धारित जुर्माना	हां	
5	**विनियामक शासन**		
i	अधिकारियों की नियुक्ति के लिए निर्धारित विनियम	हां	
ii	विभिन्न समूहों - ए, बी, सी एंड डी में स्वीकृत पदों का विभाजन	हां	

*पैरामीटरों का विवरण संलग्न परिशिष्टों में दिया गया है।

झारखंड

नियामकीय प्रदर्शन स्कोरकार्ड

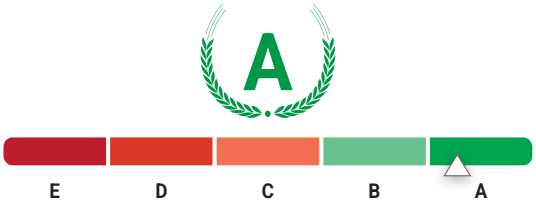

100 में से 86.7 अंक

विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)

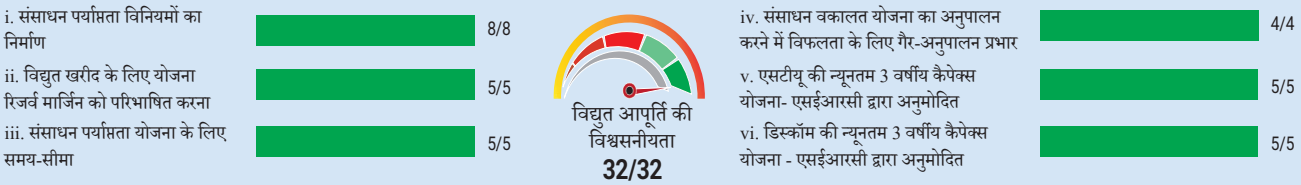

वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति

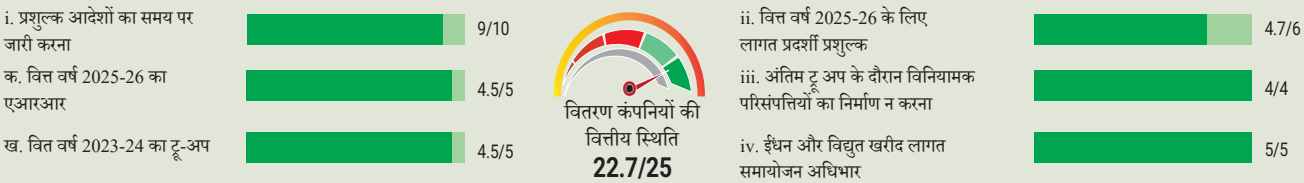

जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना

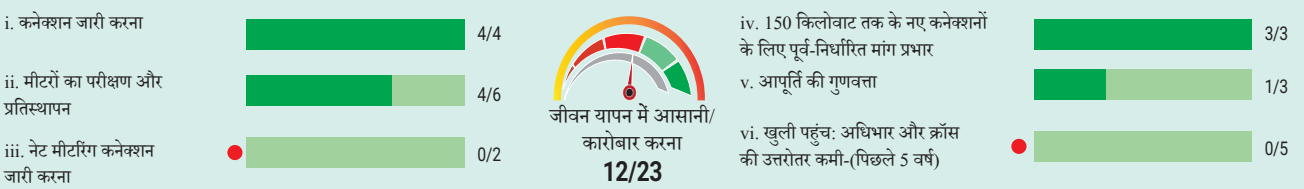

ऊर्जा संक्रमण

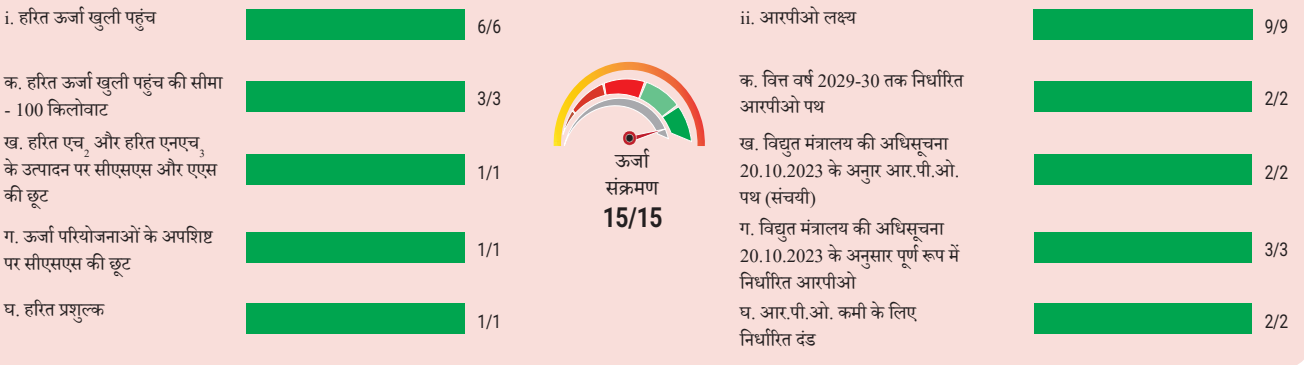

विविनियामक शासन

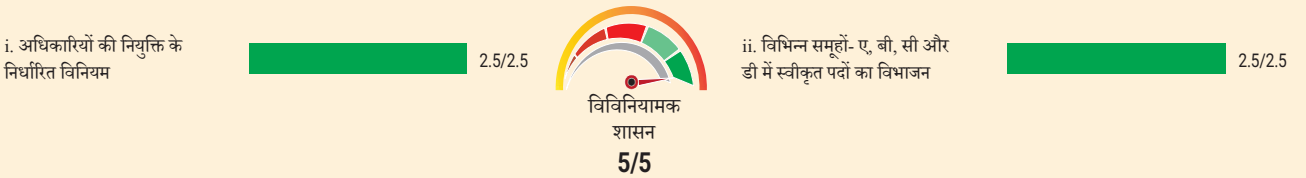

	निष्पादन मापदंड	उत्तर		
1	**विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)**			
i	संसाधन पर्याप्तता विनियमों का निर्माण	हां		
ii	बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार्जिन को परिभाषित करना	हां		
iii	संसाधन पर्याप्तता योजना के लिए समयसीमा	हां		
iv	आरए योजना का अनुपालन करने में विफलता के लिए गैर-अनुपालन शुल्क	हां		
v	एसटीयू की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	हां		
vi	डिस्कॉम की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	हां		
2	**डिस्कॉमों की वित्तीय स्थिति**			
i	**प्रशुल्क आदेश समय पर जारी करना**	**दामोदर घाटीनिगम**	**जेबीवीएनएल**	**टीएसएल-जमशेदपुर**
क	वित्त वर्ष 2025-26 का एआरआर	27-मई-2025	30-अप्रैल-2025	28-मार्च-2025
ख	वित्त वर्ष 2023-24 का ट्रू-अप	27-मई-2025	30-अप्रैल-2025	28-मार्च-2025
ii	**वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल्क**			
क	एबीआर-एसीएस (@ मौजूदा प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)	(0.36)	0.56	0.27
ख	संचयी राजस्व अंतराल को पूरा करने के लिए प्रशुल्क में वृद्धि (मौजूदा राजस्व का %)	4.30%	6.35%	3.90%
ग	एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)	(0.13)	1.03	0.53
घ	एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशुल्क (करोड़ रु.)	(136)	1342	148
ड.	एआरआर के प्रतिशत के रूप में अंतर	2.35%	कोई अंतराल नहीं	कोई अंतराल नहीं
iii	**अंतिम ट्रू-अप के दौरान विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करना**	शून्य	शून्य	शून्य
iv	**ईंधन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)**			
क	एफपीपीएएस तंत्र मौजूद है या नहीं?	हां		
ख	एफपीपीएएस के परिवर्तन की आवृत्ति (त्रैमासिक/मासिक)	मासिक		
ग	एफपीपीएएस का स्वत: आगे लगना या नहीं	हां		
घ	एफपीपीएएस का फार्मूला विद्युत मंत्रालय की नियमावली दिनांक 29/12/2022 का आशय पूरा करता है।	हां		
3	**जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना**	डी: दिन		
i	**कनेक्शन जारी करना**	मेट्रो-3 डी, अन्य नगरपालिका.-7 डी, ग्रामीण-15 डी		
	मुआवजा	एलटी - रु. 50/ डी, एचटी (11केवी)- रु.100/ डी, एचटी (33केवी)- रु.200/डी		
ii	**मीटर का परीक्षण और प्रतिस्थापन**			
क	मीटर का परीक्षण	श्रेणी I शहर-4 डी, शहरी-7 डी, ग्रामीण-12 डी		
	मुआवजा	रु. 50/दिन		
ख	मीटर का प्रतिस्थापन	श्रेणी I शहर-3 डी, शहरी-5 डी, ग्रामीण-15 डी		
	मुआवजा	रु. 50/दिन		
iii	**नेट मीटरिंग कनेक्शन जारी करना।**	30 दिन		
iv	**150 किलोवाट तक के नए कनेक्शनों के लिए पूर्व-निर्दिष्ट मांग शुल्क**	हां		
v	**आपूर्ति की गुणवत्ता**			
क	विनियमों में परिभाषित विश्वसनीयता सूचकांकों की पद्धति	हां		
ख	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सूचकांकों के लिए निर्दिष्ट लक्ष्य	नहीं		
ग	आरआई लक्ष्यों का अनुपालन न करने की स्थिति में मुआवजा	नहीं		
vi	**खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस-सब्सिडी में उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर्ष)**	नहीं		
4	**ऊर्जा संक्रमण**			
i	**हरित ऊर्जा खुली पहुंच (जीईओए)**			
क	हरित ऊर्जा खुली पहुंच की सीमा- 100 किलोवाट	हां		
ख	ग्रीन एच$_2$ और ग्रीन एनएच$_3$ के उत्पादन पर सीएसएस और एएस की छूट	हां		
ग	ऊर्जा परियोजनाओं अपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट	हां		
घ	हरित प्रशुल्क	हां		
ii	**आरपीओ लक्ष्य**			
क	वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्दिष्ट आरपीओ पथ	हां		
ख	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी)	हां		
ग	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार कुल निर्धारित आरपीओ	हां		
घ	आरपीओ में कमी के लिए निर्धारित जुर्माना	हां		
5	**विनियामक शासन**			
i	अधिकारियों की नियुक्ति के लिए निर्धारित विनियम	हां		
ii	विभिन्न समूहों - ए, बी, सी एंड डी में स्वीकृत पदों का विभाजन	हां		

*पैरामीटरों का विवरण संलग्न परिशिष्टों में दिया गया है।

कर्नाटक

100 में से 96 अंक

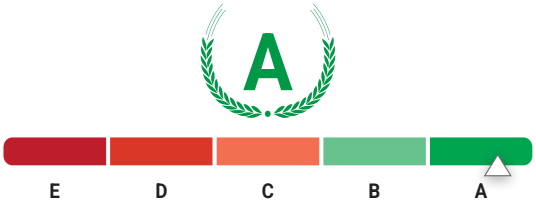

100 में से 96 अंक

विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)

i. संसाधन पर्याप्तता विनियमों का निर्माण	8/8
ii. विद्युत खरीद के लिए योजना रिजर्व मार्जिन को परिभाषित करना	5/5
iii. संसाधन पर्याप्तता योजना के लिए समय-सीमा	5/5
iv. संसाधन वकालत योजना का अनुपालन करने में विफलता के लिए गैर-अनुपालन प्रभार	4/4
v. एसटीयू की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना- एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	5/5
vi. डिस्कॉम की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	5/5

विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता
32/32

वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति

i. प्रशुल्क आदेशों का समय पर जारी करना	10/10
क. वित्त वर्ष 2025-26 का एआरआर	5/5
ख. वित वर्ष 2023-24 का टू-अप	5/5
ii. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल्क	6/6
iii. अंतिम टू अप के दौरान विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करना	4/4
iv. ईंधन और विद्युत खरीद लागत समायोजन अधिभार	4/5

वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति
24/25

जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना

i. कनेक्शन जारी करना	2/4
ii. मीटरों का परीक्षण और प्रतिस्थापन	6/6
iii. नेट मीटरिंग कनेक्शन जारी करना	2/2
iv. 150 किलोवाट तक के नए कनेक्शनों के लिए पूर्व-निर्धारित मांग प्रभार	3/3
v. आपूर्ति की गुणवत्ता	3/3
vi. खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस की उत्तरोतर कमी-(पिछले 5 वर्ष)	5/5

जीवन यापन में आसानी/ कारोबार करना
21/23

ऊर्जा संक्रमण

i. हरित ऊर्जा खुली पहुंच	5/6
क. हरित ऊर्जा खुली पहुंच की सीमा - 100 किलोवाट	3/3
ख. हरित एच$_2$ और हरित एनएच$_3$ के उत्पादन पर सीएसएस और एएस की छूट	0/1
ग. ऊर्जा परियोजनाओं के अपशिष्ट पर सीएसएस की छूट	1/1
घ. हरित प्रशुल्क	1/1
ii. आरपीओ लक्ष्य	9/9
क. वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्धारित आरपीओ पथ	2/2
ख. विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना 20.10.2023 के अनुार आर.पी.ओ. पथ (संचयी)	2/2
ग. विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना 20.10.2023 के अनुसार पूर्ण रूप में निर्धारित आरपीओ	3/3
घ. आर.पी.ओ. कमी के लिए निर्धारित दंड	2/2

ऊर्जा संक्रमण
14/15

विविनियामक शासन

i. अधिकारियों की नियुक्ति के निर्धारित विनियम	2.5/2.5
ii. विभिन्न समूहों- ए, बी, सी और डी में स्वीकृत पदों का विभाजन	2.5/2.5

विविनियामक शासन
5/5

	निष्पादन मापदंड	उत्तर				
1	**विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)**					
i	संसाधन पर्याप्तता विनियमों का निर्माण	हां				
ii	बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार्जिन को परिभाषित करना	हां				
iii	संसाधन पर्याप्तता योजना के लिए समयसीमा	हां				
iv	आरए योजना का अनुपालन करने में विफलता के लिए गैर-अनुपालन शुल्क	हां				
v	एसटीयू की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	हां				
vi	डिस्कॉम की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	हां				
2	**डिस्कॉमों की वित्तीय स्थिति**					
i	**प्रशुल्क आदेश समय पर जारी करना**					
क	वित्त वर्ष 2025-26 का एआरआर	27-मार्च-2025				
ख	वित्त वर्ष 2023-24 का टू-अप	27-मार्च-2025				
ii	**वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल्क**	**बेस्कॉम**	**मेस्कॉम**	**सीईएससी**	**हेसकॉम**	**जेस्कॉम**
क	एबीआर-एसीएस (@ मौजूदा प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)	(0.03)	(0.14)	(0.27)	(0.35)	(0.14)
ख	संचयी राजस्व अंतराल को पूरा करने के लिए प्रशुल्क में वृद्धि (मौजूदा राजस्व का %)	0.39%	1.63%	3.22%	4.09%	1.55%
ग	एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
घ	एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशुल्क (करोड़ रु.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ड.	एआरआर के प्रतिशत के रूप में अंतर	कोई अंतर नहीं	कोई अंतर नहीं	कोई अंतर नहीं	कोई अंतर नहीं	कोई अंतर नहीं
iii	**अंतिम टू-अप के दौरान विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करना**	वित्त वर्ष 2023-24 तक कोई विनियामक परिसंपत्तियां नहीं हैं।				
iv	**ईंधन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)**					
क	एफपीपीएएस तंत्र मौजूद है या नहीं?	हां				
ख	एफपीपीएएस के परिवर्तन की आवृत्ति (त्रैमासिक/मासिक)	मासिक				
ग	एफपीपीएएस का स्वत: आगे लगना या नहीं	हां				
घ	एफपीपीएएस का फार्मूला विद्युत मंत्रालय की नियमावली दिनांक 29/12/2022 का आशय पूरा करता है।	नहीं				
3	जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना	डी: दिन				
i	**कनेक्शन जारी करना**	मेट्रो-7 डी, नगरपालिका.-15 डी, ग्रामीण-30 डी				
	मुआवजा	रु. 1000/प्रति चूक				
ii	**मीटर का परीक्षण और प्रतिस्थापन**					
क	मीटर का परीक्षण	7 दिन				
	मुआवजा	रु. 200/चूक				
ख	मीटर का प्रतिस्थापन	शहरी-24 घंटे, ग्रामीण-72 घंटे				
	मुआवजा	रु. 200/चूक				
iii	**नेट मीटरिंग कनेक्शन जारी करना।**	15 दिन				
iv	**150 किलोवाट तक के नए कनेक्शनों के लिए पूर्व-निर्दिष्ट मांग शुल्क**	हां				
v	**आपूर्ति की गुणवत्ता**					
क	विनियमों में परिभाषित विश्वसनीयता सूचकांकों की पद्धति	हां				
ख	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सूचकांकों के लिए निर्दिष्ट लक्ष्य	हां				
ग	आरआई लक्ष्यों का अनुपालन न करने की स्थिति में मुआवजा	हां				
vi	**खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस-सब्सिडी में उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर्ष)**	हां				
4	**ऊर्जा संक्रमण**					
i	**हरित ऊर्जा खुली पहुंच (जीईओए)**					
क	हरित ऊर्जा खुली पहुंच की सीमा- 100 किलोवाट	हां				
ख	ग्रीन एच$_2$ और ग्रीन एनएच$_3$ के उत्पादन पर सीएसएस और एएस की छूट	नहीं				
ग	ऊर्जा परियोजनाओं अपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट	हां				
घ	हरित प्रशुल्क	हां				
ii	**आरपीओ लक्ष्य**					
क	वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्दिष्ट आरपीओ पथ	हां				
ख	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी)	हां				
ग	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार कुल निर्धारित आरपीओ	हां				
घ	आरपीओ में कमी के लिए निर्धारित जुर्माना	हां				
5	**विनियामक शासन**					
i	अधिकारियों की नियुक्ति के लिए निर्धारित विनियम	हां				
ii	विभिन्न समूहों - ए, बी, सी एंड डी में स्वीकृत पदों का विभाजन	हां				

*पैरामीटरों का विवरण संलग्न परिशिष्टों में दिया गया है।

केरल

नियामकीय प्रदर्शन स्कोरकार्ड

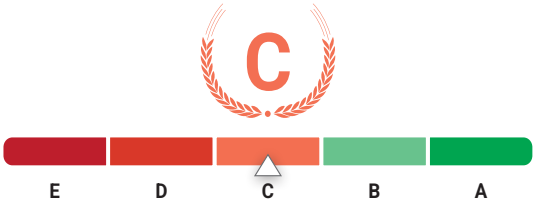

100 में से 55.5 अंक

विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)

i. संसाधन पर्याप्तता विनियमों का निर्माण	0/8
ii. विद्युत खरीद के लिए योजना रिजर्व मार्जिन को परिभाषित करना	0/5
iii. संसाधन पर्याप्तता योजना के लिए समय-सीमा	0/5
iv. संसाधन वकालत योजना का अनुपालन करने में विफलता के लिए गैर-अनुपालन प्रभार	0/4
v. एसटीयू की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना- एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	5/5
vi. डिस्कॉम की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	5/5

विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता
10/32

वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति

i. प्रशुल्क आदेशों का समय पर जारी करना	8.5/10
क. वित्त वर्ष 2025-26 का एआरआर	5/5
ख. वित वर्ष 2023-24 का टू-अप	3.5/5
ii. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल्क	4/6
iii. अंतिम ट्रू अप के दौरान विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करना	0/4
iv. ईंधन और विद्युत खरीद लागत समायोजन अधिभार	4/5

वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति
16.5/25

जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना

i. कनेक्शन जारी करना	4/4
ii. मीटरों का परीक्षण और प्रतिस्थापन	4/6
iii. नेट मीटरिंग कनेक्शन जारी करना	2/2
iv. 150 किलोवाट तक के नए कनेक्शनों के लिए पूर्व-निर्धारित मांग प्रभार	3/3
v. आपूर्ति की गुणवत्ता	1/3
vi. खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस की उत्तरोतर कमी-(पिछले 5 वर्ष)	0/5

जीवन यापन में आसानी/ कारोबार करना
14/23

ऊर्जा संक्रमण

i. हरित ऊर्जा खुली पहुंच	4/6
क. हरित ऊर्जा खुली पहुंच की सीमा - 100 किलोवाट	3/3
ख. हरित एच$_2$ और हरित एनएच$_3$ के उत्पादन पर सीएसएस और एएस की छूट	0/1
ग. ऊर्जा परियोजनाओं के अपशिष्ट पर सीएसएस की छूट	0/1
घ. हरित प्रशुल्क	1/1
ii. आरपीओ लक्ष्य	6/9
क. वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्धारित आरपीओ पथ	2/2
ख. विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना 20.10.2023 के अनुार आर.पी.ओ. पथ (संचयी)	2/2
ग. विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना 20.10.2023 के अनुसार पूर्ण रूप में निर्धारित आरपीओ	0/3
घ. आर.पी.ओ. कमी के लिए निर्धारित दंड	2/2

ऊर्जा संक्रमण
10/15

विविनियामक शासन

i. अधिकारियों की नियुक्ति के निर्धारित विनियम	2.5/2.5
ii. विभिन्न समूहों- ए, बी, सी और डी में स्वीकृत पदों का विभाजन	2.5/2.5

विविनियामक शासन
5/5

	निष्पादन मापदंड	उत्तर
1	**विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)**	
i	संसाधन पर्याप्तता विनियमों का निर्माण	नहीं
ii	बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार्जिन को परिभाषित करना	नहीं
iii	संसाधन पर्याप्तता योजना के लिए समयसीमा	नहीं
iv	आरए योजना का अनुपालन करने में विफलता के लिए गैर-अनुपालन शुल्क	नहीं
v	एसटीयू की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	हां
vi	डिस्कॉम की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	हां
2	**डिस्कॉमों की वित्तीय स्थिति**	
i	**प्रशुल्क आदेश समय पर जारी करना**	
क	वित्त वर्ष 2025-26 का एआरआर	5-दिसंबर2024
ख	वित्त वर्ष 2023-24 का ट्रू-अप	30-जून-2025
ii	**वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल्क**	**केएसईबी लिमिटेड**
क	एबीआर-एसीएस (@ मौजूदा प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)	(0.39)
ख	संचयी राजस्व अंतराल को पूरा करने के लिए प्रशुल्क में वृद्धि (मौजूदा राजस्व का %)	4.33%
ग	एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)	(0.10)
घ	एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशुल्क (करोड़ रु.)	(281)
ड.	एआरआर के प्रतिशत के रूप में अंतर	1.39%
iii	**अंतिम ट्रू-अप के दौरान विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करना**	वित्त वर्ष 2023-24 के अंत में 6,645 करोड़ रुपये
iv	**ईंधन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)**	
क	एफपीपीएएस तंत्र मौजूद है या नहीं?	हां
ख	एफपीपीएएस के परिवर्तन की आवृत्ति (त्रैमासिक/मासिक)	मासिक
ग	एफपीपीएएस का स्वत: आगे लगना या नहीं	हां
घ	एफपीपीएएस का फार्मूला विद्युत मंत्रालय की नियमावली दिनांक 29/12/2022 का आशय पूरा करता है।	नहीं
3	**जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना**	डी: दिन
i	**कनेक्शन जारी करना**	मेट्रो: 3 डी, अन्य: 7 डी, कठिन क्षेत्र: 30 डी
	मुआवजा	50 रुपये प्रतिदिन
ii	**मीटर का परीक्षण और प्रतिस्थापन**	
क	मीटर का परीक्षण	पांच दिन
	मुआवजा	रु. 25/दिन
ख	मीटर का प्रतिस्थापन	दोषपूर्ण-7 डी
	मुआवजा	एलटी- रु. 25/दिन, एचटी- रु. 50/दिन
iii	**नेट मीटरिंग कनेक्शन जारी करना।**	14 दिन
iv	**150 किलोवाट तक के नए कनेक्शनों के लिए पूर्व-निर्दिष्ट मांग शुल्क**	हां
v	**आपूर्ति की गुणवत्ता**	
क	विनियमों में परिभाषित विश्वसनीयता सूचकांकों की पद्धति	हां
ख	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सूचकांकों के लिए निर्दिष्ट लक्ष्य	नहीं
ग	आरआई लक्ष्यों का अनुपालन न करने की स्थिति में मुआवजा	नहीं
vi	**खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस-सब्सिडी में उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर्ष)**	नहीं
4	**ऊर्जा संक्रमण**	
i	**हरित ऊर्जा खुली पहुंच (जीईओए)**	
क	हरित ऊर्जा खुली पहुंच की सीमा- 100 किलोवाट	हां
ख	ग्रीन एच$_2$ और ग्रीन एनएच$_3$ के उत्पादन पर सीएसएस और एएस की छूट	नहीं
ग	ऊर्जा परियोजनाओं अपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट	नहीं
घ	हरित प्रशुल्क	हां
ii	**आरपीओ लक्ष्य**	
क	वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्दिष्ट आरपीओ पथ	हां
ख	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी)	हां
ग	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार कुल निर्धारित आरपीओ	नहीं
घ	आरपीओ में कमी के लिए निर्धारित जुर्माना	हां
5	**विनियामक शासन**	
i	अधिकारियों की नियुक्ति के लिए निर्धारित विनियम	हां
ii	विभिन्न समूहों - ए, बी, सी एंड डी में स्वीकृत पदों का विभाजन	हां

*पैरामीटरों का विवरण संलग्न परिशिष्टों में दिया गया है।

लद्दाख

नियामकीय प्रदर्शन स्कोरकार्ड

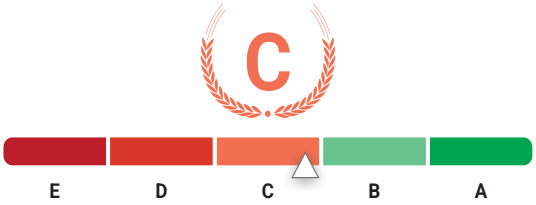

100 में से 63 अंक

विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)

i. संसाधन पर्याप्तता विनियमों का निर्माण	0/8
ii. विद्युत खरीद के लिए योजना रिजर्व मार्जिन को परिभाषित करना	0/5
iii. संसाधन पर्याप्तता योजना के लिए समय-सीमा	0/5
iv. संसाधन वकालत योजना का अनुपालन करने में विफलता के लिए गैर-अनुपालन प्रभार	0/4
v. एसटीयू की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना- एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	5/5
vi. डिस्कॉम की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	5/5

विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता
10/32

वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति

i. प्रशुल्क आदेशों का समय पर जारी करना	8/10
क. वित्त वर्ष 2025-26 का एआरआर	4/5
ख. वित वर्ष 2023-24 का टू-अप	4/5
ii. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल्क	6/6
iii. अंतिम टू अप के दौरान विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करना	4/4
iv. ईंधन और विद्युत खरीद लागत समायोजन अधिभार	5/5

वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति
23/25

जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना

i. कनेक्शन जारी करना	2/4
ii. मीटरों का परीक्षण और प्रतिस्थापन	4/6
iii. नेट मीटरिंग कनेक्शन जारी करना	0/2
iv. 150 किलोवाट तक के नए कनेक्शनों के लिए पूर्व-निर्धारित मांग प्रभार	3/3
v. आपूर्ति की गुणवत्ता	1/3
vi. खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस की उत्तरोतर कमी-(पिछले 5 वर्ष)	0/5

जीवन यापन में आसानी/ कारोबार करना
10/23

ऊर्जा संक्रमण

i. हरित ऊर्जा खुली पहुंच	6/6
क. हरित ऊर्जा खुली पहुंच की सीमा - 100 किलोवाट	3/3
ख. हरित एच$_2$ और हरित एनएच$_3$ के उत्पादन पर सीएसएस और एएस की छूट	1/1
ग. ऊर्जा परियोजनाओं के अपशिष्ट पर सीएसएस की छूट	1/1
घ. हरित प्रशुल्क	1/1
ii. आरपीओ लक्ष्य	9/9
क. वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्धारित आरपीओ पथ	2/2
ख. विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना 20.10.2023 के अनुार आर.पी.ओ. पथ (संचयी)	2/2
ग. विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना 20.10.2023 के अनुसार पूर्ण रूप में निर्धारित आरपीओ	3/3
घ. आर.पी.ओ. कमी के लिए निर्धारित दंड	2/2

ऊर्जा संक्रमण
15/15

विविनियामक शासन

i. अधिकारियों की नियुक्ति के निर्धारित विनियम	2.5/2.5
ii. विभिन्न समूहों- ए, बी, सी और डी में स्वीकृत पदों का विभाजन	2.5/2.5

विविनियामक शासन
5/5

	निष्पादन मापदंड	उत्तर
1	**विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)**	
i	संसाधन पर्याप्तता विनियमों का निर्माण	नहीं
ii	बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार्जिन को परिभाषित करना	नहीं
iii	संसाधन पर्याप्तता योजना के लिए समयसीमा	नहीं
iv	आरए योजना का अनुपालन करने में विफलता के लिए गैर-अनुपालन शुल्क	नहीं
v	एसटीयू की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	हां
vi	डिस्कॉम की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	हां
2	**डिस्कॉमों की वित्तीय स्थिति**	
i	**प्रशुल्क आदेश समय पर जारी करना**	लद्दाख पीडीडी
क	वित्त वर्ष 2025-26 का एआरआर	23-मई-2025
ख	वित्त वर्ष 2023-24 का ट्रू-अप	23-मई-2025
ii	**वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल्क**	
क	एबीआर-एसीएस (@ मौजूदा प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)	(1.66)
ख	संचयी राजस्व अंतराल को पूरा करने के लिए प्रशुल्क में वृद्धि (मौजूदा राजस्व का %)	4.84%
ग	एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)	0.00
घ	एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशुल्क (करोड़ रु.)	0.00
ड.	एआरआर के प्रतिशत के रूप में अंतर	कोई अंतर नहीं
iii	**अंतिम ट्रू-अप के दौरान विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करना**	वित्त वर्ष 2023-24 तक कोई विनियामक परिसंपत्तियां नहीं हैं।
iv	**ईंधन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)**	
क	एफपीपीएएस तंत्र मौजूद है या नहीं?	हां
ख	एफपीपीएएस के परिवर्तन की आवृत्ति (त्रैमासिक/मासिक)	मासिक
ग	एफपीपीएएस का स्वत: आगे लगना या नहीं	हां
घ	एफपीपीएएस का फार्मूला विद्युत मंत्रालय की नियमावली दिनांक 29/12/2022 का आशय पूरा करता है।	हां
3	**जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना**	डी: दिन
i	**कनेक्शन जारी करना**	30 दिन
	मुआवजा	रु. 100/दिन
ii	**मीटर का परीक्षण और प्रतिस्थापन**	
क	मीटर का परीक्षण	30 दिन
	मुआवजा	50 रुपये प्रतिदिन
ख	मीटर का प्रतिस्थापन	15 दिन
	मुआवजा	रु. 50/दिन
iii	**नेट मीटरिंग कनेक्शन जारी करना।**	20 दिन
iv	**150 किलोवाट तक के नए कनेक्शनों के लिए पूर्व-निर्दिष्ट मांग शुल्क**	हां
v	**आपूर्ति की गुणवत्ता**	
क	विनियमों में परिभाषित विश्वसनीयता सूचकांकों की पद्धति	हां
ख	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सूचकांकों के लिए निर्दिष्ट लक्ष्य	नहीं
ग	आरआई लक्ष्यों का अनुपालन न करने की स्थिति में मुआवजा	नहीं
vi	**खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस-सब्सिडी में उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर्ष)**	नहीं
4	**ऊर्जा संक्रमण**	
i	**हरित ऊर्जा खुली पहुंच (जीईओए)**	
क	हरित ऊर्जा खुली पहुंच की सीमा- 100 किलोवाट	हां
ख	ग्रीन एच$_2$ और ग्रीन एनएच$_3$ के उत्पादन पर सीएसएस और एएस की छूट	हां
ग	ऊर्जा परियोजनाओं अपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट	हां
घ	हरित प्रशुल्क	हां
ii	**आरपीओ लक्ष्य**	
क	वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्दिष्ट आरपीओ पथ	हां
ख	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी)	हां
ग	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार कुल निर्धारित आरपीओ	हां
घ	आरपीओ में कमी के लिए निर्धारित जुर्माना	हां
5	**विनियामक शासन**	
i	अधिकारियों की नियुक्ति के लिए निर्धारित विनियम	हां
ii	विभिन्न समूहों - ए, बी, सी एंड डी में स्वीकृत पदों का विभाजन	हां

*पैरामीटरों का विवरण संलग्न परिशिष्टों में दिया गया है।

लक्षद्वीप

नियामकीय प्रदर्शन स्कोरकार्ड

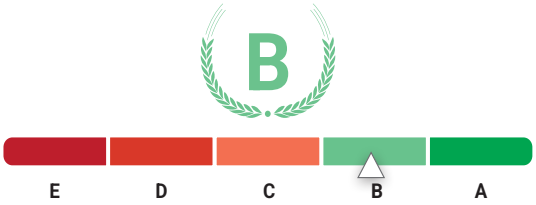

100 में से 72 अंक

विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)

i. संसाधन पर्याप्तता विनियमों का निर्माण	4/8
ii. विद्युत खरीद के लिए योजना रिजर्व मार्जिन को परिभाषित करना	5/5
iii. संसाधन पर्याप्तता योजना के लिए समय-सीमा	5/5
iv. संसाधन वकालत योजना का अनुपालन करने में विफलता के लिए गैर-अनुपालन प्रभार	4/4
v. एसटीयू की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना- एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	5/5
vi. डिस्कॉम की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	5/5

विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता
28/32

वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति

i. प्रशुल्क आदेशों का समय पर जारी करना	0/10
क. वित्त वर्ष 2025-26 का एआरआर	0/5
ख. वित वर्ष 2023-24 का ट्रू-अप	0/5
ii. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल्क	0/6
iii. अंतिम ट्रू अप के दौरान विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करना	4/4
iv. ईंधन और विद्युत खरीद लागत समायोजन अधिभार	5/5

वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति
9/25

जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना

i. कनेक्शन जारी करना	2/4
ii. मीटरों का परीक्षण और प्रतिस्थापन	6/6
iii. नेट मीटरिंग कनेक्शन जारी करना	2/2
iv. 150 किलोवाट तक के नए कनेक्शनों के लिए पूर्व-निर्धारित मांग प्रभार	0/3
v. आपूर्ति की गुणवत्ता	1/3
vi. खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस की उत्तरोतर कमी-(पिछले 5 वर्ष)	5/5

जीवन यापन में आसानी/ कारोबार करना
16/23

ऊर्जा संक्रमण

i. हरित ऊर्जा खुली पहुंच	5/6
क. हरित ऊर्जा खुली पहुंच की सीमा - 100 किलोवाट	3/3
ख. हरित एच$_2$ और हरित एनएच$_3$ के उत्पादन पर सीएसएस और एएस की छूट	1/1
ग. ऊर्जा परियोजनाओं के अपशिष्ट पर सीएसएस की छूट	1/1
घ. हरित प्रशुल्क	0/1
ii. आरपीओ लक्ष्य	9/9
क. वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्धारित आरपीओ पथ	2/2
ख. विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना 20.10.2023 के अनुार आर.पी.ओ. पथ (संचयी)	2/2
ग. विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना 20.10.2023 के अनुसार पूर्ण रूप में निर्धारित आरपीओ	3/3
घ. आर.पी.ओ. कमी के लिए निर्धारित दंड	2/2

ऊर्जा संक्रमण
14/15

विविनियामक शासन

i. अधिकारियों की नियुक्ति के निर्धारित विनियम	2.5/2.5
ii. विभिन्न समूहों- ए, बी, सी और डी में स्वीकृत पदों का विभाजन	2.5/2.5

विविनियामक शासन
5/5

	निष्पादन मापदंड	उत्तर
1	**विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)**	
i	संसाधन पर्याप्तता विनियमों का निर्माण	हां
ii	बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार्जिन को परिभाषित करना	हां
iii	संसाधन पर्याप्तता योजना के लिए समयसीमा	हां
iv	आरए योजना का अनुपालन करने में विफलता के लिए गैर-अनुपालन शुल्क	हां
v	एसटीयू की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	हां
vi	डिस्कॉम की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	हां
2	**डिस्कॉमों की वित्तीय स्थिति**	
i	**प्रशुल्क आदेश समय पर जारी करना**	ईडी-लक्षद्वीप
क	वित्त वर्ष 2025-26 का एआरआर	जारी नहीं किया गया
ख	वित्त वर्ष 2023-24 का टू-अप	जारी नहीं किया गया
ii	**वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल्क**	
क	एबीआर-एसीएस (@ मौजूदा प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रशुल्क आदेश जारी नहीं किया गया
ख	संचयी राजस्व अंतराल को पूरा करने के लिए प्रशुल्क में वृद्धि (मौजूदा राजस्व का %)	
ग	एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)	
घ	एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशुल्क (करोड़ रु.)	
ड.	एआरआर के प्रतिशत के रूप में अंतर	
iii	**अंतिम टू-अप के दौरान विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करना**	वित्त वर्ष 2019-20 के अंतिम टू-अप तक कोई विनियामक परि संपत्ति नहीं
iv	**ईंधन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)**	
क	एफपीपीएएस तंत्र मौजूद है या नहीं?	हां
ख	एफपीपीएएस के परिवर्तन की आवृत्ति (त्रैमासिक/मासिक)	मासिक
ग	एफपीपीएएस का स्वत: आगे लगना या नहीं	हां
घ	एफपीपीएएस का फार्मूला विद्युत मंत्रालय की नियमावली दिनांक 29/12/2022 का आशय पूरा करता है।	हां
3	**जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना**	डी: दिन
i	**कनेक्शन जारी करना**	मेट्रो- 3 डी, शहर- 7 डी, ग्रामीण- 15 डी, द्वीप समूह- 30 डी
	मुआवजा	नहीं
ii	**मीटर का परीक्षण और प्रतिस्थापन**	
क	मीटर का परीक्षण	30 दिन
	मुआवजा	रु. 100/दिन
ख	मीटर का प्रतिस्थापन	15 दिन
	मुआवजा	रु. 100/दिन
iii	**नेट मीटरिंग कनेक्शन जारी करना।**	15 दिन
iv	**150 किलोवाट तक के नए कनेक्शनों के लिए पूर्व-निर्दिष्ट मांग शुल्क**	नहीं
v	**आपूर्ति की गुणवत्ता**	
क	विनियमों में परिभाषित विश्वसनीयता सूचकांकों की पद्धति	हां
ख	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सूचकांकों के लिए निर्दिष्ट लक्ष्य	नहीं
ग	आरआई लक्ष्यों का अनुपालन न करने की स्थिति में मुआवजा	नहीं
vi	**खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस-सब्सिडी में उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर्ष)**	नहीं
4	**ऊर्जा संक्रमण**	
i	**हरित ऊर्जा खुली पहुंच (जीईओए)**	
क	हरित ऊर्जा खुली पहुंच की सीमा- 100 किलोवाट	हां
ख	ग्रीन एच$_2$ और ग्रीन एनएच$_3$ के उत्पादन पर सीएसएस और एएस की छूट	हां
ग	ऊर्जा परियोजनाओं अपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट	हां
घ	हरित प्रशुल्क	उपलब्ध नहीं हैं
ii	**आरपीओ लक्ष्य**	
क	वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्दिष्ट आरपीओ पथ	हां
ख	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी)	हां
ग	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार कुल निर्धारित आरपीओ	हां
घ	आरपीओ में कमी के लिए निर्धारित जुर्माना	हां
5	**विनियामक शासन**	
i	अधिकारियों की नियुक्ति के लिए निर्धारित विनियम	हां
ii	विभिन्न समूहों - ए, बी, सी एंड डी में स्वीकृत पदों का विभाजन	हां

*पैरामीटरों का विवरण संलग्न परिशिष्टों में दिया गया है।

मध्य प्रदेश

नियामकीय प्रदर्शन स्कोरकार्ड

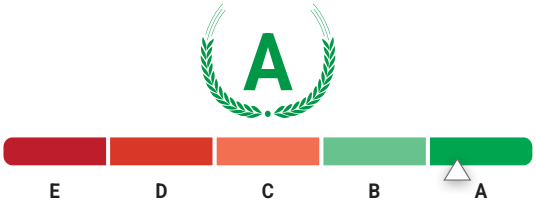

100 में से 89 अंक

विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)

i. संसाधन पर्याप्तता विनियमों का निर्माण	8/8
ii. विद्युत खरीद के लिए योजना रिजर्व मार्जिन को परिभाषित करना	5/5
iii. संसाधन पर्याप्तता योजना के लिए समय-सीमा	5/5
iv. संसाधन वकालत योजना का अनुपालन करने में विफलता के लिए गैर-अनुपालन प्रभार	4/4
v. एसटीयू की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना- एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	5/5
vi. डिस्कॉम की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	5/5

विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता
32/32

वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति

i. प्रशुल्क आदेशों का समय पर जारी करना	10/10
क. वित्त वर्ष 2025-26 का एआरआर	5/5
ख. वित वर्ष 2023-24 का टू-अप	5/5
ii. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल्क	6/6
iii. अंतिम टू अप के दौरान विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करना	4/4
iv. ईंधन और विद्युत खरीद लागत समायोजन अधिभार	4/5

वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति
24/25

जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना

i. कनेक्शन जारी करना	4/4
ii. मीटरों का परीक्षण और प्रतिस्थापन	6/6
iii. नेट मीटरिंग कनेक्शन जारी करना	2/2
iv. 150 किलोवाट तक के नए कनेक्शनों के लिए पूर्व-निर्धारित मांग प्रभार	3/3
v. आपूर्ति की गुणवत्ता	3/3
vi. खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस की उत्तरोतर कमी-(पिछले 5 वर्ष)	0/5

जीवन यापन में आसानी/ कारोबार करना
18/23

ऊर्जा संक्रमण

i. हरित ऊर्जा खुली पहुंच	6/6
क. हरित ऊर्जा खुली पहुंच की सीमा - 100 किलोवाट	3/3
ख. हरित एच$_2$ और हरित एनएच$_3$ के उत्पादन पर सीएसएस और एएस की छूट	1/1
ग. ऊर्जा परियोजनाओं के अपशिष्ट पर सीएसएस की छूट	1/1
घ. हरित प्रशुल्क	1/1
ii. आरपीओ लक्ष्य	4/9
क. वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्धारित आरपीओ पथ	2/2
ख. विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना 20.10.2023 के अनुार आर.पी.ओ. पथ (संचयी)	0/2
ग. विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना 20.10.2023 के अनुसार पूर्ण रूप में निर्धारित आरपीओ	0/3
घ. आर.पी.ओ. कमी के लिए निर्धारित दंड	2/2

ऊर्जा संक्रमण
10/15

विविनियामक शासन

i. अधिकारियों की नियुक्ति के निर्धारित विनियम	2.5/2.5
ii. विभिन्न समूहों- ए, बी, सी और डी में स्वीकृत पदों का विभाजन	2.5/2.5

विविनियामक शासन
5/5

	निष्पादन मापदंड	उत्तर		
1	**विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)**			
i	संसाधन पर्याप्तता विनियमों का निर्माण	हां		
ii	बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार्जिन को परिभाषित करना	हां		
iii	संसाधन पर्याप्तता योजना के लिए समयसीमा	हां		
iv	आरए योजना का अनुपालन करने में विफलता के लिए गैर-अनुपालन शुल्क	हां		
v	एसटीयू की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	हां		
vi	डिस्कॉम की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	हां		
2	**डिस्कॉमों की वित्तीय स्थिति**			
i	**प्रशुल्क आदेश समय पर जारी करना**			
क	वित्त वर्ष 2025-26 का एआरआर	29-मार्च-2025		
ख	वित्त वर्ष 2023-24 का टू-अप	28-मार्च-2025		
ii	**वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल्क**	**एमपी पूरव**	**एमपी पश्चिम**	**एमपीमध्य**
क	एबीआर-एसीएस (@ मौजूदा प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)	(0.24)	(0.24)	(0.24)
ख	संचयी राजस्व अंतराल को पूरा करने के लिए प्रशुल्क में वृद्धि (मौजूदा राजस्व का %)	3.41%	3.45%	3.50%
ग	एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)	0.00	0.00	0.00
घ	एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशुल्क (करोड़ रु.)	0.00	0.00	0.00
ड.	एआरआर के प्रतिशत के रूप में अंतर	कोई अंतराल नहीं	कोई अंतराल नहीं	कोई अंतराल नहीं
iii	**अंतिम टू-अप के दौरान विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करना**	वित्त वर्ष 2023-24 तक कोई विनियामक परिसंपत्ति नहीं		
iv	**ईंधन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)**			
क	एफपीपीएएस तंत्र मौजूद है या नहीं?	हां		
ख	एफपीपीएएस के परिवर्तन की आवृत्ति (त्रैमासिक/मासिक)	मासिक		
ग	एफपीपीएएस का स्वत: आगे लगना या नहीं	हां		
घ	एफपीपीएएस का फार्मूला विद्युत मंत्रालय की नियमावली दिनांक 29/12/2022 का आशय पूरा करता है।	नहीं		
3	**जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना**	डी: दिन		
i	**कनेक्शन जारी करना**	मेट्रो- 3 डी, शहर-5 डी, नगरपालिका .- 7 डी, ग्रामीण- 15 डी		
	मुआवजा	एलटी - रु. 100/सप्ताह; एचटी/ईएचटी - रु. 200/सप्ताह		
ii	**मीटर का परीक्षण और प्रतिस्थापन**			
क	मीटर का परीक्षण	7 दिन		
	मुआवजा	रु.100/सप्ताह		
ख	मीटर का प्रतिस्थापन	शहरी- 24 घंटे; ग्रामीण- 72 घंटे		
	मुआवजा	100 रुपये प्रति सप्ताह।		
iii	**नेट मीटरिंग कनेक्शन जारी करना।**	15 दिन		
iv	**150 किलोवाट तक के नए कनेक्शनों के लिए पूर्व-निर्दिष्ट मांग शुल्क**	हां		
v	**आपूर्ति की गुणवत्ता**			
क	विनियमों में परिभाषित विश्वसनीयता सूचकांकों की पद्धति	हां		
ख	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सूचकांकों के लिए निर्दिष्ट लक्ष्य	हां		
ग	आरआई लक्ष्यों का अनुपालन न करने की स्थिति में मुआवजा	हां		
vi	**खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस-सब्सिडी में उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर्ष)**	नहीं		
4	**ऊर्जा संक्रमण**			
i	**हरित ऊर्जा खुली पहुंच (जीईओए)**			
क	हरित ऊर्जा खुली पहुंच की सीमा- 100 किलोवाट	हां		
ख	ग्रीन एच$_2$ और ग्रीन एनएच$_3$ के उत्पादन पर सीएसएस और एएस की छूट	हां		
ग	ऊर्जा परियोजनाओं अपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट	हां		
घ	हरित प्रशुल्क	हां		
ii	**आरपीओ लक्ष्य**			
क	वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्दिष्ट आरपीओ पथ	हां		
ख	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी)	नहीं		
ग	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार कुल निर्धारित आरपीओ	नहीं		
घ	आरपीओ में कमी के लिए निर्धारित जुर्माना	हां		
5	**विनियामक शासन**			
i	अधिकारियों की नियुक्ति के लिए निर्धारित विनियम	हां		
ii	विभिन्न समूहों - ए, बी, सी एंड डी में स्वीकृत पदों का विभाजन	हां		

*पैरामीटरों का विवरण संलग्न परिशिष्टों में दिया गया है।

महाराष्ट्र

नियामकीय प्रदर्शन स्कोरकार्ड

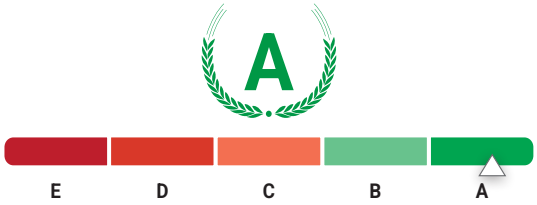

100 में से 94 अंक

विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)

i. संसाधन पर्याप्तता विनियमों का निर्माण	8/8
ii. विद्युत खरीद के लिए योजना रिजर्व मार्जिन को परिभाषित करना	5/5
iii. संसाधन पर्याप्तता योजना के लिए समय-सीमा	5/5
iv. संसाधन वकालत योजना का अनुपालन करने में विफलता के लिए गैर-अनुपालन प्रभार	4/4
v. एसटीयू की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना- एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	5/5
vi. डिस्कॉम की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	5/5

विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता
32/32

वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति

i. प्रशुल्क आदेशों का समय पर जारी करना	10/10
क. वित्त वर्ष 2025-26 का एआरआर	5/5
ख. वित वर्ष 2023-24 का ट्रू-अप	5/5
ii. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल्क	6/6
iii. अंतिम ट्रू अप के दौरान विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करना	4/4
iv. ईंधन और विद्युत खरीद लागत समायोजन अधिभार	5/5

वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति
25/25

जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना

i. कनेक्शन जारी करना	4/4
ii. मीटरों का परीक्षण और प्रतिस्थापन	4/6
iii. नेट मीटरिंग कनेक्शन जारी करना	0/2
iv. 150 किलोवाट तक के नए कनेक्शनों के लिए पूर्व-निर्धारित मांग प्रभार	3/3
v. आपूर्ति की गुणवत्ता	1/3
vi. खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस की उत्तरोतर कमी-(पिछले 5 वर्ष)	5/5

जीवन यापन में आसानी/ कारोबार करना
17/23

ऊर्जा संक्रमण

i. हरित ऊर्जा खुली पहुंच	6/6
क. हरित ऊर्जा खुली पहुंच की सीमा - 100 किलोवाट	3/3
ख. हरित एच$_2$ और हरित एनएच$_3$ के उत्पादन पर सीएसएस और एएस की छूट	1/1
ग. ऊर्जा परियोजनाओं के अपशिष्ट पर सीएसएस की छूट	1/1
घ. हरित प्रशुल्क	1/1
ii. आरपीओ लक्ष्य	9/9
क. वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्धारित आरपीओ पथ	2/2
ख. विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना 20.10.2023 के अनुार आर.पी.ओ. पथ (संचयी)	2/2
ग. विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना 20.10.2023 के अनुसार पूर्ण रूप में निर्धारित आरपीओ	3/3
घ. आर.पी.ओ. कमी के लिए निर्धारित दंड	2/2

ऊर्जा संक्रमण
15/15

विविनियामक शासन

i. अधिकारियों की नियुक्ति के निर्धारित विनियम	2.5/2.5
ii. विभिन्न समूहों- ए, बी, सी और डी में स्वीकृत पदों का विभाजन	2.5/2.5

विविनियामक शासन
5/5

	निष्पादन मापदंड	उत्तर			
1	**विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)**				
i	संसाधन पर्याप्तता विनियमों का निर्माण	हां			
ii	बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार्जिन को परिभाषित करना	हां			
iii	संसाधन पर्याप्तता योजना के लिए समयसीमा	हां			
iv	आरए योजना का अनुपालन करने में विफलता के लिए गैर-अनुपालन शुल्क	हां			
v	एसटीयू की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	हां			
vi	डिस्कॉम की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	हां			
2	**डिस्कॉमों की वित्तीय स्थिति**				
i	**प्रशुल्क आदेश समय पर जारी करना**	**एमएसईडीसीएल**	**बेस्ट**	**अडानी विद्युत**	**टाटा विद्युत**
क	वित्त वर्ष 2025-26 का एआरआर	28-मार्च-2025			
ख	वित्त वर्ष 2023-24 का ट्रू-अप	28-मार्च-2025			
ii	**वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल्क**				
क	एबीआर-एसीएस (@ मौजूदा प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)	0.20	0.74	1.00	1.61
ख	संचयी राजस्व अंतराल को पूरा करने के लिए प्रशुल्क में वृद्धि (मौजूदा राजस्व का %)	-2.16%	-7.81%	-9.97%	-17.59%
ग	एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)	0.00	0.00	(0.00)	0.00
घ	एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशुल्क (करोड़ रु.)	0.00	0.55	(0.15)	0.18
ड.	एआरआर के प्रतिशत के रूप में अंतर	कोई अंतराल नहीं	कोई अंतराल नहीं	0.002%	कोई अंतराल नहीं
iii	**अंतिम ट्रू-अप के दौरान विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करना**	वित्त वर्ष 2023-24 तक कोई विनियामक परिसंपत्ति नहीं			
iv	**ईंधन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)**				
क	एफपीपीएएस तंत्र मौजूद है या नहीं?	हां			
ख	एफपीपीएएस के परिवर्तन की आवृत्ति (त्रैमासिक/मासिक)	मासिक			
ग	एफपीपीएएस का स्वत: आगे लगना या नहीं	हां			
घ	एफपीपीएएस का फार्मूला विद्युत मंत्रालय की नियमावली दिनांक 29/12/2022 का आशय पूरा करता है।	हां			
3	**जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना**	डी: दिन			
i	**कनेक्शन जारी करना**	मेट्रो-3 डी, नगर निगम-7 डी, ग्रामीण-15 डी			
	मुआवजा	रु. 50/सप्ताह			
ii	**मीटर का परीक्षण और प्रतिस्थापन**				
क	मीटर का परीक्षण	30 दिन			
	मुआवजा	50 रुपये प्रति सप्ताह			
ख	मीटर का प्रतिस्थापन	बाद में बिलिंग चक्र			
	मुआवजा	रु. 50/सप्ताह			
iii	**नेट मीटरिंग कनेक्शन जारी करना।**	20 दिन			
iv	**150 किलोवाट तक के नए कनेक्शनों के लिए पूर्व-निर्दिष्ट मांग शुल्क**	हां			
v	**आपूर्ति की गुणवत्ता**				
क	विनियमों में परिभाषित विश्वसनीयता सूचकांकों की पद्धति	हां			
ख	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सूचकांकों के लिए निर्दिष्ट लक्ष्य	नहीं			
ग	आरआई लक्ष्यों का अनुपालन न करने की स्थिति में मुआवजा	नहीं			
vi	खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस-सब्सिडी में उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर्ष)	हां			
4	**ऊर्जा संक्रमण**				
i	**हरित ऊर्जा खुली पहुंच (जीईओए)**				
क	हरित ऊर्जा खुली पहुंच की सीमा- 100 किलोवाट	हां			
ख	ग्रीन एच$_2$ और ग्रीन एनएच$_3$ के उत्पादन पर सीएसएस और एएस की छूट	हां			
ग	ऊर्जा परियोजनाओं अपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट	हां			
घ	हरित प्रशुल्क	हां			
ii	**आरपीओ लक्ष्य**				
क	वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्दिष्ट आरपीओ पथ	हां			
ख	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी)	हां			
ग	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार कुल निर्धारित आरपीओ	हां			
घ	आरपीओ में कमी के लिए निर्धारित जुर्माना	हां			
5	**विनियामक शासन**				
i	अधिकारियों की नियुक्ति के लिए निर्धारित विनियम	हां			
ii	विभिन्न समूहों - ए, बी, सी एंड डी में स्वीकृत पदों का विभाजन	हां			

*पैरामीटरों का विवरण संलग्न परिशिष्टों में दिया गया है।

मणिपुर

नियामकीय प्रदर्शन स्कोरकार्ड

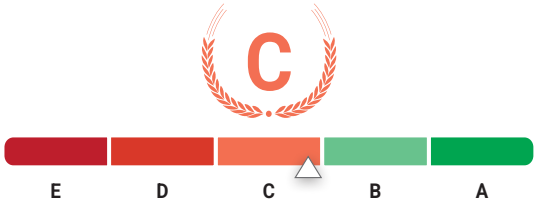

100 में से 62 अंक

विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)

i. संसाधन पर्याप्तता विनियमों का निर्माण	0/8
ii. विद्युत खरीद के लिए योजना रिजर्व मार्जिन को परिभाषित करना	0/5
iii. संसाधन पर्याप्तता योजना के लिए समय-सीमा	0/5
iv. संसाधन वकालत योजना का अनुपालन करने में विफलता के लिए गैर-अनुपालन प्रभार	0/4
v. एसटीयू की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना- एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	5/5
vi. डिस्कॉम की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	5/5

विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता
10/32

वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति

i. प्रशुल्क आदेशों का समय पर जारी करना	10/10
क. वित्त वर्ष 2025-26 का एआरआर	5/5
ख. वित वर्ष 2023-24 का टू-अप	5/5
ii. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल्क	6/6
iii. अंतिम टू अप के दौरान विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करना	4/4
iv. ईंधन और विद्युत खरीद लागत समायोजन अधिभार	5/5

वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति
25/25

जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना

i. कनेक्शन जारी करना	4/4
ii. मीटरों का परीक्षण और प्रतिस्थापन	4/6
iii. नेट मीटरिंग कनेक्शन जारी करना	0/2
iv. 150 किलोवाट तक के नए कनेक्शनों के लिए पूर्व-निर्धारित मांग प्रभार	3/3
v. आपूर्ति की गुणवत्ता	1/3
vi. खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस की उत्तरोतर कमी-(पिछले 5 वर्ष)	0/5

जीवन यापन में आसानी/ कारोबार करना
12/23

ऊर्जा संक्रमण

i. हरित ऊर्जा खुली पहुंच	4/6
क. हरित ऊर्जा खुली पहुंच की सीमा - 100 किलोवाट	3/3
ख. हरित एच$_2$ और हरित एनएच$_3$ के उत्पादन पर सीएसएस और एएस की छूट	0/1
ग. ऊर्जा परियोजनाओं के अपशिष्ट पर सीएसएस की छूट	1/1
घ. हरित प्रशुल्क	0/1
ii. आरपीओ लक्ष्य	6/9
क. वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्धारित आरपीओ पथ	2/2
ख. विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना 20.10.2023 के अनुार आर.पी.ओ. पथ (संचयी)	2/2
ग. विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना 20.10.2023 के अनुसार पूर्ण रूप में निर्धारित आरपीओ	0/3
घ. आर.पी.ओ. कमी के लिए निर्धारित दंड	2/2

ऊर्जा संक्रमण
10/15

विविनियामक शासन

i. अधिकारियों की नियुक्ति के निर्धारित विनियम	2.5/2.5
ii. विभिन्न समूहों- ए, बी, सी और डी में स्वीकृत पदों का विभाजन	2.5/2.5

विविनियामक शासन
5/5

	निष्पादन मापदंड	उत्तर
1	**विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)**	
i	संसाधन पर्याप्तता विनियमों का निर्माण	नहीं
ii	बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार्जिन को परिभाषित करना	नहीं
iii	संसाधन पर्याप्तता योजना के लिए समयसीमा	नहीं
iv	आरए योजना का अनुपालन करने में विफलता के लिए गैर-अनुपालन शुल्क	नहीं
v	एसटीयू की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	हां
vi	डिस्कॉम की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	हां
2	**डिस्कॉमों की वित्तीय स्थिति**	
i	**प्रशुल्क आदेश समय पर जारी करना**	एमएसपीडीसीएल
क	वित्त वर्ष 2025-26 का एआरआर	26-मार्च-2025
ख	वित्त वर्ष 2023-24 का ट्रू-अप	26-मार्च-2025
ii	**वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल्क**	
क	एबीआर-एसीएस (@ मौजूदा प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)	(3.61)
ख	संचयी राजस्व अंतराल को पूरा करने के लिए प्रशुल्क में वृद्धि (मौजूदा राजस्व का %)	0.00%
ग	एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)	0.00
घ	एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशुल्क (करोड़ रु.)	0.00
ड.	एआरआर के प्रतिशत के रूप में अंतर	कोई अंतर नहीं
iii	**अंतिम ट्रू-अप के दौरान विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करना**	वित्त वर्ष 2023-24 तक कोई विनियामक परिसंपत्ति नहीं
iv	**ईंधन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)**	
क	एफपीपीएएस तंत्र मौजूद है या नहीं?	हां
ख	एफपीपीएएस के परिवर्तन की आवृत्ति (त्रैमासिक/मासिक)	मासिक
ग	एफपीपीएएस का स्वत: आगे लगना या नहीं	हां
घ	एफपीपीएएस का फार्मूला विद्युत मंत्रालय की नियमावली दिनांक 29/12/2022 का आशय पूरा करता है।	हां
3	**जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना**	डी: दिन
i	**कनेक्शन जारी करना**	शहर और शहरी- 7 डी, ग्रामीण- 15 डी, दूरस्थ- 30 डी
	मुआवजा	प्रतिदिन 100 रुपये
ii	**मीटर का परीक्षण और प्रतिस्थापन**	
क	मीटर का परीक्षण	शहर-4 डी, शहरी-7 डी, ग्रामीण-15 डी,दूरस्थ- 20 डी
	मुआवजा	रु. 50 /दिन
ख	मीटर का प्रतिस्थापन	शहर-3 डी, शहरी-5 डी, ग्रामीण-15 डी,दूरस्थ- 20 डी
	मुआवजा	रु. 50/दिन
iii	**नेट मीटरिंग कनेक्शन जारी करना।**	शहरी - 25 डी, ग्रामीण - 30 डी
iv	**150 किलोवाट तक के नए कनेक्शनों के लिए पूर्व-निर्दिष्ट मांग शुल्क**	हां
v	**आपूर्ति की गुणवत्ता**	
क	विनियमों में परिभाषित विश्वसनीयता सूचकांकों की पद्धति	हां
ख	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सूचकांकों के लिए निर्दिष्ट लक्ष्य	नहीं
ग	आरआई लक्ष्यों का अनुपालन न करने की स्थिति में मुआवजा	नहीं
vi	**खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस-सब्सिडी में उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर्ष)**	नहीं
4	**ऊर्जा संक्रमण**	
i	**हरित ऊर्जा खुली पहुंच (जीईओए)**	
क	हरित ऊर्जा खुली पहुंच की सीमा- 100 किलोवाट	हां
ख	ग्रीन एच$_2$ और ग्रीन एनएच$_3$ के उत्पादन पर सीएसएस और एएस की छूट	नहीं
ग	ऊर्जा परियोजनाओं अपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट	हां
घ	हरित प्रशुल्क	नहीं
ii	**आरपीओ लक्ष्य**	
क	वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्दिष्ट आरपीओ पथ	हां
ख	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी)	हां
ग	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार कुल निर्धारित आरपीओ	नहीं
घ	आरपीओ में कमी के लिए निर्धारित जुर्माना	हां
5	**विनियामक शासन**	
i	अधिकारियों की नियुक्ति के लिए निर्धारित विनियम	हां
ii	विभिन्न समूहों - ए, बी, सी एंड डी में स्वीकृत पदों का विभाजन	हां

*पैरामीटरों का विवरण संलग्न परिशिष्टों में दिया गया है।

मेघालय

नियामकीय प्रदर्शन स्कोरकार्ड

A

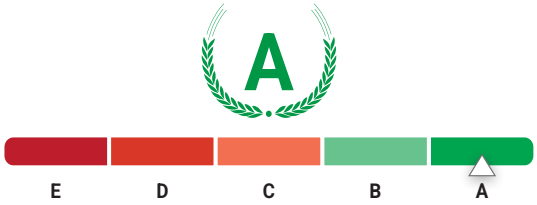

E D C B A

100 में से 89 अंक

विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)

संकेतक	अंक
i. संसाधन पर्याप्तता विनियमों का निर्माण	8/8
ii. विद्युत खरीद के लिए योजना रिजर्व मार्जिन को परिभाषित करना	5/5
iii. संसाधन पर्याप्तता योजना के लिए समय-सीमा	5/5
iv. संसाधन वकालत योजना का अनुपालन करने में विफलता के लिए गैर-अनुपालन प्रभार	4/4
v. एसटीयू की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना- एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	5/5
vi. डिस्कॉम की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	5/5

विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता **32/32**

वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति

संकेतक	अंक
i. प्रशुल्क आदेशों का समय पर जारी करना	10/10
क. वित्त वर्ष 2025-26 का एआरआर	5/5
ख. वित वर्ष 2023-24 का ट्रू-अप	5/5
ii. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल्क	6/6
iii. अंतिम ट्रू अप के दौरान विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करना	4/4
iv. ईंधन और विद्युत खरीद लागत समायोजन अधिभार	5/5

वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति **25/25**

जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना

संकेतक	अंक
i. कनेक्शन जारी करना	2/4
ii. मीटरों का परीक्षण और प्रतिस्थापन	4/6
iii. नेट मीटरिंग कनेक्शन जारी करना	2/2
iv. 150 किलोवाट तक के नए कनेक्शनों के लिए पूर्व-निर्धारित मांग प्रभार	3/3
v. आपूर्ति की गुणवत्ता	1/3
vi. खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस की उत्तरोतर कमी-(पिछले 5 वर्ष)	0/5

जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना **12/23**

ऊर्जा संक्रमण

संकेतक	अंक
i. हरित ऊर्जा खुली पहुंच	6/6
क. हरित ऊर्जा खुली पहुंच की सीमा - 100 किलोवाट	3/3
ख. हरित एच$_2$ और हरित एनएच$_3$ के उत्पादन पर सीएसएस और एएस की छूट	1/1
ग. ऊर्जा परियोजनाओं के अपशिष्ट पर सीएसएस की छूट	1/1
घ. हरित प्रशुल्क	1/1
ii. आरपीओ लक्ष्य	9/9
क. वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्धारित आरपीओ पथ	2/2
ख. विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना 20.10.2023 के अनुार आर.पी.ओ. पथ (संचयी)	2/2
ग. विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना 20.10.2023 के अनुसार पूर्ण रूप में निर्धारित आरपीओ	3/3
घ. आर.पी.ओ. कमी के लिए निर्धारित दंड	2/2

ऊर्जा संक्रमण **15/15**

विविनियामक शासन

संकेतक	अंक
i. अधिकारियों की नियुक्ति के निर्धारित विनियम	2.5/2.5
ii. विभिन्न समूहों- ए, बी, सी और डी में स्वीकृत पदों का विभाजन	2.5/2.5

विविनियामक शासन **5/5**

	निष्पादन मापदंड	उत्तर
1	**विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)**	
i	संसाधन पर्याप्तता विनियमों का निर्माण	हां
ii	बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार्जिन को परिभाषित करना	हां
iii	संसाधन पर्याप्तता योजना के लिए समयसीमा	हां
iv	आरए योजना का अनुपालन करने में विफलता के लिए गैर-अनुपालन शुल्क	हां
v	एसटीयू की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	हां
vi	डिस्कॉम की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	हां
2	**डिस्कॉमों की वित्तीय स्थिति**	
i	**प्रशुल्क आदेश समय पर जारी करना**	
क	वित्त वर्ष 2025-26 का एआरआर	24-मार्च-2025
ख	वित्त वर्ष 2023-24 का ट्रू-अप	24-मार्च-2025
ii	**वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल्क**	एमईपीडीसीएल
क	एबीआर-एसीएस (@ मौजूदा प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)	(1.73)
ख	संचयी राजस्व अंतराल को पूरा करने के लिए प्रशुल्क में वृद्धि (मौजूदा राजस्व का %)	25.67%
ग	एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)	0.00
घ	एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशुल्क (करोड़ रु.)	0.42
ड.	एआरआर के प्रतिशत के रूप में अंतर	कोई अंतर नहीं
iii	**अंतिम ट्रू-अप के दौरान विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करना**	वित्त वर्ष 2023-24 तक कोई विनियामक परिसंपत्तियां नहीं हैं।
iv	**ईंधन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)**	
क	एफपीपीएएस तंत्र मौजूद है या नहीं?	हां
ख	एफपीपीएएस के परिवर्तन की आवृत्ति (त्रैमासिक/मासिक)	मासिक
ग	एफपीपीएएस का स्वत: आगे लगना या नहीं	हां
घ	एफपीपीएएस का फार्मूला विद्युत मंत्रालय की नियमावली दिनांक 29/12/2022 का आशय पूरा करता है।	हां
3	**जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना**	डी: दिन
i	**कनेक्शन जारी करना**	एलटी: शहरी-35 डी, ग्रामीण-42 डी; एचटी: 37 डी
	मुआवजा	रु. 50/दिन
ii	**मीटर का परीक्षण और प्रतिस्थापन**	
क	मीटर का परीक्षण	30 दिन
	मुआवजा	रु. 50/दिन
ख	मीटर का प्रतिस्थापन	जला हुआ मीटर-3 डी, खराब मीटर-15 डी
	मुआवजा	रु. 50/दिन
iii	**नेट मीटरिंग कनेक्शन जारी करना।**	15 दिन
iv	**150 किलोवाट तक के नए कनेक्शनों के लिए पूर्व-निर्दिष्ट मांग शुल्क**	हां
v	**आपूर्ति की गुणवत्ता**	
क	विनियमों में परिभाषित विश्वसनीयता सूचकांकों की पद्धति	हां
ख	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सूचकांकों के लिए निर्दिष्ट लक्ष्य	नहीं
ग	आरआई लक्ष्यों का अनुपालन न करने की स्थिति में मुआवजा	नहीं
vi	**खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस-सब्सिडी में उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर्ष)**	नहीं
4	**ऊर्जा संक्रमण**	
i	**हरित ऊर्जा खुली पहुंच (जीईओए)**	
क	हरित ऊर्जा खुली पहुंच की सीमा- 100 किलोवाट	हां
ख	ग्रीन एच$_2$ और ग्रीन एनएच$_3$ के उत्पादन पर सीएसएस और एएस की छूट	हां
ग	ऊर्जा परियोजनाओं अपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट	हां
घ	हरित प्रशुल्क	हां
ii	**आरपीओ लक्ष्य**	
क	वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्दिष्ट आरपीओ पथ	हां
ख	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी)	हां
ग	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार कुल निर्धारित आरपीओ	हां
घ	आरपीओ में कमी के लिए निर्धारित जुर्माना	हां
5	**विनियामक शासन**	
i	अधिकारियों की नियुक्ति के लिए निर्धारित विनियम	हां
ii	विभिन्न समूहों - ए, बी, सी एंड डी में स्वीकृत पदों का विभाजन	हां

*पैरामीटरों का विवरण संलग्न परिशिष्टों में दिया गया है।

मिजोरम

नियामकीय प्रदर्शन स्कोरकार्ड

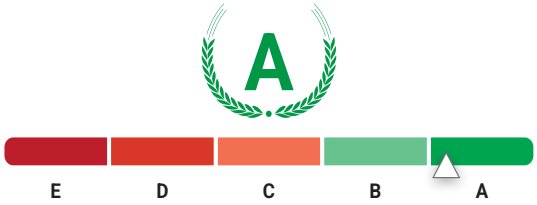

100 में से 87 अंक

विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)

i. संसाधन पर्याप्तता विनियमों का निर्माण	8/8
ii. विद्युत खरीद के लिए योजना रिजर्व मार्जिन को परिभाषित करना	5/5
iii. संसाधन पर्याप्तता योजना के लिए समय-सीमा	5/5
iv. संसाधन वकालत योजना का अनुपालन करने में विफलता के लिए गैर-अनुपालन प्रभार	4/4
v. एसटीयू की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना- एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	5/5
vi. डिस्कॉम की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	5/5

विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता
32/32

वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति

i. प्रशुल्क आदेशों का समय पर जारी करना	10/10
क. वित्त वर्ष 2025-26 का एआरआर	5/5
ख. वित वर्ष 2023-24 का टू-अप	5/5
ii. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल्क	6/6
iii. अंतिम टू अप के दौरान विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करना	4/4
iv. ईंधन और विद्युत खरीद लागत समायोजन अधिभार	5/5

वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति
25/25

जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना

i. कनेक्शन जारी करना	4/4
ii. मीटरों का परीक्षण और प्रतिस्थापन	4/6
iii. नेट मीटरिंग कनेक्शन जारी करना	0/2
iv. 150 किलोवाट तक के नए कनेक्शनों के लिए पूर्व-निर्धारित मांग प्रभार	3/3
v. आपूर्ति की गुणवत्ता	1/3
vi. खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस की उत्तरोतर कमी-(पिछले 5 वर्ष)	0/5

जीवन यापन में आसानी/ कारोबार करना
12/23

ऊर्जा संक्रमण

i. हरित ऊर्जा खुली पहुंच	4/6
क. हरित ऊर्जा खुली पहुंच की सीमा - 100 किलोवाट	3/3
ख. हरित एच$_2$ और हरित एनएच$_3$ के उत्पादन पर सीएसएस और एएस की छूट	0/1
ग. ऊर्जा परियोजनाओं के अपशिष्ट पर सीएसएस की छूट	1/1
घ. हरित प्रशुल्क	0/1
ii. आरपीओ लक्ष्य	9/9
क. वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्धारित आरपीओ पथ	2/2
ख. विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना 20.10.2023 के अनुार आर.पी.ओ. पथ (संचयी)	2/2
ग. विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना 20.10.2023 के अनुसार पूर्ण रूप में निर्धारित आरपीओ	3/3
घ. आर.पी.ओ. कमी के लिए निर्धारित दंड	2/2

ऊर्जा संक्रमण
13/15

विविनियामक शासन

i. अधिकारियों की नियुक्ति के निर्धारित विनियम	2.5/2.5
ii. विभिन्न समूहों- ए, बी, सी और डी में स्वीकृत पदों का विभाजन	2.5/2.5

विविनियामक शासन
5/5

	निष्पादन मापदंड	उत्तर
1	**विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)**	
i	संसाधन पर्याप्तता विनियमों का निर्माण	हां
ii	बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार्जिन को परिभाषित करना	हां
iii	संसाधन पर्याप्तता योजना के लिए समयसीमा	हां
iv	आरए योजना का अनुपालन करने में विफलता के लिए गैर-अनुपालन शुल्क	हां
v	एसटीयू की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	हां
vi	डिस्कॉम की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	हां
2	**डिस्कॉमों की वित्तीय स्थिति**	
i	**प्रशुल्क आदेश समय पर जारी करना**	पीईडी- मिजोरम
क	वित्त वर्ष 2025-26 का एआरआर	24-मार्च-2025
ख	वित्त वर्ष 2023-24 का ट्रू-अप	24-मार्च-2025
ii	**वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल्क**	
क	एबीआर-एसीएस (@ मौजूदा प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)	(3.15)
ख	संचयी राजस्व अंतराल को पूरा करने के लिए प्रशुल्क में वृद्धि (मौजूदा राजस्व का %)	0.00%
ग	एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)	0.00
घ	एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशुल्क (करोड़ रु.)	0.00
ड.	एआरआर के प्रतिशत के रूप में अंतर	कोई अंतर नहीं
iii	**अंतिम ट्रू-अप के दौरान विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करना**	वित्त वर्ष2023-24 तक कोई विनियामक परिसंपत्तियां नहीं।
iv	**ईंधन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)**	
क	एफपीपीएएस तंत्र मौजूद है या नहीं?	हां
ख	एफपीपीएएस के परिवर्तन की आवृत्ति (त्रैमासिक/मासिक)	मासिक
ग	एफपीपीएएस का स्वत: आगे लगना या नहीं	हां
घ	एफपीपीएएस का फार्मूला विद्युत मंत्रालय की नियमावली दिनांक 29/12/2022 का आशय पूरा करता है।	हां
3	**जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना**	डी: दिन
i	**कनेक्शन जारी करना**	शहर और शहरी- 7 डी, ग्रामीण- 15 डी, दूरस्थ-30 डी
	मुआवजा	रु. 100/दिन
ii	**मीटर का परीक्षण और प्रतिस्थापन**	
क	मीटर का परीक्षण	शहर- 4 डी, शहर- 7 डी, ग्रामीण- 15 डी, दूरस्थ- 20 डी
	मुआवजा	रु. 50/दिन
ख	मीटर का प्रतिस्थापन	शहर- 3 डी, शहरी- 5 डी, ग्रामीण- 15 डी, दूरस्थ- 20 डी
	मुआवजा	रु. 50/दिन
iii	**नेट मीटरिंग कनेक्शन जारी करना।**	शहरी - 25 डी, ग्रामीण - 30 डी
iv	**150 किलोवाट तक के नए कनेक्शनों के लिए पूर्व-निर्दिष्ट मांग शुल्क**	हां
v	**आपूर्ति की गुणवत्ता**	
क	विनियमों में परिभाषित विश्वसनीयता सूचकांकों की पद्धति	हां
ख	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सूचकांकों के लिए निर्दिष्ट लक्ष्य	नहीं
ग	आरआई लक्ष्यों का अनुपालन न करने की स्थिति में मुआवजा	नहीं
vi	**खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस-सब्सिडी में उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर्ष)**	नहीं
4	**ऊर्जा संक्रमण**	
i	**हरित ऊर्जा खुली पहुंच (जीईओए)**	
क	हरित ऊर्जा खुली पहुंच की सीमा- 100 किलोवाट	हां
ख	ग्रीन एच$_2$ और ग्रीन एनएच$_3$ के उत्पादन पर सीएसएस और एएस की छूट	नहीं
ग	ऊर्जा परियोजनाओं अपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट	हां
घ	हरित प्रशुल्क	नहीं
ii	**आरपीओ लक्ष्य**	
क	वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्दिष्ट आरपीओ पथ	हां
ख	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी)	हां
ग	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार कुल निर्धारित आरपीओ	हां
घ	आरपीओ में कमी के लिए निर्धारित जुर्माना	हां
5	**विनियामक शासन**	
i	अधिकारियों की नियुक्ति के लिए निर्धारित विनियम	हां
ii	विभिन्न समूहों - ए, बी, सी एंड डी में स्वीकृत पदों का विभाजन	हां

*पैरामीटरों का विवरण संलग्न परिशिष्टों में दिया गया है।

नागालैंड

नियामकीय प्रदर्शन स्कोरकार्ड

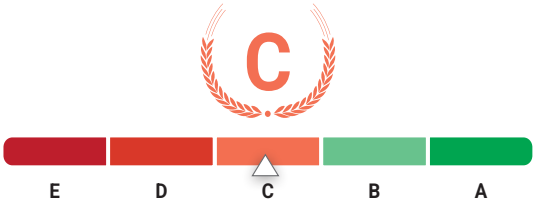

100 में से 55 अंक

विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)

विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता
10/32

i. संसाधन पर्याप्तता विनियमों का निर्माण	0/8
ii. विद्युत खरीद के लिए योजना रिजर्व मार्जिन को परिभाषित करना	0/5
iii. संसाधन पर्याप्तता योजना के लिए समय-सीमा	0/5
iv. संसाधन वकालत योजना का अनुपालन करने में विफलता के लिए गैर-अनुपालन प्रभार	0/4
v. एसटीयू की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना- एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	5/5
vi. डिस्कॉम की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	5/5

वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति

वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति
22/25

i. प्रशुल्क आदेशों का समय पर जारी करना	10/10
क. वित्त वर्ष 2025-26 का एआरआर	5/5
ख. वित वर्ष 2023-24 का टू-अप	5/5
ii. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल्क	6/6
iii. अंतिम टू अप के दौरान विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करना	4/4
iv. ईंधन और विद्युत खरीद लागत समायोजन अधिभार	2/5

जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना

जीवन यापन में आसानी/ कारोबार करना
12/23

i. कनेक्शन जारी करना	2/4
ii. मीटरों का परीक्षण और प्रतिस्थापन	4/6
iii. नेट मीटरिंग कनेक्शन जारी करना	2/2
iv. 150 किलोवाट तक के नए कनेक्शनों के लिए पूर्व-निर्धारित मांग प्रभार	3/3
v. आपूर्ति की गुणवत्ता	1/3
vi. खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस की उत्तरोतर कमी-(पिछले 5 वर्ष)	0/5

ऊर्जा संक्रमण

ऊर्जा संक्रमण
6/15

i. हरित ऊर्जा खुली पहुंच	4/6
क. हरित ऊर्जा खुली पहुंच की सीमा - 100 किलोवाट	3/3
ख. हरित एच$_2$ और हरित एनएच$_3$ के उत्पादन पर सीएसएस और एएस की छूट	0/1
ग. ऊर्जा परियोजनाओं के अपशिष्ट पर सीएसएस की छूट	1/1
घ. हरित प्रशुल्क	0/1
ii. आरपीओ लक्ष्य	2/9
क. वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्धारित आरपीओ पथ	0/2
ख. विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना 20.10.2023 के अनुार आर.पी.ओ. पथ (संचयी)	0/2
ग. विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना 20.10.2023 के अनुसार पूर्ण रूप में निर्धारित आरपीओ	0/3
घ. आर.पी.ओ. कमी के लिए निर्धारित दंड	2/2

विविनियामक शासन

विविनियामक शासन
5/5

i. अधिकारियों की नियुक्ति के निर्धारित विनियम	2.5/2.5
ii. विभिन्न समूहों- ए, बी, सी और डी में स्वीकृत पदों का विभाजन	2.5/2.5

	निष्पादन मापदंड	उत्तर
1	**विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)**	
i	संसाधन पर्याप्तता विनियमों का निर्माण	नहीं
ii	बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार्जिन को परिभाषित करना	नहीं
iii	संसाधन पर्याप्तता योजना के लिए समयसीमा	नहीं
iv	आरए योजना का अनुपालन करने में विफलता के लिए गैर-अनुपालन शुल्क	नहीं
v	एसटीयू की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	हां
vi	डिस्कॉम की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	हां
2	**डिस्कॉमों की वित्तीय स्थिति**	
i	**प्रशुल्क आदेश समय पर जारी करना**	
क	वित्त वर्ष 2025-26 का एआरआर	28-मार्च-2025
ख	वित्त वर्ष 2023-24 का ट्रू-अप	28-मार्च-2025
ii	**वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल्क**	डीओपी- नागालैंड
क	एबीआर-एसीएस (@ मौजूदा प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)	(4.01)
ख	संचयी राजस्व अंतराल को पूरा करने के लिए प्रशुल्क में वृद्धि (मौजूदा राजस्व का %)	2.61%
ग	एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)	0.00
घ	एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशुल्क (करोड़ रु.)	0.00
ड.	एआरआर के प्रतिशत के रूप में अंतर	कोई अंतर नहीं
iii	**अंतिम ट्रू-अप के दौरान विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करना**	वित्त वर्ष 2023-24 तक कोई विनियामक परिसंपत्ति नहीं
iv	**ईंधन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)**	
क	एफपीपीएएस तंत्र मौजूद है या नहीं?	हां
ख	एफपीपीएएस के परिवर्तन की आवृत्ति (त्रैमासिक/मासिक)	मासिक
ग	एफपीपीएएस का स्वत: आगे लगना या नहीं	नहीं
घ	एफपीपीएएस का फार्मूला विद्युत मंत्रालय की नियमावली दिनांक 29/12/2022 का आशय पूरा करता है।	नहीं
3	**जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना**	डी: दिन
i	**कनेक्शन जारी करना**	मेट्रो: 3 डी, शहरी: 7 डी, ग्रामीण: 15 डी, दूरस्थ: 30 डी
	मुआवजा	50 रुपये प्रतिदिन
ii	**मीटर का परीक्षण और प्रतिस्थापन**	
क	मीटर का परीक्षण	शहरी-7 डी, ग्रामीण-15 डी, दूरस्थ-20 डी
	मुआवजा	रु. 50/दिन
ख	मीटर का प्रतिस्थापन	एलटी: शहरी- 7 डी, ग्रामीण- 15 डी, रिमोट- 30 डी; एचटी: 7 डी
	मुआवजा	एलटी- रु. 50/दिन, एचटी- रु. 100/दिन
iii	**नेट मीटरिंग कनेक्शन जारी करना।**	15 दिन
iv	**150 किलोवाट तक के नए कनेक्शनों के लिए पूर्व-निर्दिष्ट मांग शुल्क**	हां
v	**आपूर्ति की गुणवत्ता**	
क	विनियमों में परिभाषित विश्वसनीयता सूचकांकों की पद्धति	हां
ख	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सूचकांकों के लिए निर्दिष्ट लक्ष्य	नहीं
ग	आरआई लक्ष्यों का अनुपालन न करने की स्थिति में मुआवजा	नहीं
vi	खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस-सब्सिडी में उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर्ष)	नहीं
4	**ऊर्जा संक्रमण**	
i	**हरित ऊर्जा खुली पहुंच (जीईओए)**	
क	हरित ऊर्जा खुली पहुंच की सीमा- 100 किलोवाट	हां
ख	ग्रीन एच$_2$ और ग्रीन एनएच$_3$ के उत्पादन पर सीएसएस और एएस की छूट	नहीं
ग	ऊर्जा परियोजनाओं अपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट	हां
घ	हरित प्रशुल्क	नहीं
ii	**आरपीओ लक्ष्य**	
क	वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्दिष्ट आरपीओ पथ	नहीं
ख	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी)	नहीं
ग	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार कुल निर्धारित आरपीओ	नहीं
घ	आरपीओ में कमी के लिए निर्धारित जुर्माना	हां
5	**विनियामक शासन**	
i	अधिकारियों की नियुक्ति के लिए निर्धारित विनियम	हां
ii	विभिन्न समूहों - ए, बी, सी एंड डी में स्वीकृत पदों का विभाजन	हां

*पैरामीटरों का विवरण संलग्न परिशिष्टों में दिया गया है।

ओडिशा

नियामकीय प्रदर्शन स्कोरकार्ड

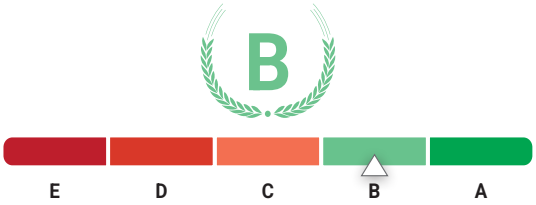

100 में से 75.5 अंक

विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)

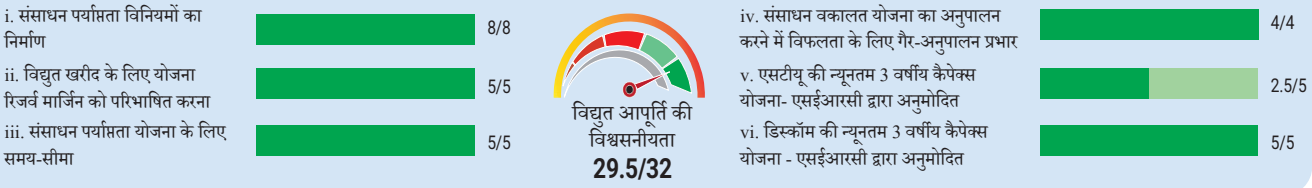

वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति

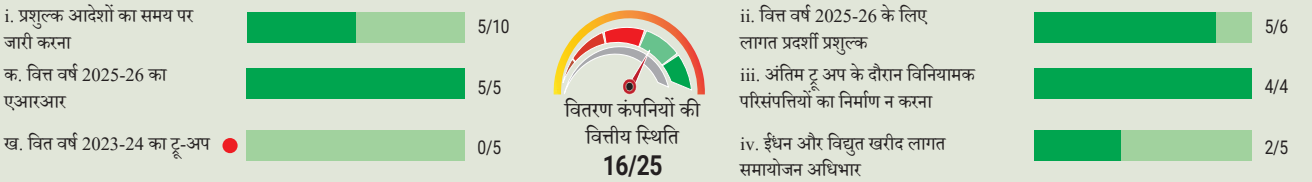

जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना

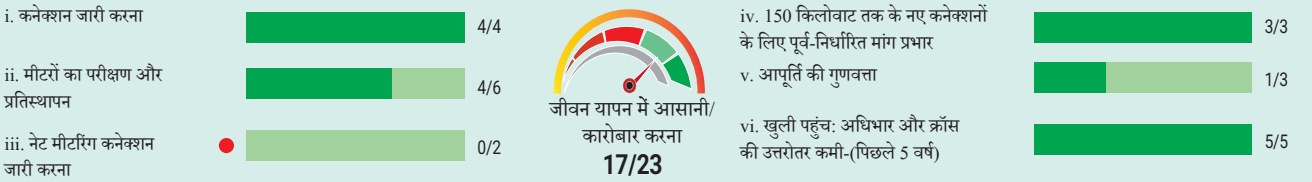

ऊर्जा संक्रमण

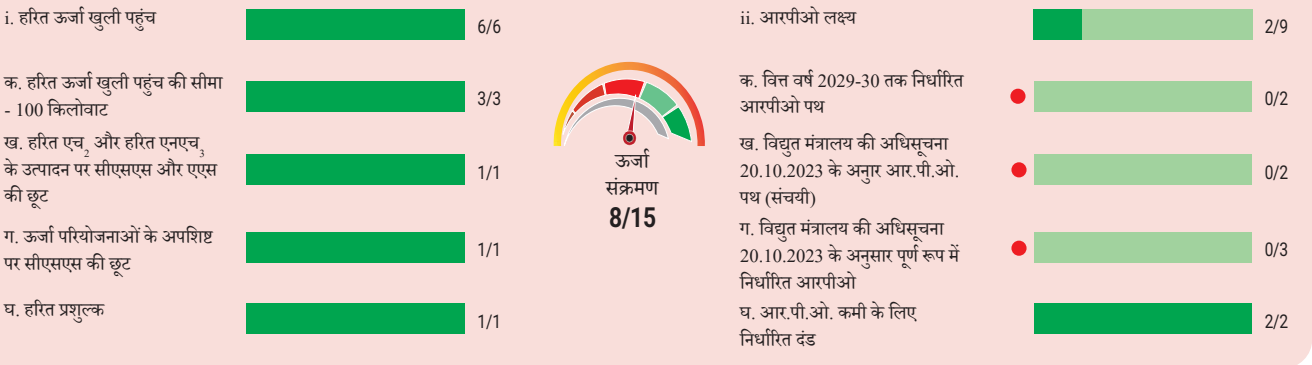

विविनियामक शासन

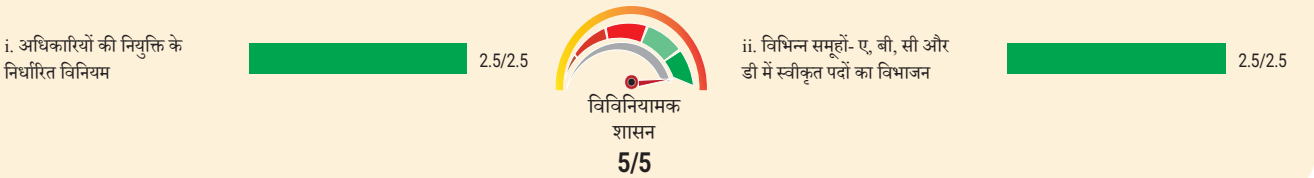

	निष्पादन मापदंड	उत्तर			
1	**विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)**				
i	संसाधन पर्याप्तता विनियमों का निर्माण	हां			
ii	बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार्जिन को परिभाषित करना	हां			
iii	संसाधन पर्याप्तता योजना के लिए समयसीमा	हां			
iv	आरए योजना का अनुपालन करने में विफलता के लिए गैर-अनुपालन शुल्क	हां			
v	एसटीयू की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	हां			
vi	डिस्कॉम की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	हां			
2	**डिस्कॉमों की वित्तीय स्थिति**				
i	**प्रशुल्क आदेश समय पर जारी करना**				
क	वित्त वर्ष 2025-26 का एआरआर	24-मार्च-2025			
ख	वित्त वर्ष 2023-24 का टू-अप	जारी नहीं किया गया			
ii	**वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल्क**	**टीपीडब्ल्यू ओडीएल**	**टीपीएस ओडीएल**	**टीपीएन ओडीएल**	**टीपीसी ओडीएल**
क	एबीआर-एसीएस (@ मौजूदा प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)	0.02	(0.12)	0.02	0.06
ख	संचयी राजस्व अंतराल को पूरा करने के लिए प्रशुल्क में वृद्धि (मौजूदा राजस्व का %)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ग	एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)	0.02	(0.12)	0.02	0.06
घ	एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशुल्क (करोड़ रु.)	17	(46)	15	74
ड.	एआरआर के प्रतिशत के रूप में अंतर	कोई अंतर नहीं	2.06%	कोई अंतर नहीं	कोई अंतर नहीं
iii	**अंतिम टू-अप के दौरान विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करना**	वित्त वर्ष 2022-23 तक कोई विनियामक परिसंपत्ति नहीं			
iv	**ईंधन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)**				
क	एफपीपीएएस तंत्र मौजूद है या नहीं?	हां			
ख	एफपीपीएएस के परिवर्तन की आवृत्ति (त्रैमासिक/मासिक)	मासिक			
ग	एफपीपीएएस का स्वत: आगे लगना या नहीं	नहीं			
घ	एफपीपीएएस का फार्मूला विद्युत मंत्रालय की नियमावली दिनांक 29/12/2022 का आशय पूरा करता है।	नहीं			
3	**जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना**	डी: दिन			
i	**कनेक्शन जारी करना**	मेट्रो: 3 डी, नगर पालिका : 7 डी, ग्रामीण: 15 डी			
	मुआवजा	धारा 43(3) के साथ पठित धारा 143 के अधीन दंड			
ii	**मीटर का परीक्षण और प्रतिस्थापन**				
क	मीटर का परीक्षण	7 दिन			
	मुआवजा	धारा 43(3) के साथ पठित धारा 143 के अधीन दंड			
ख	मीटर का प्रतिस्थापन	30 दिन			
	मुआवजा	धारा 43(3) के साथ पठित धारा 143 के अधीन दंड			
iii	**नेट मीटरिंग कनेक्शन जारी करना।**	17 दिन			
iv	**150 किलोवाट तक के नए कनेक्शनों के लिए पूर्व-निर्दिष्ट मांग शुल्क**	हां			
v	**आपूर्ति की गुणवत्ता**				
क	विनियमों में परिभाषित विश्वसनीयता सूचकांकों की पद्धति	हां			
ख	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सूचकांकों के लिए निर्दिष्ट लक्ष्य	नहीं			
ग	आरआई लक्ष्यों का अनुपालन न करने की स्थिति में मुआवजा	नहीं			
vi	खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस-सब्सिडी में उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर्ष)	हां			
4	**ऊर्जा संक्रमण**				
i	**हरित ऊर्जा खुली पहुंच (जीईओए)**				
क	हरित ऊर्जा खुली पहुंच की सीमा- 100 किलोवाट	हां			
ख	ग्रीन एच$_2$ और ग्रीन एनएच$_3$ के उत्पादन पर सीएसएस और एएस की छूट	हां			
ग	ऊर्जा परियोजनाओं अपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट	हां			
घ	हरित प्रशुल्क	हां			
ii	**आरपीओ लक्ष्य**				
क	वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्दिष्ट आरपीओ पथ	नहीं			
ख	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी)	नहीं			
ग	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार कुल निर्धारित आरपीओ	नहीं			
घ	आरपीओ में कमी के लिए निर्धारित जुर्माना	हां			
5	**विनियामक शासन**				
i	अधिकारियों की नियुक्ति के लिए निर्धारित विनियम	हां			
ii	विभिन्न समूहों - ए, बी, सी एंड डी में स्वीकृत पदों का विभाजन	हां			

*पैरामीटरों का विवरण संलग्न परिशिष्टों में दिया गया है।

पुडुचेरी

नियामकीय प्रदर्शन स्कोरकार्ड

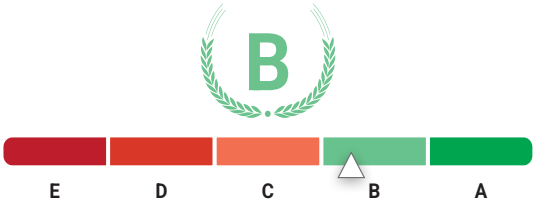

100 में से 70 अंक

विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)

i. संसाधन पर्याप्तता विनियमों का निर्माण	4/8
ii. विद्युत खरीद के लिए योजना रिजर्व मार्जिन को परिभाषित करना	5/5
iii. संसाधन पर्याप्तता योजना के लिए समय-सीमा	5/5
iv. संसाधन वकालत योजना का अनुपालन करने में विफलता के लिए गैर-अनुपालन प्रभार	4/4
v. एसटीयू की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना- एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	5/5
vi. डिस्कॉम की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	5/5

विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता
28/32

वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति

i. प्रशुल्क आदेशों का समय पर जारी करना	0/10
क. वित्त वर्ष 2025-26 का एआरआर	0/5
ख. वित वर्ष 2023-24 का टू-अप	0/5
ii. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल्क	0/6
iii. अंतिम टू अप के दौरान विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करना	0/4
iv. ईंधन और विद्युत खरीद लागत समायोजन अधिभार	5/5

वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति
5/25

जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना

i. कनेक्शन जारी करना	2/4
ii. मीटरों का परीक्षण और प्रतिस्थापन	4/6
iii. नेट मीटरिंग कनेक्शन जारी करना	2/2
iv. 150 किलोवाट तक के नए कनेक्शनों के लिए पूर्व-निर्धारित मांग प्रभार	3/3
v. आपूर्ति की गुणवत्ता	1/3
vi. खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस की उत्तरोतर कमी-(पिछले 5 वर्ष)	5/5

जीवन यापन में आसानी/ कारोबार करना
17/23

ऊर्जा संक्रमण

i. हरित ऊर्जा खुली पहुंच	6/6
क. हरित ऊर्जा खुली पहुंच की सीमा - 100 किलोवाट	3/3
ख. हरित एच$_2$ और हरित एनएच$_3$ के उत्पादन पर सीएसएस और एएस की छूट	1/1
ग. ऊर्जा परियोजनाओं के अपशिष्ट पर सीएसएस की छूट	1/1
घ. हरित प्रशुल्क	1/1
ii. आरपीओ लक्ष्य	9/9
क. वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्धारित आरपीओ पथ	2/2
ख. विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना 20.10.2023 के अनुार आर.पी.ओ. पथ (संचयी)	2/2
ग. विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना 20.10.2023 के अनुसार पूर्ण रूप में निर्धारित आरपीओ	3/3
घ. आर.पी.ओ. कमी के लिए निर्धारित दंड	2/2

ऊर्जा संक्रमण
15/15

विविनियामक शासन

i. अधिकारियों की नियुक्ति के निर्धारित विनियम	2.5/2.5
ii. विभिन्न समूहों- ए, बी, सी और डी में स्वीकृत पदों का विभाजन	2.5/2.5

विविनियामक शासन
5/5

	निष्पादन मापदंड	उत्तर
1	**विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)**	
i	संसाधन पर्याप्तता विनियमों का निर्माण	हां
ii	बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार्जिन को परिभाषित करना	हां
iii	संसाधन पर्याप्तता योजना के लिए समयसीमा	हां
iv	आरए योजना का अनुपालन करने में विफलता के लिए गैर-अनुपालन शुल्क	हां
v	एसटीयू की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	हां
vi	डिस्कॉम की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	हां
2	**डिस्कॉमों की वित्तीय स्थिति**	
i	**प्रशुल्क आदेश समय पर जारी करना**	पीईडी
क	वित्त वर्ष 2025-26 का एआरआर	जारी नहीं किया गया
ख	वित्त वर्ष 2023-24 का ट्रू-अप	जारी नहीं किया गया
ii	**वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल्क**	
क	एबीआर-एसीएस (@ मौजूदा प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रशुल्क आदेश जारी नहीं किया गया
ख	संचयी राजस्व अंतराल को पूरा करने के लिए प्रशुल्क में वृद्धि (मौजूदा राजस्व का %)	
ग	एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)	
घ	एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशुल्क (करोड़ रु.)	
ड.	एआरआर के प्रतिशत के रूप में अंतर	
iii	**अंतिम ट्रू-अप के दौरान विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करना**	वित्त वर्ष 2022-23 तक 612 करोड़ रुपये विनियामक परिसंपत्तियां
iv	**ईंधन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)**	
क	एफपीपीएएस तंत्र मौजूद है या नहीं?	हां
ख	एफपीपीएएस के परिवर्तन की आवृत्ति (त्रैमासिक/मासिक)	मासिक
ग	एफपीपीएएस का स्वत: आगे लगना या नहीं	हां
घ	एफपीपीएएस का फार्मूला विद्युत मंत्रालय की नियमावली दिनांक 29/12/2022 का आशय पूरा करता है।	हां
3	**जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना**	डी: दिन
i	**कनेक्शन जारी करना**	मेट्रो- 3 डी, शहर- 7 डी, ग्रामीण- 15 डी, द्वीप समूह- 30 डी
	मुआवजा	नहीं
ii	**मीटर का परीक्षण और प्रतिस्थापन**	
क	मीटर का परीक्षण	30 दिन
	मुआवजा	रु. 100/दिन
ख	मीटर का प्रतिस्थापन	15 दिन
	मुआवजा	रु. 100/दिन
iii	**नेट मीटरिंग कनेक्शन जारी करना।**	15 दिन
iv	**150 किलोवाट तक के नए कनेक्शनों के लिए पूर्व-निर्दिष्ट मांग शुल्क**	हां
v	**आपूर्ति की गुणवत्ता**	
क	विनियमों में परिभाषित विश्वसनीयता सूचकांकों की पद्धति	हां
ख	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सूचकांकों के लिए निर्दिष्ट लक्ष्य	नहीं
ग	आरआई लक्ष्यों का अनुपालन न करने की स्थिति में मुआवजा	नहीं
vi	**खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस-सब्सिडी में उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर्ष)**	हां
4	**ऊर्जा संक्रमण**	
i	**हरित ऊर्जा खुली पहुंच (जीईओए)**	
क	हरित ऊर्जा खुली पहुंच की सीमा- 100 किलोवाट	हां
ख	ग्रीन एच$_2$ और ग्रीन एनएच$_3$ के उत्पादन पर सीएसएस और एएस की छूट	हां
ग	ऊर्जा परियोजनाओं अपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट	हां
घ	हरित प्रशुल्क	हां
ii	**आरपीओ लक्ष्य**	
क	वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्दिष्ट आरपीओ पथ	हां
ख	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी)	हां
ग	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार कुल निर्धारित आरपीओ	हां
घ	आरपीओ में कमी के लिए निर्धारित जुर्माना	हां
5	**विनियामक शासन**	
i	अधिकारियों की नियुक्ति के लिए निर्धारित विनियम	हां
ii	विभिन्न समूहों - ए, बी, सी एंड डी में स्वीकृत पदों का विभाजन	हां

*पैरामीटरों का विवरण संलग्न परिशिष्टों में दिया गया है।

पंजाब

नियामकीय प्रदर्शन स्कोरकार्ड

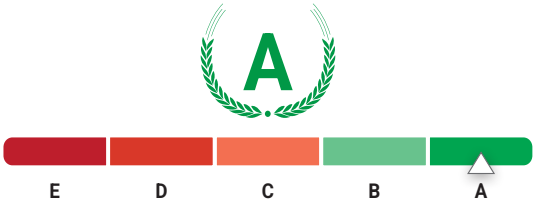

100 में से 97 अंक

विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)

i. संसाधन पर्याप्तता विनियमों का निर्माण	8/8
ii. विद्युत खरीद के लिए योजना रिजर्व मार्जिन को परिभाषित करना	5/5
iii. संसाधन पर्याप्तता योजना के लिए समय-सीमा	5/5
iv. संसाधन वकालत योजना का अनुपालन करने में विफलता के लिए गैर-अनुपालन प्रभार	4/4
v. एसटीयू की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना- एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	5/5
vi. डिस्कॉम की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	5/5

विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता
32/32

वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति

i. प्रशुल्क आदेशों का समय पर जारी करना	10/10
क. वित्त वर्ष 2025-26 का एआरआर	5/5
ख. वित वर्ष 2023-24 का टू-अप	5/5
ii. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल्क	6/6
iii. अंतिम टू अप के दौरान विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करना	4/4
iv. ईंधन और विद्युत खरीद लागत समायोजन अधिभार	5/5

वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति
25/25

जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना

i. कनेक्शन जारी करना	4/4
ii. मीटरों का परीक्षण और प्रतिस्थापन	6/6
iii. नेट मीटरिंग कनेक्शन जारी करना	2/2
iv. 150 किलोवाट तक के नए कनेक्शनों के लिए पूर्व-निर्धारित मांग प्रभार	3/3
v. आपूर्ति की गुणवत्ता	3/3
vi. खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस की उत्तरोतर कमी-(पिछले 5 वर्ष)	5/5

जीवन यापन में आसानी/ कारोबार करना
23/23

ऊर्जा संक्रमण

i. हरित ऊर्जा खुली पहुंच	6/6
क. हरित ऊर्जा खुली पहुंच की सीमा - 100 किलोवाट	3/3
ख. हरित एच$_2$ और हरित एनएच$_3$ के उत्पादन पर सीएसएस और एएस की छूट	1/1
ग. ऊर्जा परियोजनाओं के अपशिष्ट पर सीएसएस की छूट	1/1
घ. हरित प्रशुल्क	1/1
ii. आरपीओ लक्ष्य	6/9
क. वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्धारित आरपीओ पथ	2/2
ख. विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना 20.10.2023 के अनुार आर.पी.ओ. पथ (संचयी)	2/2
ग. विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना 20.10.2023 के अनुसार पूर्ण रूप में निर्धारित आरपीओ	0/3
घ. आर.पी.ओ. कमी के लिए निर्धारित दंड	2/2

ऊर्जा संक्रमण
12/15

विविनियामक शासन

i. अधिकारियों की नियुक्ति के निर्धारित विनियम	2.5/2.5
ii. विभिन्न समूहों- ए, बी, सी और डी में स्वीकृत पदों का विभाजन	2.5/2.5

विविनियामक शासन
5/5

	निष्पादन मापदंड	उत्तर
1	**विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)**	
i	संसाधन पर्याप्तता विनियमों का निर्माण	हां
ii	बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार्जिन को परिभाषित करना	हां
iii	संसाधन पर्याप्तता योजना के लिए समयसीमा	हां
iv	आरए योजना का अनुपालन करने में विफलता के लिए गैर-अनुपालन शुल्क	हां
v	एसटीयू की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	हां
vi	डिस्कॉम की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	हां
2	**डिस्कॉमों की वित्तीय स्थिति**	
i	**प्रशुल्क आदेश समय पर जारी करना**	
क	वित्त वर्ष 2025-26 का एआरआर	28-मार्च-2025
ख	वित्त वर्ष 2023-24 का ट्रू-अप	28-मार्च-2025
ii	**वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल्क**	पीएसपीसीएल
क	एबीआर-एसीएस (@ मौजूदा प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)	0.05
ख	संचयी राजस्व अंतराल को पूरा करने के लिए प्रशुल्क में वृद्धि (मौजूदा राजस्व का %)	-0.65%
ग	एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)	0.00
घ	एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशुल्क (करोड़ रु.)	0.00
ड.	एआरआर के प्रतिशत के रूप में अंतर	कोई अंतर नहीं
iii	**अंतिम ट्रू-अप के दौरान विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करना**	वित्त वर्ष 2023-24 तक कोई विनियामक परिसंपत्ति नहीं
iv	**ईंधन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)**	
क	एफपीपीएएस तंत्र मौजूद है या नहीं?	हां
ख	एफपीपीएएस के परिवर्तन की आवृत्ति (त्रैमासिक/मासिक)	मासिक
ग	एफपीपीएएस का स्वत: आगे लगना या नहीं	हां
घ	एफपीपीएएस का फार्मूला विद्युत मंत्रालय की नियमावली दिनांक 29/12/2022 का आशय पूरा करता है।	हां
3	**जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना**	डी: दिन
i	**कनेक्शन जारी करना**	शहर: 3 डी, नगरपालिका: 7 डी, ग्रामीण: 15 डी
	मुआवजा	रु. 200/दिन
ii	**मीटर का परीक्षण और प्रतिस्थापन**	
क	मीटर का परीक्षण	3 दिन
	मुआवजा	रु. 200/दिन
ख	मीटर का प्रतिस्थापन	शहरी - 24 घंटे; ग्रामीण - 72 घंटे
	मुआवजा	जला हुआ- 300/- रुपये प्रतिदिन, खराब- 200/- रुपये प्रतिदिन
iii	**नेट मीटरिंग कनेक्शन जारी करना।**	15 दिन
iv	**150 किलोवाट तक के नए कनेक्शनों के लिए पूर्व-निर्दिष्ट मांग शुल्क**	हां
v	**आपूर्ति की गुणवत्ता**	
क	विनियमों में परिभाषित विश्वसनीयता सूचकांकों की पद्धति	हां
ख	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सूचकांकों के लिए निर्दिष्ट लक्ष्य	हां
ग	आरआई लक्ष्यों का अनुपालन न करने की स्थिति में मुआवजा	हां
vi	**खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस-सब्सिडी में उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर्ष)**	हां
4	**ऊर्जा संक्रमण**	
i	**हरित ऊर्जा खुली पहुंच (जीईओए)**	
क	हरित ऊर्जा खुली पहुंच की सीमा- 100 किलोवाट	हां
ख	ग्रीन एच$_2$ और ग्रीन एनएच$_3$ के उत्पादन पर सीएसएस और एएस की छूट	हां
ग	ऊर्जा परियोजनाओं अपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट	हां
घ	हरित प्रशुल्क	हां
ii	**आरपीओ लक्ष्य**	
क	वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्दिष्ट आरपीओ पथ	हां
ख	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी)	हां
ग	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार कुल निर्धारित आरपीओ	नहीं
घ	आरपीओ में कमी के लिए निर्धारित जुर्माना	हां
5	**विनियामक शासन**	
i	अधिकारियों की नियुक्ति के लिए निर्धारित विनियम	हां
ii	विभिन्न समूहों - ए, बी, सी एंड डी में स्वीकृत पदों का विभाजन	हां

*पैरामीटरों का विवरण संलग्न परिशिष्टों में दिया गया है।

राजस्थान

नियामकीय प्रदर्शन स्कोरकार्ड

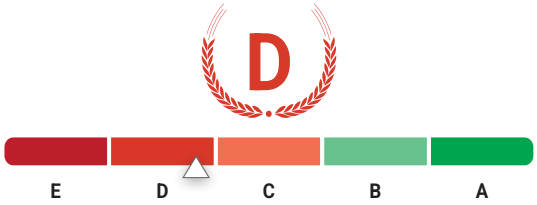

100 में से 39 अंक

विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)

- i. संसाधन पर्याप्तता विनियमों का निर्माण: 0/8
- ii. विद्युत खरीद के लिए योजना रिजर्व मार्जिन को परिभाषित करना: 0/5
- iii. संसाधन पर्याप्तता योजना के लिए समय-सीमा: 0/5

विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता
0/32

- iv. संसाधन वकालत योजना का अनुपालन करने में विफलता के लिए गैर-अनुपालन प्रभार: 0/4
- v. एसटीयू की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना- एसईआरसी द्वारा अनुमोदित: 0/5
- vi. डिस्कॉम की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित: 0/5

वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति

- i. प्रशुल्क आदेशों का समय पर जारी करना: 0/10
  - क. वित्त वर्ष 2025-26 का एआरआर: 0/5
  - ख. वित वर्ष 2023-24 का ट्रू-अप: 0/5

वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति
5/25

- ii. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल्क: 0/6
- iii. अंतिम ट्रू अप के दौरान विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करना: 0/4
- iv. ईंधन और विद्युत खरीद लागत समायोजन अधिभार: 5/5

जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना

- i. कनेक्शन जारी करना: 4/4
- ii. मीटरों का परीक्षण और प्रतिस्थापन: 6/6
- iii. नेट मीटरिंग कनेक्शन जारी करना: 2/2

जीवन यापन में आसानी/ कारोबार करना
20/23

- iv. 150 किलोवाट तक के नए कनेक्शनों के लिए पूर्व-निर्धारित मांग प्रभार: 0/3
- v. आपूर्ति की गुणवत्ता: 3/3
- vi. खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस की उत्तरोतर कमी-(पिछले 5 वर्ष): 5/5

ऊर्जा संक्रमण

- i. हरित ऊर्जा खुली पहुंच: 3/6
  - क. हरित ऊर्जा खुली पहुंच की सीमा - 100 किलोवाट: 0/3
  - ख. हरित एच$_2$ और हरित एनएच$_3$ के उत्पादन पर सीएसएस और एएस की छूट: 1/1
  - ग. ऊर्जा परियोजनाओं के अपशिष्ट पर सीएसएस की छूट: 1/1
  - घ. हरित प्रशुल्क: 1/1

ऊर्जा संक्रमण
9/15

- ii. आरपीओ लक्ष्य: 6/9
  - क. वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्धारित आरपीओ पथ: 2/2
  - ख. विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना 20.10.2023 के अनुार आर.पी.ओ. पथ (संचयी): 2/2
  - ग. विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना 20.10.2023 के अनुसार पूर्ण रूप में निर्धारित आरपीओ: 0/3
  - घ. आर.पी.ओ. कमी के लिए निर्धारित दंड: 2/2

विविनियामक शासन

- i. अधिकारियों की नियुक्ति के निर्धारित विनियम: 2.5/2.5

विविनियामक शासन
5/5

- ii. विभिन्न समूहों- ए, बी, सी और डी में स्वीकृत पदों का विभाजन: 2.5/2.5

	निष्पादन मापदंड	उत्तर		
1	**विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)**			
i	संसाधन पर्याप्तता विनियमों का निर्माण	नहीं		
ii	बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार्जिन को परिभाषित करना	नहीं		
iii	संसाधन पर्याप्तता योजना के लिए समयसीमा	नहीं		
iv	आरए योजना का अनुपालन करने में विफलता के लिए गैर-अनुपालन शुल्क	नहीं		
v	एसटीयू की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	नहीं		
vi	डिस्कॉम की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	नहीं		
2	**डिस्कॉमों की वित्तीय स्थिति**			
i	**प्रशुल्क आदेश समय पर जारी करना**			
क	वित्त वर्ष 2025-26 का एआरआर	जारी नहीं किया गया		
ख	वित्त वर्ष 2023-24 का ट्रू-अप	जारी नहीं किया गया		
ii	**वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल्क**	जयपुर	अजमेर	जोधपुर
क	एबीआर-एसीएस (@ मौजूदा प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रशुल्क आदेश जारी नहीं किया गया		
ख	संचयी राजस्व अंतराल को पूरा करने के लिए प्रशुल्क में वृद्धि (मौजूदा राजस्व का %)			
ग	एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)			
घ	एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशुल्क (करोड़ रु.)			
ड.	एआरआर के प्रतिशत के रूप में अंतर			
iii	**अंतिम ट्रू-अप के दौरान विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करना**	वित्त वर्ष 2022-23 तक 53,824 करोड़ रुपये		
iv	**ईंधन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)**			
क	एफपीपीएएस तंत्र मौजूद है या नहीं?	हां		
ख	एफपीपीएएस के परिवर्तन की आवृत्ति (त्रैमासिक/मासिक)	मासिक		
ग	एफपीपीएएस का स्वत: आगे लगना या नहीं	हां		
घ	एफपीपीएएस का फार्मूला विद्युत मंत्रालय की नियमावली दिनांक 29/12/2022 का आशय पूरा करता है।	हां		
3	**जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना**	डी: दिन		
i	**कनेक्शन जारी करना**	मेट्रो-3 डी, अन्य नगरपालिक 7 डी, ग्रामीण-15 डी		
	मुआवजा	एलटी- रु. 300, एचटी- रु. 750, ईएचटी- रु. 1500		
ii	**मीटर का परीक्षण और प्रतिस्थापन**			
क	मीटर का परीक्षण	15 दिन		
	मुआवजा	एलटी- 200 रुपये, एचटी- 500 रुपये, ईएचटी- 1000 रुपये		
ख	मीटर का प्रतिस्थापन	शहरी-24 घंटे, ग्रामीण - 72 घंटे		
	मुआवजा	2 महीने की डिफ़ॉल्ट के बाद कुल बिल पर 5% की छूट		
iii	**नेट मीटरिंग कनेक्शन जारी करना।**	15 दिन		
iv	**150 किलोवाट तक के नए कनेक्शनों के लिए पूर्व-निर्दिष्ट मांग शुल्क**	नहीं		
v	**आपूर्ति की गुणवत्ता**			
क	विनियमों में परिभाषित विश्वसनीयता सूचकांकों की पद्धति	हां		
ख	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सूचकांकों के लिए निर्दिष्ट लक्ष्य	हां		
ग	आरआई लक्ष्यों का अनुपालन न करने की स्थिति में मुआवजा	हां		
vi	**खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस-सब्सिडी में उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर्ष)**	हां		
4	**ऊर्जा संक्रमण**			
i	**हरित ऊर्जा खुली पहुंच (जीईओए)**			
क	हरित ऊर्जा खुली पहुंच की सीमा- 100 किलोवाट	नहीं		
ख	ग्रीन एच$_2$ और ग्रीन एनएच$_3$ के उत्पादन पर सीएसएस और एएस की छूट	हां		
ग	ऊर्जा परियोजनाओं अपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट	हां		
घ	हरित प्रशुल्क	हां		
ii	**आरपीओ लक्ष्य**			
क	वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्दिष्ट आरपीओ पथ	हां		
ख	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी)	हां		
ग	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार कुल निर्धारित आरपीओ	नहीं		
घ	आरपीओ में कमी के लिए निर्धारित जुर्माना	हां		
5	**विनियामक शासन**			
i	अधिकारियों की नियुक्ति के लिए निर्धारित विनियम	हां		
ii	विभिन्न समूहों - ए, बी, सी एंड डी में स्वीकृत पदों का विभाजन	हां		

*पैरामीटरों का विवरण संलग्न परिशिष्टों में दिया गया है।

सिक्किम

नियामकीय प्रदर्शन स्कोरकार्ड

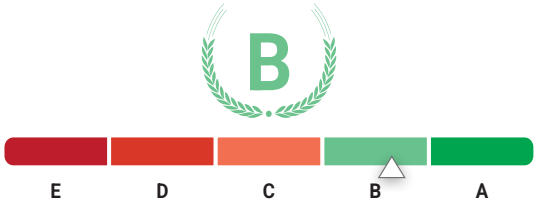

100 में से 78 अंक

विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)

i. संसाधन पर्याप्तता विनियमों का निर्माण	6/8
ii. विद्युत खरीद के लिए योजना रिजर्व मार्जिन को परिभाषित करना	5/5
iii. संसाधन पर्याप्तता योजना के लिए समय-सीमा	5/5
iv. संसाधन वकालत योजना का अनुपालन करने में विफलता के लिए गैर-अनुपालन प्रभार	4/4
v. एसटीयू की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना- एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	5/5
vi. डिस्कॉम की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	5/5

विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता
30/32

वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति

i. प्रशुल्क आदेशों का समय पर जारी करना	10/10
क. वित्त वर्ष 2025-26 का एआरआर	5/5
ख. वित वर्ष 2023-24 का टू-अप	5/5
ii. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल्क	6/6
iii. अंतिम टू अप के दौरान विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करना	4/4
iv. ईंधन और विद्युत खरीद लागत समायोजन अधिभार	5/5

वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति
25/25

जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना

i. कनेक्शन जारी करना	2/4
ii. मीटरों का परीक्षण और प्रतिस्थापन	4/6
iii. नेट मीटरिंग कनेक्शन जारी करना	2/2
iv. 150 किलोवाट तक के नए कनेक्शनों के लिए पूर्व-निर्धारित मांग प्रभार	3/3
v. आपूर्ति की गुणवत्ता	1/3
vi. खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस की उत्तरोतर कमी-(पिछले 5 वर्ष)	0/5

जीवन यापन में आसानी/ कारोबार करना
12/23

ऊर्जा संक्रमण

i. हरित ऊर्जा खुली पहुंच	4/6
क. हरित ऊर्जा खुली पहुंच की सीमा - 100 किलोवाट	3/3
ख. हरित एच$_2$ और हरित एनएच$_3$ के उत्पादन पर सीएसएस और एएस की छूट	0/1
ग. ऊर्जा परियोजनाओं के अपशिष्ट पर सीएसएस की छूट	1/1
घ. हरित प्रशुल्क	0/1
ii. आरपीओ लक्ष्य	2/9
क. वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्धारित आरपीओ पथ	0/2
ख. विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना 20.10.2023 के अनुार आर.पी.ओ. पथ (संचयी)	0/2
ग. विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना 20.10.2023 के अनुसार पूर्ण रूप में निर्धारित आरपीओ	0/3
घ. आर.पी.ओ. कमी के लिए निर्धारित दंड	2/2

ऊर्जा संक्रमण
6/15

विविनियामक शासन

i. अधिकारियों की नियुक्ति के निर्धारित विनियम	2.5/2.5
ii. विभिन्न समूहों- ए, बी, सी और डी में स्वीकृत पदों का विभाजन	2.5/2.5

विविनियामक शासन
5/5

	निष्पादन मापदंड	उत्तर
1	विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)	
i	संसाधन पर्याप्तता विनियमों का निर्माण	हां
ii	बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार्जिन को परिभाषित करना	हां
iii	संसाधन पर्याप्तता योजना के लिए समयसीमा	हां
iv	आरए योजना का अनुपालन करने में विफलता के लिए गैर-अनुपालन शुल्क	हां
v	एसटीयू की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	हां
vi	डिस्कॉम की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	हां
2	डिस्कॉमों की वित्तीय स्थिति	
i	**प्रशुल्क आदेश समय पर जारी करना**	
क	वित्त वर्ष 2025-26 का एआरआर	27-मार्च-2025
ख	वित्त वर्ष 2023-24 का ट्रू-अप	27-मार्च-2025
ii	**वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल्क**	पीडी-सिक्किम
क	एबीआर-एसीएस (@ मौजूदा प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)	(0.68)
ख	संचयी राजस्व अंतराल को पूरा करने के लिए प्रशुल्क में वृद्धि (मौजूदा राजस्व का %)	14.09%
ग	एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)	0.23
घ	एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशुल्क (करोड़ रु.)	12
ड.	एआरआर के प्रतिशत के रूप में अंतर	कोई अंतर नहीं
iii	**अंतिम ट्रू-अप के दौरान विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करना**	वित्त वर्ष 2023-24 तक कोई विनियामक परिसंपत्ति नहीं
iv	**ईंधन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)**	
क	एफपीपीएएस तंत्र मौजूद है या नहीं?	हां
ख	एफपीपीएएस के परिवर्तन की आवृत्ति (त्रैमासिक/मासिक)	मासिक
ग	एफपीपीएएस का स्वत: आगे लगना या नहीं	हां
घ	एफपीपीएएस का फार्मूला विद्युत मंत्रालय की नियमावली दिनांक 29/12/2022 का आशय पूरा करता है।	हां
3	जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना	डी: दिन
i	**कनेक्शन जारी करना**	मेट्रो- 3 डी, नगरपालिका- 7 डी, ग्रामीण- 15 डी, पहाड़ी - 30 डी
	मुआवजा	रु. 50/दिन
ii	**मीटर का परीक्षण और प्रतिस्थापन**	
क	मीटर का परीक्षण	शहरी- 7 डी, ग्रामीण- 15 डी
	मुआवजा	रु. 50/दिन
ख	मीटर का प्रतिस्थापन	जला हुआ -7 डी
	मुआवजा	रु. 50/दिन
iii	**नेट मीटरिंग कनेक्शन जारी करना।**	15 दिन
iv	**150 किलोवाट तक के नए कनेक्शनों के लिए पूर्व-निर्दिष्ट मांग शुल्क**	हां
v	**आपूर्ति की गुणवत्ता**	
क	विनियमों में परिभाषित विश्वसनीयता सूचकांकों की पद्धति	हां
ख	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सूचकांकों के लिए निर्दिष्ट लक्ष्य	नहीं
ग	आरआई लक्ष्यों का अनुपालन न करने की स्थिति में मुआवजा	नहीं
vi	**खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस-सब्सिडी में उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर्ष)**	नहीं
4	ऊर्जा संक्रमण	
i	**हरित ऊर्जा खुली पहुंच (जीईओए)**	
क	हरित ऊर्जा खुली पहुंच की सीमा- 100 किलोवाट	हां
ख	ग्रीन एच$_2$ और ग्रीन एनएच$_3$ के उत्पादन पर सीएसएस और एएस की छूट	नहीं
ग	ऊर्जा परियोजनाओं अपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट	हां
घ	हरित प्रशुल्क	नहीं
ii	**आरपीओ लक्ष्य**	
क	वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्दिष्ट आरपीओ पथ	नहीं
ख	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी)	नहीं
ग	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार कुल निर्धारित आरपीओ	नहीं
घ	आरपीओ में कमी के लिए निर्धारित जुर्माना	हां
5	विनियामक शासन	
i	अधिकारियों की नियुक्ति के लिए निर्धारित विनियम	हां
ii	विभिन्न समूहों - ए, बी, सी एंड डी में स्वीकृत पदों का विभाजन	हां

*पैरामीटरों का विवरण संलग्न परिशिष्टों में दिया गया है।

तमिलनाडु
नियामकीय प्रदर्शन स्कोरकार्ड

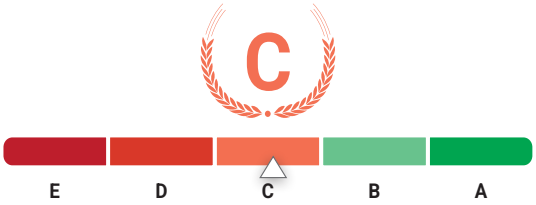

100 में से 58 अंक

विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)

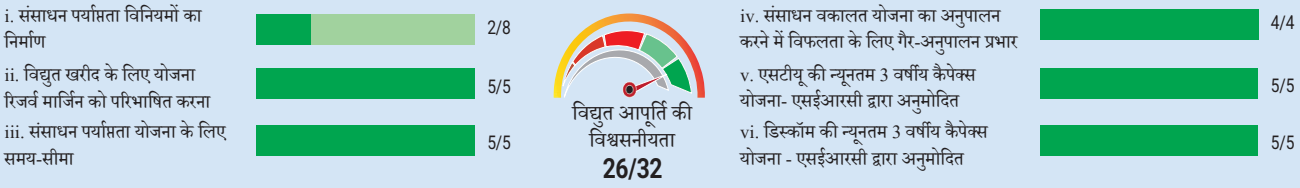

वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति

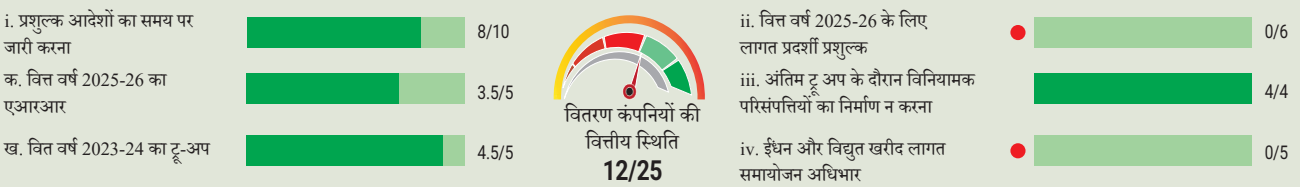

जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना

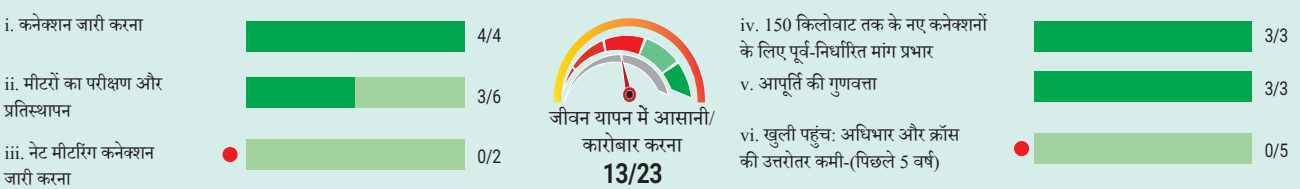

ऊर्जा संक्रमण

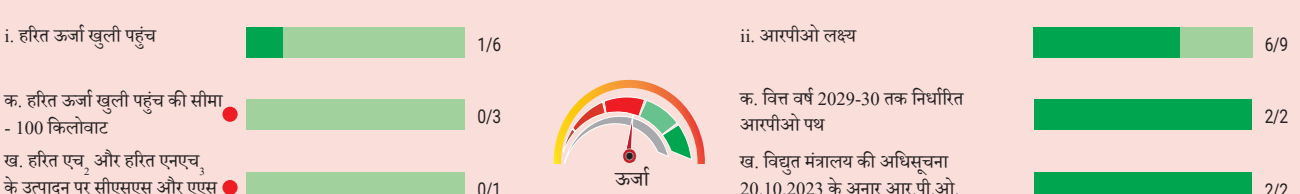

विविनियामक शासन

	निष्पादन मापदंड	उत्तर
1	**विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)**	
i	संसाधन पर्याप्तता विनियमों का निर्माण	हां
ii	बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार्जिन को परिभाषित करना	हां
iii	संसाधन पर्याप्तता योजना के लिए समयसीमा	हां
iv	आरए योजना का अनुपालन करने में विफलता के लिए गैर-अनुपालन शुल्क	हां
v	एसटीयू की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	हां
vi	डिस्कॉम की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	हां
2	**डिस्कॉमों की वित्तीय स्थिति**	
i	**प्रशुल्क आदेश समय पर जारी करना**	
क	वित्त वर्ष 2025-26 का एआरआर	30-जून-2025
ख	वित्त वर्ष 2023-24 का ट्रू-अप	30-अप्रैल-2025
ii	**वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल्क**	**टीएनपीडीसीएल**
क	एबीआर-एसीएस (@ मौजूदा प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)	(0.97)
ख	संचयी राजस्व अंतराल को पूरा करने के लिए प्रशुल्क में वृद्धि (मौजूदा राजस्व का %)	3.16%
ग	एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)	(0.71)
घ	एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशुल्क (करोड़ रु.)	(6475)
ड.	एआरआर के प्रतिशत के रूप में अंतर	7.74%
iii	**अंतिम ट्रू-अप के दौरान विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करना**	वित्त वर्ष 2023-24 तक कोई विनियामक परिसंपत्तियां नहीं हैं।
iv	**ईंधन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)**	
क	एफपीपीएएस तंत्र मौजूद है या नहीं?	नहीं
ख	एफपीपीएएस के परिवर्तन की आवृत्ति (त्रैमासिक/मासिक)	उपलब्ध नहीं
ग	एफपीपीएएस का स्वत: आगे लगना या नहीं	नहीं
घ	एफपीपीएएस का फार्मूला विद्युत मंत्रालय की नियमावली दिनांक 29/12/2022 का आशय पूरा करता है।	नहीं
3	**जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना**	डी: दिन
i	**कनेक्शन जारी करना**	एलटी-7 डी, एचटी-60 डी, ईएचटी-150 डी
	मुआवजा	प्रतिदिन 200 रुपये
ii	**मीटर का परीक्षण और प्रतिस्थापन**	
क	मीटर का परीक्षण	30 दिन
	मुआवजा	उपलब्ध नहीं
ख	मीटर का प्रतिस्थापन	7 दिन
	मुआवजा	रु. 200/दिन
iii	**नेट मीटरिंग कनेक्शन जारी करना।**	30 दिन
iv	**150 किलोवाट तक के नए कनेक्शनों के लिए पूर्व-निर्दिष्ट मांग शुल्क**	हां
v	**आपूर्ति की गुणवत्ता**	
क	विनियमों में परिभाषित विश्वसनीयता सूचकांकों की पद्धति	हां
ख	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सूचकांकों के लिए निर्दिष्ट लक्ष्य	हां
ग	आरआई लक्ष्यों का अनुपालन न करने की स्थिति में मुआवजा	हां
vi	**खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस-सब्सिडी में उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर्ष)**	नहीं
4	**ऊर्जा संक्रमण**	
i	**हरित ऊर्जा खुली पहुंच (जीईओए)**	
क	हरित ऊर्जा खुली पहुंच की सीमा- 100 किलोवाट	नहीं
ख	ग्रीन एच$_2$ और ग्रीन एनएच$_3$ के उत्पादन पर सीएसएस और एएस की छूट	नहीं
ग	ऊर्जा परियोजनाओं अपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट	नहीं
घ	हरित प्रशुल्क	हां
ii	**आरपीओ लक्ष्य**	
क	वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्दिष्ट आरपीओ पथ	हां
ख	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी)	हां
ग	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार कुल निर्धारित आरपीओ	नहीं
घ	आरपीओ में कमी के लिए निर्धारित जुर्माना	हां
5	**विनियामक शासन**	
i	अधिकारियों की नियुक्ति के लिए निर्धारित विनियम	नहीं
ii	विभिन्न समूहों - ए, बी, सी एंड डी में स्वीकृत पदों का विभाजन	नहीं

*पैरामीटरों का विवरण संलग्न परिशिष्टों में दिया गया है।

तेलंगाना

नियामकीय प्रदर्शन स्कोरकार्ड

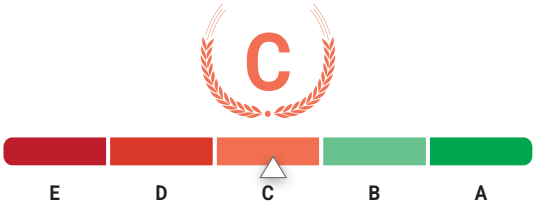

100 में से 50.5 अंक

विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)

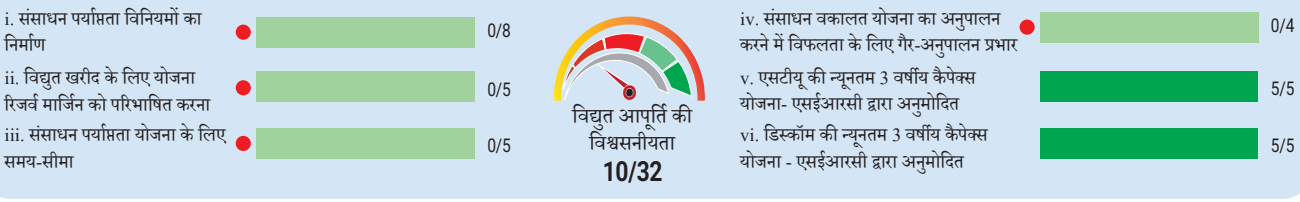

वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति

जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना

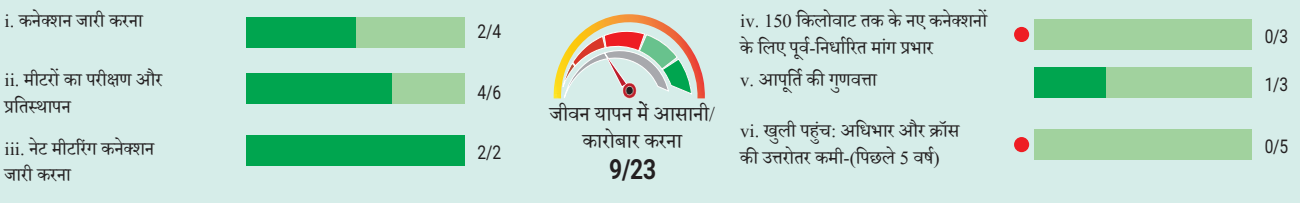

ऊर्जा संक्रमण

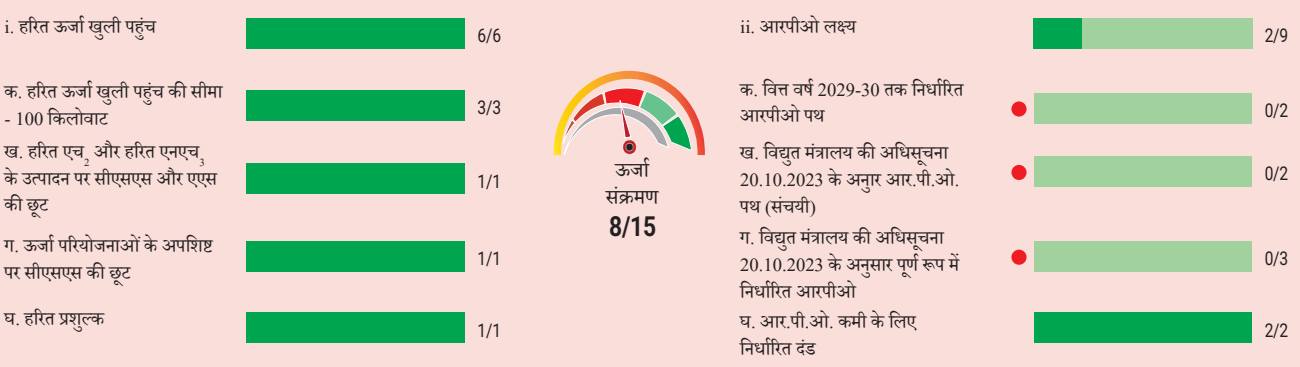

विविनियामक शासन

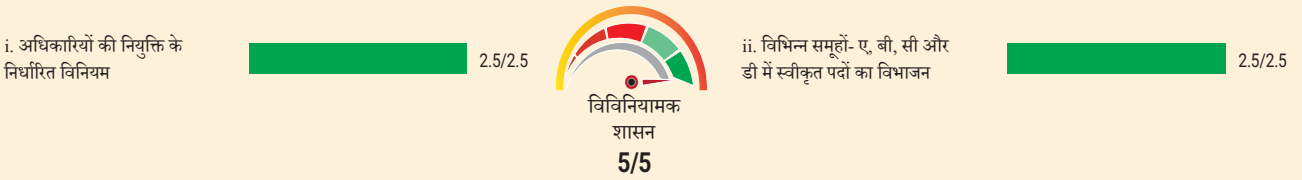

	निष्पादन मापदंड	उत्तर	
1	**विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)**		
i	संसाधन पर्याप्तता विनियमों का निर्माण	नहीं	
ii	बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार्जिन को परिभाषित करना	नहीं	
iii	संसाधन पर्याप्तता योजना के लिए समयसीमा	नहीं	
iv	आरए योजना का अनुपालन करने में विफलता के लिए गैर-अनुपालन शुल्क	नहीं	
v	एसटीयू की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	हां	
vi	डिस्कॉम की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	हां	
2	**डिस्कॉमों की वित्तीय स्थिति**		
i	**प्रशुल्क आदेश समय पर जारी करना**		
क	वित्त वर्ष 2025-26 का एआरआर	29-अप्रैल-2025	
ख	वित्त वर्ष 2023-24 का ट्रू-अप	जारी नहीं किया गया	
ii	**वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल्क**	**टीजीएसपीडीसीएल**	**टीजीएनपीडीसीएल**
क	एबीआर-एसीएस (@ मौजूदा प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)	(0.85)	(3.62)
ख	संचयी राजस्व अंतराल को पूरा करने के लिए प्रशुल्क में वृद्धि (मौजूदा राजस्व का %)	0.00%	0.00%
ग	एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)	0.00	0.00
घ	एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशुल्क (करोड़ रु.)	0.00	0.00
ड.	एआरआर के प्रतिशत के रूप में अंतर	कोई अंतराल नहीं	कोई अंतराल नहीं
iii	**अंतिम ट्रू-अप के दौरान विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करना**	वित्त वर्ष 2021-22 तक कोई विनियामक परिसंपत्ति नहीं	
iv	**ईंधन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)**		
क	एफपीपीएएस तंत्र मौजूद है या नहीं?	हां	
ख	एफपीपीएएस के परिवर्तन की आवृत्ति (त्रैमासिक/मासिक)	मासिक	
ग	एफपीपीएएस का स्वत: आगे लगना या नहीं	हां	
घ	एफपीपीएएस का फार्मूला विद्युत मंत्रालय की नियमावली दिनांक 29/12/2022 का आशय पूरा करता है।	नहीं	
3	**जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना**	डी: दिन	
i	**कनेक्शन जारी करना**	30 दिन	
	मुआवजा	200 रुपये प्रतिदिन	
ii	**मीटर का परीक्षण और प्रतिस्थापन**		
क	मीटर का परीक्षण	शहर और कस्बे-7 डी, ग्रामीण-15 डी	
	मुआवजा	200 रुपये प्रतिदिन।	
ख	मीटर का प्रतिस्थापन	जला हुआ-7 डी, दोषपूर्ण-15 डी	
	मुआवजा	200 रुपये प्रति दिन	
iii	**नेट मीटरिंग कनेक्शन जारी करना।**	15 दिन	
iv	**150 किलोवाट तक के नए कनेक्शनों के लिए पूर्व-निर्दिष्ट मांग शुल्क**	नहीं	
v	**आपूर्ति की गुणवत्ता**		
क	विनियमों में परिभाषित विश्वसनीयता सूचकांकों की पद्धति	हां	
ख	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सूचकांकों के लिए निर्दिष्ट लक्ष्य	नहीं	
ग	आरआई लक्ष्यों का अनुपालन न करने की स्थिति में मुआवजा	नहीं	
vi	खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस-सब्सिडी में उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर्ष)	नहीं	
4	**ऊर्जा संक्रमण**		
i	**हरित ऊर्जा खुली पहुंच (जीईओए)**		
क	हरित ऊर्जा खुली पहुंच की सीमा- 100 किलोवाट	हां	
ख	ग्रीन एच$_2$ और ग्रीन एनएच$_3$ के उत्पादन पर सीएसएस और एएस की छूट	हां	
ग	ऊर्जा परियोजनाओं अपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट	हां	
घ	हरित प्रशुल्क	हां	
ii	**आरपीओ लक्ष्य**		
क	वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्दिष्ट आरपीओ पथ	नहीं	
ख	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी)	नहीं	
ग	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार कुल निर्धारित आरपीओ	नहीं	
घ	आरपीओ में कमी के लिए निर्धारित जुर्माना	हां	
5	**विनियामक शासन**		
i	अधिकारियों की नियुक्ति के लिए निर्धारित विनियम	हां	
ii	विभिन्न समूहों - ए, बी, सी एंड डी में स्वीकृत पदों का विभाजन	हां	

*पैरामीटरों का विवरण संलग्न परिशिष्टों में दिया गया है।

त्रिपुरा
नियामकीय प्रदर्शन स्कोरकार्ड

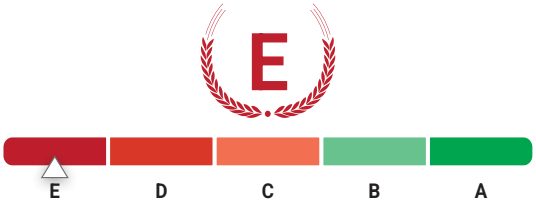

100 में से 21.5 अंक

विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)

- i. संसाधन पर्याप्तता विनियमों का निर्माण: 0/8
- ii. विद्युत खरीद के लिए योजना रिजर्व मार्जिन को परिभाषित करना: 0/5
- iii. संसाधन पर्याप्तता योजना के लिए समय-सीमा: 0/5

विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता
0/32

- iv. संसाधन वकालत योजना का अनुपालन करने में विफलता के लिए गैर-अनुपालन प्रभार: 0/4
- v. एसटीयू की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना- एसईआरसी द्वारा अनुमोदित: 0/5
- vi. डिस्कॉम की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित: 0/5

वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति

- i. प्रशुल्क आदेशों का समय पर जारी करना: 0/10
  - क. वित्त वर्ष 2025-26 का एआरआर: 0/5
  - ख. वित वर्ष 2023-24 का ट्रू-अप: 0/5

वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति
7.5/25

- ii. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल्क: 0/6
- iii. अंतिम ट्रू अप के दौरान विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करना: 4/4
- iv. ईंधन और विद्युत खरीद लागत समायोजन अधिभार: 3.5/5

जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना

- i. कनेक्शन जारी करना: 2/4
- ii. मीटरों का परीक्षण और प्रतिस्थापन: 2/6
- iii. नेट मीटरिंग कनेक्शन जारी करना: 0/2

जीवन यापन में आसानी/ कारोबार करना
7/23

- iv. 150 किलोवाट तक के नए कनेक्शनों के लिए पूर्व-निर्धारित मांग प्रभार: 0/3
- v. आपूर्ति की गुणवत्ता: 3/3
- vi. खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस की उत्तरोतर कमी-(पिछले 5 वर्ष): 0/5

ऊर्जा संक्रमण

- i. हरित ऊर्जा खुली पहुंच: 5/6
  - क. हरित ऊर्जा खुली पहुंच की सीमा - 100 किलोवाट: 3/3
  - ख. हरित एच$_2$ और हरित एनएच$_3$ के उत्पादन पर सीएसएस और एएस की छूट: 0/1
  - ग. ऊर्जा परियोजनाओं के अपशिष्ट पर सीएसएस की छूट: 1/1
  - घ. हरित प्रशुल्क: 1/1

ऊर्जा संक्रमण
7/15

- ii. आरपीओ लक्ष्य: 2/9
  - क. वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्धारित आरपीओ पथ: 0/2
  - ख. विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना 20.10.2023 के अनुार आर.पी.ओ. पथ (संचयी): 0/2
  - ग. विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना 20.10.2023 के अनुसार पूर्ण रूप में निर्धारित आरपीओ: 0/3
  - घ. आर.पी.ओ. कमी के लिए निर्धारित दंड: 2/2

विविनियामक शासन

- i. अधिकारियों की नियुक्ति के निर्धारित विनियम: 0/2.5

विविनियामक शासन
0/5

- ii. विभिन्न समूहों- ए, बी, सी और डी में स्वीकृत पदों का विभाजन: 0/2.5

	निष्पादन मापदंड	उत्तर
1	**विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)**	
i	संसाधन पर्याप्तता विनियमों का निर्माण	नहीं
ii	बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार्जिन को परिभाषित करना	नहीं
iii	संसाधन पर्याप्तता योजना के लिए समयसीमा	नहीं
iv	आरए योजना का अनुपालन करने में विफलता के लिए गैर-अनुपालन शुल्क	नहीं
v	एसटीयू की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	नहीं
vi	डिस्कॉम की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	नहीं
2	**डिस्कॉमों की वित्तीय स्थिति**	
i	**प्रशुल्क आदेश समय पर जारी करना**	
क	वित्त वर्ष 2025-26 का एआरआर	जारी नहीं किया गया
ख	वित्त वर्ष 2023-24 का ट्रू-अप	जारी नहीं किया गया।
ii	**वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल्क**	**टीएसईसीएल**
क	एबीआर-एसीएस (@ मौजूदा प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)	वित्त वर्ष2025-26 के लिए प्रशुल्क आदेश जारी नहीं किया गया है।
ख	संचयी राजस्व अंतराल को पूरा करने के लिए प्रशुल्क में वृद्धि (मौजूदा राजस्व का %)	
ग	एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)	
घ	एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशुल्क (करोड़ रु.)	
ड.	एआरआर के प्रतिशत के रूप में अंतर	
iii	**अंतिम ट्रू-अप के दौरान विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करना**	वित्त वर्ष 2022-23 तक कोई विनियामक परिसंपत्ति नहीं
iv	**ईंधन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)**	
क	एफपीपीएएस तंत्र मौजूद है या नहीं?	हां
ख	एफपीपीएएस के परिवर्तन की आवृत्ति (त्रैमासिक/मासिक)	त्रैमासिक
ग	एफपीपीएएस का स्वत: आगे लगना या नहीं	हां
घ	एफपीपीएएस का फार्मूला विद्युत मंत्रालय की नियमावली दिनांक 29/12/2022 का आशय पूरा करता है।	नहीं
3	**जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना**	डी: दिन
i	**कनेक्शन जारी करना**	30 दिन
	मुआवजा	रु. 500/दिन
ii	**मीटर का परीक्षण और प्रतिस्थापन**	
क	मीटर का परीक्षण	शहर- 4 डी, शहरी- 7 डी, ग्रामीण- 12 डी
	मुआवजा	नहीं
ख	मीटर का प्रतिस्थापन	शहर- 3 डी, शहरी- 5 डी, ग्रामीण- 15 डी
	मुआवजा	नहीं
iii	**नेट मीटरिंग कनेक्शन जारी करना।**	17 दिन
iv	**150 किलोवाट तक के नए कनेक्शनों के लिए पूर्व-निर्दिष्ट मांग शुल्क**	नहीं
v	**आपूर्ति की गुणवत्ता**	
क	विनियमों में परिभाषित विश्वसनीयता सूचकांकों की पद्धति	हां
ख	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सूचकांकों के लिए निर्दिष्ट लक्ष्य	हां
ग	आरआई लक्ष्यों का अनुपालन न करने की स्थिति में मुआवजा	हां
vi	**खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस-सब्सिडी में उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर्ष)**	नहीं
4	**ऊर्जा संक्रमण**	
i	**हरित ऊर्जा खुली पहुंच (जीईओए)**	
क	हरित ऊर्जा खुली पहुंच की सीमा- 100 किलोवाट	हां
ख	ग्रीन एच$_2$ और ग्रीन एनएच$_3$ के उत्पादन पर सीएसएस और एएस की छूट	नहीं
ग	ऊर्जा परियोजनाओं अपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट	हां
घ	हरित प्रशुल्क	हां
ii	**आरपीओ लक्ष्य**	
क	वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्दिष्ट आरपीओ पथ	नहीं
ख	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी)	नहीं
ग	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार कुल निर्धारित आरपीओ	नहीं
घ	आरपीओ में कमी के लिए निर्धारित जुर्माना	हां
5	**विनियामक शासन**	
i	अधिकारियों की नियुक्ति के लिए निर्धारित विनियम	नहीं
ii	विभिन्न समूहों - ए, बी, सी एंड डी में स्वीकृत पदों का विभाजन	नहीं

*पैरामीटरों का विवरण संलग्न परिशिष्टों में दिया गया है।

उत्तर प्रदेश

नियामकीय प्रदर्शन स्कोरकार्ड

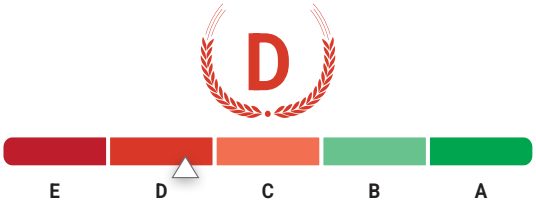

100 में से 48 अंक

विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)

i. संसाधन पर्याप्तता विनियमों का निर्माण	0/8
ii. विद्युत खरीद के लिए योजना रिजर्व मार्जिन को परिभाषित करना	0/5
iii. संसाधन पर्याप्तता योजना के लिए समय-सीमा	0/5
iv. संसाधन वकालत योजना का अनुपालन करने में विफलता के लिए गैर-अनुपालन प्रभार	0/4
v. एसटीयू की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना- एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	5/5
vi. डिस्कॉम की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	5/5

विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता
10/32

वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति

i. प्रशुल्क आदेशों का समय पर जारी करना	0/10
क. वित्त वर्ष 2025-26 का एआरआर	0/5
ख. वित वर्ष 2023-24 का टू-अप	0/5
ii. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल्क	0/6
iii. अंतिम टू अप के दौरान विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करना	4/4
iv. ईंधन और विद्युत खरीद लागत समायोजन अधिभार	5/5

वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति
9/25

जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना

i. कनेक्शन जारी करना	4/4
ii. मीटरों का परीक्षण और प्रतिस्थापन	4/6
iii. नेट मीटरिंग कनेक्शन जारी करना	2/2
iv. 150 किलोवाट तक के नए कनेक्शनों के लिए पूर्व-निर्धारित मांग प्रभार	0/3
v. आपूर्ति की गुणवत्ता	1/3
vi. खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस की उत्तरोतर कमी-(पिछले 5 वर्ष)	5/5

जीवन यापन में आसानी/ कारोबार करना
16/23

ऊर्जा संक्रमण

i. हरित ऊर्जा खुली पहुंच	6/6
क. हरित ऊर्जा खुली पहुंच की सीमा - 100 किलोवाट	3/3
ख. हरित एच$_2$ और हरित एनएच$_3$ के उत्पादन पर सीएसएस और एएस की छूट	1/1
ग. ऊर्जा परियोजनाओं के अपशिष्ट पर सीएसएस की छूट	1/1
घ. हरित प्रशुल्क	1/1
ii. आरपीओ लक्ष्य	2/9
क. वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्धारित आरपीओ पथ	0/2
ख. विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना 20.10.2023 के अनुार आर.पी.ओ. पथ (संचयी)	0/2
ग. विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना 20.10.2023 के अनुसार पूर्ण रूप में निर्धारित आरपीओ	0/3
घ. आर.पी.ओ. कमी के लिए निर्धारित दंड	2/2

ऊर्जा संक्रमण
8/15

विविनियामक शासन

i. अधिकारियों की नियुक्ति के निर्धारित विनियम	2.5/2.5
ii. विभिन्न समूहों- ए, बी, सी और डी में स्वीकृत पदों का विभाजन	2.5/2.5

विविनियामक शासन
5/5

	निष्पादन मापदंड	उत्तर					
1	**विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)**						
i	संसाधन पर्याप्तता विनियमों का निर्माण	नहीं					
ii	बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार्जिन को परिभाषित करना	नहीं					
iii	संसाधन पर्याप्तता योजना के लिए समयसीमा	नहीं					
iv	आरए योजना का अनुपालन करने में विफलता के लिए गैर-अनुपालन शुल्क	नहीं					
v	एसटीयू की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	हां					
vi	डिस्कॉम की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	हां					
2	**डिस्कॉमों की वित्तीय स्थिति**						
i	**प्रशुल्क आदेश समय पर जारी करना**						
क	वित्त वर्ष 2025-26 का एआरआर	जारी नहीं किया गया					
ख	वित्त वर्ष 2023-24 का ट्रू-अप	जारी नहीं किया गया।					
ii	**वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल्क**	डीवीवीएनएल	एमवीवीएनएल	पीवीवीएनएल	पीयुवीएनएल	केस्को	एनपीसीएल
क	एबीआर-एसीएस (@ मौजूदा प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रशुल्क आदेश जारी नहीं किया गया है।					
ख	संचयी राजस्व अंतराल को पूरा करने के लिए प्रशुल्क में वृद्धि (मौजूदा राजस्व का %)						
ग	एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)						
घ	एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशुल्क (करोड़ रु.)						
ड.	एआरआर के प्रतिशत के रूप में अंतर						
iii	**अंतिम ट्रू-अप के दौरान विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करना**	वित्त वर्ष 2022-23 तक कोई विनियामक परिसंपत्ति नहीं					
iv	**ईंधन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)**						
क	एफपीपीएएस तंत्र मौजूद है या नहीं?	हां					
ख	एफपीपीएएस के परिवर्तन की आवृत्ति (त्रैमासिक/मासिक)	मासिक					
ग	एफपीपीएएस का स्वत: आगे लगना या नहीं	हां					
घ	एफपीपीएएस का फार्मूला विद्युत मंत्रालय की नियमावली दिनांक 29/12/2022 का आशय पूरा करता है।	हां					
3	**जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना**	डी: दिन					
i	**कनेक्शन जारी करना**	7 दिन					
	मुआवजा	50 रुपये प्रतिदिन					
ii	**मीटर का परीक्षण और प्रतिस्थापन**						
क	मीटर का परीक्षण	15 दिन					
	मुआवजा	रु. 200/दिन					
ख	मीटर का प्रतिस्थापन	जला हुआ - 3 डी, दोषपूर्ण - 15 डी					
	मुआवजा	रु. 50/दिन					
iii	**नेट मीटरिंग कनेक्शन जारी करना।**	14 दिन					
iv	**150 किलोवाट तक के नए कनेक्शनों के लिए पूर्व-निर्दिष्ट मांग शुल्क**	नहीं					
v	**आपूर्ति की गुणवत्ता**						
क	विनियमों में परिभाषित विश्वसनीयता सूचकांकों की पद्धति	हां					
ख	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सूचकांकों के लिए निर्दिष्ट लक्ष्य	नहीं					
ग	आरआई लक्ष्यों का अनुपालन न करने की स्थिति में मुआवजा	नहीं					
vi	खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस-सब्सिडी में उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर्ष)	हां					
4	**ऊर्जा संक्रमण**						
i	**हरित ऊर्जा खुली पहुंच (जीईओए)**						
क	हरित ऊर्जा खुली पहुंच की सीमा- 100 किलोवाट	हां					
ख	ग्रीन एच$_2$ और ग्रीन एनएच$_3$ के उत्पादन पर सीएसएस और एएस की छूट	हां					
ग	ऊर्जा परियोजनाओं अपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट	हां					
घ	हरित प्रशुल्क	हां					
ii	**आरपीओ लक्ष्य**						
क	वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्दिष्ट आरपीओ पथ	नहीं					
ख	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी)	नहीं					
ग	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार कुल निर्धारित आरपीओ	नहीं					
घ	आरपीओ में कमी के लिए निर्धारित जुर्माना	हां					
5	**विनियामक शासन**						
i	अधिकारियों की नियुक्ति के लिए निर्धारित विनियम	हां					
ii	विभिन्न समूहों - ए, बी, सी एंड डी में स्वीकृत पदों का विभाजन	हां					

*पैरामीटरों का विवरण संलग्न परिशिष्टों में दिया गया है।

उत्तराखंड

नियामकीय प्रदर्शन स्कोरकार्ड

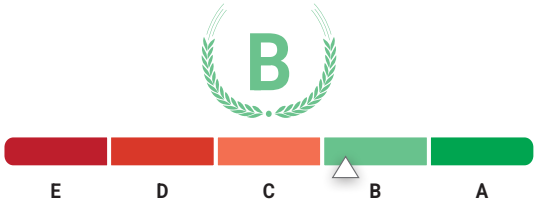

100 में से 68 अंक

विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)

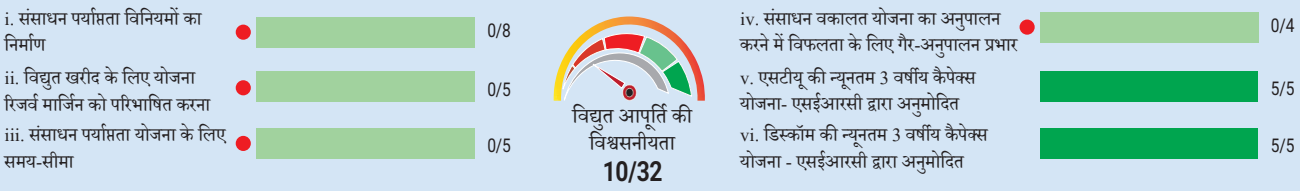

वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति

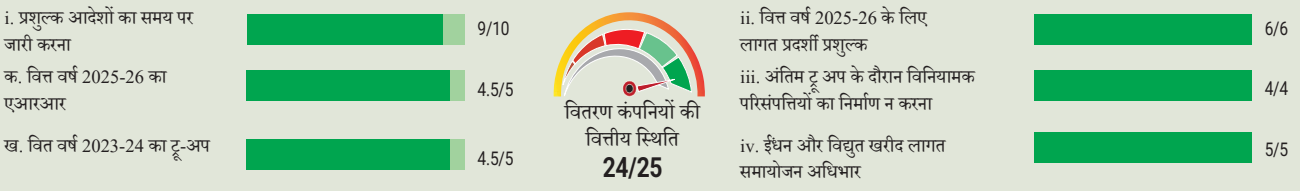

जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना

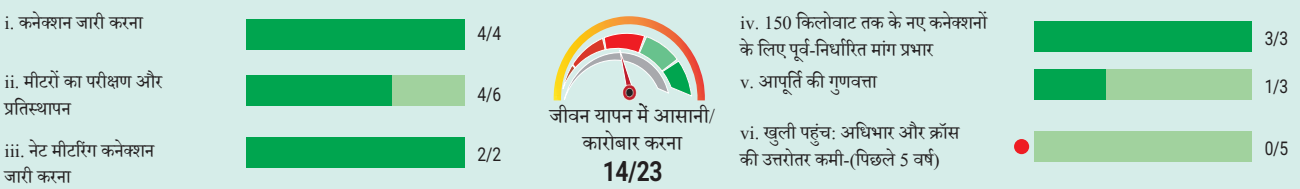

ऊर्जा संक्रमण

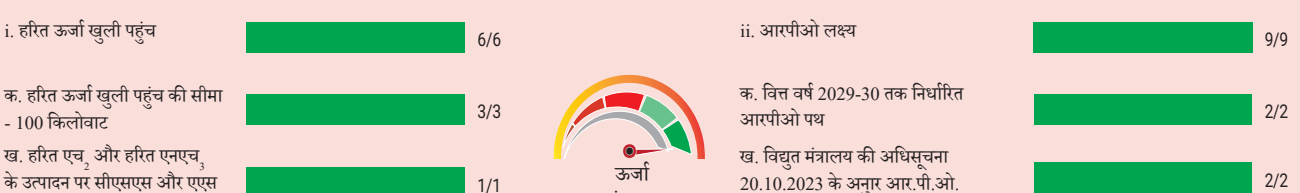

विविनियामक शासन

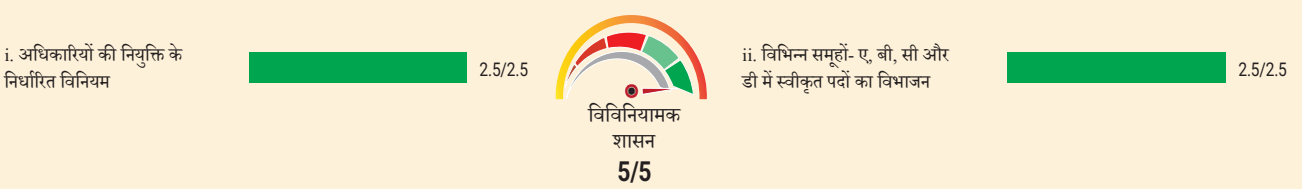

	निष्पादन मापदंड	उत्तर
1	**विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)**	
i	संसाधन पर्याप्तता विनियमों का निर्माण	नहीं
ii	बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार्जिन को परिभाषित करना	नहीं
iii	संसाधन पर्याप्तता योजना के लिए समयसीमा	नहीं
iv	आरए योजना का अनुपालन करने में विफलता के लिए गैर-अनुपालन शुल्क	नहीं
v	एसटीयू की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	हां
vi	डिस्कॉम की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	हां
2	**डिस्कॉमों की वित्तीय स्थिति**	
i	**प्रशुल्क आदेश समय पर जारी करना**	
क	वित्त वर्ष 2025-26 का एआरआर	11-अप्रैल-2025
ख	वित्त वर्ष 2023-24 का ट्रू-अप	11-अप्रैल-2025
ii	**वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल्क**	यूपीसीएल
क	एबीआर-एसीएस (@ मौजूदा प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)	(0.39)
ख	संचयी राजस्व अंतराल को पूरा करने के लिए प्रशुल्क में वृद्धि (मौजूदा राजस्व का %)	5.62%
ग	एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)	0.02
घ	एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशुल्क (करोड़ रु.)	27
ड.	एआरआर के प्रतिशत के रूप में अंतर	कोई अंतर नहीं
iii	**अंतिम ट्रू-अप के दौरान विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करना**	वित्त वर्ष2023-24 तक कोई विनियामक परिसंपत्तियां नहीं हैं
iv	**ईंधन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)**	
क	एफपीपीएएस तंत्र मौजूद है या नहीं?	हां
ख	एफपीपीएएस के परिवर्तन की आवृत्ति (त्रैमासिक/मासिक)	मासिक
ग	एफपीपीएएस का स्वत: आगे लगना या नहीं	हां
घ	एफपीपीएएस का फार्मूला विद्युत मंत्रालय की नियमावली दिनांक 29/12/2022 का आशय पूरा करता है।	हां
3	**जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना**	डी: दिन
i	**कनेक्शन जारी करना**	मेट्रो - 3 डी, नगर पालिका - 7 डी, ग्रामीण - 15 डी
	मुआवजा	जमा किए गए प्रति 1000 रुपये पर 5 रु. , अधिकतम 500 रुपये, एचटी- रु. 500/चूक के प्रति दिन
ii	**मीटर का परीक्षण और प्रतिस्थापन**	
क	मीटर का परीक्षण	30 दिन
	मुआवजा	रु. 50/दिन
ख	मीटर का प्रतिस्थापन	जला हुआ - 3 डी, दोषपूर्ण-15 डी
	मुआवजा	प्रतिदिन 100 रुपये
iii	**नेट मीटरिंग कनेक्शन जारी करना।**	15 दिन
iv	**150 किलोवाट तक के नए कनेक्शनों के लिए पूर्व-निर्दिष्ट मांग शुल्क**	हां
v	**आपूर्ति की गुणवत्ता**	
क	विनियमों में परिभाषित विश्वसनीयता सूचकांकों की पद्धति	हां
ख	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सूचकांकों के लिए निर्दिष्ट लक्ष्य	नहीं
ग	आरआई लक्ष्यों का अनुपालन न करने की स्थिति में मुआवजा	नहीं
vi	**खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस-सब्सिडी में उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर्ष)**	नहीं
4	**ऊर्जा संक्रमण**	
i	**हरित ऊर्जा खुली पहुंच (जीईओए)**	
क	हरित ऊर्जा खुली पहुंच की सीमा- 100 किलोवाट	हां
ख	ग्रीन एच$_2$ और ग्रीन एनएच$_3$ के उत्पादन पर सीएसएस और एएस की छूट	हां
ग	ऊर्जा परियोजनाओं अपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट	हां
घ	हरित प्रशुल्क	हां
ii	**आरपीओ लक्ष्य**	
क	वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्दिष्ट आरपीओ पथ	हां
ख	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी)	हां
ग	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार कुल निर्धारित आरपीओ	हां
घ	आरपीओ में कमी के लिए निर्धारित जुर्माना	हां
5	**विनियामक शासन**	
i	अधिकारियों की नियुक्ति के लिए निर्धारित विनियम	हां
ii	विभिन्न समूहों - ए, बी, सी एंड डी में स्वीकृत पदों का विभाजन	हां

*पैरामीटरों का विवरण संलग्न परिशिष्टों में दिया गया है।

पश्चिम बंगाल

नियामकीय प्रदर्शन स्कोरकार्ड

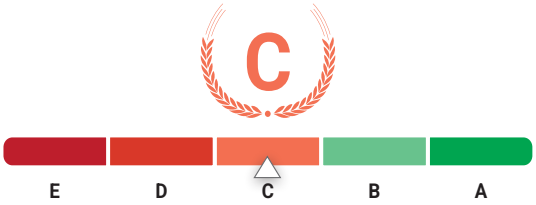

100 में से 50 अंक

विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)

विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता
10/32

- i. संसाधन पर्याप्तता विनियमों का निर्माण — 0/8
- ii. विद्युत खरीद के लिए योजना रिजर्व मार्जिन को परिभाषित करना — 0/5
- iii. संसाधन पर्याप्तता योजना के लिए समय-सीमा — 0/5
- iv. संसाधन वकालत योजना का अनुपालन करने में विफलता के लिए गैर-अनुपालन प्रभार — 0/4
- v. एसटीयू की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना- एसईआरसी द्वारा अनुमोदित — 5/5
- vi. डिस्कॉम की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित — 5/5

वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति

वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति
14/25

- i. प्रशुल्क आदेशों का समय पर जारी करना — 5/10
  - क. वित्त वर्ष 2025-26 का एआरआर — 5/5
  - ख. वित वर्ष 2023-24 का टू-अप — 0/5
- ii. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल्क — 6/6
- iii. अंतिम टू अप के दौरान विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करना — 1/4
- iv. ईंधन और विद्युत खरीद लागत समायोजन अधिभार — 2/5

जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना

जीवन यापन में आसानी/ कारोबार करना
15/23

- i. कनेक्शन जारी करना — 2/4
- ii. मीटरों का परीक्षण और प्रतिस्थापन — 6/6
- iii. नेट मीटरिंग कनेक्शन जारी करना — 2/2
- iv. 150 किलोवाट तक के नए कनेक्शनों के लिए पूर्व-निर्धारित मांग प्रभार — 3/3
- v. आपूर्ति की गुणवत्ता — 2/3
- vi. खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस की उत्तरोतर कमी-(पिछले 5 वर्ष) — 0/5

ऊर्जा संक्रमण

ऊर्जा संक्रमण
6/15

- i. हरित ऊर्जा खुली पहुंच — 4/6
  - क. हरित ऊर्जा खुली पहुंच की सीमा - 100 किलोवाट — 3/3
  - ख. हरित एच$_2$ और हरित एनएच$_3$ के उत्पादन पर सीएसएस और एएस की छूट — 0/1
  - ग. ऊर्जा परियोजनाओं के अपशिष्ट पर सीएसएस की छूट — 0/1
  - घ. हरित प्रशुल्क — 1/1
- ii. आरपीओ लक्ष्य — 2/9
  - क. वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्धारित आरपीओ पथ — 0/2
  - ख. विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना 20.10.2023 के अनुार आर.पी.ओ. पथ (संचयी) — 0/2
  - ग. विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना 20.10.2023 के अनुसार पूर्ण रूप में निर्धारित आरपीओ — 0/3
  - घ. आर.पी.ओ. कमी के लिए निर्धारित दंड — 2/2

विविनियामक शासन

विविनियामक शासन
5/5

- i. अधिकारियों की नियुक्ति के निर्धारित विनियम — 2.5/2.5
- ii. विभिन्न समूहों- ए, बी, सी और डी में स्वीकृत पदों का विभाजन — 2.5/2.5

निष्पादन मापदंड		उत्तर			
1	विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)				
i	संसाधन पर्याप्तता विनियमों का निर्माण	नहीं			
ii	बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार्जिन को परिभाषित करना	नहीं			
iii	संसाधन पर्याप्तता योजना के लिए समयसीमा	नहीं			
iv	आरए योजना का अनुपालन करने में विफलता के लिए गैर-अनुपालन शुल्क	नहीं			
v	एसटीयू की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	हां			
vi	डिस्कॉम की न्यूनतम 3 वर्षीय कैपेक्स योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	हां			
2	डिस्कॉमों की वित्तीय स्थिति				
i	प्रशुल्क आदेश समय पर जारी करना	**डब्ल्यूबीएसईडीसीएल**	**सीईएससी लिमिटेड**	**आईपीसीएल**	**डीवीसी**
क	वित्त वर्ष 2025-26 का एआरआर	20 मार्च-2025	25-मार्च-2025	21-जनवरी-2025	31-मार्च-2025
ख	वित्त वर्ष 2023-24 का ट्रू-अप	जारी नहीं किया गया	जारी नहीं किया गया	जारी नहीं किया गया	जारी नहीं किया गया
ii	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल्क				
क	एबीआर-एसीएस (@ मौजूदा प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)	0.00	0.00	(0.41)	(1.02)
ख	संचयी राजस्व अंतराल को पूरा करने के लिए प्रशुल्क में वृद्धि (मौजूदा राजस्व का %)	0.00%	0.00%	7.34%	20.57%
ग	एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशुल्क) (रु./केडब्ल्यूएच)	0.00	0.00	0.00	0.00
घ	एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशुल्क (करोड़ रु.)	0.00	0.00	0.00	0.00
ड.	एआरआर के प्रतिशत के रूप में अंतर	कोई अंतर नहीं है।	कोई अंतर नहीं है।	कोई अंतर नहीं है।	कोई अंतर नहीं है।
iii	अंतिम ट्रू-अप के दौरान विनियामक परिसंपत्तियों का निर्माण न करना	वित्त वर्ष 2022-23 तक विनियामक परिसंपत्तियां 3,559 करोड़ रुपये			
iv	**ईंधन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)**				
क	एफपीपीएएस तंत्र मौजूद है या नहीं?	हां			
ख	एफपीपीएएस के परिवर्तन की आवृत्ति (त्रैमासिक/मासिक)	मासिक			
ग	एफपीपीएएस का स्वत: आगे लगना या नहीं	नहीं			
घ	एफपीपीएएस का फार्मूला विद्युत मंत्रालय की नियमावली दिनांक 29/12/2022 का आशय पूरा करता है।	नहीं			
3	जीवन यापन में आसानी/कारोबार करना	डी: दिन			
i	कनेक्शन जारी करना	30 दिन			
	मुआवजा	500 रुपये प्रतिदिन			
ii	**मीटर का परीक्षण और प्रतिस्थापन**				
क	मीटर का परीक्षण	शहरी-3 डी, ग्रामीण-7 डी			
	मुआवजा	रु. 500/दिन			
ख	मीटर का प्रतिस्थापन	शहरी - 24 घंटे, ग्रामीण - 48 घंटे			
	मुआवजा	रु. 500/दिन			
iii	नेट मीटरिंग कनेक्शन जारी करना।	15 दिन			
iv	**150 किलोवाट तक के नए कनेक्शनों के लिए पूर्व-निर्दिष्ट मांग शुल्क**	हां			
v	**आपूर्ति की गुणवत्ता**				
क	विनियमों में परिभाषित विश्वसनीयता सूचकांकों की पद्धति	हां			
ख	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सूचकांकों के लिए निर्दिष्ट लक्ष्य	हां			
ग	आरआई लक्ष्यों का अनुपालन न करने की स्थिति में मुआवजा	नहीं			
vi	खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस-सब्सिडी में उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर्ष)	नहीं			
4	**ऊर्जा संक्रमण**				
i	**हरित ऊर्जा खुली पहुंच (जीईओए)**				
क	हरित ऊर्जा खुली पहुंच की सीमा- 100 किलोवाट	हां			
ख	ग्रीन एच$_2$ और ग्रीन एनएच$_3$ के उत्पादन पर सीएसएस और एएस की छूट	नहीं			
ग	ऊर्जा परियोजनाओं अपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट	नहीं			
घ	हरित प्रशुल्क	हां			
ii	**आरपीओ लक्ष्य**				
क	वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्दिष्ट आरपीओ पथ	नहीं			
ख	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी)	नहीं			
ग	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार कुल निर्धारित आरपीओ	नहीं			
घ	आरपीओ में कमी के लिए निर्धारित जुर्माना	हां			
5	**विनियामक शासन**				
i	अधिकारियों की नियुक्ति के लिए निर्धारित विनियम	हां			
ii	विभिन्न समूहों - ए, बी, सी एंड डी में स्वीकृत पदों का विभाजन	हां			

*पैरामीटरों का विवरण संलग्न परिशिष्टों में दिया गया है।

यह पेज जानबूझकर
खाली छोड़ा गया है

निष्कर्ष

राज्यों और संघा शासित क्षेत्रों रेटिंग विनियामक निष्पादन पर पहली रिपोर्ट भारत के विद्युत क्षेत्र के विनियामक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम प्रदर्शित करती है। चूंकि विद्युत क्षेत्र में बढ़ती हुई नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण, गुणवत्ता आपूर्ति के लिए बढ़ती हुई उम्मीदों, डिजिटलीकरण और वित्तीय अनुशासन की आवश्यकता से संचालित तीव्र रूपांतरण होता है, अत: सकारात्मक, पारदर्शी और दूरदर्शी विनियम की भूमिका अपरिहार्य हो जाती है।

राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों का मूल्यांकन पांच मुख्य स्तंभों- संसाधन पर्याप्तता, डिस्कॉम की वित्तीय व्यवहार्यता, जीवन यापन और व्यापार करने में आसानी, ऊर्जा परिवर्तन और विनियामक शासन के आधार पर करके, यह रिपोर्ट विनियामक प्रभावशीलता का एक स्पष्ट, तुलनात्मक दृष्टिकोण प्रदान करती है। यह कई राज्यों में की गई सराहनीय प्रगति पर प्रकाश डालती है, जबकि उन कमियों की पहचान भी करती है जिन पर अधिक ध्यान देने और संस्थागत सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है।

इस कार्य का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा के लिए रैंक करना नहीं है, बल्कि क्रॉस-लर्निंग को सक्षम करना, सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने को बढ़ावा देना और देश भर में एक सुसंगत, अनुमानित और उपभोक्ता-केंद्रित विनियामक वातावरण के विकास को प्रोत्साहित करना है। एक मजबूत विनियामक कार्य-ढांचा सीधे डिस्कॉम के निष्पादन में सुधार करने, विश्वसनीय और किफायती विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, निवेश को आकर्षित करने और भारत के महत्वाकांक्षी स्वच्छ ऊर्जा और विकास लक्ष्यों का समर्थन करने में प्रत्यक्ष योगदान करेगा।

चूंकि भारत संधारणीयता, लचीलापन और ऊर्जा स्वतंत्रता द्वारा परिभाषित भविष्य की ओर बढ़ता है, अत: हमें आशा है कि यह रिपोर्ट नीति निर्माताओं, विनियामकों, यूटिलिटयों और क्षेत्र हितधारकों के लिए एक रचनात्मक संदर्भ के रूप में कार्य करती है।

सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए ग्रेड मापदंडों के एक विशिष्ट सेट पर विचार करके निकाले गए हैं और यदि भिन्न भिन्न मापदंडों प्रयोग किया जाए तो राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के निष्पादन में अंतर आ सकता है। वित्त वर्ष 2024-25 के टू-अप और वित्त वर्ष 2026-27 के कुल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) के लिए रिपोर्ट के अगले संस्करण में अतिरिक्त मापदंड अर्थात, अर्थात, ऊर्जा भंडारण, प्रशुल्क विस्तार में कमी सहित प्रशुल्क श्रेणियों के सरलीकरण और युक्तिकरण तथा निर्धारित प्रभारों के माध्यम से प्रशुल्क में नियत लागतों की वसूली शामिल होंगे।

पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया और आरईसी राष्ट्र के लिए एक आधुनिक, दक्ष और तुलनीय विद्युत क्षेत्र को आगे बढ़ाने वाले समर्थक सहयोगी प्रयासों के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं।

यह पेज जानबूझकर
खाली छोड़ा गया है

परिशिष्ट

परिशिष्ट- I

विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता (संसाधन पर्याप्तता)

क्र.सं.	राज्य	संसाधन पर्याप्तता विनियमों का निर्माण	विद्युत खरीद के लिए योजना आरक्षित सीमा को परिभाषित करना	संसाधन पर्याप्तता योजना के लिए समय-सीमा	आरए योजना का पालन करने में विफलता के लिए गैर-अनुपालन प्रभार
		(हां/नहीं)	(हां/नहीं)	(हां/नहीं)	(हां/नहीं)
1	आंध्र प्रदेश	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
2	अरुणाचल प्रदेश	हां	हां	हां	हां
3	असम	हां	हां	हां	हां
4	बिहार	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
5	छत्तीसगढ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
6	गुजरात	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
7	हरियाणा	हां	हां	हां	हां
8	हिमाचल प्रदेश	हां	हां	हां	हां
9	झारखंड	हां	हां	हां	हां
10	कर्नाटक	हां	हां	हां	हां
11	केरल	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
12	मध्य प्रदेश	हां	हां	हां	हां
13	महाराष्ट्र	हां	हां	हां	हां
14	मेघालय	हां	हां	हां	हां
15	नागालैंड	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
16	ओडिशा	हां	हां	हां	हां
17	पंजाब	हां	हां	हां	हां
18	राजस्थान	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
19	सिक्किम	हां	हां	हां	हां
20	तमिलनाडु	हां	हां	हां	हां
21	तेलंगाना	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
22	त्रिपुरा	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
23	उत्तराखंड	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
24	उत्तर प्रदेश	नहीं (जारी किया गया मसौदा)	नहीं	नहीं	नहीं
25	पश्चिम बंगाल	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
26	जम्मू और कश्मीर	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
27	लद्दाख	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
28	मणिपुर	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
29	मिजोरम	हां	हां	हां	हां
30	दिल्ली	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
31	गोवा	हां	हां	हां	हां
32	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	हां	हां	हां	हां

क्र.सं.	राज्य	संसाधन पर्याप्तता विनियमों का निर्माण	विद्युत खरीद के लिए योजना आरक्षित सीमा को परिभाषित करना	संसाधन पर्याप्तता योजना के लिए समय-सीमा	आरए योजना का पालन करने में विफलता के लिए गैर-अनुपालन प्रभार
		(हां/नहीं)	(हां/नहीं)	(हां/नहीं)	(हां/नहीं)
33	चंडीगढ़	हां	हां	हां	हां
34	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	हां	हां	हां	हां
35	लक्षद्वीप	हां	हां	हां	हां
36	पुडुचेरी	हां	हां	हां	हां

टिप्पणी:

1. अंतिम तारीख तिथि तक (31 मार्च'25): अरुणाचल प्रदेश, असम, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, मिजोरम
2. अंतिम तारीख के बाद लेकिन बढ़ाई गई अंतिम तारीख तक (30 जून 25): हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, सिक्किम, गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दादरा एएं नगर हवेली एवं दमन और दीव और चंडीगढ़।

परिशिष्ट- II

बहुवर्षीय अवधि के लिए अनुमोदित कैपेक्स योजना

क्र.सं.	राज्य	एसटीयू की न्यूनतम 3 वर्ष की पूंजीगत व्यय योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित	डिस्कोम के न्यूनतम 3 वर्ष के पूंजीगत व्यय की योजना – एसईआरसी द्वारा अनुमोदित
		(हां/नहीं)	(हां/नहीं)
1	आंध्र प्रदेश	हां 5 वर्ष (वित्त वर्ष 2024-25 - वित्त वर्ष 2028-29)	हां 5 वर्ष (वित्त वर्ष 2024-25 - वित्त वर्ष 2028-29)
2	अरुणाचल प्रदेश	हां 5 वर्ष (वित्त वर्ष 2025-26 - वित्त वर्ष 2029-30)	हां 5 वर्ष (वित्त वर्ष 2025-26 - वित्त वर्ष 2029-30)
3	असम	हां 5 वर्ष (वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2029-30 तक)	हां 5 वर्ष (वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2029-30)
4	बिहार	हां 3 वर्ष (वित्त वर्ष 2025-26 - वित्त वर्ष 2027-28)	हां 3 वर्ष (वित्त वर्ष 2025-26 - वित्त वर्ष 2027-28)
5	छत्तीसगढ	हां 3 वर्ष (वित्त वर्ष 2022-23 - वित्त वर्ष 2024-25)	हां 3 वर्ष (वित्त वर्ष 2022-23 - वित्त वर्ष 2024-25)
6	गुजरात	हां 5 वर्ष (वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2029-30)	हां 5 वर्ष (वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2029-30)
7	हरियाणा	हां 5 वर्ष (वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2029-30)	हां 5 वर्ष (वित्त वर्ष 2025-26से वित्त वर्ष 2029-30)
8	हिमाचल प्रदेश	हां 5 वर्ष (वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-30)	हां 5 वर्ष (वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29)
9	झारखंड	हां 5 वर्ष (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26)	हां 5 वर्ष (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26)
10	कर्नाटक	हां 3 वर्ष (वित्त वर्ष 2025-26 - वित्त वर्ष 2027-28)	हां 3 वर्ष (वित्त वर्ष 2025-26 - वित्त वर्ष 2027-28)
11	केरल	हां 5 वर्ष (वित्त वर्ष 2022-23 - वित्त वर्ष 2026-27)	हां 5 वर्ष (वित्त वर्ष 2022-23 - वित्त वर्ष 2026-27)

क्र.सं.	राज्य	एसटीयू की न्यूनतम 3 वर्ष की पूंजीगत व्यय योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित (हां/नहीं)	डिस्कोम के न्यूनतम 3 वर्ष के पूंजीगत व्यय की योजना – एसईआरसी द्वारा अनुमोदित (हां/नहीं)
12	मध्य प्रदेश	हां 5 वर्ष (वित्त वर्ष 2024-25 - वित्त वर्ष 2028-29)	5 वर्ष (वित्त वर्ष 2022-23 - वित्त वर्ष 2026-27)
13	महाराष्ट्र	हां 5 वर्ष (वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2029-30)	हां 5 वर्ष (वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2029-30)
14	मेघालय	हां 3 वर्ष (वित्त वर्ष 2024-25 - वित्त वर्ष 2026-27)	हां 3 वर्ष (वित्त वर्ष 2024-25 - वित्त वर्ष 2026-27)
15	नागालैंड	हां 5 वर्ष (वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2029-30)	हां 5 वर्ष (वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2029-30)
16	ओडिशा	हां 5 वर्ष (वित्त वर्ष 2019-20 - 2023-24)	हां 4 वर्ष (वित्त वर्ष 2024-25 - वित्त वर्ष 2027-28)
17	पंजाब	हां 3 वर्ष (वित्त वर्ष 2023-24 - वित्त वर्ष 2025-26)	हां 3 वर्ष (वित्त वर्ष 2023-24 - वित्त वर्ष 2025-26)
18	राजस्थान	नहीं	नहीं 2 वर्ष (वित्त वर्ष 2020-21 - वित्त वर्ष 2021-22)
19	सिक्किम	हां 3 वर्ष (वित्त वर्ष 2024-25 - वित्त वर्ष 2026-27)	हां 3 वर्ष (वित्त वर्ष 2024-25 - वित्त वर्ष 2026-27)
20	तमिलनाडु	हां 5 वर्ष (वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2026-27)	5 वर्ष (वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2026-27)
21	तेलंगाना	हां 5 वर्ष (वित्त वर्ष 2024-25 - वित्त वर्ष 2028-29)	हां 5 वर्ष (वित्त वर्ष 2024-25 - वित्त वर्ष 2028-29)
22	त्रिपुरा	नहीं 2 वर्ष (वित्त वर्ष 2021-22 - वित्त वर्ष 2022-23)	नहीं 2 वर्ष (वित्त वर्ष 2021-22 - वित्त वर्ष 2022-23)
23	उत्तराखंड	हां 3 वर्ष (वित्त वर्ष 2025-26 - वित्त वर्ष 2027-28)	हां 3 वर्ष (वित्त वर्ष 2025-26 - वित्त वर्ष 2027-28)
24	उत्तर प्रदेश	हां 5 वर्ष (वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25)	हां 5 वर्ष (वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25)
25	पश्चिम बंगाल	हां 3 वर्ष (वित्त वर्ष 2023-24 - वित्त वर्ष 2025-26)	हां 3 वर्ष (वित्त वर्ष 2023-24 - वित्त वर्ष 2025-26)
26	जम्मू तथा काश्मीर	हां 3 वर्ष (वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26)	हां 3 वर्ष (वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26)
27	लद्दाख	हां 3 वर्ष (वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26)	हां 3 वर्ष (वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26)
28	मणिपुर	हां 4 वर्ष (वित्त वर्ष 2023-24 - वित्त वर्ष 2027-28)	हां 4 वर्ष (वित्त वर्ष 2023-24 - वित्त वर्ष 2027-28)
29	मिजोरम	हां 4 वर्ष (वित्त वर्ष 2023-24 - वित्त वर्ष 2027-28)	हां 4 वर्ष (वित्त वर्ष 2023-24 - वित्त वर्ष 2027-28)
30	दिल्ली	हां 3 वर्ष (वित्त वर्ष 2023-24 - वित्त वर्ष 2025-26)	हां 3 वर्ष (वित्त वर्ष 2023-24 - वित्त वर्ष 2025-26)
31	गोवा	हां 3 वर्ष (वित्त वर्ष 2022-23 - वित्त वर्ष 2024-25)	हां 3 वर्ष (वित्त वर्ष 2022-23 - वित्त वर्ष 2024-25)

परिशिष्ट: राज्यों और संघ क्षेत्रों के रेटिंग विनियामक निष्पादन की रिपोर्ट
अंतिम तिथि: 31 मार्च, 2025 (पूर्णांक), बढ़ाई गई तिथि: 30 जून, 25 (आनुपातिक अंक)

क्र.सं.	राज्य	एसटीयू की न्यूनतम 3 वर्ष की पूंजीगत व्यय योजना - एसईआरसी द्वारा अनुमोदित (हां/नहीं)	डिस्कोम के न्यूनतम 3 वर्ष के पूंजीगत व्यय की योजना – एसईआरसी द्वारा अनुमोदित (हां/नहीं)
32	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	हां 3 वर्ष (वित्त वर्ष 2022-23 - वित्त वर्ष 2024-25)	हां 3 वर्ष (वित्त वर्ष 2022-23 - वित्त वर्ष 2024-25)
33	चंडीगढ़	हां 3 वर्ष (वित्त वर्ष 2022-23 - वित्त वर्ष 2024-25)	हां 3 वर्ष (वित्त वर्ष 2022-23 - वित्त वर्ष 2024-25)
34	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	हां 3 वर्ष (वित्त वर्ष 2022-23 - वित्त वर्ष 2024-25)	हां 3 वर्ष (वित्त वर्ष 2022-23 - वित्त वर्ष 2024-25)
35	लक्षद्वीप	हां 3 वर्ष (वित्त वर्ष 2022-23 - वित्त वर्ष 2024-25)	हां 3 वर्ष (वित्त वर्ष 2022-23 - वित्त वर्ष 2024-25)
36	पुडुचेरी	हां 3 वर्ष (वित्त वर्ष 2022-23 - वित्त वर्ष 2024-25)	हां 3 वर्ष (वित्त वर्ष 2022-23 - वित्त वर्ष 2024-25)

टिप्पणी:

1. राजस्थान – डिस्कॉम के लिए नवीनतम एमवाईटी आदेश वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए नियंत्रण अवधि के लिए है लेकिन इसमें केवल दो वर्षों, यानी वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ही पूंजीगत व्यय स्वीकृत किया गया है।
2. ओडिशा - वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2026-27 की नवीनतम नियंत्रण अवधि के लिए एसटीयू एमवाईटी आदेश जारी किया जाना बाकी है। अंकों को तदनुसार समायोजित किया गया है।

परिशिष्ट- III

प्रशुल्क आदेश समय पर जारी करना

क्र. सं.	राज्य	टू-अप वित्त वर्ष 2021-22	एआरआर वित्त वर्ष 2023-24	टू-अप वित्त वर्ष 2022-23	एआरआर वित्त वर्ष 2024-25 के	टू-अप वित्त वर्ष 2023-24	एआरआर वित्त वर्ष 2025-26
		लक्ष्य तिथि 31/03/2023		लक्ष्य तिथि 31/03/2024		लक्ष्य तिथि 31/03/2025	
1	आंध्र प्रदेश	☒	25 मार्च-23	☒	11 मार्च- 24	☒	20 फरवरी-25
2	अरुणाचल प्रदेश	09 जनवरी - 24	25 अक्तूबर- 23	9 जनवरी - 24	26 जुलाई 24	26 मार्च- 25	26 मार्च 25
3	असम	29 मार्च- 23	29 मार्च 23	27 जून - 24	27 जून 24	25 मार्च - 25	25 मार्च - 25
4	बिहार	23 मार्च-23	23 मार्च - 23	1 मार्च - 24	1 मार्च - 24	28 मार्च - 25	28 मार्च - 25
5	छत्तीसगढ	28 मार्च-23	28 मार्च-23	1 जून- 24	1 जून- 24	☒	☒
6	गुजरात	31 मार्च-23	31 मार्च-23	1 जून- 24	1 जून- 24	31 मार्च - 25	31 मार्च - 25
7	हरियाणा	15 फरवरी-23	15 फरवरी-23	5 मार्च - 24	5 मार्च - 24	28 मार्च- 25	28 मार्च 25
8	हिमाचल प्रदेश	31 मार्च-23	31 मार्च-23	15 मार्च 24	15 मार्च 24	28 मार्च- 25	28 मार्च - 25
9	झारखंड	28 फरवरी-24	28 फरवरी-24	26 जून- 24	26 जून-24	28 मार्च- 25	28 मार्च- 25
10	कर्नाटक	12 मई-23	12 मई-23	28 फरवरी-24	28 फरवरी-24	27 मार्च - 25	27 मार्च - 25
11	केरल	3 अक्तूबर- 23	31 अक्तूबर- 23	28 जून- 24	25 जून- 24	30 जून-25	5 दिसंबर 24
12	मध्य प्रदेश	20 मार्च - 23	28 मार्च - 23	5 मार्च- 24	6 मार्च- 24	28 मार्च- 25	29 मार्च-25
13	महाराष्ट्र	31 मार्च- 23	31 मार्च- 23	6 मार्च- 24	31 मार्च- 23	28 मार्च- 25	28 मार्च- 25
14	मेघालय	13 नवंबर- 23	11 अप्रैल - 23	5 जून- 24	6 जून-24	24 मार्च-25	24 मार्च- 25
15	नागालैंड	4 अगस्त-23	27 मार्च- 23	13 मार्च-24	13 मार्च- 24	28 मार्च- 25	28 मार्च- 25
16	ओडिशा	23 मार्च- 23	23 मार्च- 23	13 फरवरी- 24	13 फरवरी- 24	☒	24 मार्च-25
17	पंजाब	15 मई- 23	15 मई- 23	14 जून-24	14 जून-24	28 मार्च- 25	28 मार्च-25
18	राजस्थान	31 मार्च- 23	31 मार्च- 23	26 जुलाई-24	26 जुलाई-24	☒	☒
19	सिक्किम	21 मार्च- 23	21 मार्च- 23	13 मार्च- 24	13 मार्च- 24	27 मार्च-25	27 मार्च-25

परिशिष्ट: राज्यों और संघ क्षेत्रों के रेटिंग विनियामक निष्पादन की रिपोर्ट
अंतिम तिथि: 31 मार्च, 2025 (पूर्णांक), बढ़ाई गई तिथि: 30 जून, 25 (आनुपातिक अंक)

क्र. सं.	राज्य	टू-अप वित्त वर्ष 2021-22	एआरआर वित्त वर्ष 2023-24	टू-अप वित्त वर्ष 2022-23	एआरआर वित्त वर्ष 2024-25 के	टू-अप वित्त वर्ष 2023-24	एआरआर वित्त वर्ष 2025-26
		लक्ष्य तिथि 31/03/2023		लक्ष्य तिथि 31/03/2024		लक्ष्य तिथि 31/03/2025	
20	तिमलनाडु	28 मार्च-24	9 सितंबर-22	13 अगस्त- 24	15 जुलाई-24	30 अप्रैल-25	30 जून-25
21	तेलंगाना	23 मार्च-23	24 मार्च- 23	7 जून- 24	28 दिसंबर-24	☒	29 अप्रैल- 25
22	त्रिपुरा	22 सितंबर-23	22 सितंबर-23	14 अगस्त- 24	14 अगस्त- 24	☒	☒
23	उत्तराखंड	30 मार्च--23	30 मार्च--23	28 मार्च- 24	28 मार्च-24	11 अप्रैल-25	11 अप्रैल-25
24	उत्तर प्रदेश	24 मई-23	24 मई-23	10 अक्तूबर--24	10 अक्तूबर--24	☒	☒
25	पश्चिम बंगाल	26 अप्रैल- 23	30 मार्च - 23	9 दिसंबर- 24	6 मार्च-24	☒	20 मार्च- 25
26	जम्मू और कश्मीर	☒	24 नवंबर- 23	☒	24 मार्च- 25	☒	☒
27	लद्दाख	☒	10 अक्तूबर- 23	☒	27 जून- 24	23 मई-25	23 मई-25
28	मणिपुर	28 मार्च- 23	28 मार्च- 23	14 जून- 24	14 जून- 24	26 मार्च- 25	26 मार्च- 25
29	मिजोरम	28 मार्च- 23	28 मार्च- 23	15 मार्च- 24	15 मार्च-24	24 मार्च- 25	24 मार्च- 25
30	दिल्ली	☒	☒	☒	☒	☒	☒
31	गोवा	12 सितंबर--23	30 मार्च - 23	13 जून-24	13 जून-24	☒	☒
32	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	☒	28 मार्च-23	☒	13 जून-24	☒	☒
33	चंडीगढ़	25 जुलाई-24	30 मार्च-23	☒	25 जुलाई-24	☒	☒
34	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	30 मार्च-23	30 मार्च-23	13 जून-24	13 जून-24	☒	☒
35	लक्षद्वीप	☒	28 मार्च-23	☒	10 जून-24	☒	☒
36	पुडुचेरी	30 मार्च-23	30 मार्च-23	12 जून-24	12 जून-24	☒	☒

टिप्पणी-

1) *एमएसईडीसीएल के लिए प्रशुल्क आदेश 28/03/2025 को जारी किया गया था। इसके बाद, एमईआरसी ने दिनांक 02/04/2025 के 2024 के मामला संख्या 217 में 2025 के आईए संख्या 42 द्वारा त्रुटियों के कारण प्रशुल्क आदेश पर रोक लगा दी गई थी। दिनांक 01/07/2025 से प्रभावी वित्त वर्ष 26 के लिए संशोधित प्रशुल्क 25/06/2025 को जारी किया गया था।*

2) *वित्त वर्ष 2025-26 के लिए तमिलनाडु ने स्व-विवेक से प्रशुल्क जारी किया है जो 1/07/2025 से लागू होगा।*

परिशिष्ट: राज्यों और संघ क्षेत्रों के रेटिंग विनियामक निष्पादन की रिपोर्ट
अंतिम तिथि: 31 मार्च, 2025 (पूर्णांक), बढ़ाई गई तिथि: 30 जून, 25 (आनुपातिक अंक)

3) केरल ने दिनांक 5/12/2024 के आदेश के माध्यम से 1/07/2024 - 31/03/2027 की अवधि के लिए संशोधित प्रशुल्क जारी किया है

4) हिमाचल प्रदेश ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सीएजी द्वारा अनुमोदित ऑडिट किए गए खातों की अनुपलब्धता के कारण अनंतिम टू-अप जारी किया है। हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने 9 सितंबर 2025 को विद्युत मंत्रालय के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक के दौरान प्रस्तुत किया था कि सीएजी द्वारा अनुमोदित अंतिम ऑडिट किए गए खातों में बहुत कम भिन्नता की उम्मीद है। एचपीईआरसी ने 18 सितंबर 2025 की तारीख वाले पत्र के माध्यम से भी इस बात को दोहराया है जिसमें कहा गया है कि पिछले वर्षों में अनंतिम ऑडिट किए गए खातों और सीएजी द्वारा अनुमोदित ऑडिट किए गए खातों के बीच बहुत कम भिन्नता देखी गई है।

5) झारखंड डिस्कॉम के लिए प्रशुल्क आदेश विभिन्न तिथियों पर जारी किए गए थे - टाटा स्टील: 28/03/2025, जेबीवीएनएल: 30/04/2025 और डीवीसी: 27/05/2025।

6) पश्चिम बंगाल डिस्कॉम के लिए प्रशुल्क आदेश विभिन्न तिथियों पर जारी किए गए थे - डब्ल्यूबीएसईडीसीएल: 20/03/2025, सीईएससी: 25/03/2025, आईपीसीएल: 21/01/2025 और डीवीसी: 31/03/2025।

क. <u>वित्त वर्ष 2023-24 के टू-अप आदेश और वित्त वर्ष 2025-26 के एआरआर आदेश जारी करना</u> (मार्किंग के लिए उपयोग)

समय पर जारी किए गए- अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड (टाटा स्टील), हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैण्ड, पंजाब, सिक्किम, मणिपुर और मिजोरम

1-3 महीने की देरी से:

तमिलनाडु, उत्तराखंड, लद्दाख, केरल (एआरआर समय पर जारी किया गया, टू-अप में देरी)

जारी नहीं किया गया

- राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, लक्षद्वीप और पुडुचेरी - कोई टू-अप नहीं और कोई एआर नहीं।
- आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल ने वित्त वर्ष 2025-26 का एआरआर जारी किया लेकिन वित्त वर्ष 2023-24 का कोई टू-अप जारी नहीं किया।

ख. <u>वित्त वर्ष 2022-23 के टू-अप आदेश और वित्त वर्ष 2024-25 के एआरआर जारी करना</u>

समय पर जारी- बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, ओडिशा, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और महाराष्ट्र (टाटा पावर)।

1-3 माह की देरी से:

पंजाब, झारखंड, गुजरात, केरल, छत्तीसगढ़, असम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव और पुडुचेरी

4-6 महीने की देरी:

त्रिपुरा, तमिलनाडु, राजस्थान, पश्चिम बंगाल।

देरी से >:6 माह

महाराष्ट्र (एमएसईडीसीएल, बेस्ट, अडानी), उत्तर प्रदेश।

जारी नहीं किए गए

- दिल्ली - कोई टू-अप नहीं और कोई एआरआर नहीं।
- आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख ने वित्त वर्ष 2024-25 का एआरआर जारी किया लेकिन वित्त वर्ष 2022-23 का कोई टू-अप जारी नहीं किया।

ग. <u>वित्त वर्ष 2021-22 का टूक-अप ऑर्डर और वित्त वर्ष 2023-24 का एआरआर जारी करना</u> (केवल संदर्भ के लिए)

समय से जारी किया- महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, ओडिशा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव और पुडुचेरी।

1-5 महीने की देरी- पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, नागालैंड और कर्नाटक।

6 महीने से अधिक की देरी से - केरल, गोवा, चंडीगढ़, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय।

1 वर्ष से अधिक की देरी से- झारखंड।

जारी नहीं किया गया-

- आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप - वित्त वर्ष 2021-22 का कोई टू-अप जारी नहीं किया।
- दिल्ली कोई टू-अप नहीं और कोई एआरआर नहीं।

परिशिष्ट-IV

लागत दर्शाने वाला प्रशुल्क

क्र.सं.	राज्य	एआरआर वित्त वर्ष 2025-26	एआरआर के प्रतिशत के रूप में अंतर	एबीआर-एसीएस अंतराल (-)/अधिशेष (+) @ मौजूदा प्रशुल्क (रु./किलोवाट)	प्रशुल्क वृद्धि (%)
1	आंध्र प्रदेश				
क	एपीएसपीडीसीएल	23,130	कोई अंतर नहीं	(2.09)	प्रशुल्क में कोई बदलाव नहीं। राजस्व अंतर 12,632 करोड़ रु. सरकारी सब्सिडी द्वारा पूरा किया किया जाएगा।
ख	एपीसीपीडीसीएल	12,659	कोई अंतर नहीं	(1.62)	
ग	एपीईपीडीसीएल	20,713	कोई अंतर नहीं	(1.46)	
2	अरुणाचल प्रदेश	761	कोई अंतर नहीं	(4.74)	2.38% प्रशुल्क वृद्धि (वृद्धि: रु. 0.40/किलोवाट घरेलू, रु. 0.35/किलोवाट केजेपी और बीपीएल, 2.50 रु./किलोवाट अस्थायी, अन्य श्रेणियों के लिए 0.65 रु. / किलोवाट)। शेष घाटे को 392 करोड़ रुपये के अरूणाचल प्रदेश सरकार के राजस्व अनुदान से पूरा किया जाना है
3	असम	10,638	कोई अंतर नहीं	0.75	प्रशुल्क में 7.9% की कमी (घरेलू के लिए 1.00 रु. /किलोवाट की कमी,. अन्य श्रेणियों के लिए 0.25 रु./किलोवाट की कमी)
4	बिहार				
क	एनबीपीडीसीएल	13,075	कोई अंतर नहीं	1.11	प्रशुल्क में कोई बढ़ोतरी नहीं। राज्य स्तर पर, 316 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। अन्य प्रशुल्क युक्तिकरण उपायों के कारण - दो घरेलू स्लैबों का एक में विलय, गैर-घरेलू के लिए केवीएएच बिलिंग, ग्रीन प्रशुल्क शुरु करने आदि।
ख	एसबीपीडीसीएल	20,786	9.01%	(1.00)	
5	छत्तीसगढ़	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रशुल्क आदेश जारी नहीं किया गया है।			
6	गुजरात				
क	डीजीवीसीएल	23,725	कोई अंतर नहीं	0.80	राज्य के स्वामित्व वाले डिस्कॉम - प्रशुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। टू-अप अधिशेष का लाभ

क्र.सं.	राज्य	एआरआर वित्त वर्ष 2025-26	एआरआर के प्रतिशत के रूप में अंतर	एबीआर-एसीएस अंतराल (-)/अधिशेष (+) @ मौजूदा प्रशुल्क (रु./किलोवाट)	प्रशुल्क वृद्धि (%)
ख	एमजीवीसीएल	9,554	कोई अंतर नहीं	0.83	वित्त वर्ष 2023-24 को कुछ हद तक (2,841 करोड़ रुपये) एफपीपीएएस आधार दर में कमी करके ग्राहकों पर लगाया गया है। रु. 2.69/किलोवाट को रु. 2.45 / किलोवाट। शेष राजस्व अधिशेष पारित नहीं किया गया है और वित्त वर्ष 2025-26 के ट्रू-अप के समय हल किया जाएगा
ग	पीजीवीसीएल	24,908	कोई अंतर नहीं	0.89	
घ	यूजीवीसीएल	18,078	कोई अंतर नहीं	0.83	
ड.	टीपीएल-ए	7,729	कोई अंतर नहीं	0.001	प्रशुल्क में कोई बदलाव नहीं। अधिशेष आगे नहीं लगाया गया है और वित्त वर्ष 2025-26 के ट्रू-अप के समय हल किया जाएगा।
च	टीपीएल-एस	3,052	कोई अंतर नहीं	0.004	
7	हरियाणा				
क	यूएचबीवीएनएल	19,339	1.61%	(0.76)	3,262 करोड़ रुपये के संचयी अंतर को दूर करने के लिए प्रशुल्क में 7.88% की वृद्धि। साथ ही नोट 5 देखें।
ख	डीएचबीवीएनएल	26,027	कोई अंतर नहीं	(0.55)	
8	हिमाचल प्रदेश	8,403	कोई अंतर नहीं	0.12	प्रशुल्क में 1.67% की कमी। वित्त वर्ष 2025-26 तक 3 करोड़ रुपये का राजस्व अधिशेष।
9	झारखंड				
क	दामोदर घाटी निगम	5,775	2.35%	(0.36)	प्रशुल्क में ~4.30% की वृद्धि। एचटी सेवाएं और एचटी संस्थागत सेवाएं ऊर्जा प्रभार बढ़ाए गए।
ख	जेबीवीएनएल	8,981	कोई अंतर नहीं	0.56	पिछले राजस्व अंतर को पूरा करने के लिए प्रशुल्क वृद्धि (घरेलू के लिए 6.34%)
ग	टाटा स्टील लिमिटेड	1,763	कोई अंतर नहीं	0.27	यद्यपि मौजूदा प्रशुल्क पर राजस्व अधिशेष है, लेकिन पिछले अंतर को पूरा करने के लिए प्रशुल्क को और बढ़ाया गया है।

क्र.सं.	राज्य	एआरआर वित्त वर्ष 2025-26	एआरआर के प्रतिशत के रूप में अंतर	एबीआर-एसीएस अंतराल (-)/अधिशेष (+) @ मौजूदा प्रशुल्क (रु./किलोवाट)	प्रशुल्क वृद्धि (%)
10	कर्नाटक				
क	बेसकॉम	34,090	कोई अंतर नहीं	(0.03)	कुल प्रशुल्क में 1.61 प्रतिशत की वृद्धि की गई है ताकि सभी पांचों डिस्कॉमों के लिए 1,091 रु. के संचयी राजस्व अंतराल को पूरा किया जा सके।
ख	मेस्कॉम	5,846	कोई अंतर नहीं	(0.14)	
ग	सीईएससी	7,822	कोई अंतर नहीं	(0.27)	
घ	हेसकॉम	12,623	कोई अंतर नहीं	(0.35)	
ड.	गेस्कॉम	8,259	कोई अंतर नहीं	(0.14)	
11	केरल	20,219	1.39%	0.39	आंशिक रूप से राजस्व अंतराल को पूरा करने के लिए 4.33% की प्रशुल्क वृद्धि। शेष अंतर को बेहतर परिचालन दक्षता के माध्यम से पूरा किया जाना है।
12	मध्य प्रदेश				
क	एमपी पूरव क्षेत्र वीवीसीएल	16,074	कोई अंतर नहीं	(0.24)	राज्य स्तर पर 3.46% की वृद्धि की गई है ताकि राज्य स्तर 1,928 करोड़ रुपये के संचयी राजस्व अंतराल को पूरा किया जा सके।
ख	एमपी पश्चिम क्षेत्र वीवीसीएल	22,739	कोई अंतर नहीं		
ग	एमपी मध्य क्षेत्र वीवीसीएल	18,920	कोई अंतर नहीं		
13	महाराष्ट्र				
क	एमएसईडीसीएल	1,40,021	कोई अंतर नहीं	0.20	~2% प्रशुल्क में कमी।
ख	बेस्ट	4,473	कोई अंतर नहीं	0.74	प्रशुल्क में ~8% की कमी।
ग	एईएमएल-डी	9,920	कोई अंतर नहीं	1.00	प्रशुल्क में 10% की कमी
घ	टाटा पावर	4,709	कोई अंतर नहीं	1.61	प्रशुल्क में 18% की कमी
14	मेघालय	1,325	कोई अंतर नहीं	(1.73)	कुल प्रशुल्क में 25.67% की वृद्धि। कुछ श्रेणियों (एलटी वाणिज्यिक, एलटी औद्योगिक आदि) में प्रशुल्क वृद्धि और अन्य (एचटी वाणिज्यिक, एचटी औद्योगिक आदि) में प्रशुल्क में कमी के माध्यम से क्रॉस सब्सिडी स्तरों को कुछ हद तक तटस्थ कर दिया गया है। एलटी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्रशुल्क 7.48 रुपये/किलोवाट से घटाकर 6.95 रुपये/किलोवाट कर दिया गया है।

क्र.सं.	राज्य	एआरआर वित्त वर्ष 2025-26	एआरआर के प्रतिशत के रूप में अंतर	एबीआर-एसीएस अंतराल (-)/अधिशेष (+) @ मौजूदा प्रशुल्क (रु./किलोवाट)	प्रशुल्क वृद्धि (%)
15	नागालैंड	742 (अधिशेष बिक्री से राजस्व को छोड़कर 116 करोड़)	कोई अंतर नहीं	(4.01)	2.61% प्रशुल्क वृद्धि। शेष घाटा 396 करोड़ रुपये के बजटीय समर्थन द्वारा पूरा किया जाएगा।
16	ओडिशा				
क	टीपीडब्ल्यूओडीएल	6,131	कोई अंतर नहीं	0.02	प्रशुल्क में कोई बदलाव नहीं। राज्य स्तर पर 61 करोड़ रुपये का संचयी अधिशेष।
ख	टीपीएसओडीएल	2,209	2.06%	(0.12)	
ग	टीपीएनओडीएल	4,471	कोई अंतर नहीं	0.02	
घ	टीपीसीओडीएल	6,541	कोई अंतर नहीं	0.06	
17	पंजाब	47,674	कोई अंतर नहीं	0.05	312 करोड़ रुपये के राजस्व अधिशेष के कारण प्रशुल्क में 0.65% की कमी।
18	राजस्थान				
क	जेवीवीएनएल	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रशुल्क आदेश जारी नहीं किया गया			
ख	एवीवीवीएनएल				
ग	जेडीवीवीएनएल				
19	सिक्किम	386 (184 करोड़ रु. की अधिशेष बिक्री से राजस्व को छोड़कर)	कोई अंतर नहीं	(0.68)	14.09% की प्रशुल्क वृद्धि।
20	तमिलनाडु	83,608	7.74%	(0.78)	3.16% की प्रशुल्क वृद्धि। वित्त वर्ष 2025-26 प्रशुल्क आदेश में एआरआर और बिक्री की विस्तृत गणना नहीं की गई है और इसलिए, ये आंकड़े एमवाईटी आदेश दिनांक 9/09/2022 से लिए गए हैं।
21	तेलंगाना				
क	टीजीएसपीडीसीएल	41,128	कोई अंतर नहीं	(0.85)	प्रशुल्क में कोई बदलाव नहीं। 13,499 करोड़ रुपये का राजस्व अंतराल सरकार द्वारा सब्सिडी से पूरा किया जाएगा।
ख	टीजीएनपीडीसीएल	17,500	कोई अंतर नहीं	(3.62)	
22	त्रिपुरा	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रशुल्क आदेश जारी नहीं किया गया			
23	उत्तराखंड	11,576	कोई अंतर नहीं	(0.39)	591 करोड़ रुपये के संचयी राजस्व अंतराल को पूरा करने के लिए 5.62% की प्रशुल्क वृद्धि।

क्र.सं.	राज्य	एआरआर वित्त वर्ष 2025-26	एआरआर के प्रतिशत के रूप में अंतर	एबीआर-एसीएस अंतराल (-)/अधिशेष (+) @ मौजूदा प्रशुल्क (रु./किलोवाट)	प्रशुल्क वृद्धि (%)
24	उत्तर प्रदेश				
क	डीवीवीएनएल	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रशुल्क आदेश जारी नहीं किया गया			
ख	एमवीवीएनएल				
ग	पीवीवीएनएल				
घ	पीयुवीवीएनएल				
ड.	केस्को				
च	एनपीसीएल				
25	पश्चिम बंगाल				
क	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	31,000	कोई अंतर नहीं	0.00	प्रशुल्क में कोई कमी या वृद्धि नहीं
ख	सीईएससी लि.	8,184	कोई अंतर नहीं	0.00	प्रशुल्क में कोई कमी या वृद्धि नहीं
ग	आईपीसीएल	626	कोई अंतर नहीं	(0.41)	7.34% प्रशुल्क वृद्धि
घ	डीवीसी	7,151	कोई अंतर नहीं	(1.02)	प्रशुल्क में वृद्धि
26	जम्मू और कश्मीर				
क	जम्मू पीडीसीएल	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रशुल्क आदेश जारी नहीं किया गया			
ख	कश्मीर पीडीसीएल				
27	लद्दाख	223	कोई अंतर नहीं	(1.66)	37 करोड़ रुपये के सरकारी अनुदान/सहायता के अलावा 4.84% की प्रशुल्क वृद्धि।
28	मणिपुर	907	कोई अंतर नहीं	(3.61)	प्रशुल्क में कोई कमी या वृद्धि नहीं। राजस्व अंतराल 296 करोड़ रु. सरकारी सब्सिडी से पूरा किया जाना है।
29	मिजोरम	630	कोई अंतर नहीं	(3.15)	प्रशुल्क में कोई कमी या वृद्धि नहीं। राजस्व अंतराल 181 करोड़ रु. सरकारी सब्सिडी से पूरा किया जाना है।
30	दिल्ली				
क	बीआरपीएल	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रशुल्क आदेश जारी नहीं किया गया			
ख	बीवाईपीएल				
ग	टीपीपीडीएल				
31	गोवा	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रशुल्क आदेश जारी नहीं किया गया			
32	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रशुल्क आदेश जारी नहीं किया गया			
33	चंडीगढ़	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रशुल्क आदेश जारी नहीं किया गया			
34	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रशुल्क आदेश जारी नहीं किया गया			

क्र.सं.	राज्य	एआरआर वित्त वर्ष 2025-26	एआरआर के प्रतिशत के रूप में अंतर	एबीआर-एसीएस अंतराल (-)/अधिशेष (+) @ मौजूदा प्रशुल्क (रु./किलोवाट)	प्रशुल्क वृद्धि (%)
35	लक्षद्वीप	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रशुल्क आदेश जारी नहीं किया गया			
36	पुडुचेरी	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रशुल्क आदेश जारी नहीं किया गया			

टिप्पणी:

1. 30 जून 2025 की बढ़ाई गई अंतिम तारीख तक जारी प्रशुल्क आदेशों पर विचार किया गया है।

2. हरियाणा के प्रशुल्क आदेश में डिस्कॉम स्तर का राजस्व नहीं दिया गया है। इसलिए, राज्य स्तर पर औसत बिलिंग दर और डिस्कॉम राजस्व की गणना करने के लिए डिस्कॉम वार अनुमोदित बिक्री का उपयोग किया गया है।

3. केएसईआरसी प्रशुल्क आदेश दिनांक 5 दिसंबर 2024 के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में राजस्व अंतराल बना रहेगा। प्रशुल्क आदेश से संगत उद्धरण इस प्रकार हैं:

   "3.13 जैसा कि ऊपर बताया गया है, 2024-25 में 0.16 रुपये / यूनिट और 2025-26 में 0.12 प्रति यूनिट तक प्रशुल्क में मामूली वृद्धि अनुमोदित करने के बाद भी केएसईबीएल को 2024-25 में 1218.42 करोड़ रुपये, के अनुमोदित राजस्व घाटा होने की उम्मीद है, जिसमें पिछले राजस्व अंतराल का परिशोधन शामिल है, जो अनुमोदित एआरआर का लगभग 6% है। बाद के वर्षों में, एकल आधार पर राजस्व घाटा पिछले अंतराल के परिशोधन सहित अनुमोदित एआरआर के 1.4% से 1.50% की सीमा में है।

3. 15 …. इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए, भले ही आयोग ने प्रशुल्क के माध्यम से उपभोक्ताओं को पूरे स्वीकृत राजस्व अंतराल को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया है, आयोग ने यह सुनिश्चित किया है कि, यूटिलिटी का नकद प्रवाह प्रभवित नहीं होगा..."

4. 14 राज्यों ने उक्त वित्त वर्ष के लिए प्रशुल्क आदेश जारी करने के दौरान सृजित राजस्व अंतर को पाटने के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में प्रशुल्क में वृद्धि की है।

5. अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल (डीवीसी और आईपीसीएल) और लद्दाख ने प्रशुल्क में वृद्धि की है।

6. असम, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब ने प्रशुल्क कम कर दिया है क्योंकि वित्त वर्ष 2025-26 तक संचयी राजस्व अधिशेष था।

7. राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर, गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव ने 30 जून 2025 तक वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एआरआर और प्रशुल्क आदेश जारी नहीं किए हैं। इस प्रकार, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए उनके प्रशुल्क के बारे में कोई सूचना नहीं है।

परिशिष्ट-V

विनियामक परिसंपत्तियां

वित्त वर्ष 2023-24 तक जारी किए गए ट्रू-अप आदेशों की स्थिति

क्र. सं.	राज्य	वित्त वर्ष 2022-23 तक विनियामक परिसंपत्तियां	वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ट्रू-अप में राजस्व अंतराल)/ अधिशेष	वित्त वर्ष 2023-24 तक नियामक परिसंपत्तियां
1	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	(588) राज्य सरकार अनुदान के माध्यम से हल किया गया।	शून्य
2	असम	217	(220) वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एआरआर में हल किया गया	शून्य
3	बिहार			
क	एनबीपीडीसीएल	195	(733) वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एआरआर में हल किया गया	शून्य
ख	एसबीपीडीसीएल	(3,515)	3,401 वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एआरआर में हल किया गया	शून्य
4	गुजरात			
क	डीजीवीसीएल	118	2,784 वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एआरआर में हल किया गया	शून्य
ख	एमजीवीसीएल	97	707 वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एआरआर में हल किया गया	शून्य
ग	पीजीवीसीएल	(1,134)	745 वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एआरआर में हल किया गया	शून्य
घ	यूजीवीसीएल	(696)	759 वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एआरआर में हल किया गया	शून्य
ड.	टीपीएल - ए	(515)	(398) वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एआरआर में हल किया गया	शून्य
च	टीपीएल - एस	(2)	38 वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एआरआर में हल किया गया	शून्य
5	हरियाणा			
क	यूएचबीवीएनएल	शून्य	722 वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एआरआर में हल किया गया	शून्य
ख	डीएचबीवीएनएल			
6	झारखंड			
क	टाटा स्टील लिमिटेड	(667)	(136)	शून्य वित्त वर्ष 2025-26 के एआरआर में हल किया गया है।
ख	जेबीवीएनएल	(3,315)	(943)	शून्य वित्त वर्ष 2025-26 के एआरआर में हल किया गया है।
ग	डीवीसी	शून्य	(690)	शून्य वित्त वर्ष 2025-26 के एआरआर में हल किया गया है।
7	कर्नाटक			

क्र. सं.	राज्य	वित्त वर्ष 2022-23 तक विनियामक परिसंपत्तियां	वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ट्रू-अप में राजस्व अंतराल)/ अधिशेष	वित्त वर्ष 2023-24 तक नियामक परिसंपत्तियां
क	बेसकॉम	शून्य	(506)	शून्य 210 करोड़ रु. का समग्र राजस्व अंतराल वित्त वर्ष 2025-26 में के एआरआर में हल किया गया।
ख	मेस्कोम		(359)	
ग	सीईएससी		210	
घ	हेसकॉम		691	
ड.	गेस्कॉम		(244)	
8	केरल	(6,408)	(731) 494 करोड़ रु. सरकार द्वारा लिया जाना है, बाकी उपभोक्ताओं पर लगाया जाएगा।	(6,645)
9	मध्य प्रदेश			
क	मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र वीवीसीएल	शून्य	(889) वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एआरआर में हल किया गया	शून्य
ख	एमपी पश्चिम क्षेत्र वीवीसीएल		(1,049) वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एआरआर में हल किया गया	
ग	एमपी मध्य क्षेत्र वीवीसीएल		(1,038) वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एआरआर में हल किया गया	
10	महाराष्ट्र			
क	एमएसईडीसीएल	(27,310)	(5,099) वित्त वर्ष 2025-26, 2026-27 और 2027-28 के एआरआर में हल किया गया	शून्य
ख	बेस्ट	(328)	84 वित्त वर्ष 2025-26, 2026-27 और 2027-28 के एआरआर में हल किया गया	शून्य
ग	एईएमएल-डी	(94)	(160) वित्त वर्ष 2025-26, 2026-27 और 2027-28 के एआरआर में हल किया गया	शून्य
घ	टाटा पावर	(45)	170 वित्त वर्ष 2025-26, 2026-27 और 2027-28 के एआरआर में हल किया गया	शून्य
11	मेघालय	(69)	(507) वित्त वर्ष 25 के लिए एआरआर में हल किया गया	शून्य
12	नागालैंड	शून्य	31 वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एआरआर में हल किया गया है।	शून्य
13	पंजाब	(4,072)	1,378 वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एआरआर में हल किया गया।	शून्य
14	सिक्किम	शून्य	16	शून्य 9 करोड़ रु. का राजस्व अंतराल (16 करोड़ रु. वित्त वर्ष 2023-24 अधिशेष + रु. (-) 25 करोड़। वित्त वर्ष 2024-25 अंतराल) को वित्त वर्ष 2025-26 के एआरआर में 12 करोड़ रु. के अधिशेष से पूरा किया जाएगा।

परिशिष्ट: राज्यों और संघ क्षेत्रों के रेटिंग विनियामक निष्पादन की रिपोर्ट
अंतिम तिथि: 31 मार्च, 2025 (पूर्णांक), बढ़ाई गई तिथि: 30 जून, 25 (आनुपातिक अंक)

क्र. सं.	राज्य	वित्त वर्ष 2022-23 तक विनियामक परिसंपत्तियां	वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ट्रू-अप में राजस्व अंतराल)/ अधिशेष	वित्त वर्ष 2023-24 तक नियामक परिसंपत्तियां
15	तमिलनाडु	(8,651)	(6,922)	शून्य टीएनपीडीसीएल के 90% से अधिक वित्तीय घाटे को लेने की तमिलनाडु सरकारी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए अंतर वसूल किया जाएगा
16	उत्तराखंड	(583)	(508) वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एआरआर में हल किया गया	शून्य
17	मणिपुर	शून्य	207 वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एआरआर में समायोजित अधिशेष का एक-तिहाई हिस्सा।	शून्य राजस्व अधिशेष का दो-तिहाई (138 करोड़ रु.) उपयोग करने के लिए डिस्कॉम के लिए छोड़ दिया गया
18	मिजोरम	52	21 वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एआरआर में समायोजित अधिशेष का एक तिहाई	शून्य राजस्व अधिशेष का दो-तिहाई (14 करोड़) रु. किसी भी उपयोगी उद्देश्य के लिए डिस्कॉम के लिए छोड़ दिया गया
19	लद्दाख	शून्य	(4) सरकार द्वारा बजटीय सहायता से पूरा किया जाना है।	शून्य

वित्त वर्ष 2023 -24 तक ट्रू-अप आदेश जारी करने वाले राज्य

1) केरल, जिसके पास 6,645 करोड़ रु. की विनियामक परिसंपत्तियां है, को छोड़कर वित्त वर्ष 2022-23 के अंत तक किसी भी राज्य के पास विनियामक परिसंपत्तियां नहीं है। केरल में भी विनियामक परिसंपत्तियां प्रस्तुत करने की अपेक्षा वाले दिनांक 29.08.25 के माननीय आपटेल के आदेश के उत्तर में दिनांक 9.09.2025 के हलफनामे में विनियामक परिसंपत्तियों के रूप में वही प्रदान किया।

"8. उपरोक्त के पूर्वाग्रह के बिना, यह उत्तरदाता आयोग अपने दिनांक 29.08.2025 के अपने आदेश में इस माननीय अधिकरण द्वारा जारी निर्देशों के उचित अनुपालन में निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत कर रहा है:

(1) प्रत्येक डिस्कॉम के संबंध में 01.04.2024 तक उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विनियामक परिसंपत्तियां: यह अनुरोध है कि 01.04.2024 के केएसईबीएल के कुल पूरा न किया गया राजस्व अंतराल 6645.30 करोड़ रु. है।"

2) अन्य सभी राज्यों ने या तो वित्त वर्ष 2025-26 में प्रशुल्क वृद्धि के माध्यम से या राज्य से बजटीय सहायता के माध्यम से 2023-24 के राजस्व अंतराल का परिसमापन कर दिया है।

वित्त वर्ष 2022-23 तक जारी किए गए ट्रू-अप आदेशों की स्थिति

क्र. सं.	राज्य	वित्त वर्ष 2021-22 तक विनियामक परिसंपत्तियां	वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ट्रू-अप में राजस्व (अंतर)/ अधिशेष	वित्त वर्ष 2022-23 तक विनियामक परिसंपत्तियां
1	राजस्थान			
क	जेवीवीएनएल	(49,250)	(2,350)	(53,824)
ख	एवीवीएनएल		(1,426)	
ग	जेडीवीवीएनएल		(798)	
2	ओडिशा			
क	टीपीडब्ल्यूओडीएल	शून्य	737	शून्य सभी डिस्कॉम के लिए अधिशेष है वित्त वर्ष 23 के अंत में 1,980 करोड़ रुपये है, जिसे वित्त वर्ष 25 के एआरआर में हल किया गया है।
ख	टीपीएसओडीएल		54	
ग	टीपीएनओडीएल		136	
घ	टीपीसीओडीएल		171	
3	छत्तीसगढ़	शून्य	(877) वित्त वर्ष 2024-25 के एआरआर में हल किया गया	शून्य वित्त वर्ष 23 तक संचयी राजस्व अंतर 3,556 करोड़ रुपये है, जिसे वित्त वर्ष 25 के लिए एआरआर में हल किया गया है।
4	गोवा	शून्य	(329) (गोवा सरकार द्वारा वित्त पोषित बजटीय सहायता के माध्यम से)	शून्य
5	हिमाचल प्रदेश	शून्य	136	शून्य वित्त वर्ष 23 तक संचयी राजस्व अधिशेष 144 करोड़ है। जिसे वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एआरआर में हल किया गया है
6	उत्तर प्रदेश			
क	डीवीवीएनएल	शून्य	419	शून्य वित्त वर्ष 2024-25 के एआरआर में 2,263 करोड़ रुपये के अधिशेष को हल किया गया है। कोई विनियामक संपत्ति मंजूर नहीं की गई क्योंकि पिछले मामले न्यायाधीन हैं।
ख	एमवीवीएनएल		498	
ग	पीवीवीएनएल		784	
घ	पीयुवीवीएनएल		485	
ड.	केस्को		77	
च	एनपीसीएल	951	(63)	शून्य वित्त वर्ष 2024-25 के एआरआर में हल किया गया। पिछले अधिशेष से 10% की विनियामक छूट।
7	त्रिपुरा	(55)	(205) वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एआरआर में हल किया गया	शून्य वित्त वर्ष 2024-25 के एआरआर में 7.15% की प्रशुल्क वृद्धि के माध्यम से 1,060 करोड़ रुपये के संचयी अंतराल को हल किया गया है।
8	पश्चिम बंगाल	(3,112)	(4,348) 734 करोड़ रु. वित्त वर्ष 2025-26 के एआरआर में समायोजित किए गए, 54 करोड़ रु. रेलवे की बिक्री से वसूल किया जाना है	(3,559) डब्ल्यू.बी.एस.ई.डी.सी.एल. के 9वें एम.वाई.टी. आदेश में समायोजित किया जाना है।
9	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	शून्य	(101) वित्त वर्ष 2024-25 के एआरआर में हल किया गया है।	शून्य
10	पुडुचेरी	(433)	(179)	(612) विनियामक परिसंपत्तियों के अधिभार को 8% से बढ़ाकर 10% और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 8% की प्रशुल्क वृद्धि से रुपये (445) करोड़ का शुद्ध राजस्व अंतराल को छोड़ने के लिए।

परिशिष्ट: राज्यों और संघ क्षेत्रों के रेटिंग विनियामक निष्पादन की रिपोर्ट
अंतिम तिथि: 31 मार्च, 2025 (पूर्णांक), बढ़ाई गई तिथि: 30 जून, 25 (आनुपातिक अंक)

वित्त वर्ष 2022-23 तक टू अप आदेश जारी करने वाले राज्य

1) राजस्थान, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी को छोड़कर वित्त वर्ष 2022-23 के अंत तक किसी भी राज्य में विनियामक संपत्ति नहीं है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल (डब्ल्यूबीएसईडीसीएल) और पुडुचेरी के पास वित्त वर्ष 2022-23 के अंत में क्रमश: 53,824 करोड़ रुपये, 3,559 करोड़ रुपये और 612 करोड़ रु. की विनियामक संपत्तियां हैं।

वित्त वर्ष 2021-22 तक जारी किए गए टू-अप आदेशों की स्थिति

क्र.सं.	राज्य	वित्त वर्ष 2020-21 तक विनियामक परिसंपत्तियां	वित्त वर्ष 21-22 के लिए टू-अप में राजस्व (अंतराल)/ अधिशेष	वित्त वर्ष 2021-22 तक विनियामक परिसंपत्तियां
1	तेलंगाना			
क	टीजीएसपीडीसीएल	शून्य	(4856)	शून्य डिस्कॉम को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तेलंगाना सरकार से प्राप्त प्रतिबद्धता के मद्देनजर अंतराल को उपभोक्ताओं पर नहीं लगाया गया।
ख	टीजीएनपीडीसीएल		(1337)	
2	चंडीगढ़	259	(161) वित्त वर्ष 2024-25 के एआरआर में हल किया गया	शून्य
4	जम्मू और काश्मीर			
क	जेपीडीसीएल	शून्य	कोई अंतर नहीं है।	शून्य डिस्कॉम वित्त वर्ष 2021-22 से संबंधित किसी भी राजस्व घाटे/अंतराल का दावा करने के हकदार नहीं होंगे
ख	केपीडीसीएल	शून्य	कोई अंतर नहीं है।	

वित्त वर्ष 2021-22 तक टू-अप आदेश जारी करने वाले राज्य

1) वित्त वर्ष 2021-22 के अंत तक किसी भी राज्य की कोई विनियामक संपत्ति नहीं है

2) वित्त वर्ष 2019-20, वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जम्मू और कश्मीर टू अप ऑर्डर क्रमशः 24/02/2025 और 3/03/2025 को जेपीडीसीएल और केपीडीसीएल के लिए जारी किए गए थे। इन वर्षों के लिए कोई विनियामक संपत्ति नहीं बनाई गई है। आदेश से संगत उद्धरण इस प्रकार है:

"18. उपर्युक्त को देखते हुए, आयोग वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वास्तविक टू-अप कार्य के दायरे को याचिकाकर्ता द्वारा वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों / ऑडिट किए गए खातों के आधार पर प्रस्तुत विद्युत खरीद लागत, ओ एंड एम लागत और राजस्व दावों के समर्थन की सीमा तक सीमित करने का निर्णय लेता है।

19. आयोग ने राजस्व अंतर/अधिशेष की गणना नहीं करने का निर्णय लिया है क्योंकि इसे अनुमोदित एआरआर पूर्वानुमान और ऑडिट किए गए खातों में परिलक्षित वास्तविक के आधार पर गणना की जा सकती है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने याचिका में अनुरोध किया कि वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राजस्व अंतर / अधिशेष को केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया है और सरकार ने टू-अप के समय या भावी वर्षों में वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राजस्व घाटे/अंतर का दावा करने का निर्णय लिया है।

20. आयोग ने देखा कि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में यह भी कहा कि याचिकाकर्ता इस याचिका के माध्यम से वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राजस्व घाटे/अंतर की वसूली के अपने दावे को जब्त कर लेता है और याचिकाकर्ता भविष्य में वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2021-22 के लिए किसी भी राजस्व घाटे/अंतर का दावा नहीं करेगा।

*21. उपरोक्त के मद्देनजर, आयोग याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत वित्त वर्ष 2019-20, वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए विद्युत की खरीद, ओ.एंड एम लागत और राजस्व दावे का समर्थन करने का निर्णय लेता है। **याचिकाकर्ता वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2021-22 से संबंधित किसी भी राजस्व घाटे/अंतर का दावा करने का हकदार नहीं होगा**, जिसमें भविष्य की अवधि के दौरान वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर देयता शामिल है।"*

केवल वित्त वर्ष 2020-21 तक जारी किए गए टू-अप आदेशों की स्थिति

क्र.सं.	राज्य	वित्त वर्ष 2019-20 तक विनियामक परिसंपत्तियां	वित्त वर्ष 20-21 के लिए टू-अप में राजस्व (अंतराल)/ अधिशेष	वित्त वर्ष 2020-21 तक विनियामक परिसंपत्तियां
1	आंध्र प्रदेश			
क	एपीएसपीडीसीएल	शून्य	(1,417)	शून्य
ख	एपीसीपीडीसीएल			
ग	एपीईपीडीसीएल			
2	दिल्ली			
क	बीआरपीएल	(4,189)	(637)	(12,994)
ख	बीवाईपीएल	(3,111)	27	(8,419)
ग	टीपीपीडीएल	(1,763)	(423)	(5,788)
3	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	शून्य	(510) सरकार द्वारा बजटीय सहायता से पूरा किया जाना है।	शून्य

वित्त वर्ष 2020-21 तक टू अप आदेश जारी करने वाले राज्य

1) दिल्ली डिस्कॉम के पास वित्त वर्ष 2020-21 तक 27,201 करोड़ रुपये की अंतिम विनियामक परिसंपत्तियां हैं, जो वित्त वर्ष 2019-20 तक 9,063 करोड़ रुपये थीं। दिल्ली ने इन अतिरिक्त विनियामक परिसंपत्तियों के परिसमापन के लिए कोई रोडमैप निदान प्रदान नहीं किया है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2020-21 का टू-अप ऑर्डर 19/07/2024 को जारी किया गया है, यानी लगभग 3 साल की देरी से, जिसने अंतिम उपभोक्ताओं पर कैरिंग लागत का बोझ बढ़ा दिया है।

परिशिष्ट-VI

ईंधन और विद्युत खरीद समायोजन अधिभार

क्र.सं.	राज्य	एफपीपीएएस तंत्र	परिवर्तन की आवृत्ति	स्वत: आगे बढ़ाना	विद्युत मंत्रालय नियमावली दिनांक 29/12/2022 के अनुसार एफपीपीएएस फार्मूला
		(हां/नहीं)	(मासिक/त्रैमासिक)	(हां/नहीं)	(हां/नहीं)
1	आंध्र प्रदेश	हां	मासिक	हां	हां (विद्युत मंत्रालय नियमावली का आशय पूरा किया गया)
2	अरुणाचल प्रदेश	हां	मासिक	हां	हां
3	असम	हां	मासिक	हां	हां
4	बिहार	हां	मासिक	हां	हां
5	छत्तीसगढ	हां	मासिक	हां	हां
6	गुजरात	हां	मासिक	हां	हां
7	हरियाणा	हां	मासिक	हां	हां
8	हिमाचल प्रदेश	हां	मासिक	हां	हां
9	झारखंड	हां	मासिक	हां	हां
10	कर्नाटक	हां	मासिक	हां	नहीं
11	केरल	हां	मासिक	हां	नहीं
12	मध्य प्रदेश	हां	मासिक	हां	नहीं
13	महाराष्ट्र	हां	मासिक	हां	हां (विद्युत मंत्रालय नियमावली का आशय पूरा किया गया)
14	मेघालय	हां	मासिक	हां	हां
15	नागालैंड	हां	मासिक	नहीं	नहीं
16	ओडिशा	हां	मासिक	नही	नहीं
17	पंजाब	हां	मासिक	हां	हां
18	राजस्थान	हां	मासिक	हां	हां
19	सिक्किम	हां	मासिक	हां	हां
20	तमिलनाडु	नही	लागू नहीं	नही	नही
21	तेलंगाना	हां	मासिक	हां	नही
22	त्रिपुरा	हां	त्रैमासिक	हां	नही
23	उत्तराखंड	हां	मासिक	हां	हां (विद्युत मंत्रालय नियमावली का आशय पूरा किया गया)
24	उत्तर प्रदेश	हां	मासिक	हां	हां (विद्युत मंत्रालय नियमावली का आशय पूरा किया गया)
25	पश्चिम बंगाल	हां	मासिक	नही	नही
26	जम्मू और काश्मीर	हां	मासिक	हां	हां
27	लद्दाख	हां	मासिक	हां	हां
28	मणिपुर	हां	मासिक	हां	हां
29	मिजोरम	हां	मासिक	हां	हां
30	दिल्ली	हां	त्रैमासिक	हां	नहीं

क्र.सं.	राज्य	एफपीपीएएस तंत्र	परिवर्तन की आवृत्ति	स्वत: आगे बढ़ाना	विद्युत मंत्रालय नियमावली दिनांक 29/12/2022 के अनुसार एफपीपीएएस फार्मूला
		(हां/नहीं)	(मासिक/त्रैमासिक)	(हां/नहीं)	(हां/नहीं)
31	गोवा	हां	मासिक	हां	हां
32	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	हां	मासिक	हां	हां
33	चंडीगढ़	हां	मासिक	हां	हां
34	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव	हां	मासिक	हां	हां
35	लक्षदीप	हां	मासिक	हां	हां
36	पुडुचेरी	हां	मासिक	हां	हां

टिप्पणी :

1) **एफपीपीए का तंत्र: केवल तमिलनाडु** ने एफपीपीए के लिए कोई तंत्र अधिसूचित नहीं किया है और बाकी सभी राज्यों ने विद्युत खरीद लागत में परिवर्तन के प्रभाव से गुजरने के लिए एफपीपीए तंत्र निर्दिष्ट किया है।

2) **एफपीपीए की आवृत्ति:** विद्युत मंत्रालय नियमावली के अनुसार, राज्यों को एफपीपीए को मासिक रूप से आगे बढ़ाना है, परंतु 2 राज्यों **अर्थात त्रिपुरा और दिल्ली** ने एफपीपीएएस को आगे बढ़ाने की तिमाही बारम्बारता की अनुमति दे दी है। एफपीपीए की मासिक वसूली एआरआर यानी विद्युत खरीद लागत में प्रमुख अनियंत्रित तत्व की समय पर वसूली में योगदान देती है। बेहतर राजस्व प्राप्ति डिस्कॉम की वित्तपोषण लागत के बोझ को कम करती है क्योंकि वे मासिक आधार पर वृद्धिशील विद्युत खरीद लागत की वसूली कर सकते हैं।

3) **एफपीपीएएस का स्वत: आगे बढ़ना:** नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एफपीपीएएस की आगे बढ़ने की स्थिति नहीं है। एफपीपीएएस के स्वत: आगे बढ़ने का प्रावधान डिस्कॉम को प्रक्रिया में किसी भी विनियामक देरी के बिना समय पर अतिरिक्त विद्युत खरीद लागत की वसूली करने की अनुमति देता है।

4) **विद्युत मंत्रालय की निमावली के साथ एफपीपीए वसूली फार्मूला का अनुरूपण:** 10 राज्यों अर्थात कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और दिल्ली ने अपने एफपीपीए वसूली फार्मूले को विद्युत मंत्रालय के फार्मूले के अनुरूप नहीं किया है। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में थोड़ा सा भिन्न फार्मूला है परंतु विद्युत मंत्रालय नियमावली का आशय पूरा किया जाता है।

5) महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग ने 22 नवंबर, 2023 के पत्र के माध्यम से विद्युत मंत्रालय से एमईआरसी प्रशुल्क विनियमों में निर्धारित फार्मूले को विद्युत मंत्रालय नियमावली के अनुपालक के रूप में विचार काने का अनुरोध किया है। फार्मूला मासिक आधार पर ईंधन और विद्युत खरीद लागत की कीमत में अंतर की समय पर वसूली की अनुमति देता है।

6) उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्दिष्ट फार्मूला, ईंधन और विद्युत खरीद लागत में वास्तविक परिवर्तन और एकत्र की गई राशि के बीच के अंतर की वसूली की अनुमति देने वाले समायोजन कारक के अंतर के साथ, विद्युत मंत्रालय नियमावली में निर्धारित फार्मूले के लगभग समान है।

7) उत्तराखंड विद्युत विनियामक आयोग ने दिनांक 15 जनवरी, 2025 के पत्र के माध्यम से विद्युत मंत्रालय को अवगत कराया कि यूईआरसी द्वारा प्रयुक्त फार्मूला विद्युत मंत्रालय नियमावली में दिए गए फार्मूले से लगभग समान है, जिसमें प्रमुख अपवाद यह है कि वास्तविक बिक्री के स्थान पर मानक बिक्री का उपयोग किया जाता है।

परिशिष्ट-VII

उपभोक्ता अधिकार नियमावली: समय-सीमा और मुआवजा तंत्र

क्र. सं.	राज्य	कनेक्शन जारी करना		नेट मीटरिंग कनेक्शन- (नियमों के अनुसार- 15 दिनों के भीतर*)	150 किलोवाट तक के पूर्व-निर्दिष्ट कनेक्शन शुल्क (हां/नहीं)
		समय-सीमाएँ (विद्युत मंत्रालय के नियमों के अनुसार-मेट्रो- 3 दिन, नगरपालिका-7 दिन, ग्रामीण- 15 दिन, पहाड़ी क्षेत्र-30 दिन)	समय सीमा का अनुपालन न करने की स्थिति में मुआवजा		
1	आंध्र प्रदेश	मैट्रो- 3 दिन नगरपालिका- 7 दिन ग्रामीण- 15 दिन	डिफ़ॉल्ट के प्रत्येक दिन के लिए 100 रु.	15 दिनों के भीतर	नहीं (नोट 9 देखें)
2	अरुणाचल प्रदेश	शहरी- 7 दिन ग्रामीण- 15 दिन दूरस्थ- 30 दिन	डिफ़ॉल्ट के प्रत्येक दिन के लिए 1,000 रु.	15 दिनों के भीतर	हां
3	असम	मेट्रो- 3 दिन नगर पालिका- 7 दिन ग्रामीण- 15 दिन पहाड़ी – 30 दिन	100 रु. प्रति सप्ताह विलंब अथवा उसके हिस्से के लिए	14 दिनों के भीतर	हां
4	बिहार	30 दिन	डिफ़ॉल्ट के प्रत्येक दिन के लिए 100 रु.	7 दिनों के भीतर	हां
5	छत्तीसगढ	शहरी- 7 दिन (श्रेणी-क शहरों सहित) ग्रामीण- 10 दिन।	डिफ़ॉल्ट के प्रत्येक दिन के लिए 500/-रु.	22 दिनों के भीतर	हां
6	गुजरात	शहरी- 7 दिन ग्रामीण- 10 दिन	डिफ़ॉल्ट के लिए प्रत्येक दिन के 50 रु.	15 दिनों के भीतर	हां
7	हरियाणा	मेट्रो - 3 दिन शहरी- 7 दिन ग्रामीण- 15 दिन	200 रुपये प्रति दिन या उसका भाग	10 दिनों के भीतर	हां
8	हिमाचल प्रदेश	महानगर- 3 दिन नगरपालिका/शहरी - 7 दिन ग्रामीण- 15 दिन पहाड़ी – 30 दिन	एलटी- 200 रु. / - दिन 11 केवी- 200 रु. /दिन 22 केवी- 200 रु. / दिन 33 केवी- 500 रु./ दिन ईएचटी – 500 रु. /दिन	15 दिनों के भीतर	हां

क्र. सं.	राज्य	कनेक्शन जारी करना		नेट मीटरिंग कनेक्शन- (नियमों के अनुसार- 15 दिनों के भीतर*)	150 किलोवाट तक के पूर्व-निर्दिष्ट कनेक्शन शुल्क (हां/नहीं)
		समय-सीमाएँ (विद्युत मंत्रालय के नियमों के अनुसार-मेट्रो- 3 दिन, नगरपालिका-7 दिन, ग्रामीण- 15 दिन, पहाड़ी क्षेत्र-30 दिन)	समय सीमा का अनुपालन न करने की स्थिति में मुआवजा		
9	झारखंड	महानगरीय क्षेत्र- 3 दिन अन्य नगरपालिका क्षेत्र- 7 दिन ग्रामीण- 15 दिन	एलटी- 50 रु./दिन एचटी (11 केवी)- 100 रु. /दिन एचटी (33 केवी)- 200 रुपये प्रतिदिन। ईएचटी -500 रु. /दिन	30 दिनों के भीतर	हां
10	कर्नाटक	मेट्रो - 7 दिन नगर पालिका- 15 दिन ग्रामीण - 30 दिन	प्रत्येक डिफ़ॉल्ट के मामले में 1000 रु.	15 दिनों के भीतर	हां
11	केरल	मेट्रो – 3 दिन अन्य क्षेत्र - 7 दिन कठिन क्षेत्र- 30 दिन	प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपये	14 दिनों के भीतर	हां
12	मध्य प्रदेश	महानगर-3 दिन शहर - 5 दिन अन्य नगरपालिका क्षेत्र- 7 दिन ग्रामीण- 15 दिन	एलटी 100 - रु. /सप्ताह या उसका भाग एचटी या ईएचटी- 200/- रुपये प्रति सप्ताह या उसका कुछ हिस्सा।	15 दिनों के भीतर	हां
13	महाराष्ट्र	महानगर- 3 दिन नगरपालिका क्षेत्र- 7 दिन। ग्रामीण- 15 दिन	50 रुपये प्रति सप्ताह या उसका भाग (अधिकतम दोगुना शुल्क)	20 दिनों के भीतर	हां
14	मेघालय	एलटी कनेक्शन- शहरी- 35 दिन ग्रामीण- 42 दिन एचटी कनेक्शन- 37 दिन	प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपये	15 दिनों के भीतर	हां
15	नागालैंड	महानगर- 3 दिन शहरी - 7 दिन ग्रामीण- 15 दिन सुदूर - 30 दिन	प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपये	15 दिनों के भीतर	हां
16	ओडिशा	मेट्रो- 3 दिन नगरपालिका क्षेत्र- 7 दिन ग्रामीण- 15 दिन	धारा 43(3) के साथ पठित धारा 143 के अनुसार निर्णायक अधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार दंड	17 दिनों के भतीर	हां

क्र. सं.	राज्य	कनेक्शन जारी करना		नेट मीटरिंग कनेक्शन- (नियमों के अनुसार- 15 दिनों के भीतर*)	150 किलोवाट तक के पूर्व-निर्दिष्ट कनेक्शन शुल्क (हां/नहीं)
		समय-सीमाएँ (विद्युत मंत्रालय के नियमों के अनुसार-मेट्रो- 3 दिन, नगरपालिका-7 दिन, ग्रामीण- 15 दिन, पहाड़ी क्षेत्र-30 दिन)	समय सीमा का अनुपालन न करने की स्थिति में मुआवजा		
17	पंजाब	शहर - 3 दिन नगरपालिका क्षेत्र- 7 दिन ग्रामीण- 15 दिन	डिफ़ॉल्ट के बाद 200 रु./ दिन	15 दिनों के भीतर	हां
18	राजस्थान	महानगर- 7 दिन अन्य नगरपालिका क्षेत्र- 15 दिन और ग्रामीण- 30 दिन	एलटी- 300 रुपये। एचटी- 750 रु. ईएचटी – 1500 रु.	15 दिनों के भीतर	नहीं
19	सिक्किम	महानगर- 3 दिन नगर पालिका- 7 दिन ग्रामीण- 15 दिन पहाड़ी क्षेत्र - 30 दिन	डिफ़ॉल्ट के प्रत्येक दिन के लिए 50 रु.	15 दिनों के भीतर	हां
20	तमिलनाडु	एलटी- 7 दिनों के भीतर एचटी-60 दिन। ईएचटी- 150 दिन **एचटी और ईएचटी में नेटवर्क विस्तार शामिल है*	200 रुपये प्रतिदिन (अधिकतम 2000 रुपये तक)	30 दिनों के भीतर	हां
21	तेलंगाना	30 दिन	डिफाल्ट के प्रत्येक दिन के लिए 200 रुपये।	15 दिनों के भीतर	नहीं
22	त्रिपुरा	30 दिन	500 रु. प्रत्येक अतिरिक्त दिन	17 दिनों के भीतर	नहीं
23	उत्तराखंड	महानगर- 3 दिन नगर पालिका- 7 दिन ग्रामीण- 15 दिन	एलटी- अधिकतम 500 रु. के अध्यधीन जमा राशि के प्रति 1000 रु. पर 5 रु. एचटी- डिफ़ॉल्ट के प्रत्येक दिन के लिए 500 रु.	15 दिनों के भीतर	हां
24	उत्तर प्रदेश	7 कार्य दिवस	50 रुपये प्रतिदिन	14 दिनों के भीतर	नहीं

क्र. सं.	राज्य	कनेक्शन जारी करना		नेट मीटरिंग कनेक्शन- (नियमों के अनुसार- 15 दिनों के भीतर*)	150 किलोवाट तक के पूर्व-निर्दिष्ट कनेक्शन शुल्क (हां/नहीं)
		समय-सीमाएँ (विद्युत मंत्रालय के नियमों के अनुसार-मेट्रो- 3 दिन, नगरपालिका-7 दिन, ग्रामीण- 15 दिन, पहाड़ी क्षेत्र-30 दिन)	समय सीमा का अनुपालन न करने की स्थिति में मुआवजा		
25	पश्चिम बंगाल	30 दिनों के भीतर	डिफ़ॉल्ट के प्रत्येक दिन के लिए 500 रुपये	15 दिनों के भीतर	हां
26	जम्मू और कश्मीर	30 दिनों के भीतर	डिफ़ॉल्ट के प्रत्येक दिन के लिए 100 रुपये	20 दिनों के भीतर	हां
27	लद्दाख	30 दिनों के भीतर	डिफ़ॉल्ट के प्रत्येक दिन के लिए 100 रुपये	20 दिनों के भीतर	हां
28	मणिपुर	शहर और शहरी- 7 दिन ग्रामीण- 15 दिन सुदूर- 30 दिन	डिफ़ॉल्ट के प्रत्येक दिन के लिए 100 रुपये	शहरी - 25 दिनों के भीतर ग्रामीण - 30 दिनों के भीतर	हां
29	मिजोरम	शहर और शहरी- 7 दिन ग्रामीण- 15 दिन दूरस्थ- 30 दिन	डिफ़ॉल्ट के प्रत्येक दिन के लिए 100 रुपये	शहरी - 25 दिनों के भीतर ग्रामीण - 30 दिनों के भीतर	हां
30	दिल्ली	महानगर- 3 दिन शहरी- 7 दिन ग्रामीण- 15 दिन (जहां मार्गाधिकार अथवा सड़क काटने की अनुमति नहीं है)	डिफाल्ट के प्रत्येक दिन के लिए उपभोक्ता द्वारा जमा मांग प्रभारों का 1.5%	15 दिनों के भीतर	हां
31	गोवा	महानगर- 3 दिन शहरी- 7 दिन ग्रामीण- 15 दिन द्वीप समूह- 30 दिन	कोई मुआवजा नहीं	15 दिनों के भीतर	नहीं (लंबाई के आधार पर)
32	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	महानगर- 3 दिन शहरी- 7 दिन ग्रामीण- 15 दिन द्वीप समूह- 30 दिन	कोई मुआवजा नहीं	15 दिनों के भीतर	नहीं (लंबाई के आधार पर)
33	चंडीगढ़	महानगर- 3 दिन शहरी- 7 दिन ग्रामीण- 15 दिन द्वीप समूह- 30 दिन	कोई मुआवजा नहीं	15 दिनों के भीतर	हां
34	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	महानगर- 3 दिन शहरी- 7 दिन ग्रामीण- 15 दिन द्वीप समूह- 30 दिन	कोई मुआवजा नहीं	15 दिनों के भीतर	हां

परिशिष्ट: राज्यों और संघ क्षेत्रों के रेटिंग विनियामक निष्पादन की रिपोर्ट
अंतिम तिथि: 31 मार्च, 2025 (पूर्णांक), बढ़ाई गई तिथि: 30 जून, 25 (आनुपातिक अंक)

क्र. सं.	राज्य	कनेक्शन जारी करना		नेट मीटरिंग कनेक्शन- (नियमों के अनुसार- 15 दिनों के भीतर*)	150 किलोवाट तक के पूर्व-निर्दिष्ट कनेक्शन शुल्क (हां/नहीं)
		समय-सीमाएँ (विद्युत मंत्रालय के नियमों के अनुसार-मेट्रो- 3 दिन, नगरपालिका-7 दिन, ग्रामीण- 15 दिन, पहाड़ी क्षेत्र-30 दिन)	समय सीमा का अनुपालन न करने की स्थिति में मुआवजा		
35	लक्षद्वीप	महानगर- 3 दिन शहरी- 7 दिन ग्रामीण- 15 दिन द्वीप समूह- 30 दिन	कोई मुआवजा नहीं	15 दिनों के भीतर	नहीं
36	पुडुचेरी	महानगर- 3 दिन शहरी- 7 दिन ग्रामीण- 15 दिन द्वीप समूह- 30 दिन	कोई मुआवजा नहीं	15 दिनों के भीतर	हां

** सौर पीवी का स्थापना प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से*

टिप्पणी

कनेक्शन जारी करना

1) चूंकि, अधिकांश कनेक्शन **घरेलू** प्रकृति के हैं, इसलिए, यदि इन कनेक्शनों की समय-सीमा विद्युत मंत्रालय नियमावली के अनुसार है तो ऐसे राज्यों को अंक प्रदान किए गए हैं।

2) 23 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, उत्तराखंड, दिल्ली, गोवा, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में विद्युत मंत्रालय नियमावली के अनुसार कनेक्शन जारी करने की समय-सीमा बनाई है। तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में एलटी कनेक्शन के लिए 7 दिनों की समय सीमा है और इसलिए, अंक प्रदान किए गए हैं।

3) असम और राजस्थान ने डिस्कॉम को विद्युत मंत्रालय नियमावली द्वारा निर्धारित समय-सीमा का पालन करने का निर्देश दिया है। हालांकि डिस्कॉम को निर्देश दिया गया है कि यह डिस्कॉम की वेबसाइटों पर भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होना चाहिए ताकि उपभोक्ताओं को इसकी जानकारी हो।

4) 6 राज्यों अर्थात बिहार, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख ने भौगोलिक स्थिति को ध्यान में न रखते हुए कनेक्शन जारी करने के लिए 30 दिनों को परिभाषित किया है। मेघालय ने शहरी क्षेत्रों में भी कनेक्शन जारी करने के लिए 30 दिनों से अधिक का समय निर्दिष्ट किया है।

5) केवल गोवा, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप ने डिस्कॉम द्वारा कनेक्शन जारी करने की समय सीमा का पालन नहीं करने की स्थिति में मुआवजा निर्दिष्ट नहीं किया है।

नेट मीटरिंग कनेक्शन जारी करना

6) 26 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, गोवा, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप ने विद्युत मंत्रालय नियमावली के अनुसार अर्थात 15 दिनों के भीतर नेट मीटरिंग कनेक्शन जारी करने के प्रावधान को अपनाया है।

7) हिमाचल प्रदेश में, एचपीईआरसी (नेट मीटरिंग के आधार पर रूफटॉप सोलर पीवी ग्रिड इंटरैक्टिव सिस्टम) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2020 दिनांक 12 जून 2024 के अनुसार अर्थात 15 दिनों के भीतर, के अनुसार नेट मीटरिंग समय-सीमा अपनाई गई है:

"विनियम 7(S) ...बशर्ते कि समय समय पर यथा-संशोधित विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियमावली, 2020 के तहत निर्धारित प्रमुख क्रियाकलापों के लिए समय सीमा, यदि तालिका-3 और तालिका-4 में दिए गए अनुसार से कम है, तो ऐसी कम समय सीमा इन विनियमों के प्रयोजन के लिए लागू होगी।"

150 किलोवाट तक के पूर्व-निर्दिष्ट कनेक्शन शुल्क

3) आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा और त्रिपुरा को छोड़कर सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र। यदि पूर्व-निर्दिष्ट शुल्क लंबाई पर आधारित हैं तो अंक नहीं दिए गए हैं।

4) आंध्र प्रदेश ने एपीईआरसी (विद्युत लाइन अथवा विद्युत संयंत्र प्रदान करने के लिए खर्चों की वसूली और अनुरोध पर, विद्युत आपूर्ति के लिए लाइसेंसधारी के दायित्व) 2025 का चौथा संशोधन प्रकाशित किया है, जिसमें अनुबंधित भार से जुड़े कनेक्शन पूर्व-निर्दिष्ट हैं, लेकिन ये विनियम 11 जुलाई 2025 को प्रकाशित किए गए हैं, जो इस रिपोर्ट के लिए अंतिम तिथि के बाद के हैं। रिपोर्ट के अगले संस्करण में संशोधन पर विचार किया जाएगा।

परिशिष्ट-VIII

उपभोक्ता अधिकार नियम: समय-सीमा और मुआवजा तंत्र

क्र. सं.	राज्य	मीटर का परीक्षण		मीटर प्रतिस्थापन	
		समय-सीमा (विद्युत मंत्रालय के नियमों के अनुसार- (30 दिनों के भीतर)	समय सीमा का अनुपालन न करने की स्थिति में मुआवजा	समय सीमा (विद्युत मंत्रालय नियमावली के अनुसार- शहरी- 24 घंटे भीतर ग्रामीण- 72 घंटे के भीतर)	समय सीमा का अनुपालन न करने की स्थिति में मुआवजा
1	आंध्र प्रदेश	शहर और कस्बे- 7 दिन ग्रामीण- 15 दिन	डिफाल्ट प्रत्येक दिन के लिए 100 रुपये	जले हुए मीटर- 7 दिनों के भीतर	डिफ़ॉल्ट के प्रत्येक दिन के लिए 100 रु.
2	अरुणाचल प्रदेश	शहरी- 5 दिन ग्रामीण- 7 दिन दूरस्थ- 12 दिन	अधिकतम के अधीन समयसीमा से अधिक देरी के लिए प्रति दिन 50 रु. शहरी, ग्रामीण और दूरस्थ उपभोक्ताओं के लिए क्रमशः 100, 120 और 150 रुपये प्रति उपभोक्ता	शहरी- 5 दिन ग्रामीण- 7 दिन दूरस्थ- 12 दिन	निर्दिष्ट अवधि के अधीन इससे अधिक देरी के लिए प्रति दिन 50 रु. अधिकतम 200 प्रति उपभोक्ता
3	असम	शहरी- 4 दिन ग्रामीण- 12 दिन।	देरी या उसके हिस्से का 50 रु. /सप्ताह	शहरी- 24 घंटे के भीतर ग्रामीण- 72 घंटे के भीतर।	1. एलटी- विलंब के लिए 100 रुपये प्रति सप्ताह, अधिकतम 500 रुपये प्रति उपभोक्ता के अध्यधीन 2. एचटी- देरी के लिए 250 रुपये प्रति सप्ताह, अधिकतम 2500 रुपये प्रति एचटी उपभोक्ता के अध्यधीन
4	बिहार	कस्बे और शहर- 7 दिन, ग्रामीण- 15 दिन	100 रु./दिन	7 दिनों के भीतर (यदि डिस्कॉम जिम्मेदार है) अन्यथा 14 दिन।	100 रु./दिन
5	छत्तीसगढ़	श्रेणी क शहर-4 दिन शहरी- 7 दिन ग्रामीण- 12 दिन	डिफ़ॉल्ट के प्रतिदिन के लिए 500/- रुपये	श्रेणी क शहर और शहरी- 24 घंटे के भीतर। ग्रामीण- 48 घंटे के भीतर बिलिंग चक्र	डिफ़ॉल्ट के प्रतिदिन के लिए 500/- रुपये

क्र. सं.	राज्य	मीटर का परीक्षण		मीटर प्रतिस्थापन	
		समय-सीमा (विद्युत मंत्रालय के नियमों के अनुसार- (30 दिनों के भीतर)	समय सीमा का अनुपालन न करने की स्थिति में मुआवजा	समय सीमा (विद्युत मंत्रालय नियमावली के अनुसार- शहरी- 24 घंटे भीतर ग्रामीण- 72 घंटे के भीतर)	समय सीमा का अनुपालन न करने की स्थिति में मुआवजा
6	गुजरात	शहरी- 7 दिन ग्रामीण- 15 दिन	एलटी-. 25 रु /दिन- (अधिकतम 1500 रु.) एचटी- 250/- रुपये प्रतिदिन- (अधिकतम 2500 रु.)	शहरी- 24 घंटे के भीतर ग्रामीण- 72 घंटों के भीतर	एलटी- 25 रु./- (अधिकतम 1500 रु.) एचटी- 250/- रुपये (अधिकतम) 2500 रु.)
7	हरियाणा	7 दिनों के भीतर	100 रुपये प्रति दिन या उसके भाग के लिए	जले हुए मीटर- 72 घंटों के भीतर। दोषपूर्ण मीटर- 7 दिनों के भीतर	100 रु. प्रति दिन या उसका भाग
8	हिमाचल प्रदेश	शहरी- 56 घंटे ग्रामीण- 120 घंटे रिमोट-160 घंटे।	डिफ़ॉल्ट के प्रत्येक दिन 80/रु.- निर्दिष्ट समय से परे सीमा	शहरी- 12 घंटे के भीतर। ग्रामीण- 24 घंटे के भीतर	एलटी - प्रत्येक दिन के लिए 150/- रुपये। एचटी - डिफ़ॉल्ट के प्रत्येक दिन के लिए 400/ रु.-
9	झारखंड	श्रेणी-I शहर- 4 दिन, शहरी- 7 दिन ग्रामीण- 12 दिन	50 रुपये प्रतिदिन	श्रेणी-I शहर- 3 दिन शहरी- 5 दिन ग्रामीण- 15 दिन।	50 रुपये प्रतिदिन
10	कर्नाटक	7 दिनों के भीतर	डिफ़ॉल्ट के प्रत्येक मामले में 200 रु.	शहरी- 24 घंटे के भीतर। ग्रामीण- 72 घंटे के भीतर	डिफ़ॉल्ट के प्रत्येक मामले में 200 रु.
11	केरल	शिकायत प्राप्त होने के 5 दिनों के भीतर	डिफ़ॉल्ट के प्रत्येक दिन के लिए 25 रु.	दोषपूर्ण मीटर- 7 दिन	एलटी-. डिफ़ॉल्ट के प्रत्येक दिन के लिए 25 रु एचटी- डिफाल्ट के प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपये।
12	मध्य प्रदेश	7 दिन	प्रति सप्ताह 100 रुपये या उसका कुछ भाग।	शहरी- 24 घंटे के भीतर ग्रामीण- 72 घंटों के भीतर।	प्रति सप्ताह 100 रुपये या उसका कुछ भाग।
13	महाराष्ट्र	30 दिन	50 रुपये प्रति सप्ताह या उसका भाग (अधिकतम 250 रुपये)	बाद के बिलिंग चक्र के भीतर	50 रुपये प्रति सप्ताह या उसका भाग (अधिकतम 250 रुपये)

क्र. सं.	राज्य	मीटर का परीक्षण		मीटर प्रतिस्थापन	
		समय-सीमा (विद्युत मंत्रालय के नियमों के अनुसार- (30 दिनों के भीतर)	समय सीमा का अनुपालन न करने की स्थिति में मुआवजा	समय सीमा (विद्युत मंत्रालय नियमावली के अनुसार- शहरी- 24 घंटे भीतर ग्रामीण- 72 घंटे के भीतर)	समय सीमा का अनुपालन न करने की स्थिति में मुआवजा
14	मेघालय	30 दिन	डिफ़ॉल्ट के प्रत्येक दिन के लिए 50 रु.	जला हुआ मीटर- 3 दिन दोषपूर्ण मीटर- 15 दिन	डिफ़ॉल्ट के प्रत्येक दिन के लिए 50 रु.
15	नागालैंड	शहरी- 7 दिन ग्रामीण- 15 दिन रिमोट- 20 दिन।	निर्दिष्ट समय से अधिक देरी के लिए 50/ रु. - प्रति दिन अधिकतम 200/ रु - प्रति उपभोक्ता के अध्यधीन	एलटी उपभोक्ता- शहरी- 7 दिन ग्रामीण- 15 दिन दूरस्थ- 30 दिन एचटी उपभोक्ता- 7 दिन	एलटी - निर्दिष्ट समय से अधिक विलंब के लिए 50/- रु. प्रति दिन। अधिकतम 200 रु./- प्रति उपभोक्ता एचटी- निर्दिष्ट समय से अधिक विलंब के लिए 100/- रु. प्रति दिन। अधिकतम 2000 रु./- प्रति उपभोक्ता
16	ओडिशा	7 दिन	धारा 43(3) के साथ पठित धारा 143 के अनुसार निर्णायक अधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार दंड	30 दिनों के भीतर	धारा 43(3) के साथ पठित धारा 143 के अनुसार निर्णायक अधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार दंड
17	पंजाब	3 दिन	200 रु./दिन	शहरी- 24 घंटे के भीतर ग्रामीण- 72 घंटे के भीतर	जला हुआ मीटर- 300 रु./दिन दोषपूर्ण मीटर- 200 रु./दिन
18	राजस्थान	15 दिन	एलटी- 200 रुपये। एचटी- 500 रु. ईएचटी – 1000 रु.	शहरी- 24 घंटे के भीतर ग्रामीण- 72 घंटे के भीतर	डिफ़ॉल्ट के 2 महीने के बाद कुल बिल पर 5% की छूट
19	सिक्किम	शहरी- 7 दिन ग्रामीण- 15 दिन	डिफ़ॉल्ट के प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपये	जले हुए मीटर- 7 दिन	डिफ़ॉल्ट के प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपये
20	तमिलनाडु	30 दिन	उपलब्ध नहीं	7 दिनों के भीतर	200 रु. /दिन (अधिकतम 2000 रुपये)
21	तेलंगाना	शहर और कस्बे- 7 दिन ग्रामीण- 15 दिन	चूक के प्रत्येक दिन के लिए 200 रुपये।	जले हुए मीटर- 7 दिनों के भीतर दोषपूर्ण मीटर- 15 दिनों के भीतर	चूक के प्रत्येक दिन के लिए 200 रुपये।

क्र. सं.	राज्य	मीटर का परीक्षण		मीटर प्रतिस्थापन	
		समय-सीमा (विद्युत मंत्रालय के नियमों के अनुसार- (30 दिनों के भीतर)	समय सीमा का अनुपालन न करने की स्थिति में मुआवजा	समय सीमा (विद्युत मंत्रालय नियमावली के अनुसार- शहरी- 24 घंटे भीतर ग्रामीण- 72 घंटे के भीतर)	समय सीमा का अनुपालन न करने की स्थिति में मुआवजा
22	त्रिपुरा	श्रेणी-I शहर- 4 दिन शहरी- 7 दिन ग्रामीण- 12 दिन	कोई मुआवजा नहीं	शहर: 3 दिन शहरी: 5 दिन ग्रामीण: 15 दिन	कोई मुआवजा नहीं
23	उत्तराखंड	30 दिन	चूक के प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपये	जला हुआ मीटर- 3 दिन दोषपूर्ण मीटर- 15 दिन	चूक के प्रत्येक दिन के लिए 100 रुपये
24	उत्तर प्रदेश	15 दिन	200 रु./दिन	जला हुआ मीटर- 3 दिन दोषपूर्ण मीटर- 15 दिन	50 रु./दिन
25	पश्चिम बंगाल	शहरी- 3 दिन ग्रामीण- 7 दिन	चूक के प्रत्येक दिन के लिए 500 रुपये	शहरी- 24 घंटे के भीतर ग्रामीण- 48 घंटे के भीतर	चूक के प्रत्येक दिन के लिए 500 रुपये
26	जम्मू और कश्मीर	30 दिनों के भीतर	चूक के प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपये	15 दिनों के भीतर	चूक के प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपये
27	लद्दाख	30 दिनों के भीतर	चूक के प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपये	15 दिनों के भीतर	चूक के प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपये
28	मणिपुर	श्रेणी I शहर- 4 दिन शहरी- 7 दिन ग्रामीण- 12 दिन। दूरस्थ - 20 दिन	चूक के प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपये	श्रेणी I शहर- 3 दिन शहरी- 5 दिन ग्रामीण- 15 दिन दूरस्थ - 20 दिन	चूक के प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपये
29	मिजोरम	श्रेणी I शहर- 4 दिन शहरी- 7 दिन ग्रामीण- 12 दिन रिमोट - 20 दिन	चूक के प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपये	श्रेणी I शहर- 3 दिन शहरी- 5 दिन ग्रामीण- 15 दिन दूरस्थ - 20 दिन	चूक के प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपये
30	दिल्ली	15 दिनों के भीतर	कोई मुआवजा नहीं	3 दिनों के भीतर	चूक के प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपये
31	गोवा	30 दिनों के भीतर	चूक के प्रत्येक दिन के लिए 100 रुपये	15 दिनों के भीतर	चूक के प्रत्येक दिन के लिए 100 रुपये

क्र. सं.	राज्य	मीटर का परीक्षण		मीटर प्रतिस्थापन	
		समय-सीमा (विद्युत मंत्रालय के नियमों के अनुसार- (30 दिनों के भीतर)	समय सीमा का अनुपालन न करने की स्थिति में मुआवजा	समय सीमा (विद्युत मंत्रालय नियमावली के अनुसार- शहरी- 24 घंटे भीतर ग्रामीण- 72 घंटे के भीतर)	समय सीमा का अनुपालन न करने की स्थिति में मुआवजा
32	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	30 दिनों के भीतर	चूक के प्रत्येक दिन के लिए 100 रुपये	15 दिनों के भीतर	चूक के प्रत्येक दिन के लिए 100 रुपये
33	चंडीगढ़	30 दिनों के भीतर	चूक के प्रत्येक दिन के लिए 100 रुपये	15 दिनों के भीतर	चूक के प्रत्येक दिन के लिए 100 रुपये
34	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	30 दिनों के भीतर	चूक के प्रत्येक दिन के लिए 100 रुपये	15 दिनों के भीतर	चूक के प्रत्येक दिन के लिए 100 रुपये
35	लक्षद्वीप	30 दिनों के भीतर	चूक के प्रत्येक दिन के लिए 100 रुपये	15 दिनों के भीतर	चूक के प्रत्येक दिन के लिए 100 रुपये
36	पुडुचेरि	30 दिनों के भीतर	चूक के प्रत्येक दिन के लिए 100 रुपये	15 दिनों के भीतर	चूक के प्रत्येक दिन के लिए 100 रुपये

टिप्पणी

मीटर का परीक्षण

1) सभी राज्यों ने विद्युत मंत्रालय नियमावली के अनुसार मीटरों के परीक्षण के प्रावधान को अपनाया है।

2) दिल्ली, तमिलनाडु और त्रिपुरा को छोड़कर सभी राज्यों ने मीटरों के परीक्षण के अनुपालन न करने की स्थिति में मुआवजे को जोड़ा है। तमिलनाडु के लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

मीटर प्रतिस्थापन

3) केवल 9 राज्यों अर्थात पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, असम, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने विद्युत मंत्रालय नियमावली के अनुसार मीर के प्रतिस्थान के प्रावधान को अपनाया है है।

4) त्रिपुरा को छोड़कर सभी राज्यों ने मीटरों के प्रतिस्थापन के अनुपालन न करने की स्थिति में मुआवजे को जोड़ा है।

5) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के द्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मीटर प्रतिस्थापन भौगोलिक बाधाओं के कारण 72 घंटे के भीतर संभव नहीं है और 16 सितंबर 2025 के विद्युत मंत्रालय के एमओएम के अनुसार इन दोनों संघ राज्य क्षेत्रों को इस मापदंड के लिए अंक दिए गए हैं।

परिशिष्ट-IX

विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता

क्र. सं.	राज्य	विनियमों में परिभाषित विश्वसनीयता सूचकांकों की पद्धति (हां/नहीं)	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सूचकांकों के लिए निर्दिष्ट लक्ष्य (हां/नहीं)	आरआई लक्ष्यों का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में मुआवजा (हां/नहीं)
1	आंध्र प्रदेश	हां सैफी और सैदी	ईएचटी- सैफी- 24 संख्या/वर्ष/ उपभोक्ता सैदी- 10 घंटे/वर्ष/ उपभोक्ता 33 केवी- सैफी- 72 संख्या/वर्ष/ उपभोक्ता सैदी- 20 घंटे/वर्ष/ उपभोक्ता 11 केवी- सैफी- 144 संख्या/वर्ष/ उपभोक्ता सैदी- 40 संख्या/वर्ष/ उपभोक्ता लगातार रुकावटें- 5 मिनट से अधिक।	ईएचटी- सैफी- 100 रु. /उल्लंघन सैदी - 100 रुपये प्रति घंटा। 33 केवी- सैफी - 100 रुपये प्रति उल्लंघन। सैदी – 100 रु. प्रति घंटा 11 केवी- सैफी – 25 रुपये प्रति उल्लंघन सैदी - 25 रुपये प्रति घंटा
2	अरुणाचल प्रदेश	हां सैफी, सैदी, कैदी और मैफी	नहीं	नहीं
3	असम	हां सैफी और सैदी	नहीं	नहीं
4	बिहार	हां सैफी, सैदी और मैफी	नहीं	नहीं
5	छत्तीसगढ	हां सैफी और सैदी	सैदी (अप्रैल से जून) - शहर- 6 घंटे/ महीना शहरी- 15 घंटे/ महीना ग्रामीण- 20 घंटे/महीना सैदी (अप्रैल से जून) शहर- 15 आईएनटी/ उपभोक्ता शहरी- 30 इंट/उपभोक्ता ग्रामीण- 35 आईएनटी/ उपभोक्ता निरंतर रुकावट- 5 मिनट से अधिक समय तक	सैफी- 500 रु. /- प्रति उपभोक्ता प्रत्येक चूक के लिए सैदी- 500 रु./- प्रति उपभोक्ता बाधाओं के प्रत्येक दिन के लिए

क्र. सं.	राज्य	विनियमों में परिभाषित विश्वसनीयता सूचकांकों की पद्धति (हां/नहीं)	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सूचकांकों के लिए निर्दिष्ट लक्ष्य (हां/नहीं)	आरआई लक्ष्यों का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में मुआवजा (हां/नहीं)
6	गुजरात	हां सैफी, सैदी, कैदी और मैफी	नहीं	हां उपभोक्ता को एक दिन में 2 से अधिक बार बाधा: एलटी कनेक्शन के लिए अधिकतम 500 रुपये के अध्यधीन प्रत्येक बाधा के लिए 25/- रुपये और एचटी कनेक्शन के लिए अधिकतम 1000/- रुपये के अध्यधीन प्रत्येक बाधा के लिए 50/- रुपये
7	हरियाणा	हां सैफी और सैदी	सैदी- 600 मिनट/ग्राहक सैफी- 15 व्यवधान / ग्राहक निरंतर रुकावट- 3 मिनट से अधिक समय	हां (धारा 24 या अधिनियम की किसी अन्य धारा के तहत कार्यवाही)
8	हिमाचल प्रदेश	हां सैफी, सैदी, कैफी और कैदी	नहीं	नहीं
9	झारखंड	हां सैफी, सैदी और मैफी	नहीं	नहीं
10	कर्नाटक	हां सैफी और सैदी	सैदी- शहरी- 90 मिनट/ महीना एनजेवाई फीडर्स- 120 मिनट/ माह ग्रामीण- 180 मिनट/माह सैफी- शहरी (एनजेवाई सहित)- 2 रुकावटें / दिन ग्रामीण- 3 व्यवधान/दिन। निरंतर रुकावट- 3 मिनट से अधिक समय	सैदी के लिए- शहरी- प्रत्येक चूक के लिए 50 रुपये। ग्रामीण- प्रत्येक चूक के लिए 25 रु. सैफी के लिए- प्रत्येक चूक के लिए 50 रुपये

क्र. सं.	राज्य	विनियमों में परिभाषित विश्वसनीयता सूचकांकों की पद्धति (हां/नहीं)	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सूचकांकों के लिए निर्दिष्ट लक्ष्य (हां/नहीं)	आरआई लक्ष्यों का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में मुआवजा (हां/नहीं)
11	केरल	हां सैफी, सैदी, कैफी, कैदी और मैफी	नहीं	नहीं
12	मध्य प्रदेश	हां सैफी और सैदी	सैदी- 80 घंटे/वर्ष/उपभोक्ता सैफी- 100 रुकावट/वर्ष/उपभोक्ता निरंतर रुकावट- 5 मिनट से अधिक समय तक	हां (अधिनियम की धारा 142 के तहत कार्यवाही)
13	महाराष्ट्र	हां सैफी, सैदी और कैदी	नहीं	नहीं
14	मेघालय	हां सैफी, सैदी और मैफी	नहीं	नहीं
15	नागालैंड	हां कैफी और कैदी	नहीं	नहीं
16	ओडिशा	हां सैफी, सैदी और मैफी	नहीं	नहीं
17	पंजाब	हां सैफी और सैदी	**सैदी-** शहरी- 600 मिनट / ग्राहक ग्रामीण- 900 मिनट / ग्राहक **सैफी -** शहरी- 15 प्रति ग्राहक ग्रामीण- 25 आईएनटी/ग्राहक निरंतर रुकावट- 3 मिनट से अधिक समय	**सैदी के लिए-** निर्दिष्ट सीमा से अधिक 5 पैसा/मिनट/ केडब्ल्यू या केवीए (एक उपभोक्ता के लिए) **सैफी के लिए-** निर्दिष्ट सीमा से अधिक 50 रु. प्रति रुकावट (एक उपभोक्ता के लिए)
18	राजस्थान	हां सैफी और सैदी	**सैदी -** 30 घंटे/उपभोक्ता/6 महीने **सैफी-** 20 रुकावट/उपभोक्ता/6 महीने लगातार रुकावटें- 10 मिनट से अधिक	हां 0.5 करोड़ रु. प्रत्येक सैफी के लिए और सैदी (त्रैमासिक) को बेंचमार्क में प्रत्येक चूक के लिए जमा किया जाना है

क्र. सं.	राज्य	विनियमों में परिभाषित विश्वसनीयता सूचकांकों की पद्धति (हां/नहीं)	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सूचकांकों के लिए निर्दिष्ट लक्ष्य (हां/नहीं)	आरआई लक्ष्यों का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में मुआवजा (हां/नहीं)
19	सिक्किम	हां सैफी, सैदी, मैफी, कैफी और कैदी	नहीं	नहीं
20	तमिलनाडु	हां सैफी और सैदी	**सैदी-** शहरी- 600 मिनट / ग्राहक ग्रामीण- 1200 मिनट/ग्राहक **सैफी-** शहरी- 15 इंट /ग्राहक ग्रामीण- 25 इंट/ग्राहक निरंतर रुकावट- 5 मिनट से अधिक समय तक	**सैदी के लिए-** 5 पैसे/ मिनट/ प्रति उपभोक्ता सैफी के लिए- प्रति उपभोक्ता 50 पैसे/ रुकावट
21	तेलंगाना	हां सैफी, सैदी और मैफी	नहीं	नहीं
22	त्रिपुरा	हां सैफी और सैदी	**सैदी-** 600 मिनट/ग्राहक **सैफी-** 15 इंट/ ग्राहक। *निरंतर रुकावट- 3 मिनट से अधिक समय*	**सैदी-** 5 पैसे/मिनट/किलोवाट अनुबंध मांग **सैफी-** 50 रु./ रुकावट
23	उत्तराखंड	हां सैफी, सैदी और मैफी	नहीं	नहीं
24	उत्तर प्रदेश	हां सैफी, सैदी और मैफी	नहीं	नहीं

क्र. सं.	राज्य	विनियमों में परिभाषित विश्वसनीयता सूचकांकों की पद्धति (हां/नहीं)	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सूचकांकों के लिए निर्दिष्ट लक्ष्य (हां/नहीं)	आरआई लक्ष्यों का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में मुआवजा (हां/नहीं)
25	पश्चिम बंगाल	हां विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता = [100 – {बी/(ए+बी)}X100] ए = इनपुट बी = रुकावटों के कारण नुकसान	लक्ष्य विश्वसनीयता - डब्ल्यूबीएसईडीसीएल: 95% डीवीसी: 98% सीईएससी: 98%	नहीं
26	जम्मू और कश्मीर	हां सैफी, सैदी और मैफी	नहीं	नहीं
27	लद्दाख	हां सैफी, सैदी और मैफी	नहीं	नहीं
28	मणिपुर	हां सैफी, सैदी और मैफी	नहीं	नहीं
29	मिजोरम	हां सैफी, सैदी और मैफी	नहीं	नहीं
30	दिल्ली	हां सैफी, सैदी और कैदी	नहीं	नहीं
31	गोवा	हां सैफी, सैदी,कैफी,कैदी और मैफी	नहीं	नहीं
32	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	हां सैफी, सैदी,कैफी,कैदी और मैफी	नहीं	नहीं
33	चंडीगढ़	हां सैफी, सैदी,कैफी,कैदी और मैफी	नहीं	नहीं

क्र. सं.	राज्य	विनियमों में परिभाषित विश्वसनीयता सूचकांकों की पद्धति (हां/नहीं)	वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सूचकांकों के लिए निर्दिष्ट लक्ष्य (हां/नहीं)	आरआई लक्ष्यों का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में मुआवजा (हां/नहीं)
34	दादरा और नगर हवेली	हां सैफी, सैदी,कैफी,कैदी और मैफी	नहीं	नहीं
35	लक्षद्वीप	हां सैफी, सैदी,कैफी,कैदी और मैफी	नहीं	नहीं
36	पुडुचेरी	हां सैफी, सैदी,कैफी,कैदी और मैफी	नहीं	नहीं

- **सैदी (सिस्टम एवरेज इंटरप्शन ड्यूरेशन इंडेक्स)** का अर्थ है रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्रति उपभोक्ता होने वाले निरंतर व्यवधानों की औसत अवधि।
- **सैफी (सिस्टम औसत रुकावट आवृत्ति सूचकांक)** का अर्थ है रिपोर्टिंग अवधि के दौरान होने वाले प्रति उपभोक्ता निरंतर रुकावटों की औसत बारम्बारता।
- **मैफी (क्षणिक औसत आवृत्ति रुकावट आवृत्ति सूचकांक)** का अर्थ है रिपोर्टिंग अवधि के दौरान होने वाले प्रति उपभोक्ता क्षणिक रुकावटों की औसत संख्या।
- **कैदी (ग्राहक औसत व्यवधान अवधि सूचकांक) का अर्थ है** जो लोग रिपोर्टिंग अवधि के दौरान व्यवधानों का अनुभव करते हैं उनके लिए निरंतर व्यवधानों की औसत व्यवधान अवधि।
- **कैफी (ग्राहक औसत रुकावट आवृत्ति सूचकांक) का** अर्थ है रिपोर्टिंग अवधि के दौरान रुकावटों का अनुभव करने वालों के लिए निरंतर रुकावटों की औसत रुकावट आवृत्ति।

नोट्स

1) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 (2) (x), धारा 50, धारा 57 और धारा 86 (1) (i) एसईआरसी को वितरण लाइसेंसधारी के दायित्वों और वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रथाओं के सेट को तैयार करने का कार्य सौंपती है ताकि वे उपभोक्ताओं को कुशल, लागत प्रभावी और उपभोक्ता अनुकूल सेवाएं प्रदान कर सकें।

2) **विश्वसनीयता सूचकांकों का लक्षित स्तर-** नियामक ढांचे के अनुसार, डिस्कॉम को विश्वसनीयता सूचकांकों से संबंधित डेटा एसईआरसी को प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस प्रकार, डिस्कॉम के निष्पादन का मूल्यांकन विश्वसनीयता सूचकांकों के संदर्भ में एसईआरसी द्वारा किया गया है। हालांकि, इसे और भी बेहतर बनाने के लिए, कुछ राज्यों ने डिस्कॉम के लिए विश्वसनीयता सूचकांकों के लक्षित स्तरों को तैयार किया है, जिसमें डिस्कॉम को बेहतर तरीके से निष्पादन करने के लिए बाध्य किया गया है। कुल 10 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और त्रिपुरा ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सूचकांकों का लक्षित स्तर निर्दिष्ट किया है।

3) राज्यों के बीच निरंतर रुकावटों के लिए कोई मानक नहीं है। 2 राज्यों यानी हरियाणा और कर्नाटक ने निरंतर रुकावटों को 3 मिनट से अधिक रुकावटों के रूप में माना है। 4 राज्यों अर्थात तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने निरंतर रुकावटों को 5 मिनट से अधिक के रुकावटों के रूप में माना है। जबकि राजस्थान ने निरंतर रुकावटों को 10 मिनट से अधिक रुकावटों के रूप में माना है।

4) गोवा, पुडुचेरी और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के लिए व्यवसाय योजना आदेश क्रमशः 27/08/2025, 18/08/2025 और 2/09/2025 को जारी किए गए हैं। इन व्यावसायिक योजना आदेशों में विश्वसनीयता सूचकांक लक्ष्य हैं लेकिन उन्हें इस रिपोर्ट का हिस्सा नहीं माना गया है क्योंकि उन्हें 30/06/2025 की बढ़ाई गई अंतिम जारीख से आगे जारी किया गया है।

परिशिष्ट-X

खुली पहुंच – अधिभारों में प्रगामी रूप से कमी
(अतिरिक्त अधिभार और क्रॉस-सब्सिडी अधिभार)

क्र. सं.	राज्य	क्रॉस-सब्सिडी अधिभार (33 केवी औद्योगिक)	अतिरिक्त अधिभार	एएस और सीएसएस * का योग	पिछले 5 वर्षों में उत्तरोतर कमी (हां/नहीं)
1	आंध्र प्रदेश	वित्त वर्ष 2021: रुपये 1.48/ केडब्ल्यूएच वित्त वर्ष 26: रु. 1.50/केडब्ल्यूएच	नोट 1 देखें	वित्त वर्ष 2021: रुपये 1.48/ केडब्ल्यूएच वित्त वर्ष 26: रु. 1.50/केडब्ल्यूएच	नहीं
2	अरुणाचल प्रदेश	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	नहीं
3	असम	वित्त वर्ष 21: रुपये 0.50/ केडब्ल्यूएच वित्त वर्ष 26: रु. 1.74/केडब्ल्यूएच	एन.ए.	वित्त वर्ष 21: रु. 0.50/केडब्ल्यूएच वित्त वर्ष 26: रुपये 1.74/ केडब्ल्यूएच	नहीं
4	बिहार	वित्त वर्ष 21: रु. 1.80/केडब्ल्यूएच वित्त वर्ष 26: रु. 1.86/केडब्ल्यूएच	वित्त वर्ष 21: रुपये 0.00/ केडब्ल्यूएच वित्त वर्ष 26: नोट 2 देखें	वित्त वर्ष 21: रु. 1.80/केडब्ल्यूएच वित्त वर्ष 26: रुपये 1.86/ केडब्ल्यूएच	नहीं
5	छत्तीसगढ	वित्त वर्ष 20: रु. 1.38/केडब्ल्यूएच वित्त वर्ष 25: रु. 0.92/केडब्ल्यूएच	एन.ए.	वित्त वर्ष 20: रुपये 1.38/ केडब्ल्यूएच वित्त वर्ष 25: रु. 0.92/केडब्ल्यूएच	हां
6	गुजरात	वित्त वर्ष 21: रु. 1.41/केडब्ल्यूएच वित्त वर्ष 26: रुपये 1.29/ केडब्ल्यूएच	वित्त वर्ष 21: रु. 0.50/केडब्ल्यूएच (अप्रैल-सितंबर) वित्त वर्ष 26: रु. 0.82/केडब्ल्यूएच (अप्रैल-सितंबर)	वित्त वर्ष 21: रुपये 1.91/ केडब्ल्यूएच वित्त वर्ष 25: रु. 2.11/केडब्ल्यूएच	नहीं
7	हरियाणा	वित्त वर्ष 21: रु. 0.62/केडब्ल्यूएच वित्त वर्ष 26: रुपये 1.41/ केडब्ल्यूएच	वित्त वर्ष 21: रु. 1.01/केडब्ल्यूएच वित्त वर्ष 26: रु. 1.15/केडब्ल्यूएच	वित्त वर्ष 21: रुपये 1.63/ केडब्ल्यूएच वित्त वर्ष 25: रु. 2.56/केडब्ल्यूएच	नहीं
8	हिमाचल प्रदेश	वित्त वर्ष 21: रु. 0.45/केडब्ल्यूएच वित्त वर्ष 26: रुपये 0.48/ केडब्ल्यूएच	वित्त वर्ष 21: रु. 0.60/केडब्ल्यूएच वित्त वर्ष 26: रु. 0.67 / केडब्ल्यूएच	वित्त वर्ष 2021: रुपये 1.05/ केडब्ल्यूएच वित्त वर्ष 26: रु. 1.15/केडब्ल्यूएच	नहीं
9	झारखंड	वित्त वर्ष 21: रु. 1.41/केडब्ल्यूएच वित्त वर्ष 26: रुपये 1.75/ केडब्ल्यूएच	वित्त वर्ष 21: रु. 0.00/केडब्ल्यूएच वित्त वर्ष 26: रु. 0.00/केडब्ल्यूएच	वित्त वर्ष 2021: रुपये 1.41/ केडब्ल्यूएच वित्त वर्ष 26: रु. 1.75 / केडब्ल्यूएच	नहीं
10	कर्नाटक	वित्त वर्ष 21: रु. 1.79/केडब्ल्यूएच वित्त वर्ष 26: रुपये 1.87/ केडब्ल्यूएच	वित्त वर्ष 21: रु. 0.80/केडब्ल्यूएच वित्त वर्ष 26: रु. 0.00/केडब्ल्यूएच (आवश्यक विवरण के साथ डिस्कॉम फ़ाइल याचिका तक नहीं लगाया जाना है)	वित्त वर्ष 21: रुपये 2.59/ केडब्ल्यूएच वित्त वर्ष 26: रु. 1.87/केडब्ल्यूएच	हां
11	केरल	वित्त वर्ष 19: 1.40 रुपये / केडब्ल्यूएच वित्त वर्ष 25: रुपये 1.58/ केडब्ल्यूएच	एन.ए.	वित्त वर्ष 19: रु. 1.40/केडब्ल्यूएच वित्त वर्ष 25: रु. 1.58/केडब्ल्यूएच	नहीं
12	मध्य प्रदेश	वित्त वर्ष 21: रुपये 1.49/ केडब्ल्यूएच वित्त वर्ष 26: रु. 1.43/केडब्ल्यूएच	वित्त वर्ष 21: रु. 0.67 / केडब्ल्यूएच वित्त वर्ष 26: रुपये 1.24/ केडब्ल्यूएच	वित्त वर्ष 21: रु. 2.16/केडब्ल्यूएच वित्त वर्ष 26: रु. 2.67/केडब्ल्यूएच	नहीं
13	महाराष्ट्र	वित्त वर्ष 21: रुपये 1.71/ केडब्ल्यूएच वित्त वर्ष 26: रु. 1.82/केडब्ल्यूएच	वित्त वर्ष 21: रु. 1.31/केडब्ल्यूएच वित्त वर्ष 26: रुपये 0.00/ केडब्ल्यूएच	वित्त वर्ष 21: रु. 3.02 / केडब्ल्यूएच वित्त वर्ष 26: रु. 1.82/केडब्ल्यूएच	हां
14	मेघालय	वित्त वर्ष 21: रुपये 1.85/ केडब्ल्यूएच वित्त वर्ष 26: रु. 2.03 / केडब्ल्यूएच	वित्त वर्ष 21: एन.ए. वित्त वर्ष 26: रु. 0.00/केडब्ल्यूएच	वित्त वर्ष 21: रु. 1.85 / केडब्ल्यूएच वित्त वर्ष 26: रुपये 2.03/किलोवाट	नहीं
15	नागालैंड	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	नहीं
16	उड़ीसा	वित्त वर्ष 21: रु. 0.57-1.33 / केडब्ल्यूएच वित्त वर्ष 26: रु. 0.02-1.19/केडब्ल्यूएच	वित्त वर्ष 21: रुपये 0.00/किलोवाट वित्त वर्ष 26: रु. 0.00/केडब्ल्यूएच	वित्त वर्ष 21: रुपये 0.57-1.33/ केडब्ल्यूएच वित्त वर्ष 26: रु. 0.02-1.19/केडब्ल्यूएच	हां
17	पंजाब	वित्त वर्ष 21: रु. 0.72/केडब्ल्यूएच वित्त वर्ष 26: रुपये 0.57/ केडब्ल्यूएच	वित्त वर्ष 21: रु. 1.15/केडब्ल्यूएच (अप्रैल-सितंबर) वित्त वर्ष 26: रु. 0.83/केडब्ल्यूएच (अप्रैल-सितंबर)	वित्त वर्ष 21: रुपये 1.87/ केडब्ल्यूएच वित्त वर्ष 26: रु. 1.40/केडब्ल्यूएच	हां
18	राजस्थान	वित्त वर्ष 22: रु. 1.88/केडब्ल्यूएच वित्त वर्ष 25: रुपये 1.59/ केडब्ल्यूएच	वित्त वर्ष 22: रु. 0.97/केडब्ल्यूएच वित्त वर्ष 25: रु. 0.53/केडब्ल्यूएच	वित्त वर्ष 22: रुपये 2.85/ केडब्ल्यूएच वित्त वर्ष 25: रु. 2.12/केडब्ल्यूएच	हां
19	सिक्किम	वित्त वर्ष 21: एन.ए. वित्त वर्ष 26: रुपये 1.86/किलोवाट	एन.ए.	वित्त वर्ष 21: एन.ए. वित्त वर्ष 26: रु. 1.86/केडब्ल्यूएच	नहीं
20	तमिलनाडु	वित्त वर्ष 18: रु. 1.67/केडब्ल्यूएच वित्त वर्ष 24: रुपये 1.86/ केडब्ल्यूएच	वित्त वर्ष 18: रु. 0.00/केडब्ल्यूएच वित्त वर्ष 24: रु. 0.00/केडब्ल्यूएच	वित्त वर्ष 18: रुपये 1.67/ केडब्ल्यूएच वित्त वर्ष 24: रु. 1.86/केडब्ल्यूएच	नहीं
21	तेलंगाना	वित्त वर्ष 19: रुपये 1.44-1.46/ केडब्ल्यूएच वित्त वर्ष 24: रु. 1.71-1.79/केडब्ल्यूएच	वित्त वर्ष 19: रु. 0.52/केडब्ल्यूएच वित्त वर्ष 24: रुपये 0.39/ केडब्ल्यूएच	वित्त वर्ष 19: रु. 1.96-1.98 / केडब्ल्यूएच वित्त वर्ष 24: रु. 2.10-2.18/केडब्ल्यूएच	नहीं
22	त्रिपुरा	वित्त वर्ष 21: रुपये 1.84/ केडब्ल्यूएच वित्त वर्ष 25: रु. 2.07 / केडब्ल्यूएच	एन.ए.	वित्त वर्ष 21: रु. 1.84/केडब्ल्यूएच वित्त वर्ष 25: रुपये 2.07/ केडब्ल्यूएच	नहीं

परिशिष्ट: राज्यों और संघ क्षेत्रों के रेटिंग विनियामक निष्पादन की रिपोर्ट
अंतिम तिथि: 31 मार्च, 2025 (पूर्णांक), बढ़ाई गई तिथि: 30 जून, 25 (आनुपातिक अंक)

क्र. सं.	राज्य	क्रॉस-सब्सिडी अधिभार (33 केवी औद्योगिक)	अतिरिक्त अधिभार	एएस और सीएसएस * का योग	पिछले 5 वर्षों में उत्तरोतर कमी (हां/नहीं)
23	उत्तराखंड	वित्त वर्ष 21: रु. 0.53/केडब्ल्यूएच वित्त वर्ष 26: रु. 0.58/केडब्ल्यूएच	वित्त वर्ष 21: रुपये 1.13/ केडब्ल्यूएच (अप्रैल-सितंबर) वित्त वर्ष 26: रु. 1.14/केडब्ल्यूएच (अप्रैल-सितंबर)	वित्त वर्ष 21: रु. 1.66/केडब्ल्यूएच वित्त वर्ष 2026: रुपये 1.72/ केडब्ल्यूएच	नहीं
24	उत्तर प्रदेश	वित्त वर्ष 21: रु. 1.56/केडब्ल्यूएच वित्त वर्ष 25: रु. 0.49/केडब्ल्यूएच	वित्त वर्ष 21: रु. 0.00/केडब्ल्यूएच वित्त वर्ष 25: रु. 0.00/केडब्ल्यूएच	वित्त वर्ष 21: रुपये 1.56/किलोवाट वित्त वर्ष 25: रु. 0.49/केडब्ल्यूएच	हां
25	पश्चिम बंगाल	वित्त वर्ष 24: रु. 0.94/केडब्ल्यूएच वित्त वर्ष 26: रुपये 1.46/ केडब्ल्यूएच	नोट 3 देखें	वित्त वर्ष 24: रु. 0.94/केडब्ल्यूएच वित्त वर्ष 26: रुपये 1.46/ केडब्ल्यूएच	नहीं
26	जम्मू और कश्मीर	वित्त वर्ष 19: एन.ए. वित्त वर्ष 24: रु. 1.44/केवीएएच	एन.ए.	वित्त वर्ष 19: एन.ए. वित्त वर्ष 24: रु. 1.44/केडब्ल्यूएच	नहीं
27	लद्दाख	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	नहीं
28	मणिपुर	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	नहीं
29	मिजोरम	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	नहीं
30	दिल्ली	वित्त वर्ष 18: रु. 1.83-1.89/केडब्ल्यूएच वित्त वर्ष 22: रुपये 1.88-1.91/ केडब्ल्यूएच	वित्त वर्ष 18: रु. 0.61-0.72/केडब्ल्यूएच (मई-सितंबर) वित्त वर्ष 22: रु. 0.66-0.95 / केडब्ल्यूएच (मई-सितंबर)	वित्त वर्ष 18: रुपये 2.44-2.61/ केडब्ल्यूएच वित्त वर्ष 22: रु. 2.54-2.86/केडब्ल्यूएच	नहीं
31	गोवा	वित्त वर्ष 20: रु. 1.58/केडब्ल्यूएच वित्त वर्ष 25: रुपये 0.28/ केडब्ल्यूएच	वित्त वर्ष 20: रु. 0.82/केडब्ल्यूएच वित्त वर्ष 25: रु. 0.90/केडब्ल्यूएच	वित्त वर्ष 20: रु. 2.40/केडब्ल्यूएच वित्त वर्ष 25: रुपये 1.18/किलोवाट	हां
32	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	हां (नोट 4 देखें)
33	चंडीगढ़	वित्त वर्ष 20: रु. 1.79/केडब्ल्यूएच वित्त वर्ष 25: रुपये 0.96/ केडब्ल्यूएच	वित्त वर्ष 20: रु. 1.05/केडब्ल्यूएच वित्त वर्ष 25: रु. 1.38/केडब्ल्यूएच	वित्त वर्ष 20: रुपये 2.84/ केडब्ल्यूएच वित्त वर्ष 25: रु. 2.34/केडब्ल्यूएच	हां
34	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	वित्त वर्ष 20: रु. 0.00/केडब्ल्यूएच वित्त वर्ष 25: रुपये 0.46/किलोवाट	वित्त वर्ष 20: रु. 1.68/केडब्ल्यूएच वित्त वर्ष 25: रु. 1.18/केडब्ल्यूएच	वित्त वर्ष 20: रुपये 1.68/ केडब्ल्यूएच वित्त वर्ष 25: रु. 1.64/केडब्ल्यूएच	हां
35	लक्षद्वीप	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	हां (नोट 4 देखें)
36	पुडुचेरी	वित्त वर्ष 20: रु. 2.40/केडब्ल्यूएच वित्त वर्ष 25: रुपये 1.72/किलोवाट	वित्त वर्ष 20: रु. 1.06/केडब्ल्यूएच वित्त वर्ष 25: रु. 1.41/केडब्ल्यूएच	वित्त वर्ष 20: रुपये 3.46/ केडब्ल्यूएच वित्त वर्ष 25: रु. 3.13/केडब्ल्यूएच	हां

* केवीएएच को यूनिटी पावर फैक्टर पर विचार करते हुए केडब्ल्यूएच में परिवर्तित कर दिया गया है क्योंकि ऐसे उपभोक्ता प्रकृति में बड़े होते हैं

टिप्पणी:

1. माननीय एपीईआरसी ने एपी डिस्कॉम को 22 फरवरी 2019 और 11 मार्च 2024 के प्रशुल्क आदेश में वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अतिरिक्त अधिभार निर्धारित करने के लिए अलग से याचिका दायर करने का निर्देश दिया। हाल के प्रशुल्क आदेश में माननीय एपीईआरसी द्वारा यह भी मान्यता दी गई है कि डिस्कॉम अतिरिक्त अधिभार गणना से संबंधित याचिका दायर नहीं करते हैं।
2. माननीय बीईआरसी ने प्रशुल्क आदेश दिनांक 28 मार्च 2025 द्वारा डिस्कॉम को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अतिरिक्त अधिभार निर्धारित करने के लिए अलग से याचिका दायर करने का निर्देश दिया।
3. माननीय डब्ल्यूबीईआरसी ने डिस्कॉम को निर्देश दिया कि वे संगत विनियमों के अनुसार अतिरिक्त अधिभार की गणना करें और दिनांक 30 मार्च 2023 और 20 मार्च 2025 के प्रशुल्क आदेशों में क्रमश: वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एपीआर याचिका के साथ विवरण प्रस्तुत करें।
4. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के द्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के लिए खुली पहुंच संभव नहीं है और विद्युत मंत्रालय के दिनांक 16 सितंबर 2025 के अनुसार इन दोनों संघ राज्य क्षेत्रों को इस मापदंड के लिए अंक दिए गए हैं।
5. एन.ए. इसका मतलब है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशुल्क आदेश क्रॉस सब्सिडी अधिभार और/या अतिरिक्त अधिभार के बारे में स्पष्ट नहीं हैं।
6. कुछ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में खुली पहुंच अधिभार के लिए आंकड़े पांच साल पहले उपलब्ध नहीं थे और उन मामलों में, एक छोटी समय सीमा पर विचार किया गया है।

परिशिष्ट: राज्यों और संघ क्षेत्रों के रेटिंग विनियामक निष्पादन की रिपोर्ट
अंतिम तिथि: 31 मार्च, 2025 (पूर्णांक), बढ़ाई गई तिथि: 30 जून, 25 (आनुपातिक अंक)

परिशिष्ट-XI

हरित ऊर्जा खुली पहुंच

क्र. सं.	राज्य	जीईओए-100 किलोवाट की क्षमता	हरित एच2 और हरित एनएच3 के उत्पादन के लिए ऊर्जा पर सीएसएस और एएस छूट	डब्ल्यूटीई परियोजनाओं के लिए सीएसएस और एएस की छूट	हरित शुल्क (ग्रीन प्रशुल्क) (सामान्य प्रशुल्क के ऊपर)
		(हां/नहीं)	(हां/नहीं)	(हां/नहीं)	(रु../किलोवाट)
1	आंध्र प्रदेश	हां	हां	हां	0.75
2	अरुणाचल प्रदेश	हां	हां	हां	0.50
3	असम	हां	हां	हां	1.00
4	बिहार	हां	हां	हां	0.42
5	छत्तीसगढ	नहीं	नहीं	नहीं	उपभोक्ताओं के लिए- 0.77 बाध्यकारी संस्थाओं के लिए- पवन-0.61 हाइड्रो-3.38 अन्य- 1.72 (वित्त वर्ष 2024-25 के लिए)
6	गुजरात	हां	नहीं	हां	0.90
7	हरियाणा	हां	हां	हां	0.88
8	हिमाचल प्रदेश	हां	हां	हां	0.39
9	झारखंड	हां	हां	हां	जेबीवीएनएल.: 0.60 डीवीसी: 0.44 टीएसएल: 0.33
10	कर्नाटक	हां	नहीं	हां	0.50
11	केरल	हां	नहीं	नहीं	0.77
12	मध्य प्रदेश	हां	हां	हां	उपभोक्ताओं के लिए- 0.53 बाध्य कंपनियों के लिए- पवन-0.18 हाइड्रो-3.00 अन्य -0.74
13	महाराष्ट्र	हां	हां	हां	0.25
14	मेघालय	हां	हां	हां	0.30
15	नागालैंड	हां	नहीं	हां	उपलब्ध नहीं
16	उड़ीसा	हां	हां	हां	0.20
17	पंजाब	हां	हां	हां	0.20
18	राजस्थान	नहीं	हां	हां	0.21 (वित्त वर्ष 2024-25 के लिए)

क्र. सं.	राज्य	जीईओए-100 किलोवाट की क्षमता	हरित एच2 और हरित एनएच3 के उत्पादन के लिए ऊर्जा पर सीएसएस और एएस छूट	डब्ल्यूटीई परियोजनाओं के लिए सीएसएस और एएस की छूट	हरित शुल्क (ग्रीन प्रशुल्क) (सामान्य प्रशुल्क के ऊपर)
		(हां/नहीं)	(हां/नहीं)	(हां/नहीं)	(रु../किलोवाट)
19	सिक्किम	हां	नहीं	हां	उपलब्ध नहीं
20	तमिलनाडु	नहीं (ड्राफ्ट)	नहीं (ड्राफ्ट)	नहीं (ड्राफ्ट)	एचटी उपभोक्ताओं के लिए संबंधित प्रशुल्क का 10% (एचटी IV को छोड़कर - निर्माण और अस्थायी)
21	तेलंगाना	हां	हां	हां	0.66
22	त्रिपुरा	हां	नहीं	हां	0.75 (वित्त वर्ष 2024-25 के लिए)
23	उत्तराखंड	हां	हां	हां	0.36
24	उत्तर प्रदेश	हां	हां	हां	0.36 (वित्त वर्ष 2024-25 के लिए)
25	पश्चिम बंगाल	हां	नहीं ग्रीन एच2 और ग्रीन एनएच3 पर लागू।	नहीं जैसा कि डब्ल्यूटीई परियोजनाओं पर लागू होता है	0.50
26	जेएंडके	हां	हां	हां	0.50 (वित्त वर्ष 2024-25 के लिए)
27	लद्दाख	हां	हां	हां	0.50 (वित्त वर्ष 2024-25 के लिए)
28	मणिपुर	हां	नहीं	हां	उपलब्ध नहीं
29	मिजोरम	हां	नहीं	हां	उपलब्ध नहीं
30	दिल्ली	हां	हां	हां	उपलब्ध नहीं
31	गोवा	हां	हां	हां	0.89
32	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	हां	हां	हां	उपलब्ध नहीं
33	चंडीगढ़	हां	हां	हां	1.00
34	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	हां	हां	हां	1.00
35	लक्षद्वीप	हां	हां	हां	उपलब्ध नहीं
36	पुडुचेरी	हां	हां	हां	0.38

टिप्पणी:

1) छत्तीसगढ़ और केरल ने हरित ऊर्जा खुली पहुंच विनियम तैयार नहीं किए हैं।

2) तमिलनाडु ने ग्रीन एनर्जी खुली पहुंच रेगुलेशन का मसौदा प्रकाशित किया है।

3) **खुली पहुंच उपभोक्ताओं की क्षमता को 100 किलोवाट के रूप में परिभाषित नहीं करना:** छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और राजस्थान ने खुली पहुंच उपभोक्ताओं की क्षमता को 100 किलोवाट के रूप में परिभाषित करने के संदर्भ में ग्रीन एनर्जी खुली पहुंच विनियम लागू नहीं किए हैं। केरल में केएसईआरसी (कनेक्टिविटी एंड इंट्रा-स्टेट ओपन एक्सेस) विनियम, 2013 में कोई न्यूनतम क्षमता सीमा निर्दिष्ट नहीं है और इसलिए 100 किलोवाट क्षमता वाले उपभोक्ताओं को खुली पहुंच का विकल्प चुनने की अनुमति है।

4) **हरित एच2 और हरित एनएच3 के उत्पादन के लिए ऊर्जा पर सीएसएस और एएस की छूट को शामिल न करना:** छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, केरल, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मणिपुर और मिजोरम ने अपने विनियमों में हरित एच2 और हरित एनएच3 के उत्पादन के लिए ऊर्जा पर सीएसएस और एएस की छूट को शामिल नहीं की है।

5) **ऊर्जा परियोजनाओं के अपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट को शामिल न करना:** छत्तीसगढ़, केरल और पश्चिम बंगाल ने अपने नियमों में अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं के अपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट को शामिल नहीं की है।

6) **कोई हरित शुल्क नहीं:** नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप ने कोई हरित शुल्क निर्दिष्ट नहीं किया है। इस प्रावधान की कमी उपभोक्ताओं को खुली पहुंच के बिना वाणिज्यिक आधार पर हरित ऊर्जा का विकल्प चुनने से रोकती है।

परिशिष्ट-XII

नवीकरणीय खरीद दायित्व

क्र. सं.	राज्य	वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्दिष्ट आरपीओ पथ	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 20/10/2023 के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी)	विद्युत मंत्रालय की 20/10/2023 की अधिसूचना के अनुसार कुल निर्दिष्ट आरपीओ।	क्या कमी की मात्रा पर निर्दिष्ट दंड तंत्र है?
			(हां/नहीं)	(हां/नहीं)	(हां/नहीं)
1	आंध्र प्रदेश	वित्त वर्ष 2029-30 (संदर्भ नोट 1)	हां	हां	हां (अधिकतम आरईसी कीमत की दर पर दंड)
2	अरुणाचल प्रदेश	वित्त वर्ष 2029-30	हां	हां	हां (सहनशीलता कीमत की दर पर दंड)
3	असम	वित्त वर्ष 2029-30	हां	हां	हां (सहनशीलता कीमत की दर पर दंड)
4	बिहार	वित्त वर्ष 2029-30	हां	नहीं (डीआरई लक्ष्य गायब है)	हां (जैसा कि आयोग निर्णय ले)
5	छत्तीसगढ	वित्त वर्ष 2029-30	हां	नहीं (डीआरई लक्ष्य गायब है)	हां (सहनशीलता कीमत की दर पर दंड)
6	गुजरात	वित्त वर्ष 2029-30	हां	हां	हां (सहनशीलता कीमत की दर पर दंड)
7	हरियाणा	वित्त वर्ष 2029-30	हां	नहीं (डीआरई लक्ष्य गायब है)	हां (सहनशीलता कीमत की दर पर दंड)
8	हिमाचल प्रदेश	वित्त वर्ष 2029-30	हां	नहीं (डीआरई लक्ष्य गायब है)	हां (अधिनियम की धारा 142 के तहत जुर्माना)
9	झारखंड	वित्त वर्ष 2029-30	हां	हां	हां (जैसा कि विद्युत मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया गया है)
10	कर्नाटक	वित्त वर्ष 2029-30	हां	हां	हां (जैसा कि आयोग तय करे)
11	केरल	वित्त वर्ष 2029-30	हां (आरपीओ लक्ष्य विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना से अधिक हैं)	नहीं (डीआरई लक्ष्य गायब है)	हां (आरईसी के सहनशीलता मूल्य की दर से जुर्माना)
12	मध्य प्रदेश	वित्त वर्ष 2029-30	नहीं (वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आरपीओ लक्ष्य 30.97% है जबकि विद्युत मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट लक्ष्य 33.01% है)	नहीं (डीआरई लक्ष्य गायब है)	हां (6 माह की औसत आरईसी की दर पर जुर्माना)

क्र. सं.	राज्य	वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्दिष्ट आरपीओ पथ	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 20/10/2023 के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी)	विद्युत मंत्रालय की 20/10/2023 की अधिसूचना के अनुसार कुल निर्दिष्ट आरपीओ।	क्या कमी की मात्रा पर निर्दिष्ट दंड तंत्र है?
			(हां/नहीं)	(हां/नहीं)	(हां/नहीं)
13	महाराष्ट्र	वित्त वर्ष 2029-30	हां	हां	हां (एआरआर में 10 पैसे/केडब्ल्यूएच की दर से जुर्माना)
14	मेघालय	वित्त वर्ष 2029-30	हां	हां	हां (सहनशीलता कीमत की दर से जुर्माना)
15	नागालैंड	वित्त वर्ष 2026-27	नहीं (विद्युत मंत्रालय से अलग। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 27.45%)	नहीं	हां (सहनशीलता कीमत की दर से जुर्माना)
16	उड़ीसा	वित्त वर्ष 2024-25	नहीं (आरपीओ लक्ष्य वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केवल 18% है)	नहीं	हां (आरईसी के सहनशीलता मूल्य की दर से जुर्माना)
17	पंजाब	वित्त वर्ष 2029-30	हां	नहीं (केवल समग्र लक्ष्य दिया गया है)	हां (आरईसी की अधिकतम मंजूरी कीमत की दर पर जुर्माना)
18	राजस्थान	वित्त वर्ष 2029-30	हां	नहीं (डीआरई लक्ष्य गायब है)	हां (आरईसी के सहनशीलता मूल्य की दर से जुर्माना)
19	सिक्किम	वित्त वर्ष 2024-25 के लिए (नोट 2 देखें)	नहीं (वित्त वर्ष 2024-25 के लिए निर्दिष्ट संचयी लक्ष्य 17.40% है)	नहीं	हां (सहनशीलता कीमत की दर से जुर्माना)
20	तमिलनाडु	वित्त वर्ष 2029-30	हां	नहीं (डीआरई लक्ष्य गायब है)	हां (करों और लेवी सहित वर्ष के दौरान आरईसी की अधिकतम कीमत की दर से जुर्माना)
21	तेलंगाना	वित्त 2026-27	नहीं (वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आरपीओ लक्ष्य केवल 10.5% है)	नहीं	हां (आरईसी के सहनशीलता मूल्य की दर से जुर्माना)
22	त्रिपुरा	वित्त वर्ष 2019-20	नहीं	नहीं	हां (जुर्माना @ सहनशीलता मूल्य)
23	उत्तराखंड	वित्त वर्ष 2029-30	हां	हां	हां (सहनशीलता कीमत की दर से जुर्माना)

क्र. सं.	राज्य	वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्दिष्ट आरपीओ पथ	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 20/10/2023 के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी) (हां/नहीं)	विद्युत मंत्रालय की 20/10/2023 की अधिसूचना के अनुसार कुल निर्दिष्ट आरपीओ। (हां/नहीं)	क्या कमी की मात्रा पर निर्दिष्ट दंड तंत्र है? (हां/नहीं)
24	उत्तर प्रदेश	वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अधिसूचित किया गया है और इसे आगे संशोधित होने तक जारी रखा जाएगा।	नहीं (वित्त वर्ष 2023-24 के लिए विद्युत मंत्रालय का कुल आरपीओ लक्ष्य 27.08% है जबकि उत्तर प्रदेश द्वारा 15%)	नहीं	हां (आरईसी की फ्लोर कीमतों या आयोग द्वारा निर्धारित किसी अन्य दर पर जुर्माना)
25	पश्चिम बंगाल	वित्त वर्ष 2022-23आगे संशोधित होने तक जारी रहेगा।	नहीं (आरपीओ पथ वित्त वर्ष 2022-23 तक केवल - 17%। इसे आज तक जारी रखा गया है)	नहीं (डीआरई लक्ष्य गायब है)	हां (अधिनियम की धारा 142 के तहत जुर्माना)
26	जम्मू और कश्मीर	वित्त वर्ष 2029-30	हां	हां	हां (अधिनियम की धारा 142 के तहत जुर्माना)
27	लद्दाख	वित्त वर्ष 2029-30	हां	हां	हां (अधिनियम की धारा 142 के तहत जुर्माना)
28	मणिपुर	वित्त वर्ष 2029-30	हां	नहीं (डीआरई लक्ष्य गायब है)	हां (सहनशीलता कीमत की दर से जुर्माना)
29	मिजोरम	वित्त वर्ष 2029-30	हां	हां	हां ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 (2001 का 52) की धारा 26 की उपधारा (III)
30	दिल्ली	वित्त वर्ष 2025-26	हां (वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आरपीओ लक्ष्य विद्युत मंत्रालय द्वारा अधिसूचित के समान है)	नहीं	हां (आरईसी मूल्य के भारित औसत का 10% जुर्माना)
31	गोवा	वित्त वर्ष 2029-30	हां	हां	हां (आरईसी मूल्य के भारित औसत का जुर्माना)
32	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	वित्त वर्ष 2029-30	हां	हां	हां (आरईसी मूल्य के भारित औसत का जुर्माना)

क्र. सं.	राज्य	वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्दिष्ट आरपीओ पथ	विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 20/10/2023 के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी)	विद्युत मंत्रालय की 20/10/2023 की अधिसूचना के अनुसार कुल निर्दिष्ट आरपीओ।	क्या कमी की मात्रा पर निर्दिष्ट दंड तंत्र है?
			(हां/नहीं)	(हां/नहीं)	(हां/नहीं)
33	चंडीगढ़	वित्त वर्ष 2029-30	हां	हां	हां (आरईसी मूल्य के भारित औसत का जुर्माना)
34	दादरा और नगर हवेली और दमन तथा दीव	वित्त वर्ष 2029-30	हां	हां	हां (आरईसी मूल्य के भारित औसत का 10% जुर्माना)
35	लक्षद्वीप	वित्त वर्ष 2029-30	हां	हां	हां (आरईसी मूल्य के भारित औसत का जुर्माना)
36	पुडुचेरी	वित्त वर्ष 2029-30	हां	हां	हां (आरईसी मूल्य के भारित औसत का 10% जुर्माना)

टिप्पणी:

टिप्पणी 1: आंध्र प्रदेश आयोग ने दिनांक 20/02/2025 के एआरआर वित्त वर्ष 2025-26 के आदेश में स्पष्ट किया है कि एपीईआरसी विनियमों और आरसीओ पथ के बीच उच्च पथ का अनुपालन किया जाना चाहिए। संगत उद्धरण इस प्रकार है:

"विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार एपीईआरसी द्वारा निर्दिष्ट वितरण लाइसेंसधारियों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व (आरपीपीओ) और ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अनुसार विद्युत मंत्रालय द्वारा निर्धारित नामित उपभोक्ताओं के लिए नवीकरणीय खपत दायित्व (आरसीओ) अलग-अलग और सह-अस्तित्व में हैं और डिस्कॉम सहित प्रत्येक बाध्य इकाई द्वारा इनका अनुपालन किया जाना चाहिए। तथापि, चूंकि दोनों अधिसूचनाएं नवीकरणीय ऊर्जा खरीद से संबंधित हैं, इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि दोनों में से उच्चतर का अनुपालन पर्याप्त है। इसके अलावा, उन मामलों में जहां ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के अनुसार आरसीओ के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के आधार पर अनुपालन निर्दिष्ट किया गया है, डिस्कॉम को विभिन्न स्रोतों के बीच उक्त अधिसूचना में उल्लिखित विनिमेयता का विधिवत पालन करते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।"

टिप्पणी 2: सिक्किम ने 30 जून 2025 की विस्तारित अंतिम तारीख के बाद *विद्युत मंत्रालय की* अधिसूचना के अनुरूप आरपीओ पथ जारी किया है और इसलिए इसे इस रिपोर्ट का हिस्सा नहीं माना गया है। रिपोर्ट के अगले संस्करण में इस पर विचार किया जाएगा।

1) विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 20/10/2023 के अनुसार आरपीओ पथ

अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मिजोरम, गोवा, चंडीगढ़, पुडुचेरी, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप ने विद्युत मंत्रालय द्वारा राजपत्र अधिसूचना दिनांक 20/10/2023 द्वारा अधिसूचित आरपीओ पथ के अनुसार पूर्णत: आरपीओ पथ (वितरित आरई सहित) लागू किया है। उत्तराखंड आरपीओ पथ भी विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुरूप है, सिवाय इसके कि पवन और जलविद्युत परियोजनाओं की तारीख जिन्हें दायित्व को पूरा करने के लिए विचार किया जाना है, अलग-अलग हैं (पवन ऊर्जा परियोजनाएं 31/03/2022 के बाद शुरू की गईं और जलविद्युत परियोजनाएं 8/03/2019 के बाद शुरू की गई)।

2) आरपीओ पथ वितरित नवीकरणीय ऊर्जा (डीआरई) के बिना विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के समान है

पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और मणिपुर ने संचयी आरपीओ लक्ष्यों को एमओपी के समान और इससे भी अधिक निर्दिष्ट किया है, हालांकि, ऐसे आरपीओ लक्ष्यों में डीआरई घटक मौजूद नहीं है।

3) आरपीओ पथ विद्युत मंत्रालय द्वारा निर्धारित पथ से भिन्न है

मध्य प्रदेश, नागालैंड और तेलंगाना ने वित्त वर्ष 2024-25 के बाद आरपीओ पथ निर्दिष्ट किए हैं, लेकिन यह विद्युत मंत्रालय द्वारा निर्धारित आरपीओ लक्ष्यों से अलग है।

4) वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कोई आरपीओ पथ नहीं

वित्त वर्ष 2025-26 ओडिशा, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा ने आरपीओ पथ निर्धारित नहीं किया है।

5) आरपीओ पथ के गैर-अनुपालन से जुड़ा जुर्माना

सभी राज्यों ने आरपीओ के अनुपालन न करने पर दंड तैयार किया है।

परिशिष्ट-XIII

विनियामक शासन

क्र.सं.	राज्य	क्या अधिकारियों की नियुक्ति के लिए विनियम निर्धारित हैं (हां/नहीं)	क्या विभिन्न समूहों - ए, बी और सी में स्वीकृत पदों को विभाजित किया गया है; (हां/नहीं)
1	आंध्र प्रदेश	हां	हां
2	अरुणाचल प्रदेश	हां	हां
3	असम	हां	हां
4	बिहार	हां	हां
5	छत्तीसगढ	हां	हां
6	गुजरात	हां	हां
7	हरियाणा	हां	हां
8	हिमाचल प्रदेश	हां	हां
9	झारखंड	हां	हां
10	कर्नाटक	हां	हां
11	केरल	हां	हां
12	मध्य प्रदेश	हां	हां
13	महाराष्ट्र	हां	हां
14	मेघालय	हां	हां
15	नागालैंड	हां	हां
16	उड़ीसा	हां	हां
17	पंजाब	हां	हां
18	राजस्थान	हां	हां
19	सिक्किम	हां	हां
20	तमिलनाडु	नहीं	नहीं
21	तेलंगाना	हां	हां
22	त्रिपुरा	नहीं	नहीं
23	उत्तराखंड	हां	हां
24	उत्तर प्रदेश	हां	हां
25	पश्चिम बंगाल	हां	हां
26	जम्मू और कश्मीर	हां	हां
27	लद्दाख	हां	हां
28	मणिपुर	हां	हां
29	मिजोरम	हां	हां
30	दिल्ली	हां	हां
31	गोवा	हां	हां
32	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	हां	हां
33	चंडीगढ़	हां	हां
34	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	हां	हां
35	लक्षद्वीप	हां	हां
36	पुडुचेरी	हां	हां

नोट:

1. त्रिपुरा ने मसौदा (अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती की विधि और सेवा की शर्तें) विनियम, 2020 तैयार किया है।

(https://terc.tripura.gov.in/sites/default/files/Recruitment%20and%20conditions%20of%20Service%20of%20Officers%20and%20Staff%20Regulations%272020.pdf)

यह आयोग की वित्त वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट में भी उल्लिखित है।

(https://terc.tripura.gov.in/sites/default/files/annual%20report%202019-20.pdf)

तथापि अंतिम विनियम त्रिपुरा विनियामक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है।

2. सेवा कर्मचारियों के लिए विनियम तमिलनाडु की वेबसाइट पर नहीं पाए गए हैं।

सहयोगी

क. पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया (पीएफआई)

अंशुमान श्रीवास्तव

कार्यकारी निदेशक, पीएफआई

अंशुमान श्रीवास्तव ने विद्युत अभियांत्रिकी में बी.टेक किया है तथा एनटीपीसी लिमिटेड. में 35 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव प्राप्त किया है। उन्हें कॉर्पोरेट कार्यालय तथा विभिन्न विद्युत परियोजनाओं में कॉर्पोरेट अनुबंध एवं सामग्री प्रबंधन का व्यापक अनुभव है। पीएफआई से जुड़ने से पूर्व वे एनटीपीसी की सोलापुर परियोजना में अनुबंध एवं सामग्री विभाग के प्रमुख के रूप में कार्यरत थे।

हिमांशु चावला

प्रमुख (नियामक), पीएफआई

हिमांशु चावला के पास विद्युत क्षेत्र के विभिन्न आयामों में लगभग 17 वर्षों का व्यापक अनुभव है। उन्होंने राज्य विद्युत नियामक आयोगों, एस्सार पावर तथा आईसीआरए में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। उन्होंने University of British Columbia से पावर मैनेजमेंट, पावर इंजीनियरिंग एवं क्लाइमेट चेंज विषयों में अपनी टेक्नो-कमर्शियल शैक्षणिक योग्यता का प्रभावी उपयोग किया है। उनका अंतिम पद दिल्ली विद्युत नियामक आयोग में संयुक्त निदेशक (टैरिफ-इंजीनियरिंग) का था।

अनुराग भगत

प्रमुख (संचार), पीएफआई

अनुराग भगत एक अनुभवी मार्केटिंग एवं संचार विशेषज्ञ हैं, जिनके पास दो दशकों से अधिक का पेशेवर अनुभव है। उन्होंने कोका-कोला इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप तथा डीएसएम इंडिया जैसे प्रतिष्ठित संगठनों के साथ कार्य किया है। वे भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ जी 20 इंडिया टीम का भी हिस्सा रहे हैं। उन्होंने एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से एमबीए किया है तथा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली के पूर्व छात्र हैं।

राघव सलवान

परामर्शदाता, पीएफआई

राघव सलवान पीएफआई में परामर्शदाता के रूप में कार्यरत हैं और ऊर्जा क्षेत्र में लगभग 5 वर्षों का अनुभव रखते हैं। इससे पूर्व वे एक स्वतंत्र विद्युत उत्पादक कंपनी के साथ कार्य कर चुके हैं। उन्होंने प्रबंधन विकास संस्थान, गुरुग्राम से प्रबंधन में डिग्री प्राप्त की है।

ख. आरईसी लिमिटेड

नियामकीय अनुपालन निगरानी प्रकोष्ठ, यूटिलिटी सुधार हेतु विशेष हस्तक्षेप प्रकोष्ठ तथा सरकारी कार्यक्रम प्रबंधन प्रभाग में कार्यरत अधिकारी।

परिशिष्ट

शब्दावली

शब्द	विवरण
एसीएस	आपूर्ति की औसत लागत
एबीआर	औसत बिलिंग दर
एआरआर (एसीएस-एआरआर अंतर के संबंध में)	औसत राजस्व प्राप्त हुआ
एआरआर (एसईआरसी अनुमोदित एआरआर के संबंध में)	कुल राजस्व आवश्यकता
एटीएंडसी	हानि कुल तकनीकी और वाणिज्यिक हानि
सीएजीआर	चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर
सीईए	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण
डीएससीआर	ऋण सेवा कवरेज अनुपात
ईबीआईटीडीए	ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पूर्व आय
जेनको	जेनरेशन कंपनी
जीईओए	हरित ऊर्जा मुक्त पहुंच
जीएसडीपी	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
जीडब्ल्यू	गीगावाट
एचटी	उच्च तनन
इंड-एएस	भारतीय लेखांकन मानक
एलपीएस	विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियमावली, 2022
एलटी	कम तनन
एमओपी	विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार
एमयू	मिलियन यूनिट
एमडब्ल्यू	मेगावाट
एनपीए	गैर-निष्पादक परिसंपत्ति
पीडी	विद्युत विभाग
पीएफसी	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
आरडीएसएस	संशोधित वितरण क्षेत्र योजना
आरईसी	आरईसी लिमिटेड
एसईआरसी	राज्य विद्युत नियामक आयोग
एसएलडीसी	राज्य भार प्रेषण केन्द्र
ट्रांसको	पारेषण कंपनी

Power Foundation of India

आरईसी
REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

द्वारा संयुक्त रिपोर्ट